नवम माला, खंड 8, अंक 9

बुधवार, 22 अगस्त, 1990
31 श्रावण, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

विषय-सूची

नवम माला, खंड 8 तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 9 बुधवार, 22 अगस्त, 1990/ 31 श्रावण, 1912 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर ।		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 183, 184 और 186	...	1-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	19-240
तारांकित प्रश्न संख्या : 185 और 187 से 202	...	19-37
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2115 से 2132, 2134 से 2143, 2145 से 2170, 2172 से 2189, 2191 से 2197, 2200 से 2202, 2204 से 2237, 2239 से 2250, 2252 से 2276, 2278 से 2291, 2293 से 2301, 2303 से 2316 और 2318 से 2350	...	38-240
कुवैत में भारतीयों की स्थिति के बारे में	...	243-248
असम से कच्चे तेल की आपूर्ति अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में	...	248-249
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	255-257,318
राज्य सभा से सन्देश	...	257
राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित—सभा पटल पर रखा गया गया	...	257
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति आठवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	...	259

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

प्राक्कलन समिति

नौवां प्रतिवेदन- प्रस्तुत ... 259

मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य ... 259-261

देश में पेट्रोलियम उत्पादों में बचत करने के लिए सरकारी वाहनों के प्रयोग पर अंकुश और कतिपय अन्य उपाय

प्रो. मधु दण्डवते ... 259-261

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण ... 261-262

नागा विद्रोहियों से देश की सुरक्षा को खतरा तथा इस बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

श्री लेइता पम्बरी ... 261,263-265

श्री सुबोध कान्त सहाय ... 261 262-269, 269-271

श्री धर्मपाल शर्मा ... 265-266

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ... 267

श्री शिविहो सेमा ... 267-269

कार्य-मन्त्रणा समिति

पहुन्द्रवांप्रतिवेदन—स्वीकृत ... 272

नियम 377 के अधीन मामले ... 272-276

(एक) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित बेस रिपेयरिंग आर्गनाइजेशन के कर्मकारों की शिकायतों की जांच किए जाने की मांग

श्री मनोरंजन भक्त ... 272-273

(दो) मछुआरों को बाढ़ से बचाने के लिए केरल में कोडंगलूर के तटीय क्षेत्रों में दीवार का निर्माण किए जाने की मांग

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन ... 273

(तीन) कचीगुडा और जयपुर के बीच छोटी लाइन पर चलने वाली मीनाक्षी एक्सप्रेस के लिए अमानवाड़ो हाल्ट (महाराष्ट्र) को बहाल किए जाने की मांग

श्री अनन्तराव देशमुख ... 273-274

(चार) औरंगाबाद में खेल, प्रशिक्षण केन्द्र और संवर्धन केन्द्र को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

डा. वेंकटेश काबडे ... 274

(पांच) सिंगरौली-ललितपुर रेल लाइन का कार्य शीघ्र शुरू करने और दमोह में रेलवे उपरि पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की मांग

श्री लोकेन्द्र सिंह ... 274

(छः) दक्षिण रेलवे के शोरानूर-मंगलौर सेक्शन पर रेल और यात्री सुविधाओं का विकास किए जाने की मांग

श्री एम. रमन्ना राय ... 274-275

(सात) बिहार में बेतिया में 1000 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की मांग

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा ... 275

(आठ) नवम्बर, 1984 के दंगों और आतंकवादियों के शिकार व्यक्तियों की विधवाओं को जीवन भर 1000 रुपए मासिक पेंशन दिए जाने की मांग

श्री कृपाल सिंह ... 275-276

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक ... 276-290

विचार करने के लिए प्रस्ताव ... 276

श्री पी. उपेन्द्र ... 276-280

श्री वसन्त साठे ... 281-290

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर अत्याचार	...	290-817
श्रीमती गीता मुखर्जी	...	291-259
श्रीमती उमा गजपति राजू	...	295-298
श्री छेदी पासवान	...	298-299
श्रीमती विजयाराजे सिन्धिया	...	299-304
श्रीमती शीला कौल	...	304-306
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	...	306,307,313
कुमारी मायावती	...	313-317

लोक सभा

बुधवार 22 अगस्त, 1990/31 श्रावण, 1912 (शक)

लोक सभा 11.08 म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पान मसाला पैकेटों पर कानूनी चेतावनी

[अनुवाद]

*183. श्री शिकिहो सेमा : क्या स्वास्थ्य और परिवार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पान मसाला के पैकेटों पर और इसके विज्ञापनों पर यह कानूनी चेतावनी कि "पान मसालों का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" स्पष्ट रूप से दर्शायी नहीं जाती;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो अधिसूचना जारी न करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क), (ख), (ग) और (घ) पान मसाले के मानक और लेबल लगाने के उपबंध निर्धारित करने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें यह अनुबंधित है कि पान मसाले के प्रत्येक पैकेट और विज्ञापन पर यह चेतावनी दी जाएगी कि "पान मसाले को चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।" यह अधिसूचना 8 मार्च, 1990 को प्रकाशित की गई है और यह प्रकाशन की तारीख से छह महीने के बाद लागू होगी।

श्री शिकिहो सेमा : अध्यक्ष महोदय, आपने सभा को सूचित किया था कि जांच किए गए 255 नमूनों में से 93 नमूने मिलावटी पाए गए क्योंकि उनमें रासायनिक रंग, सैकरिन अल्यूमिनियम के अंश तथा बालूकण मौजूद थे। आपने सभा को यह भी सूचित किया था कि पान मसाले में अखरोट और कत्थे की मौजूदगी के कारण मुख कैंसर हो रहा है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है, यदि हां तो कितने व्यक्ति इससे प्रभावित हुए हैं।

श्री रशीद मसूद : महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न स्पष्ट नहीं है और यह मौखिक प्रश्न से संबंधित नहीं हुआ है।

श्री शिकिहो सेमा : महोदय, उन्होंने मेरा मूल प्रश्न भी छोड़ दिया है और अब वह पुनः यही उत्तर दे रहे हैं। महोदय, वह इस प्रकार उत्तर देने में बहुत चतुर है लेकिन यह मामला तो कैंसर के बारे में है, जिससे हमारे लोग प्रभावित होंगे।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। आपने सभा को यह भी सूचित किया है कि "प्रतिदिन 4 ग्राम से अधिक पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।" इस वक्तव्य के प्राधिकारी कौन हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा प्रयोग किया गया था, यदि हां तो किसके द्वारा और कब ?

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : सी सी एफ ए की मीटिंग हुई थी और उसमें यह तय किया गया था, मैनुफेक्चर्स ने कहा कि 4 ग्राम से कम पान मसाला एक दिन में लेने से हैल्थ पर कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन उसके बाद नेशनल इंस्टीच्यूट आफ न्यूट्रीशन हैदराबाद ने यह कहा कि ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि 4 ग्राम तक पान मसाला लेने से हैल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए यह पोरशन डिलीट कर दिया जाए। इसी रिकोमेंडेशन पर इसको किया गया है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, अगर मुझे सही याद है तो जब वर्तमान प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे तब उन्होंने पान मसाले पर कर लगाया था। तब तत्कालीन वित्त मंत्री की पत्नी ने पान मसाले पर कर लगाने पर आपत्ति की थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप प्रधानमंत्री की पत्नी द्वारा आपत्ति करने से पान मसाले के हानिकारक प्रभावों से लोगों का बचाव नहीं कर रहे हैं। मैं यह प्रश्न इसलिए कर रहा हूं कि मैं असम राज्य से हूं जहां पर देश में सबसे अधिक कैंसर रोगी हैं। पूर्वी भारतीय चिकित्सा संघ ने अपनी रिपोर्ट में पान मसाले तथा अन्य मसालों में मिलावट को कैंसर का एक मुख्य कारण बताया है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि स्पष्ट रूप से 'हां' या 'ना' कहें। क्या इस प्रकार कैंसर होने का पता लगाने के लिए कोई गहन अध्ययन किया गया है क्योंकि इस संबंध में क्षेत्रीय चिकित्सा संघ की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। मेरे विचार से इस बारे में जांच करने और फिर निर्णय लेने के लिए आपके पास बेहतर साधन व उपकरण हैं। मेरे माननीय मित्र ने सही कहा है कि पान मसाले की मिलावट के कारण ही मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैंसर रोगी अधिक हैं। फिर भी देश के अन्य भागों में उपलब्ध पान मसाला वहां पर सप्लाई न किया जाए।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : वह दिन खत्म हो गए जब किसी भी इनडिविजुअल कानून के बनने या न बनने से रुकावट हो सकती थी। अब जनता की सरकार है यहां पर किसी इनडिविजुअल की राय

कोई मायने नहीं रखती। हम मेडीकल एडवाइज पर चलेंगे और जो सी सी एफ ए की रिकोमेन्डेशन आई थी उसके मुताबिक ये स्टेचुटरी वार्निंग करने के लिए नोटिफिकेशन 8 मार्च को इशु कर दिया गया है और 8 दिसम्बर को लागू हो जाएगा।

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष जी, एक बहुत छोटी सी बात का मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं जो उत्तर दिया गया है उसमें लिया गया है।

[अनुवाद]

"पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।"

[हिन्दी]

तो मैं उसमें "मे/बी" शब्द का अर्थ जानना चाहता हूं। क्या इसमें कोई सन्देह है ?

(व्यवधान)

श्री रशीद मसूद : इसका जो स्टडी की गई, इसके लिए एक स्टडी ग्रुप कायम हुआ। उसमें यह कहा है कि बीटलनेट और कत्था, इन दोनों से कैंसर हो सकता है लेकिन इसके लिए एक लम्बी स्टडी की जरूरत है। इसलिए मे-बी शब्द का इसमें इस्तेमाल किया गया है। स्टडी ग्रुप को इंस्ट्रक्ट किया गया सितम्बर 1991 में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : अध्यक्ष जी, पान मसाला खाने वालों में से मैं भी हूं लेकिन अभी तक मुझे कैंसर नहीं हुआ है। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जो पान मसाला बाजार में बिकता है उसमें जो चीजें डाली जाती हैं क्या वे सब स्टैंडर्ड नहीं हैं ? उसके मूल्य में कमी हो क्या इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त जो कि पान मसाला खाते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वह पान मसाला खाना छोड़ दें क्योंकि यह पता नहीं कब असर कर जाए। दूसरी बात कि इसके अन्दर कोई मिलावट तो नहीं है उसके लिए प्रिवेंशन आफ फूड एडल्टरेशन एक्ट है। जहां तक प्राइस का ताल्लुक है, प्राइस का मामला मेरे मंत्रालय से मुताल्लिक नहीं है।

श्री भवानी शंकर होटा : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्टेटयूटरी वार्निंग 'इनज्युरिस टू हेल्थ' होता है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। यह तो वही बात हुई कि बहुत ऊंचा टावर है, उसके सामने लगे एक बोर्ड में लिखा होता है कि इसके ऊपर आने के लिए एक रुपये का टिकट लगेगा। जो ऊपर से कूदेगा तो मरेगा ऐसे में उसे ऊपर से कूदने के लिए भी एक रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। यह क्या नियम है ? स्टेट्यूटरी वार्निंग क्या होता है ? अगर यह नुकसानदायक है तो इसको बन्द करना चाहिए।

श्री रशीद मसूद : अभी जो स्टडी हुआ है उससे यह साबित हुआ है कि यह नुकसानदायक हो सकता है लेकिन यह पता नहीं चल पाया है कि यह कितना नुकसानदायक होता सकता है ? अगर यह बात साबित हो जाएगी तो गवर्नमेंट इस पर बैन लगा देगी। नुकसानदायक होने पर वह वार्निंग दे सकती है।

[अनुवाद]

श्री बाल गोपाल मिश्र : महोदय, आप जानते हैं कि इस देश में काफी लोग पान मसाला चबाते हैं। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कैंसरजन तत्व कौन से हैं और क्या देश में ऐसे तत्वों का पता लगाया गया है। क्या ये तत्व चूने और तम्बाकू में पाए गए है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में कोई अनुसंधान किया गया है या नहीं और यदि नहीं तो यह कब शुरू किया जाएगा और इसके क्या परिणाम होंगे ? अगर ये तत्व कैंसरजन पाए गए तो क्या सरकार इसके चबाने पर पूर्ण रोक लगाने का निर्णय लेगी ?

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल पान मसाले के बारे में है। पान मसाले में ऐरेकानट और कत्था ये दो चीजें कैंसर कर सकती हैं। (व्यवधान)

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद कभी पान मसाला बनाने वाली फैक्ट्री को देखने गये हैं ? यदि वह इसको देख लेंगे तो मैं समझता हूं खंडेलवाल जी भी यह पान मसाला नहीं खायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इसको कभी खाया है ?

श्री दिलीप सिंह भूरिया : मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी इसको बनाने वाली फैक्ट्री को जाकर देखें। (व्यवधान)

आज यह पान मसाला आप एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की फ्लाइट्स में सप्लाई कर रहे हैं। यह एक बहुत गन्दी चीज है। जब आप खुद ही इस पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं तो अपने इंस्टीट्यूशन्स में आप इसे क्यों सप्लाई कर रहे हैं ? अगर आपने इसको बनाना ही है तो नए सिरे से रिसर्च करके और अच्छी चीज बनाकर इसे सप्लाई करें।

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष महोदय, मैं कभी पान मसाला बनाने की यूनिट में नहीं गया हूं। वह ऐसी जगह में बनता है जिस को देखने के बाद आदमी पान मसाला खाना छोड़ सकता है तो मैं इनफर्मेशन और ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर से कहूंगा कि वह इस चीज को टी. वी. में दिखायें जिससे मामला आसान हो जाए। मुतअल्लिक डिपार्टमैंट में सप्लाई करने की जिस बात का इन्होंने जिक्र किया उसके लिए हैल्थ मिनिस्टर उन डिपार्टमैंटस को लिखने की कोशिश करेगा।

श्री माभाजी मंगाजी ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या तम्बाकू खाद्य पदार्थ में शामिल है ? अगर ऐसा है तो कब उसको इसमें शामिल किया गया है ?

श्री रशीद मसूद : तम्बाकू पान मसाले में शामिल नहीं है।

श्री राम कृष्ण यादव : क्या सरकार यह जानते हुए भी कि उक्त पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, राजस्व प्राप्त करने के लिए उनको बेचने का लाइसेंस देती है ? यह सर्वमान्य सत्य है कि गांजा, भांग और शराब आदि पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं उसके बावजूद भी इन्हें

सरकार बेचने का लाइसेंस दे रही है। पान मसाला खाद्य पदार्थ की परिभाषा में नहीं आते हैं। यह कैसे साबित किया जा सकता है कि इसमें मिलावट है ?

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष महोदय, पहली बात यह है कि जिस चीज का इन्होंने जिक्र किया है वह दूसरे मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है। हमारे माननीय सदस्य को यह मालूम नहीं है कि फूड की डेफिनेशन क्या है। इसके बारे में मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

खाद्य पदार्थ से अभिप्राय औषधों और जल के अलावा मानव उपभोग के लिए खाद्य पदार्थ या पेय के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले किसी भी पदार्थ से है और इसमें ये भी शामिल हैं :

(क) कोई भी वस्तु जो सामान्यतः मानव भोजन तैयार करने में सम्मिलित होती है या उपयोग की जाती है।

(ख) कोई सुगन्धित पदार्थ या मसाले।

(ग) कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे केन्द्र सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु खाद्य के रूप में उसके प्रयोग, स्वरूप, तत्व अथवा उसकी गुणवत्ता को देखते हुए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर दे।

[हिन्दी]

इसका मतलब यह है कि पान भी फूड के अन्दर आता है लेकिन यह सवाल पान के मुतालिक नहीं है, पान मसाले के मुतालिक है।

श्री धान सिंह जाटव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बहुत सी चीजें जिन में मिलावट की जाती हैं वे क्या सब खाद्य पदार्थ की परिभाषा में आती हैं ? यदि पान मसाला खाद्य पदार्थ की परिभाषा में आती हैं ? यदि पान मसाला खाद्य पदार्थ में नहीं है तो इसका एडल्टरेशन किस प्रकार रोका जायेगा ?

श्री रशीद मसूद : तम्बाकू इसमें यूज नहीं होता है।

[अनुवाद]

श्री अन्बारासु इरा : मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि पान मसाला पैकेटों पर वैधानिक चेतावनी दी जायेगी। यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। यह उसी तरह है जिस तरह एक पुरुष और महिला को विवाह की अनुमति देते हुए पुरुष को लिंग विहीन कर उन्हें सहवास की अनुमति दी जाये। इस तरह का तमाशा करने के बजाये आप पान मसाले की बिक्री पर ही प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगा देते ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है। आप इसे दोहरा रहे हैं। आपको उत्तर सुनना चाहिए था; आपको सदन में ध्यान देना चाहिए।

श्री अन्बारासु इरा : क्या मंत्री महोदय समाचार पत्रों और दूरदर्शन पर विज्ञापनों के द्वारा पान मसाले के निर्माताओं पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कहेंगे।

श्री रशीद मसूद : मुझे पुरुष लिंग को काटने का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि पौष्टिकता संबंधी समिति के प्रतिवेदन के अनुसार हम कार्यवाही करेंगे···(व्यवधान)

आन्त्र-शोथ के मामले

*184. डा. गुलाम यासदानी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान देश में राज्य-वार आन्त्र-शोथ से कितने व्यक्ति पीड़ित हुए;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्यवार इस रोग से कितनी मौतें हुईं; और

(ग) इस रोग की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को कितनी सहायता दी गयी है/देने का विचार है ?

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जठरान्त्र शोथ मुख्य रूप से एक जलवाहित रोग है जिसमें वर्षा ऋतु में जल संदूषण के कारण भारी वृद्धि हो जाती है। इस रोग की घटना अस्वास्थ्यकर दशाओं वाले क्षेत्रों में और उस समय जब पानी सुरक्षित नहीं होता, अधिक होती है। दीर्घकालिक उपायों में ये शामिल हैं :—

— सुरक्षित पीने का पानी।

— उपयुक्त मल व्ययन और व्यक्तिगत स्वच्छता।

— पर्यावरणीय सफाई।

— स्वास्थ्य शिक्षा।

अल्पकालिक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

— इस रोग का शुरू में पता लगाना और घरेलू विधियों का इस्तेमाल करके तत्काल उपचार करना।

— सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/औषधालयों/अस्पतालों में अत्यधिक गंभीर रोगियों के उपचार के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

— क्लोरीन डालकर पानी की सप्लाई को सुरक्षित करना।

— पर्यावरणिक सफाई में सुधार करना।

— जलक्षीणता और ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी के जरिए आवश्यक नमक की हानि से बचाव।

— इस रोग की रोकथाम, पता लगाने और उपचार के लिए परिवार की भागीदारी।

— प्रकोपों की जांच और नियंत्रण उपाय सुझाना।

राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली को भेजी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1989 और 1990 के दौरान इस रोग के रोगियों और मौतों की संख्या इस प्रकार थी :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989		1990		
	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रिपोर्ट की अवधि
दिल्ली	43959	67	28,501	7	जुलाई
गुजरात	2,48,188	183	1,24,486	122	जुलाई
मध्य प्रदेश	9,30,553	590	2,91,003	211	मई
उड़ीसा	5,663	671	1,519	124	जून
तमिलनाडु	23,662	332	10,364	178	जून
उत्तर प्रदेश	2,900	228	1,607	80	जुलाई

बिहार में 27.6.1990 से 20.7.1990 की अवधि के दौरान पटना शहर में इस रोग का एक केन्द्रिक प्रकोप फैला हुआ था जिसके कारण इस रोग से 1456 रोगी ग्रस्त हुए और 70 मौतें हुईं। पश्चिम बंगाल में बर्दवान, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, बांकुरा और हुगली जिलों में इस रोग का केन्द्रिक प्रकोप था जिससे 6.8.1990 तक इस रोग के 21345 रोगी ग्रस्त हुए और 556 मौतें हुईं।

केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करती है :—

— केन्द्रिक प्रकोपों की जांच करने के लिए महामारी रोगविज्ञानी दल भेजना।

— ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट की सप्लाई के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता प्रदान करना।

— स्वास्थ्य कार्मिकों का प्रशिक्षण।

— स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री तैयार करना।

अतिसारीय रोगों के उपचार संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों, आकस्मिक व्ययों और ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के पैकेट खरीदने के लिए धन राशि प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

डा. गुलाम याजदानी : जो उत्तर मंत्री महोदय ने दिया है वह मैंने नहीं चाहा था मैं जानना चाहता हूं कि सम्पूर्ण राष्ट्र में आंत्र शोथ के कितने मामले हुये हैं ? लेकिन उन्होंने कई प्रदेशों को छोड़ दिया है, उन्होंने केवल सात स्थानों के बारे में ही जानकारी दी है। यह अधूरी जानकारी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह स्वीकार किया गया कि यह बीमारी पानी की कमी से होने वाली बीमारी है। इस रोग में रोगी बार-बार मलमूत्र करता है और आखिर में निर्जलन का शिकार हो जाता है।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। मैं समझता हूँ कि आप जानकारी दे रहे हैं। कृपया प्रश्न पर आईये।

डा. गुलाम दाजदानी : जब तक भी मैं इसकी पृष्ठभूमि न दे दूं तब तक मैं प्रश्न नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन प्रश्न करने में आप इतना लम्बा समय नहीं ले सकते।

डा. गुलाम याजदानी : महोदय, यह तीन वाइरस कीणाणुओं के कारण होती है, वे हैं रोरा वाइरस, हैजा वाइरस, और बैक्टीरिया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुख्य प्रश्न पर आईये।

डा. गुलाम याजदानी : महोदय, उन्हें यह जानने दीजिए कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। यह बहुत ही खतरनाक रोग है आंत्र शोथ की घातकता के बारे में सभी जानते हैं यह निर्जलन के उपचार के अभाव के कारण होती है। यह रोग साधारणतया कम आयु के लोगों में होता है। सरकार लेबोट्री में जांच करा कर आसानी से पता लगा सकती है कि कौन से जीवाणु विभिन्न प्रकार के आंत्र शोथों के लिए उत्तरदायी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने इसके निवारक और उपचारात्मक उपायों का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाये हैं।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : यह बात सही है कि माननीय सांसद ने पूरे स्टेटस के मुतल्लिक जानकारी मांगी है लेकिन हमारे पास जिनके बारे मे रिपोर्ट स्टेटस से आ गई है, उसको हमने आपके सामने रख दिया है, जिन स्टेटस से रिपोर्ट नहीं आई हैं उनको नहीं रखा है। दूसरा सवाल आपका चर्म बीमारियों से संबंधित था, प्रोवेंशन के लिये जो स्टेप्स लिये जाते हैं, लोंग टर्म और शोर्ट टर्म में, उसमें शार्ट टर्म में यह है कि जब बीमारी के आसार होते हैं उस समय साफ पानी पहुँचाना, लोगों को एजुकेट करना. जब कोलरा आदि हो तो उसकी दवा दी जाये। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिये प्रोविजन किया जाये। लोंग टर्म में ड्रिंकिंग वाटर का भी प्रोविजन किया जाता है। इन चीजों को करते हैं।

[अनुवाद]

डा. गुलाम यासबानी : महोदय, मेरे प्रथम प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा दूसरा प्रश्न है, वर्ष 1988 के दौरान दिल्ली में हैजा के कारणों का पता लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस माह वह प्रतिवेदन दिया गया था और इसमें हैजा को रोकने के लिए कुछ उपचारात्मक उपाय सुझाये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या इन उपचारात्मक उपायों को लागू करने के लिये कोई कार्यवाही की है।

दूसरे, नागरिक अधिकारों की कार्य समिति ने एक याचिका में यह आरोप लगाया है कि दिल्ली में दूषित पानी से फैले हैजे के कारण 1500 लोगों की मृत्यु हुई थी और उन्होंने इसके लिए नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण को दोषी ठहराया है। उन्होंने अधिकृत और अनधिकृत कालोनियों के लिए शुद्ध पेयजल की मांग की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा किया गया है।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : वैसे तो हमारे सांसद साहब का प्रश्न ओरिजनल से राइज नहीं करता है लेकिन जहां तक दूसरे हिस्सों का सवाल है, दूसरी कालोनियों में टैंकर के जरिये भी पानी पहुंचाया गया है और इसकी पूरी कोशिश की गई है। जो आपने बाद में कहा है, उसके लिए सेपरेट नोटिस चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, हमने विवरण में देखा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़ दिया गया है। वहां आन्त्र-शोथ के मामलों की संख्या बहुत अधिक है क्योंकि वहां 91.7 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं और लगातार वर्षा भी होती है। द्वीप के लोग हमेशा आंत्र-शोथ रोग से पीड़ित रहते हैं। क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र है यदि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन केन्द्र सरकार के पास समय से रिपोर्ट नहीं भेज रहा है तो आपको उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। इससे संबंधित मेरा प्रश्न यह है कि वहां जल आपूर्ति व्यवस्था दो प्रकार की है। एक शहरी क्षेत्रों के लिए है जिसके द्वारा लोगों को फिल्टर जल की आपूर्ति की जा रही है और दूसरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है जिसके द्वारा लोगों को बिना फिल्टर किए हुए जल की आपूर्ति की जा रही है। आंत्र-शोथ के रोग से विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ग्रामीण लोगों के साथ किए जा रहे इस भेदभाव को समाप्त करेगी और शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्टर जल की आपूर्ति करेगी।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष जी, स्टेट्स में जो पानी पहुंचाने का काम है, वह जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम तो क्लोरिन की टेबलेट्स देते हैं ताकि देहात में रहने वाले लोग इस्तेमाल करें। यूनियन टैरीटरी से आपकी रिपोर्ट नहीं आई है।

[अनुवाद]

श्री रमेश चिन्नीवाला : महोदय, विवरण में कहा गया है, राज्य सरकारों । संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों, आकस्मिक व्ययों और ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के पैकेट खरीदने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है।' मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो धनराशि आवंटित की जाती है वह पर्याप्त नहीं है और यदि यह सच है तो क्या सरकार इस कार्य के लिए अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगी।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष जी, जितने हमारे रिसोर्सेज हैं, उसके बीच में हमें काम करना पड़ता है। यह बात सही है कि जितने फन्ड्स होने चाहिए हैल्थ के लिए उतने नहीं हैं जितने ऐवेलेबल हैं उन्हीं को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।

[अनुवाद]

डा. तम्बि दुरै : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में विभिन्न आंकड़े उद्धृत किए हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि वह पूरी आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं कर सके इसलिए पूरा विवरण नहीं दे सकें। उदाहरणार्थ उन्होंने तमिलनाडु में 1989 और 1990 के दौरान इस रोग से पीड़ित और मरे हुए लोगों की संख्या, जो उन्हें प्राप्त हुई को बताया है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने पीड़ित लोगों की संख्या 2900 बतायी है जो बहुत कम है जबकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। मैं नहीं जानता कि ये सही आंकड़े हैं अथवा नहीं। परन्तु मैं यह मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि यह एक घातक रोग है जो दूषित जल के कारण फैलता है। जल केवल बाढ़ के कारण ही दूषित नहीं हो रहा है बल्कि यह उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों की वजह से भी होता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के उत्तर आरकोट अम्बेडकर जिले में अनेकों चर्मशोधनालय हैं। इन चर्मशोधनालयों से बहुत से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं और अनेक स्थानों के पेयजल को दूषित करते हैं। इसी प्रकार रासायनिक पदार्थों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। परन्तु कारखाने चलाने वाले लोग सरकार से चाहे राज्य सरकार है अथवा केन्द्रीय सरकार—किसी न किसी प्रकार बचे हुए हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार से जल को दूषित होने से रोकने के लिए मंत्री महोदय राज्य सरकार के अधिकारियों को क्या निर्देश देंगे क्योंकि इलाज से परहेज बेहतर है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष जी, स्टेट्स को डायरेक्शन देना हैल्थ मिनिस्ट्री के जिम्मे नहीं है। हम तो डायरेक्ट यह भेज सकते हैं कि जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनको स्वच्छ पानी मिले और वह मिलता रहता है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. तम्बि दुरै : महोदय, यह चर्मशोधनालयों का मामला है। यह तमिलनाडु के लिए बड़ा संकट है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय कुमार मल्होत्रा बोलें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मद्रास के लिए मंत्री महोदय को पावर नहीं है लेकिन दिल्ली के लिए है। दिल्ली की यमुना में जो कंटेमिनेटेड पानी होता है उतना हिन्दुस्तान में कहीं भी किसी नदी में कंटेमिनेटेड पानी नहीं आता। इसमें गंदे नाले गिरते हैं और जिससे मछलियां भी मर जाती हैं। कंटेमिनेशन रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं साफ करने के बावजूद बहुत से हिस्से में वह कंटेमिनेटेड पानी जाता है। उसको रोकने के लिए क्या किया गया। सोलह लाख आदमी झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं इन इलाकों में हैजा पहले ही फैल चुका है और मौतें हो चुकी हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि पीने के पानी का इन्तजाम किया गया लेकिन पीने के पानी का कोई इन्तजाम नहीं है और वहां सफाई के लिए कोई एजेंसी नहीं है। कारपोरेशन या डी.डी.ए. के पास अथारिटी नहीं है। अगर फिर महामारी फैल गई तो उसकी जिम्मेदारी मंत्री महोदय पर होगी। वह बताएं कि इस संबंध में वह क्या कर रहे हैं।

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष जी, दिल्ली में मार्च-88 में जबर्दस्त बीमारी फैली थी। हमने तमाम कालोनीज की दौरा किया ताकि उनमें पानी की व्यवस्था करें और क्लोरीन की टेबलेट्स दें। इस सिलसिले में ज्यादा जगहों पर डायरेक्ट पम्प से व्यवस्था की गई और उसके बाद 80 टैंकर वहां पर लगाए गए जो पानी लेकर हर जगह पर जाते हैं और तमाम जगहों को कवर किया गया और क्लोरीन की टेबलेट्स प्रोवाइड की गई। माननीय सदस्य ने यमुना को साफ करने के बारे में सवाल पूछा है। वह काम हमारी मिनिस्ट्री का नहीं है बल्कि अच्छा पानी पहुंचे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है।

श्री मोहम्मद हुसन कमान्डर : अध्यक्ष जी, पांच-छह दिन पहले मैं मंत्री जी से मिला था, वह मंत्री जी को मालूम है। सात रियासतों की गैसट्रोक संबंधी फिगर्स दी गई है, उसमें जम्मू-काश्मीर शामिल नहीं है। आज से दस दिन पहले अगस्त के महीने में कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हैजा और कालरे की बीमारी की वजह से 45 आदमी मरे और 1100 पेशेन्ट्स अस्पतालों में भर्ती किए गए। उनके लिए मौके पर दवाई और इन्जेक्शन की शार्टेज पड़ी जिसके लिए मैंने जम्मू-काश्मीर के गवर्नर से और सेन्टर में हेल्थ मिनिस्टर से कांटेक्ट किया। उसके बाद भी वहां दवाई नहीं पहुंची और न कोई डाक्टर गया है। अभी भी वहां डिस्ट्रिक्ट के हालात सही नहीं है। वहां से डाक्टरों की एक टीम और दवाई पहुंचाना बहुत जरूरी है। मेरे कहने के बावजूद भी कोई तवज्जुह नहीं दी गई, स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट लेने के लिए पन्द्रह दिन हो गए और जबकि वहां काफी कैजुअल्टीज हो गई हैं और अभी भी आपको स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट नहीं मिली है। इस वजह से मुझे दुख है।

श्री रशीद मसूद : स्टेट गवर्नमेंट से हमने रिपोर्ट मंगवाई है कि किस-किस बीमारी के लिए कौन-कौन सी दवा की जरूरत है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला है इसलिए मैं अपने सहयोगी के प्रश्न को पूरा करना चाहता हूं। उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण मामला उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले को सीमित नहीं कर रहा हूं परन्तु आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है। श्री चौधरी प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिए गये विवरण में उड़ीसा में इस रोग से मरे लोगों की संख्या सबसे अधिक बतायी गयी है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इसके क्या विशेष कारण हैं और क्या सरकार का उस क्षेत्र में कोई विशेष उपाय करने का विचार है। महोदय इसके अतिरिक्त क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां यह रोग अक्सर फैलता है। इस रोग की रोक करने के लिए वे उड़ीसा सरकार की क्या सहायता कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : सैन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद दी जाती है, वह हम देते हैं। जहां पर भी एपिडेमिक फूट पड़ती है, वहां टीम भेजते हैं जो उसकी स्टडी करती है। उसके बाद डी-हाईड्रेशन साल्ट प्रोवाईड करते हैं और गाईडलाइन्स भी देते हैं कि कौन से मेजर्स लेने चाहिए। ये सब हम स्टेटस को देते हैं।

श्री राम प्रसाद सिंह : मान्यवर, यह लिस्ट देखी जाये जिसमें बिहार के केवल पटना शहर के 15 आंकड़े उपलब्ध हैं जिसमें 1456 रोगी हुए और उसमें 70 मृत्यु का ग्रास बन गये। मेरा कहना यह है कि देहातों में भयंकर बीमारी फैली हुई थी। आप शहर की चर्चा करते हैं गांव की चर्चा नहीं करते हैं जहां गांव के गरीब-गुरबे के लोग रहते हैं। सरकार की तरफ से उन गरीब लोगों के लिए कोई इन्तजाम नहीं है। उन लोगों की गणना इस सूची में नहीं की गयी है। मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने बिहार के देहातों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए कोई कदम उठाया है ? अगर उठाये हैं तो उसका क्या प्रभाव हुआ है ?

श्री रशीद मसूद : जैसाकि मैंने पहले बताया कि पूरे कंट्री के लिए स्कीम है जो बिहार के लिए कोई अलग से नहीं है। बिहार में तो स्पेशियली इस दफा हुआ था, इसलिए बिहार का ब्यौरा उसमें दिया गया है वरना सब के लिए एक तरह के कदम उठाये गये हैं। यह माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

डा. वेंकटेश काबड़े : महोदय, सरकार के प्रयासों के बावजूद मृत्यु और रुग्णता के मामलों में कमी नहीं हुई है। आपको कठोर कार्रवाई करनी होगी। चीन में प्रत्येक नागरिक ने गर्म पानी पिये जाने को बढ़ावा देकर अतिसार की बीमारी का पूरी तरह उन्मूलन किया है। चीन में कोई भी व्यक्ति ठंडा पानी नहीं पीता। भारत में हमें पीने के पानी के संबंध में लोगों के व्यवहार को बदलना चाहिए और राष्ट्रीय कर्त्तव्य के रूप में उन्हें गर्म पानी पीने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर सभी लोग गर्म पानी पीना शुरू कर दें तो आन्त्र शोथ और हैजा जैसी बिमारियां नहीं होंगी। इसलिए, मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि क्या वे इस समस्या को सुलझाने के लिए इस मामले को उठायेंगे।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार एजूकेट करने का काम करती है और सरकार मदद भी देती है कि किस तरीके से वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से प्रिवेंटिव मजर्स लेने चाहिये ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री गंगा चरण लोधी ।

श्री अजीत पांजा : महोदय, मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । श्री गंगा चरण लोधी अनुपस्थित हैं । अगला प्रश्न— श्री बालासाहिब विखे पाटिल ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । अब श्री बाला साहिब विखे पाटिल ।

(व्यवधान)

श्री रशीद मसूद : कृपया 1988 के पूर्वोद्धारण को देखिये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पांजा, आप मंत्री थे । यह तरीका नहीं है । कृपया बैठ जाइये ।

चीनी का निर्यात

*186. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया जाएगा तथा आगामी वर्ष में कितना निर्यात किये जाने का अनुमान है;

(ख) देश में चीनी की अधिक खपत-दर को ध्यान में रखते हुए सरकार का उपभोक्ताओं की मांग को किस प्रकार पूरा करने का विचार है;

(ग) वर्ष 1989 और 1990 में चीनी का कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(घ) वर्ष के अंत में पूर्वावशिष्ट स्टांक कितना था; और

(ङ) क्या सप्लाई की स्थिति ठीक रखने और देश की मांग को पूरा करने के लिए वह पर्याप्त है ?

[हिन्दी]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) 1989-90 चीनी वर्ष के दौरान (अक्टूबर 1989 से 30 सितम्बर, 1990) :2,676 मीटरी टन चीनी के निर्यात की संभावना है ।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ङ) वर्ष के अंत में पूर्वावशिष्ट स्टाक घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगा।

विवरण

1989-90 चीनी वर्ष के दौरान चीनी का उत्पादन 109.00 लाख टन होने की संभावना है जो कि पिछले वर्षों के दौरान हुए उत्पादन से काफी ज्यादा है। 1988-89 मौसम के दौरान यह उत्पादन 87.52 लाख टन था। 1989-90 चीनी वर्ष के दौरान चीनी की कुल उपलब्धता 122.70 लाख टन होने की संभावना है जो इस प्रकार है :—

1989-90 के दौरान अनुमानित उत्पादन	109.00 लाख टन	
पिछले वर्ष का पूर्वावशिष्ट स्टाक	11.30	,,
आयातित चीनी	2.40	,,
कुल :	122.70	,,

निर्यात को शामिल करके चीनी का उपभोग लगभग 104.75 लाख टन होगा और इस प्रकार 1 अक्टूबर, 1990 को 17.95 लाख टन का स्टाक उपलब्ध होगा। यह 1 अक्टूबर 1989 को 11.30 लाख टन के पूर्वावशिष्ट स्टाक से काफी अधिक है। नए मौसम के उत्पादन सहित यह स्टाक अक्टूबर, 1990 तथा उसके बाद के महीनों के दौरान घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगा।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : मैंने सवाल यह पूछा था कि चालू वर्ष में कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया जायेगा और अगले साल कितना किया जायेगा। मंत्री जी ने पिछले साल के लिए 52 लाख टन चीनी निर्यात किये जाने का जिक्र किया है लेकिन यह नहीं बताया कि अगले साल में कितनी चीनी निर्यात की जायेगी। मेरा प्रश्न तो अनुत्तरित रह गया, इसलिए मैं अपना उत्तर चाहूंगा। मैंने अगले साल होने वाले चीनी के उत्पादन के बारे में पूछा लेकिन इन्होंने पिछले साल का ब्यौरा दिया। फिर भी सरकार के पास अगले साल का कुछ एस्टीमेट होगा। इसलिए मेरे मूल प्रश्न का जवाब नहीं मिला और मैं अपने सप्लीमेंटरी में यह पूछना चाहूंगा कि जब यह कहा जाता है कि हम चीनी का निर्यात करेंगे क्योंकि तेल का आयात करेंगे तो सरकार के पास विदेशी मुद्रा कम है, इसे दृष्टि में रखते हुए हम कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात कर सकेंगे। पिछले साल हमारे पास साढ़े ग्यारह लाख टन का स्टाक था जबकि इस साल तो 17 लाख टन का स्टाक है और आगे के समय में ज्यादा उत्पादन की वजह से यह स्टाक और अधिक होने वाला है तो इस बात को दृष्टि में रखते हुए चीनी का निर्यात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस संबंध में एक कारण यह बताया जाता है कि आज देश में जो चीनी के दाम है, वे आर्टिफिशियली इतने कम हैं कि जिससे किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। इससे उन्हें घाटा हो रहा है और चीनी मिलों का भी नुकसान हो रहा है। अभी तक 300 करोड़ रुपया बकाया है। इस तरह आर्टिफिशियली दाम को देखते हुए चीनी का ज्यादा निर्यात क्यों नहीं कर रहे हैं और लेवी शूगर के प्राईस क्यों नहीं बढ़ाये हैं?

श्री राम पूजन पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि आगामी वर्ष में चीनी का निर्यात करेंगे या नहीं ? हमारे पास पिछले साल के मुकाबले ज्यादा स्टाक है अर्थात् इस बार 17.95 लाख मीट्रिक टन है लेकिन इस संबंध में आगामी फसल को देखा जायेगा कि गन्ना कितना पैदा हो सकता है ? अभी यदि हम निर्णय ले लेते हैं और गन्ने का भाव तय कर दिया जाता है लेकिन यदि गन्ने का उत्पादन कम हुआ तो हमारे लिए प्राब्लम होगी कि हम विदेशी मुद्रा कहां से लायेंगे ? इसलिए यह कहना मुश्किल होगा कि अगले वर्ष हम कितनी चीनी का निर्यात कर सकेंगे ? इस बारे में तो निर्णय तब लिया जायेगा जब आगामी फसल आयेगी। इसके साथ ही यह कहना कि अगले वर्ष कितनी चीनी पैदा कर सकेंगे, तो यह भी प्रकृति पर निर्भर करता है कि अगर बरसात ठीक रही, फसल को रोग नहीं लगा और पैदावार अच्छी हुई तो हम ज्यादा चीनी पैदा कर सकते हैं। इसलिए इस बारे में भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है कि हम कितनी चीनी एक्सपोर्ट करेंगे।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया नहीं है। जैसाकि सरकार के पास एस्टीमेट होता है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगले साल 120 लाख मीट्रिक टन से कम चीनी पैदा नहीं होगी बल्कि इससे ज्यादा ही होगी। मेरा दूसरा यह कहना है कि पीछे अखबार में कई मंत्रियों के बयान आये हैं कि हम चीनी का निर्यात करेंगे क्योंकि यहां खाने के तेल की काफी कमी है, आपके फाईनेंस मिनिस्टर ने भी बयान दिया है कि हम यह करने जा रहे हैं कि चीनी का निर्यात करके तेल का आयात करेंगे। इस में यह पता नहीं कि कौन सी बात सही है और कौन सी झूठ है ? मैंने जो सवाल किया था उससे लगता है कि जानबूझकर के चीनी ज्यादा रिलीज करके, ज्यादा आर्टिफिशियल दाम रखे गये हैं। इससे किसानों को घाटा हो रहा है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। चीनी मिलों का 300 करोड़ रुपया बकाया है। यह पैसा किसानों को कब मिल पायेगा और ये जो आर्टिफिशियल दाम खुले मार्किट में कम करके रखे गये हैं, उसे लेवी चीनी में बढ़ाकर किसानों को कोई फायदा पहुंचायेंगे या नहीं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : इस साल चीनी का उत्पादन अच्छा हुआ है। जितना स्टाक आपने बताया, वह हमारे लिए काफी है। इस बार 110 लाख टन चीनी पैदा होगी। यह तो कामर्स मिनिस्ट्री के विचाराधीन है कि वह कितनी चीनी एक्सपोर्ट कर पायेंगी या कैसे होगी ? यह सब कामर्स ही मिनिस्ट्री तय करेगी। हमने तो उनको कहा कि हमारे पास चीनी है, आप चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगले साल के प्रोडक्शन के प्रास्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। और जैसाकि आपने बताया कि अगले साल का प्रोडक्शन 120 लाख टन होगा तो मैं कहूंगा कि 110 लाख टन से कुछ आगे बढ़ सकता है और वह भी करीब 115 लाख मीट्रिक टन या उसके आसपास ही होगा। अगले साल के लिए हमारे पास पोटेंशियल भी ज्यादा है और एक्सपोर्ट भी हो सकता है। जहां तक चीनी के दाम गिराने का प्रश्न है, हम सारी एकनामी को देख रहे हैं ताकि उस सीमा तक दाम नीचे गिरेंगे कि उसके बाद किसानों का पेमेंट मिलों के द्वारा नहीं होगा। इस लिए हम सारा बैलेंस देख रहे हैं कि लेवी शूगर कितनी जाती है और फ्रीसेल की शूगर इतनी मार्किट में छोड़ें कि लोगों को उसमें तकलीफ न हो और लोगों को चीनी एवेलेबल रहे तथा मिलों को भी नुकसान न हो।

[अनुवाद]

हम सब प्रकार से संतुलन रखने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

उस हिसाब से सब ठीक चल रहा है और आगे भी ठीक चलेगा।

श्री भजन लाल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने देश में विशेष उत्पादन का क्रम चालू किया था जिसमें आयल सीड और शुगरकेन भी शामिल था। मैं कहना चाहता हूँ कि 1989-90 का जो साल गुजर गया, उसमें जो सरकार की पालिसी थी उसके तहत देश में कितना चीनी का उत्पादन हुआ ? आप जानते हैं कि 31 मई तक देश में तकरीबन शुगर मिलें बन्द हो जाती हैं, पूरे आंकड़े सरकार के पास आ जाते हैं कि देश में इतना चीनी का उत्पादन हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि कितना उत्पादन हुआ, कितने ऐरिया में शुगरकेन थी, 1990-91 में कितना ऐरिया शुगरकेन से कवर किया गया है और अनुमानित शुगर कितनी पैदा होगी यह बताएं ?

श्री नाथू राम मिर्धा : वह आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं लेकिन हमारा ऐस्टीमेट है कि पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है और आप की कंडीशन भी अच्छी है। इसलिए 210 मिलियन टन के आसपास गन्ने का उत्पादन होगा और गन्ने की पैदावार अगले साल भी अच्छी होगी। जहां तक पालिसी का सवाल है, 1988-89 में आपकी पालिसी तो एक्सपोर्ट करते-करते एकदम इम्पोर्ट पर आ गई और उससे बहुत ज्यादा घाटा हुआ। इसलिए आपकी नीति का प्रश्न नहीं है, यह किसानों की ही कोशिश है कि किसान गन्ना खूब उगा रहे हैं, इसलिए पालिसी कुछ नहीं है। जो गन्ने का उत्पादन बढ़ा है वह बरसात पर निर्भर करता है, ईश्वर मदद करता है। (व्यवधान)

श्री भजन लाल : मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी पालिसी का नतीजा है, जो उत्पादन इतना बढ़ा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा : चीनी एक आवश्यक खाद्य पदार्थ है और जहां तक भारतीय उपभोक्ताओं का संबंध है, चीनी हमारे दैनिक भोजन का एक हिस्सा बन गई है। परन्तु कठिनाई यह है।

यद्यपि मंत्री जी द्वारा मूल्य सूची का उल्लेख किया है परन्तु दिल्ली में खुले बाजार में चीनी का मूल्य कलकत्ता या बंगलौर या मद्रास या मुम्बई से अलग है। आम उपभोक्ताओं से दुकानदार मनमाने मूल्य लेते हैं।

क्या मंत्री जी समाचार पत्रों में उचित रूप से प्रकाशन के माध्यम से, आम व्यक्ति को न केवल प्रति टन चीनी की कीमत के बारे में, बल्कि कई शहरों में खुले बाजार में प्रति किलो चीनी के मूल्य के बारे में जानकारी देंगे, जिससे कि उपभोक्ता को इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और वे फायदा उठा सकें।

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : शुगर दो तरह की है, एक तो लेवी शुगर है। लेवी शुगर का दाम 5.25 पैसे देश में सब जगह एक है और वह सबको मालूम है। क्वानटिटी दिल्ली में कुछ ज्यादा मिलती है। सब फिगर स्टेट से लिए हुए हैं उसी आधार पर सवा चारसौ ग्राम चीनी 'पर यूनिट' सब

राज्यों को एलाट करते हैं। ओपन मार्केट प्राईस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है क्योंकि यह कंट्रोल्ड इकोनोमी नहीं है। इसलिए हम इस बात को देखें कि फ्रि सेल शुगर चार रुपये में एक किलो किसान को देने के बाद बाजार में नौ रुपये तक होलसेलर, रीटेलर और मिलर के पास आते हैं। यह भाव सबका चलता है जो काफी रीजनेबल है।

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक गम्भीर सवाल पूछना चाहती हूं। उन्होंने प्रश्न के उत्तर के अंतिम भाग में बताया है कि इस वर्ष चीनी का उत्पादन बहुत अधिक हुआ है और पर्याप्त मात्रा में चीनी लोगों को देने के लिए उपलब्ध है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि पन्द्रह अगस्त के दिन माननीय प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य के पश्चात्, 15 तारीख से लेकर आज की तारीख तक, मिल वालों ने एक भी चीनी की बोरी बाजार में नहीं बेची है और सारे माल को अपनी मिलों में बन्द करके रखा हुआ है। लाबिंग करके मिल-ओनर्स जानबूझ कर खुले बाजार में चीनी के दाम बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। आज आठ दिनों से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसी भी मिल मालिक ने एक भी चीनी की बोरी बेची नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं कि छः दिनों के चीनी के दाम 80 रुपए से 100 रुपए क्विंटल तक बढ़ गए हैं। क्या मंत्री महोदय चीनी के दाम को बढ़ाने से रोकने के लिये प्रयास करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले सारे दिन त्योहारों के हैं? मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहती हूं, जिस तरह से मिल ओनर्स ने चीनी का संग्रह किया हुआ है बल से उसकी बिक्री चालू करवाने की कोई व्यवस्था करेंगे? मराठी में एक कहावत है भोरम्मा उस्टया बोंभा। मेरा प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री नाथू राम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी भावना को समझ रहा हूं, लेकिन स्थिति यह नहीं है कि मिल ने चीनी नहीं छोड़ी है। उनको चीनी छोड़ने के लिए पाबन्दी लगी हुई है। अगले महीने के लिए सवा छः लाख का कोटा (व्यवधान) फर्स्ट-वीक में बीस परसेंट बेचनी पड़ेगी, नहीं बेचेंगे तो हम उनको पकड़ेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान) मैं जो कहता हूं, वह सही है और जो आपने कहा है वह गलत है। (व्यवधान)

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : अध्यक्ष महोदय, बाजार में एक भी बोरी नहीं गई है।

(व्यवधान)

श्री नाथू राम मिर्धा : चीनी बराबर बाजार में छोड़ी गई है। जो इसकी अनुपालना नहीं करेंगे, उनकी चीनी लेवी में आ जाएगी, यह हमारा हुक्म है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री नाथू राम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह आरोप कि चीनी छोड़ी नहीं जाती है, गलत है। बाजार में चीनी मिलों द्वारा चीनी छोड़ने के लिए नियम बनाए हुए हैं। उन्हीं नियमों के अनुसार पहले हफ्ते में 20 परसेंट और उसके बाद 20-20 परसेंट करके और आखिर में (व्यवधान) इस हिसाब से छोड़ी जा रही है और उसमें कोई मिलों का पक्ष नहीं है। यदि वे चीनी नहीं छोड़ेंगे तो उनके साथ सख्ती करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैंने आपके माध्यम से मंत्री जी से यह सवाल पूछा था, कल से चीनी खुले बजार में जाएगी या नहीं, उसका उत्तर कृपया मंत्री जी दें ?

श्री नाथू राम मिर्धा : अभी तक चीनी के दाम आठ-नौ रुपए के बीच में हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जो नीति पूर्व सरकार द्वारा अक्टूबर में अपनाई गई थी लगता है अब भी जारी है (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, चीनी आज जन-साधारण की अतिआवश्यकता की वस्तु बन गई है और इसके दाम आज बढ़ रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? और इसी के साथ, मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि एक किलोग्राम चीनी बनाने पर कितना खर्च आता है और कितने में बिकती है ? पिछली सरकार की गलत नीति के कारण जो दाम बढ़े हैं, इन दामों को घटाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री नाथू राम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष जी, चीनी का भाव 14 रुपए से घटकर 8 और 9 रुपए के बीच आ गया है, सिवाय अगरतल्ला के जहां 10 रुपए किलो चल रहा है। मेरी आज की रिपोर्ट यही है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब ये बीच-बीच में खड़े हो रहे हैं, मैं क्या करूं। मुझे जवाब नहीं देने दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को मालूम नहीं है, हमारे यहां स्थिति बहुत खराब है। चीनी मिल मालिक गन्ना ले तो रहे हैं, लेकिन उसका पेमेण्ट किसानों को नहीं कर रहे हैं। किसानों का बहुत ज्यादा पैसा बकाया है। सरकार के कहे मुताबिक गांवों में 425 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति मिलने की बात तो दूर, बिलकुल नहीं मिल रही है और ब्लैक किया जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, सारे देश के लोग इस विषय में चिन्तित हैं। कृपया इसको देखें।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया है। कृपया मेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए तो कहें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है :

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गुरु तेग बहादुर अस्पताल एवं कालेज

[अनुवाद]

*185. श्री गंगाचरण लोधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुरु तेग बहादुर अस्पताल एवं मेडिकल कालेज के दोषपूर्ण कार्य के बारे में शिकायतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों का स्वरूप क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि उक्त अस्पताल मेडिकल कालेज के साथ पूर्ण तालमेल रखते हुए सुचारू रूप से कार्य करे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) सरकार ने वे प्रेस रिपोर्ट देखी हैं जिनमें गुरु तेग बहादुर अस्पताल एवं यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साईंसेज के बीच तालमेल से संबंधित समस्याओं और यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साईंसेज की डिग्रियों को मान्यता देने की समस्याओं का उल्लेख किया गया है।

गुरु तेग बहादुर अस्पताल और यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साईंसेज की रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से एक कैम्पस समिति का गठन किया गया था जिसमें यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साईंसेज के प्रधानाचार्य, गुरु तेग बहादुर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक एवं गुरु तेग बहादुर अस्पताल के परियोजना प्रबन्ध शामिल थे। इस कैम्पस समिति के अलावा अस्पताल और कालेज के समग्र विकास से संबंधित विभिन्न मामलों को समन्वित करने के उद्देश्य से दिल्ली प्रशासन में सचिव (चिकित्सा) की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति भी गठित की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक शीर्षस्थ समिति है जिसमें दिल्ली प्रशासन में कार्यकारी पार्षद (स्वास्थ्य), दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, दिल्ली प्रशासन में सचिव (चिकित्सा), यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साईंसेज के प्रधानाचार्य, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग (दिल्ली प्रशासन) सदस्य हैं। यह समिति गुरु तेग बहादुर अस्पताल और कालेज काम्प्लेक्स की कार्यप्रणाली की समीक्षा तथा मानिटरिंग करती है और नीति संबंधी सभी मुद्दों पर निर्णय लेती है तथा अस्पताल और कालेज दोनों के दक्षतापूर्ण कार्यचालन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करती है।

यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साईंसेज दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध है और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साईंसेज के छात्रों को प्रदत्त एम. बी. बी. एस. की डिग्री भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता है।

नई-वस्त्र नीति

187. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :

श्री पी. नरसा रेड्डी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985 की नई वस्त्र नीति में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से उत्पाद शुल्क में कमी करने का विचार था;

(ख) क्या वर्ष 1988-89 के बजट के दौरान इस दिशा में कार्य आरम्भ किया गया था, किन्तु चालू बजट में इस नीति को बदल देने के परिणाम स्वरूप आम आदमी को कठिनाई हो रही है;

(ग) क्या वस्त्रों के फाइबर और धागे तथा सश्लिष्ट/संश्लिष्ट मिश्रित वस्त्रों के/फुटकर मूल्यों के बीच कोई सम्बन्ध है; और

(घ) क्या सरकार का इस नीति की पुनरीक्षा करने का विचार है, यदि हां, तो कब ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वर्ष 1985 की वस्त्र नीति में मानव-निर्मित फाइबर/यार्न पर और ऐसे फाइबर/यार्न के लिए निविष्टियों के बतौर प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं पर विलीय शुल्क कम करने की व्यवस्था है ताकि उपभोक्ता सिंथेटिक और ब्लेंडिड फेब्रिक कम कीमत पर प्राप्त करके लाभ उठा सकें।

(ख) मानव-निर्मित वस्त्रों पर शुल्क वर्ष 1985 और 1988 में काफी कम कर दिए गए थे। चूंकि करों का भार कम कर दिया गया था, ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उपभोक्ताओं को अनुरूपी लाभ नहीं मिला। वर्ष 1990-91 के बजट में मानव-निर्मित फाइबर/यार्न मध्य वस्तुओं के शुल्क ढांचे में विभिन्न क्षेत्रों की इस अतिरिक्त भार का सहन करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए संशोधन कर दिया गया है। इससे हथकरघा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी जिसमें कि प्रमुख फाइबर रुई है।

(ग) साधारणतया वस्त्र फाइबर और यार्न की कीमतों का सिंथेटिक/सिंथेटिक ब्लेंडेड फेब्रिकों की खुदरा कीमतों पर प्रभाव पड़ना चाहिए। फिर भी विभिन्न निविष्टियों की लागत, मांग और पूर्ति स्थिति, उपभोक्ता की पसन्द और वितरण चैनल आदि जैसे अन्य संघटक भी हैं जो कि सिंथेटिक/सिंथेटिक ब्लेंडेड फेब्रिकों की खुदरा कीमतों को प्रभावित करते हैं।

(घ) वर्ष 1985 की वस्त्र नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए श्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। वह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यक्रम

*188. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ आवास और शिक्षा जैसे कार्यक्रमों का पता लगायें;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शीघ्र सामाजिक न्याय और आर्थिक लाभ उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाए जाने की आवश्यकता है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) प्रधान मन्त्री ने 12-1-90 को सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा केन्द्रीय मंत्रियों को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कार्यक्रमों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की अपेक्षाओं के अनुरूप संगत तथा व्यवहारिक बनाने तथा इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समग्र तथा क्षेत्रीय परिव्ययों को पर्याप्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि छठी तथा सातवीं योजना अवधि के दौरान कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जो कमियां अनुभव की गई थी उन्हें 8वीं योजना अवधि में दूर किया जाए तथा केवल आवश्यकता आधारित कार्यक्रम तैयार किए जाएं।

इस सम्बन्ध में सुझाए गए उपायों की रूप रेखा इस प्रकार है—

(1) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कुल योजना परिव्यय में से उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर विशेष संघटक अनुपात योजना तथा आदिवासी उप योजना के लिए अलग से निर्धारित कर दिया जाना चाहिए।

(2) विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना को केवल विभाज्य परिव्यय तक ही सीमित करते हुए कुल योजना परिव्यय का तथा कथित विभाज्य तथा अविभाज्य संघटकों में विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग राज्य के कुल योजना आकार में से हिस्से के हकदार हैं, जो उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के बराबर होगा, उससे कम नहीं। वास्तव में उनके पिछले तथा वर्तमान वंचन और उनकी समस्याओं के विस्तार को देखते हुए न्याय संगत रूप से और अधिक दिए जाने की आवश्यकता है।

(3) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की विकास आवश्यकताओं का प्राथमिकता क्रमानुसार निर्धारण किया जाना चाहिए। तत्कालिक विकासात्मक आवश्यकताओं में से निम्नलिखित को प्रमुखता मिलनी चाहिए।

— अनुसूचित जातियों की कालोनियों/संकेन्द्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा पहुंच सड़क सहित न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रावधान।

— भूमि सीमा अधिनियम के गम्भीरता पूर्वक कार्यान्वयन के लिये जोरदार अभियान, अधिशेष तथा अन्य भूमियों पर वास्तविक कब्जा तथा ऐसी भूमियों का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सम्प्राप्तकर्त्ताओं को राज्य सरकार द्वारा वास्तविक वितरण अथवा निर्धारण/आबंटन सुनिश्चित करना।

— क्योंकि इस बात के साक्ष्य बढ़ रहे हैं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा शेष जनसंख्या के बीच साक्षरता का अन्तराल बढ़ रहा है। सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियां तथा लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम सहित पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करने की समुचित योजनाओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पर्याप्त रूप से गति पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम।

— अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिए समुचित छोटी लघु तथा मध्यम परियोजनाओं के लिये व्यापक तथा तीव्र कार्यक्रम ताकि उनकी असिंचित भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हो, रोजगार के अवसर पैदा हो उनके जीवन स्तर में सुधार हो, तथा कुल राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन में भी वृद्धि हो।

— भूमि अपवर्तन को रोकना, अनुसूचित जनजाति लोगों से संबंधित अपवर्तित भूमि की बहाली तथा उनके स्वामित्व वाली भूमि और परम्परागत रूप से अन्यथा उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि का समुचित अभिलेख रखना,

— डेयरी, पशुपालन, बागबानी, रेशम उत्पादन, बुनाई, हस्तशिल्प आदि की समुचित आय जनन योजनाएं,

— अनुसूचित जनजाति लोगों के अधिशेष कृषि तथा लघु वन उत्पादों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना,

— अनुसूचित जातियों के उन वर्गों, जो सफाई करने, चमड़ा उतारने तथा उसका शोधन करने जैसे तथा कथित अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हैं, के लिए व्यावसायिक विविधता के कार्यक्रम तथा उनके पुनर्वास के लिए उन्हें वैकल्पिक दक्षताएं प्रदान करना,

— शुष्क शौचालयों पर रोक तथा विस्थापित सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों का तेजी से पुनर्वास और जलवाहित शौचालयों की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले औजारों अन्य सहायक यन्त्रों तथा उपकरणों, और प्रौद्योगिकी में सुधार करना तथा सीवेज प्रणाली,

4. उपरोक्त क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम तथा योजनाएं तैयार की जानी चाहिए जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति परिवारों की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। ये अन्यथा आम जनता के लिए अभिप्रेत कार्यक्रमों का विस्तार मात्र नहीं होना चाहिए।

5. पहले विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत कुल परिव्यय निकाला जाना चाहिए और तब आवश्यकतानुसार अन्य क्षेत्रों को वितरित किया जाना चाहिए। उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में परिव्यय के मात्र गणितीय अनुपात के रूप में आवंटन नहीं होना चाहिए।

6. भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई विशेष केन्द्रीय सहायता का उसी रूप में समुचित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए जिसके लिए वह दी गई है। इसका प्रयोग राज्य के प्रयासों को पूरा करने के लिए तथा जहां राज्य योजनाओं में अन्तराल है वहां विशिष्ट कार्यक्रमो के लिए किया जाना चाहिए।

7. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कार्यक्रमों के प्रभारियों से संबंधित कार्मिकों नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें मजबूती के साथ प्रेरित करें उन्हें प्रतिबद्ध करे तथा वास्तविक ईमानदारी के साथ कार्य करने वाला बनाए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए सिद्ध दक्षता तथा प्रतिबद्धता वाले एक वरिष्ठ अधिकारी को वि. सं. यो. तथा आ. उ. यो. का सम्पूर्ण प्रभारी बनाया जाना चाहिए। उसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अभिप्रेत योजनाओं के सफल कार्यान्वियन हेतु पर्याप्त अधिकारी तथा समुचित सहायता दी जानी चाहिए ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। उसका कार्यकाल कम से कम 4 वर्षों की अवधि के लिए होना चाहिए ताकि वह नवीनताला सके और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास में प्रभाव दिखा सके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कार्य के लिए अपेक्षित, सही क्षेत्र अधिकारियो तथा कर्मचारियों का सावधानी पूर्वक चयन किया जाना चाहिए उन्हें समुचित रूप से प्रेरित करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

8, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को उनके लिए शुरू किए गए विकासात्मक प्रयासों के सभी स्तरों पर सहयोजित किया जाना चाहिए। इसमें इन व्यक्तियों का विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्थापित परिसम्पत्तियों तथा सुविधाओं के प्रयोग और अनुरक्षण का प्रशिक्षण भी शामिल होना चाहिए।

9. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास में कार्यरत निष्ठावान तथा समर्पित लोक कार्यकर्त्ताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों को विभिन्न कार्यक्रमों के प्रतिपादन तथा कार्यान्वियन विशेष रूप से शिक्षा रोजगार, पोषण क्षेत्र तथा आपूदयता की कुप्रथा को समाप्त करने के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

4. राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्रधान मन्त्री द्वारा सुझाए गए दिशा निर्देशों को अपनाने के लिये सहमत हो गये हैं।

5. सामाजिक परिवर्तन की ओर नामक आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) का दृष्टिकोण राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा संघ और राज्य सरकारें राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 8वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दे रही है ।

उक्त दृष्टिकोण में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए निम्नलिखित की व्यवस्था है ।

अब तक अपनाई गई विकास नीतियों के परिणामस्वरूप जनसंख्या का जो भाग सर्वाधिक गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है वह है अनुसूचित जातियों अर्थात् दलितों का इन नीतियों से दलितों (अनुसूचित जनजातियों सहित) को शताब्दियों से पेश आ रही कठिनाइयां और समस्याएं बढ़ गई हैं । उनकी बहुत बड़ी संख्या आज भी भूमिहीन हैं । जो थोड़ी बहुत भूमि उनके पास है भी वह अधिकांशत: असिंचित और बहुत कम विकसित हुई है । इसके परिणामत: भूमि मालिकों को पूर्ण-कालिक या अंशकालिक खेती मजदूरी का सहारा लेना पड़ता है उनके लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी बहुत कम है और यहां तक कि न्यूनतम सांविधिक मजदूरी को भी शायद ही कोई महत्त्व दिया जाता हो । इस प्रक्रिया का एक ज्वलंत उदाहरण है बंधुआ मजदूरी प्रथा । यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि देश के बन्धुआ मजदूरों का दो-तिहाई भाग अनुसूचित जातियों से संबंधित है ।

अनुसूचित जातियों के अन्य परिवार दस्तकारी और अन्य स्वरोजगार कार्यों जैसे खाल निकालने, बुनाई, चमड़ा कमाने, मछली मारने और उत्खनन कार्यों में लगे हुए हैं । लेकिन उनके उत्पादों के बाजार मूल्यों का काफी बहुत बड़ा भाग दलाल लोग झपट लेते हैं । अनुसूचित जातियों का बहुत बड़ा भाग पारम्परिक रूप से शहरों और नगरों के वातावरण को साफ रखने या मरे जानवरों और मल-मूत्रादि को ढोने में लगा हुआ है ।

अनुसूचित जातियों के विकास के लिये कार्यनीति में इन तत्त्वों को ध्यान में रखना होगा और ऐसा कार्यक्रम बनाना होगा जो उन्हें इन असमताओं से प्रभावी रूप से मुक्त कर सकें । प्राथमिकता के रूप में ध्यान दिये जाने वाले कार्यक्रमों में एक यह भी है कि कुंए इत्यादि खोदकर उनके स्वामित्व में आने वाली असिंचित सूखी भूमि को सिंचित भूमि में परिवर्तित कर दिया जाए । यह इन परिवारों को अपनी भूमि पर गहन खेती के माध्यम से गरिमा जीवन यापन की सुविधाएं जुटाने का मार्ग प्रशस्त करेगा । दस्तकारों के लिये कुशलता के समुन्नतिकरण सहित आय स्थानीय आधार संरचना और ऋण देने वाली संस्थाओं से सीधे सम्पर्क का प्रावधान आवश्यक है । मल ढोने की प्रथा को इस प्रकार समाप्त करना होगा कि इस कार्य में लगे लोगों को अन्य व्यवसायों में लगाकर उनकी आय और रोजगार का भी संरक्षण किया जाए । दलित स्त्रियों और लड़कियों की शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये प्रमुख कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है ।

हमारी अनुसूचित जनजाति आबादी के संसाधन आधार और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत का, विकास हस्तक्षेपों, वाणिज्यिक शोषण और अप्रभावी कानूनों तथा प्रशासनिक पद्धतियों के मिले जुले प्रभाव के जरिये क्षय हो रहा है । इस प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है क्योंकि इससे इन समुदायों की उत्तरजीविता को ही खतरा हो सकता है । इस बात की उत्तरोत्तर चर्चा और

मान्यता है कि सिंचाई, बिजली और परिवहन की बड़ी परियोजनाएं प्रायः अनेकों अनुसूचित जनजाति परिवारों के जीवन और पर्यावरण को अस्त-व्यस्त कर देती हैं जबकि इन परियोजनाओं के लाभ मुख्यतः मैदानी आबादी को मिलता है। ऐसे मामलों में राहत तथा पुनर्वास के उपायों पर न तो कल्पनाशील ढंग से विचार किया गया है। और न ही पूरे मन से कार्यान्वित किया गया है। यह आवश्यक है कि विभिन्न स्तरों पर आयोजना एवं प्रशासनिक मशीनरी विकास के इस आयाम के प्रति अत्यधिक जागरूकता तथा संवेदनशीलता दिखाये और ऐसे कदम सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जनजातियों का जीवन राष्ट्रीय प्रगति के नाम पर छिन्न भिन्न न हो जाय। अधिक सकारात्मक रूप में, कार्यक्रमों को स्वयं अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी के साथ उनके द्वारा अनुभूत प्राथमिकताओं के अनुसार आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक असमानताओं जिसके वे अधीन है, बनाये जाने की आवश्यकता है। यहां कार्यनीति में न्यूनतम सामाजिक सेवाओं की पहुंच के अलावा, वैज्ञानिक संसाधन संरक्षण में सहायता, लघु जल हार्वेस्टिंग और स्टोरेज सिस्टम, वन उत्पादों में उनके पारम्परिक अधिकारों और बाजार से सीधे संबंधों को बहाल करना और पारम्परिक सामुदायिक संगठनों को मजबूत करना शामिल है।

मिट्टी के तेल के डिपो और उचित दर की दुकानों का आवंटन

[हिन्दी]

*189. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में उचित दर की दुकानों और मिट्टी के तेल के डिपुओं के लिए कुल कितने लाइसेंस दिए गए;

(ख) क्या यह सच है कि लाइसेंसों की मंजूरी में भारी अनियमितता होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले की जांच कराने का विचार है; और

(घ) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) दिल्ली प्रशासन ने उक्त अवधि के दौरान 595 उचित दर की दुकानों और 90 मिट्टी के तेल के डिपुओं के लाइसेंस जारी किये हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में श्रमिकों का युक्तियुक्त नियोजन

[अनुवाद]

190. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने बड़े पैमाने पर श्रमिकों का युक्तियुक्त नियोजन करने का निर्णय लिया है और आठवीं योजना अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर श्रमिकों की छटनी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों के युक्तियुक्त नियोजन और छटनी संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) छटनी किये गये कर्मचारियों को रोजगार देने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (मंत्री श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) श्रमिक सुव्यवस्थीकरण के लिये एन टी सी की एक विशेष स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना है। उसका तात्पर्य सेवा निवृत्त करना नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसा कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं है क्योंकि इसे स्वैच्छिक आधार पर चलाया जाता है।

(ग) छटनी किये गये कामगारों को रोजगार प्रदान करने की सरकार की कोई विशेष योजना नहीं है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में होमीयोपैथ फार्मासिस्ट

*191. डा. कुशाल परसराम बोपचे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत होमीयोपैथ फार्मासिस्टों का दर्जा चिकित्सा की अन्य पद्धतियों में उनके समकक्ष फार्मासिस्टों के समान है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत चिकित्सा की एलोपैथी/आयुर्वेदिक/यूनानी पद्धति में फार्मासिस्टों के पदन के लिए क्या भर्ती नियम बनाये गये हैं;

(ग) क्या देश में फार्मेसी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण की पद्धति के कार्यान्वयन सहित विभिन्न होमीयोपैथी डिस्पेंसरियों और अस्पतालों में कार्यरत होमीयोपैथी फार्मासिस्टों के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) एलोपैथिक आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत फार्मेसिस्ट के पद के लिए निर्धारित अर्हताएं और पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं—

	शैक्षिक अर्हताएं	प्रशिक्षण	अनुभव
एलोपैथी :			
	मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष	फार्मेसी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत फार्मेसिस्ट के रूप में पंजीकरण	फार्मेसिस्ट या कंपाउंडर के रूप में एक वर्ष का अनुभव
आयुर्वेदिक :			
	मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष	उप्दावैद्य (कम्पाउ) पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण जिसकी अवधि किसी सरकारी संगठन या मान्यता प्राप्त/अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस जैसी प्राइवेट संस्थाओं से कम से कम दो वर्ष या समकक्ष हो अथवा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस या हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रदत्त वैद्य विशारद/आयुर्वेद भिषक/आयुर्वेद रत्न में प्रशिक्षण	किसी आयुर्वेदिक औषधालय, अस्पताल या फार्मेसी में आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट के रूप में कम से कम दो वर्षों का अनुभव
यूनानी			
	उर्दू में प्रवीणता के साथ मैट्रिकुलेशन या उर्दू/अरबी/फारसी में समकक्ष प्राप्य अर्हता	किसी राज्य बोर्ड या ख्याति प्राप्त संस्थान से यूनानी में कम से कम एक वर्षीय प्रमाण/डिप्लोमा जिसके बाद किसी सुप्रसिद्ध यूनानी अस्पताल/औषधालय/फार्मेसी में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव	यूनानी फार्मेसी/औषधालय/अस्पताल में तीन वर्ष का अनुभव

(ग) होम्योपैथी फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने वाला कोई केन्द्रीय मान्यता प्राप्त कालेज/संस्थान नहीं है।

(घ) सरकार को होम्योपैथिक फार्मस्यूटिकल साइंस मिशन आफ इंडिया से होम्योपैथिक फार्मेसिस्टों हेतु फार्मेसी पाठ्यक्रम में आरम्भिक डिप्लोमा प्रदान करने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। इस मामले पर केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के परामर्श से विचार किया गया था जो सारे देश संस्थागत रूप से प्रशिक्षित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की आवश्यकताओं और मांगों से सहमत थे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि होम्योपैथी फार्मेसी परिषद के बनने तक भारतीय फार्मेसी परिषद को यह कार्य सौंपा जाए और इसके लिए भारतीय फार्मेसी परिषद में केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद से 5 सदस्य शामिल किए जा सकते हैं।

कर्नाटक में गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए हालैंड द्वारा सहायता

*192. श्री एच. सी. श्रीकान्तय्या : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हालैंड सरकार के एक शिष्टमंडल ने कर्नाटक में गन्दी बस्तियों के सुधार हेतु सहायता प्रदान किये जाने जाने के संबंध में बंगलौर का दौरा किया था;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने उक्त राज्य में गन्दी बस्तियों के विकास के लिए हालैंड से वित्तीय सहायता हेतु कोई योजना तैयार की है और स्वीकृति के लिये प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) नीदरलैंड सरकार के किसी सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने बंगलौर का दौरा नहीं किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेशम तथा टसर का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए लाभ

*193. श्री सुखेन्दु खां : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेशम और टसर का उत्पादन करने वाले किसानों के संरक्षण हेतु कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का किसानों को रोग मुक्त कीड़ों की राज्यवार कितनी सप्लाई करने का विचार है;

(घ) क्या किसानों को रोगमुक्त कीड़े उनकी मांग के अनुसार दिये जाते हैं;

(ङ) गहन रेशम कीट पालन विकास परियोजना के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(घ) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में लपेटने (रीलिंग) तथा बुनाई केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी नहीं।.

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुमान है कि वर्ष 1990-91 के दौरान रेशम उत्पादन किसानों को कुल 40 करोड़ रोग मुक्त चकतनो (डी एफ एल) की आवश्यकता होगी इसमें से केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा लगभग 25 करोड़ डी एफ एम लाइसेंस शुदा तथा और सरकारी बीज उत्पादकों से प्राप्त होंगे। इसका राज्यवार ब्योरा नीचे दिया गया है :—

राज्य	डी एफ एल (करोड़)
आन्ध्र प्रदेश	3.01
जम्मू और कश्मीर	0.35
कर्नाटक	26.84
तमिलनाडु	2 08
पश्चिम बंगाल	6.92
अन्य	0.84

(घ) जी हां।

(ङ) वर्ष 1985-86 से 1990-91 तक की अवधि के लिए 9.66 करोड़ रु. के परिव्यय वाली एक गहन रेशम उत्पादन विकास परियोजना केवल पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित की जा रही है।

(च) जी नहीं।

(छ) पश्चिम बंगाल सरकार पहले से ही आवश्यक विकास सहायता प्रदान कर रही है तथा इस समय राज्य में 6,530 रीलिंग यूनिट तथा 13,000 रेशम के हथकरघे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में एक बुनकर सेवा केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची

*194. डा. बंगाली सिंह :

श्री शिव शरण वर्मा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ और जातियां सम्मिलित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों में किसी एक जाति/जनजाति के सभी लोगों को अनुसूचित जाति/जनजाति से संबद्ध घोषित किया जाएगा;

(ग) क्या इसके बाद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) यह सरकार के विचाराधीन है।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 341(1) तथा 342(1) के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेष के संबंध में ही अलग से विनिर्दिष्ट करनी होती हैं।

(ग) और (घ) आरक्षण की प्रतिशतता में किसी फेर-बदल का प्रश्न सूचियों का संशोधन पूरा हो जाने के बाद ही उठेगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास

*195. श्री कैलाश मेघवाल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उपज और अनाज के पदार्थों को तैयार करने तथा उन्हें अन्तिम उपभोक्ता तक पहुंचाने सहित संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यात के संबंध में कोई नीति तैयार की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सक्षम उत्पादन प्रौद्योगिकी, आधुनिक डिब्बाबन्दी, वाणिज्यिक प्रचार तथा सुगठित एवं समुचित वितरण नेटवर्क तैयार करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये प्रयास का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय ने 1990-91 के दौरान कार्यान्वयन के लिये विकासात्मक-योजना-स्कीमें तैयार की हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कृषि एवं संसाधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण भी कृषि तथा संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करने, पैकेजिंग सुधारने और मार्केटिंग आदि को सुधारने के लिए स्कीमें तैयार करता है। खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीमों में नये एकीकृत फल और सब्जी प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना और विद्यमान यूनिटों के आधुनिकीकरण, विविधीकरण, और विस्तार आदि के लिये राज्य सरकारों के निगमों/सहकारिता उपक्रमों को सहायता देना, फल और सब्जी प्रोसेसिंग की कुटीर और लघु उद्योग यूनिटों को मार्केटिंग सहायता की स्कीमें, बुनियादी सुविधाओं के विकास की स्कीम, अनुसंधान एवं विकास

और टेक्नोलाजी उन्नत करने की स्कीमें, खाद्यान्न मिलिंग सेक्टर आदि में आधुनिकीकरण की स्कीमें शामिल हैं। इन स्कीमों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का आवश्यक विकास होने की आशा है।

विकासात्मक योजना स्कीमों के अलावा सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वृद्धि और विकास के लिये समय-समय पर वित्तीय उपायों के माध्यम से कुछ प्रोत्साहन भी प्रदान करती है।

भंगी कष्ट मुक्ति तथा छुआछूत निवारण योजना के लिए सहायता

*196. श्री बसन्त साठे : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरिजन सेवक संघ द्वारा कार्यान्वित की जा रही भंगी कष्ट मुक्ति तथा छुआछूत निवारण योजनाओं के लिए कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) क्या इन योजनाओं के लिए सहायता बंद करने हेतु कोई निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने का कोई अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) वर्ष 1990-91 से "भंगी कष्ट मुक्ति कार्य" तथा अस्पृश्यता निवारण की योजनाओं के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देना बन्द कर दिया गया है। इस निर्णय का कारण यह है कि भारत सरकार सफाई कर्मचारियों की मुक्ति तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के क्रियान्वयन हेतु बड़े पैमाने पर केन्द्र प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है।

यह अनुभव किया गया कि उक्त दो योजनाएं, जिनके लिए अनुदान देना बन्द कर दिया गया है, वे बहुत सामान्य रूप से प्रचारात्मक स्वरूप की थी और उनका कोई ठोस एवं स्पष्ट प्रभाव समस्याओं के निवारण पर नहीं पड़ा था।

वर्ष 1989-90 तक अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ-साथ हरिजन सेवक संघ, दिल्ली को भी अनुदान उक्त दोनों योजनाओं के लिए प्राप्त होता रहा है।

उक्त निर्णय पर पुनः विचार के लिए सुझाव प्राप्त हुए थे लेकिन पुनर्विचार के पश्चात निर्णय में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना

*197. श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिपालदा उठाऊ सिंचाई बड़ी परियोजना (कोटा), पार्वती नहर आधुनिकीकरण बड़ी परियोजना (कोटा), जयसमंद आधुनिकीकरण बड़ी परियोजना (उदयपुर), गंभीरी आधुनिकीकरण मध्यम परियोजना (चित्तोड़गढ़), राजसमंद मध्यम श्रेणी परियोजना (उदयपुर) जैसी

कतिपय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने तथा चम्बल विवाद, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं, माही विवाद जिसमें राजस्थान और गुजरात सरकारें शामिल हैं, को निबटाने में केन्द्रीय सरकार को संबंधित राज्य सरकारों के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के पूरा होने के बाद गम्भीरी आधुनिकीकरण परियोजना जून, 1990 में योजना आयोग को भेजी गई। जबकि राज्य सरकार ने जयसमंद आधुनिकीकरण परियोजना संबंधी तकनीकी मामलों को हल करना है, उन्होंने पिपालड़ा लिफ्ट सिंचाई, पार्वती नहर आधुनिकीकरण तथा राजासमंद परियोजनाओं संबंधी संशोधित रिपोर्टें प्रस्तुत करनी है।

केन्द्रीय सरकार ने चम्बल और माही के अन्तर्राज्यीय मामले संबंधित राज्यों के साथ उठाए हैं।

(ग) परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा परियोजना को आठवीं योजना/अथवा उसके बाद दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

खाद्यान्नों का एक राज्य से दूसरे राज्य में लाना-ले जाना

*198. श्री यादवेन्द्र दत्त :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संपूर्ण देश को एक व्यापार क्षेत्र (ट्रेडिंग जोन) बनाने पर विचार कर रही है ताकि मूल्यों में कमी लाने के उद्देश्य से खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने की बेरोकटोक अनुमति हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार मूल्यों में कमी लाने के उद्देश्य से खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण भारतीय खाद्य निगम के भाण्डागारों और अन्य सरकारी भंडारण एजेन्सियों से सीधे खुले बाजार में करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) गेहूं, लेवी मुक्त चावल और मोटे अनाजों के संचलन के लिए क्रमशः 13 अप्रैल, 1977, 30 सितम्बर, 1977 और 7 मार्च, 1974 से समस्त देश को एक जोन माना जाता है। केन्द्रीय सरकार ने धान के अन्तर्राज्यीय संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाए हैं। चावल की अधिकतम वसूली करने की आवश्यकता को

देखते हुए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश (कुछेक प्रखण्डों में) की राज्य सरकारों और चण्डीगढ़ के शासित प्रदेश ने धान की अन्तर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबन्ध लगाए हैं। राजस्थान और पांडिचेरी ने धान पर क्रमश: 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की निर्यात लेवी लगाई है। केन्द्रीय सरकार ने दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के अन्तर्राज्यीय संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाए हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम का केन्द्रीय पूल में पड़ा हुआ स्टाक अनिवार्यत: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए है। तथापि, ऐसे गेहूं की मामूली मात्राएं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को वितरण हेतु देने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है अथवा केन्द्रीय पूल से दी नहीं जा सकता हैं, कभी-कभी भारतीय खाद्य निगम द्वारा रोलर फ्लोर मिलों को बेच दी जाती हैं। भारतीय खाद्य निगम ने हाल ही में गेहूं के ऐसे ही स्टाक को नीलामी के जरिये बेचने की इजाजत दी है लेकिन नीलामी के जरिये वास्तविक बिक्री अभी की जानी है।

उड़ीसा में धान की खरीद

*199. श्री श्याम गोपाल मिश्र : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम उड़ीसा के सभी जिलों में समर्थन मूल्यों पर धान खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य के सभी जिलों में धान की खरीद का प्रबंध करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) खरीफ विपणन मौसम, 1989-90 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने धान की खरीदारी करने के लिए बलसोर, गंजम कोरापुट, सम्बलपुर, कालाहांडी और बोलनगीर के छ: जिलों में क्रय केन्द्रों के रूप में घोषित भारतीय खाद्य निगम के 20 डिपुओं के अतिरिक्त उड़ीसा सरकार द्वारा निर्णीत 23 क्रय केन्द्र चलाए गए हैं। पिछले खरीफ विपणन मौसम, 1989-89 के दौरान केवल 36 क्रय केन्द्र चलाए गए थे। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम अन्दरूनी इलाकों में किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्व निश्चित दिनों को बलसोर जिले में दो चलते फिरते वसूली केन्द्र भी चलाए गए।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार तथा उनकी एजेन्सियों द्वारा समस्त में अधिशेष इलाकों में वसूली कार्य किया जाता है सरकार किसानों द्वारा बिक्री के लिए पेश की गई विहित विनिर्दिष्टियों की समस्त धान समर्थन/वसूली मूल्यों पर खरीद लेती है। आगामी विपणन मौसम के दौरान उड़ीसा में धान/चावल की वसूली करने की नीति के बारे में 10-8-1990 को हुई एक बैठक में उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

भारतीय चिकित्सा परिषद

*200. डा. वेंकटेश काबडे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद निष्क्रिय हो गई है और यह कार्यालय वास्तव में कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यह कार्यालय किस तारीख से सामान्य रूप से कार्य प्रारम्भ करेगा; और

(घ) अध्यक्ष और सचिव के रिक्त पड़े हुए पदों को कब भरा जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी नहीं। न्यायालय में विचाराधीन पड़ी हुई रिट याचिका के निपटान तक भारतीय चिकित्सा परिषद के सामान्य कार्यों को करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक प्रशासक नियुक्त किया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस परिषद का कार्यालय पहले ही सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।

(घ) यह बात दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका सं. 1003/90 के निर्णय पर निर्भर करती है।

विवश होकर धान की बिक्री

*201. श्री के. चोवका राव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में धान समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बेचा गया था;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों और जिलों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) भारत सरकार के पास विहित विनिर्दिष्टयों के अनुरूप धान के लिये निर्धारित किये गये समर्थन मूल्यों से कम मूल्यों पर धान की मजबूरन बिक्री करने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) अधिक क्षेत्रों को कवर करने के लिये अधिक संख्या में वसूली केन्द्र खोल कर धान की मजबूरन बिक्री को रोकने के उद्देश्य से सभी आवश्यक पग उठाए थे। अंदरूनी इलाकों की

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उड़ीसा जैसे राज्यों में चलते-फिरते केन्द्र भी चलाये गये थे। भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में धान की वसूली करने के लिये पहली बार ट्राइफेड को भी नियुक्त किया। भारतीय खाद्य निगम के मूल्य समर्थन परिचालनों के बारे में समाचार पत्रों, दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से व्यापक प्रचार भी किया जाता है।

मध्य प्रदेश में बुनकरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

[हिन्दी]

*202. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुनकरों के लिए कुछ प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों में प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान रंगाई की कला में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया और कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) विकास आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय के अधीन कार्यरत बुनकरों के लिए कोई पृथक प्रशिक्षण केन्द्र नहीं चलाए जा रहे हैं। फिर भी विकास आयुक्त, हथकरघा का कार्यालय कुल 23 बुनकर सेवा केन्द्र चला रहा है जो अन्य बातों के साथ-साथ बुनाई, रंगाई और प्रिंटिंग क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों को उनकी तकनीकी कार्यकुशलता को उन्नत करने तथा हथकरघा क्षेत्र में लगे बुनकरों को सेवा के एक अंश के बतौर बेहतर डिजाइन प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये बुनकर सेवा केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं :—

क्रम सं.	राज्य	स्थान
1	2	3
1.	असम	गोहाटी
2.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
3.	—वही—	विजयवाड़ा
4.	बिहार	भागलपुर
5.	दिल्ली (यू.टी.)	दिल्ली

1	2	3
6.	गुजरात	अहमदाबाद
7.	हरियाणा	फरीदाबाद
8.	कर्नाटक	बंगलौर
9.	केरल	कन्नानोर
10.	मनिपुर	इम्फाल
11.	मध्य प्रदेश	इन्दौर
12.	—वही—	रायगढ़
13.	महाराष्ट्रा	बम्बई
14.	—वही—	नागपुर
15.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
16.	राजस्थान	जयपुर
17.	तमिलनाडु	मद्रास
18.	—वही—	कान्चीपुरम
19.	त्रिपुरा	अगरतला
20.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी
21.	—वही—	चमोली
22.	—वही—	मेरठ
23.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता

फिर भी बुनकर सेवा केन्द्रों को कोई विशिष्ट कोटा अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं दिया गया है। बुनकरों की प्रौद्योगिकीय कुशलता में सुधार सहकारी/नियमित क्षेत्रों की राज्य स्तरीय हथकरघा एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत मांग के अनुसार किया जाता है। विशिष्ट योजनाओं के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है जैसे पालिएस्टर बुनाई के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशिष्ट पैकेज योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बुनकरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि।

पिछले दो वर्षों में रंगाई कला में बुनकर सेवा केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या

374 है। बुनकर सेवा केन्द्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन मौजूदा बुनकरों की कार्य-कुशलता बढ़ाना है जोकि पहले से ही बुनाई कला में लगे हुए हैं जिनकी कमाने की क्षमता में इस प्रशिक्षण से और सुधार आएगा।

बंधुआ मजदूर रखने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

2115. श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंधुआ मजदूर रखने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने और उन्हें सजा देने के संबंध में कोई उपबंध है;

(ख) यदि हां, तो बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बंधुआ मजदूर रखने वालों के विरुद्ध अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं और ये मामले राज्यवार, कब से न्यायालयों में निर्णयाधीन हैं; अब तक, राज्यवार कितने लोग दोषी पाए गए, उन्हें दंडित किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का इस कानून को और कठोर और प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अधीन बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने और उनके पुनर्वास का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत की श्रम मंत्रालय द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और राज्य सरकारों को बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के मामले में विभिन्न उपायों को करने का परामर्श दिया जाता है। बंधुआ श्रमिकों के नियोजकों के खिलाफ, पंजीकृत मामलों की संख्या और दोषी पाए गए तथा सजा पाए गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना राज्य सरकारों से मांगी गयी है तथा उसे प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

जवाहर नेहरु विश्वविद्यालय के सामने समितियों को प्लाट देना

[अनुवाद]

2116. श्री शीतलाल प्रसाद वर्मा :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के सामने "इंस्टीट्यूशनल एरिया" में जिन समितियों को भूमि के प्लाट आवंटित किए गए थे, उनमें से कुछ समितियां मुनाफा कमाने के काम में लग गई हैं;

(ख) क्या इस प्रकार के कार्य से आवंटन की प्रमुख शर्त का उल्लंघन होता है और यदि हां, तो इन समितियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार के पास इन प्लाटों के आवंटन हेतु निर्धारित शर्तों के उल्लंघन को रोकने की कोई व्यवस्था है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आबंटन के निबंधन और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में पट्टा-विलेख समाप्त किया जा सकता है।

चावल का उत्पादन और खपत

2117. श्री राजा मोहन रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 19 0-91 के दौरान चावल का कितना उत्पादन और कितनी खपत होने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार का इस अवधि के दौरान घरेलु मांग को पूरा करने के पश्चात् चावल का रक्षित भंडार रखने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) देश में 1990-9. के दौरान उत्पादन का इस समय जायजा लगाना जल्दबाजी होगी। तथापि, 1990 के दौरान अब तक मानसून का अच्छा रुख होने की वजह से इस मौसम में गुणात्मक मूल्यांकन के रूप में खरीफ के चावल का अच्छा उत्पादन कहा जा सकता है।

जनसंख्या, उत्पादन, उपलब्धता, स्टाक में परिवर्तन, मूल्य स्तर, आय, वितरण और खपत के स्वरूप पर खपत निर्भर करती है। 1990-91 के उत्पादन क ब्यौरे उपलब्ध नहीं है और इसलिए खपत का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार द्वारा मार्च, 1984 में किए गए निर्णय के अनुसार परिचालन स्टाफ सहित चावल के बफर स्टाक का आकार वर्ष की पहली अक्तूबर को निम्नतम 6.5 मिलियन मीटरी टन और वर्ष की पहली जनवरी का अधिकतम .0.9 मिलियन मीटरी टन के बीच के रेंज में होना चाहिए पहली जुलाई, 1990 को स्थिति के अनुसार, चावल का इस समय लगभग 6.94 मिलियन मीटरी टन का स्टाक है जबकि बफर स्टाक रखने की नीति के अनुसार उपर्युक्त तारीख को 8.0 मिलियन मीटरी टन का स्टाक उपलब्ध होना चाहिए। अधिकतम वसूली कर चावल का स्टाक बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद, धनबाद

2118. श्री ए. के. राय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद, धनबाद को अनुदान देना बंद कर दिया है और इसके कर्मचारियों को मई, 1990 से वेतन नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संगठन के पक्ष में संसद सदस्यों में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या इस संगठन को अनुदान देने के संबंध में पुनर्विचाराधीन मामले में जब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए धनराशि देने हेतु श्रम मंत्रालय से भी अनुरोध किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) वित्तीय दबाव के कारण, राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद (रा.खा.सु.प) अपने स्टाफ को मई, जून और जुलाई, 1990 माह के लिए वेतन का भुगतान नही कर सकी। रा.खा.सु.प. को श्रम मंत्रालय द्वारा 23.7.1990 को पांच लाख रुपये की सहायता अनुदान राशि मंजूर की गई थी। उपरोक्त अवधि के लिए वेतन का अब भुगतान कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। इस मामले की समीक्षा की जा रही है।

चीनी का आयात

2119. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी के आयात के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार को चीनी के आयात के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) चालू मौसम के दौरान चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी तथा पूर्वावशिष्ट स्टाक के कारण घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध होगी तथा चालू मौसम के दौरान चीनी के आयात की कोई संभावना नहीं है।

फार्मेसी स्नातकों को ऋण संबंधी लाइसेंस

2120. श्री मदन लाल खुराना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्रतिवर्ष औसतन कितने छात्र डी. फर्मा, बी. फर्मा और एम. फर्मा उत्तीर्ण करते हैं;

(ख) क्या फार्मेसी स्नातक मुख्यत: छोटी-छोटी कंपनियों में अपना रोजगार शुरू करते हैं अथवा छोटी-छोटी कंपनियों से प्रारंभिक अनुभव प्राप्त करके अपना औषधीय व्यवसाय प्रारम्भ कर लेते हैं;

(ग) क्या सरकार ने लोन लाइसेंस पद्धति तैयार की है;

(घ) क्या विभिन्न फार्मेसी स्नातकों के लिये वैकल्पिक रोजगार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है;

(ङ) क्या ऋण लाइसेंस पद्धति प्रथा समाप्त करने के लिए अतिरिक्त तकनीकी जनशक्ति का ह्रास हो जाएगा जिससे देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश के विभिन्न फार्मेसी प्रशिक्षण केन्द्रों और संस्थानों से औसतन हर वर्ष उत्तीर्ण होकर निकलने वाले छात्रों की संख्या इस प्रकार है ।

(i) डी. फार्मेसी	11000
(ii) बी. फार्मेसी	2300
(iii) एम. फार्मेसी	350

(ख) सरकार के पास इस संबंध में कोई ब्यौरा नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता ।

पालाघाट, केरल की चावल मिलों का आधुनिकीकरण

2121. श्री ए. विजयराघवन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को प्रौद्योगिकी मिशन की सहायता से पालघाट जिले में चावल की मिलों का आधुनिकीकरण करने के संबंध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को पालघाट में चावल मिलों के आधुनिकीकरण के लिये केरल सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चम्बल सी. ए. डी. चरण-दो परियोजना

2122. श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 में जल संसाधन मंत्रालय को राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी चम्बल जल ग्रहण क्षेत्र विकास चरण-दो परियोजना विश्व बैंक को भेज दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1974 से चम्बल क्षेत्र से पानी की नालियों का निर्माण किसानों की ओर से किया गया बताया जाता है और कुछ मामलों में इसके लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को सीधे ऋण भी दिए जाने का समाचार है;

(ग) क्या हरियाणा और पंजाब में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चरण-दो में ऐसे समान मामलों में इन नालियों की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की गयी है और चम्बल के संबंधित क्षेत्र में कुल देनदारी लगभग 125 करोड़ रुपए की की बताई जाती है; जिसने वर्ष 1984-85 से तीन बार पड़े लगातार गंभीर सूखों के कारण ग्राम किसान पर ऋण का भार बढ़ा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का राजस्थान सरकार तथा बैंकों के सहयोग से गरीब किसानों की समस्याओं को किस प्रकार निपटाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) वर्ष 1976 से इंदिरा गांधी नहर परियोजना और चम्बल क्षेत्रों में पक्के जल मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। ये कार्य किसानों की ओर से किए जा रहे हैं जिसके लिए संस्थागत वित्त प्रदान किया गया है। तथापि, 1.4.1986 से 5-8 हेक्टेयर ब्लाकों तक के द्वारों के नीचे जलमार्गों के निर्माण की लागत भारत सरकार द्वारा समान आधार पर वहन की जा रही है। जल मार्गों के निर्माण के लिए पहले दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में किसानों को राहत प्रदान करने के प्रश्न का निर्णय वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

बिहार में चीनी मिलें

[हिन्दी]

2123. श्री शिबू सोरेन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितनी चीनी मिलें अभी तक बंद पड़ी है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन मिलों में काम करने वाले कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं; और

(घ) राज्यों में कितनी नई चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी और वे कहां कहां स्थापित की जाएंगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) बिहार में अभी तक दो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं।

(ख) चीनी फैक्ट्रियों के बन्द होने के विभिन्न कारण हैं जैसे गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता आकार, विवाद और प्लांट एवं मशीनरी की हालत, तकनीकी तथा प्रबंधकीय सक्षमता आदि।

(ग) चूंकि ये फैक्ट्रियां काफी लंबे समय से बंद पड़ी हैं इसलिए बेरोजगार कर्मचारियों की संख्या का आकलन करना संभव नहीं है।

(घ) बिहार राज्य में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए 31-7-90 तक 10 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनकी स्थितियों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। इन आवेदन-पत्रों पर सरकार द्वारा हाल ही में घोषित लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाएगा।

विवरण

बिहार में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित नई चीनी फैक्ट्रियों के नाम और स्थिति (31-7-90 को)

1. बिहार सरकार गन्ना विभाग, पीरपैंती, तालु. पीरपैंती, जिला भागलपुर।

2. बिहार सरकार गन्ना विभाग, जामूई, तालु. जामूई. जिला मुंगेर।

3. मै. राधाकृष्णन एक्सपोर्ट इण्डस्ट्रीज लि. धनाहा, तह./तालु. धनाहा, जिला पश्चिमी चम्पारन।

4. मै. स्पेंसर एण्ड कंपनी लि., धनहा, जि. पश्चिमी चम्पारन।

5. मै. हैरीसन्ज मलयालम लि. पूर्वी चम्पारन।

6. मै. विन मैकिकेयर लाइमटोल, सीतलपुर, तह. छपरा, जिला, सारन।

7. मै. बिहार सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि., सापौल, जिला सहरसा।

8. मै. बिहार सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि., सीतलपुर, जिला सारन (छपरा)

9. मै. बिहार सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि., अमरपुर, जिला भागलपुर।

10. मै. बिहार सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि., धनाहा, जिला पश्चिमी चंपारन।

पेप्सी फूड्स में सब्जियों और अनाजों का प्रसंस्करण

[अनुवाद]

2124. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

प्रो. मालिनी भट्टाचार्य :

श्रीमती सुभाषिनी अली :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सी फूड्स परियोजना द्वारा जहेरा प्लांट में अब तक कितनी मात्रा में टमाटर और अन्य फलों का प्रसंस्करण किया गया है; और

(ख) चन्नो स्थित आलू और मक्का प्रसंस्करण प्लांट में, अब तक कितनी मात्रा में आलू और अनाज का प्रसंस्करण किया गया है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) मै. पैप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को 8000 मी. टन वार्षिक क्षमता तक संसाधित आलू/अनाजों से बने खाद्य पदार्थ और 12000 मी. टन वार्षिक क्षमता तक संसाधित फल/सब्जी उत्पाद तैयार करने के लिए आशय-पत्र मंजूर किया गया है। उपर्युक्त पदार्थों के उत्पादन में समय-समय पर काम में लाई गई कच्ची सामग्री के ब्योरे कंपनी के कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित है और सरकार द्वारा इनकी जानकारी नहीं रखी जाती।

आवश्यक वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत मदें

2125. श्री सुधाम देशमुख : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आवश्यक वस्तुओं की परिभाषा में कुछ और मदें शामिल करने का विचार है ;

(ख) आवश्यक वस्तुओं की परिभाषा में इस समय कौन-कौन सी वस्तुएं शामिल है और किन-किन वस्तुओं को शामिल करने का विचार है;

(ग) आवश्यक वस्तुओं की सूची में आने वाली वस्तुओं की उत्पादन लागत का ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का आवश्यक वस्तुओं पर मुनाफाखोरी रोकने की दृष्टि से उनके पैकेटों पर उत्पादन लागत मुद्रित करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) जब भी परिस्थितिवश आवश्यक होता है आवश्यक वस्तुओं की सूची में नई मदें शामिल की जाती हैं। जिन वस्तुओं को आवश्यक घोषित किया गया है उनकी एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) इन वस्तुओं की उत्पादन लागत विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है।

(घ) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के तहत पैकेज में रखी वस्तुओं के प्रत्येक थैले/पैकेज पर निम्नलिखित सूचना छापना अनिवार्य है :—

1. वस्तु का नाम ;

2. विनिर्माता/पैकर का नाम और पता ;

3. विनिर्माण/पैकिंग का महीना व वर्ष;

4. शुद्ध मात्रा ;

5. बिक्री मूल्य

तथापि, ऐसे थैलों/पैकेजों पर उत्पादन की लागत घोषित करना उपर्युक्त नियमों के क्षेत्र से बाहर है।

विवरण

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक घोषित वस्तुओं की सूची
अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के तहत घोषित

1. पशु चारा, जिसमें खली तथा अन्य रातिब शामिल हैं।
2. कोयला जिसमें कोक तथा अन्य व्युत्पन्न पदार्थ शामिल हैं।
3. आटोमोबाइलों के घटक हिस्से तथा सहायक उपकरण।
4. सूती तथा ऊनी कपड़े।
5. दवाइयां।
6. खाद्य पदार्थ, जिसमें खाद्य तिलहन तथा तेल शामिल हैं।
7. लोहा तथा इस्पात, जिसमें लोहे व इस्पात के विनिर्मित उत्पाद शामिल हैं।
8. कागज, जिसमें अखबारी कागज, पेपरबोर्ड तथा स्ट्रा-बोर्ड शामिल हैं।
9. पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद।
10. कपास चाहे ओटी गई हो अथवा बिना ओटी और बिनौला।
11. पटसन।

अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (9) के तहत घोषित

12. पटसन के कपड़े।
13. इन आर्गेनिक, आर्गेनिक अथवा मिश्रित उर्वरक।
14. अलौह धातुएं।

15. आर्गेनिक भारी रसायन।

16. इनआर्गेनिक भारी रसायन।

17. सिनेमा की फिल्में (कच्ची)।

18. प्रेस मड

19. सीमेंट

20. अलौह धातुओं की विनिर्मित अथवा अर्द्ध विनिर्मित वस्तुएं।

21· साबुन

22. सिनेमा कार्बन

23. कपड़े की मशीनरी :—

(1) ब्लो रूम मशीनरी

(2) कार्डिंग इन्जन

(3) ड्रा फेम्स

(4) स्पीड फ्रेम्स

(5) रिंग फ्रेम्स

(6) वाइन्डिंग मशीनें

(7) डबलिंग मशीनें

(8) रीलिंग मशीनें

(9) बंडलिंग मशीनें

(10 विद्युत करघे

(11) वेलिंग मशीनें

(12) विद्युत करघों के साइड फ्रेम

(13) विद्युत करघों तथा रिंग फ्रेमों के अतिरिक्त पुर्जे

(14) ऊन बुनाई मशीनरी

(15) ऊनी वस्त्र :—

(1) लत्ते धोने की मशीनें (रेग वाशिंग मशीन)

(2) लत्ते चीरने (रेग टियरिंग) की मशीनें

(3) लत्ते काटने की मशीन और

(4) मार्नटिंग मशीन

(16) रेप निटिंग मशीनें, जिनमें बिजली से चलाई जाने वाली रेशल बुनाई मशीनें शामिल हैं ।

(17) सिलाई करने वाली कढ़ाई मशीनों को छोड़कर कढ़ाई मशीनें जो बिजली से चलाई जाती है और जिनका इस्तेमाल सुइयों की मदद से किसी भी तरह के धागे से डिजाइन बनाकर कपड़ों की सजावट के लिए किया जाता है;

(18) लेस बनाने वाली मशीनें जो बिजली से चलाई जाती है और जिनका इस्तेमाल धागे की क्रासिंग और इंटरट्विस्टिंग द्वारा खुली जाली (ओपन मेश) या नेट के कपड़ों के उत्पादन के लिए किया जाता है; और

(19) वे मशीनें जो बिजली से चलाई जाती है और जिनका इस्तेमाल उत्कीर्ण (एन्ग्रेव्ड) रोलरों या स्क्रीनों की मदद से कपड़ों की छपाई के लिए किया जाता है ।

24. रेशम से बने वस्त्र ।

25. मानव निर्मित सेलुलोसिक और गैर-सेलुलोसिक कते रेशे से पूरी तरह या अंशत: बने वस्त्र ।

26. सेलुलोसिक और गैर-सेलुलोसिक तन्तु सूत से पूरी तरह या अन्शत: बने वस्त्र ।

27. दियासलाइयां ।

28. फेरो सिलिकान ।

29. सिलिको-मैंगनीज ।

30. फेरो-क्रोम

31. फेरो-मालिब्डेनम

32. फेरो-टंग्सटन

33. फेरो-मैंगनीज

34. फेरो-वैनेडियम

35. फेरो-फासफोरस

36. फेरो-टिटैनियम

37. फेरस स्क्रैप जिसमें

(1) 0.50 प्रतिशत निकल या

(2) 0.20 प्रतिशत मालिब्डेनम या

(3) 1.00 प्रतिशत टंग्सटन या

(4) 0.20 प्रतिशत वैनोडियम या

(5) 1.00 प्रतिशत कोबाल्ट से अधिक हो ।

28. जनरल लाइटिंग सर्विस लैम्प

39. सोडा राख

40. टार्चों के लिए ड्राई सेल

41. हरीकेन लालटेनें

42. बिजली की इस्त्री, हीटर तथा इसी प्रकार के घरेलू उपकरण ।

43. कृत्रिम रबड़ ।

44. कार्बन ब्लैक

45. पालिविनाइल क्लोराइड (पी. वी. सी.) रेजिन और उनके यौगिक

46. पालिस्टिरीन और पालिस्टिरीन मोल्डिंग पाऊडर

47 पालिथिलीन और पालिथिलीन मोल्डिंग पाउडर

48. नारियल की भूसी (कच्चा या गला हुआ)

49. बसों और ट्रकों के टायर और ट्यूब

50. ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए ड्राई सेल और बैटरियां

51. पशु द्वारा खींचे जाने वाले वाहन के टायर और ट्यूब

52. बिजली के केबिल और तार

53. मानव निर्मित सेलूलोसिक या ग़ैर-सेलूलोसिक स्टैपल फाइबर

54. अपरिष्कृत तेल

55. निम्नलिखित किसी भी सामग्री से पूरी तरह या आंशिक रूप से बना धागा, जैसे :—

(1) कपास

(2) ऊन

(3) मानव निर्मित सेलूलोसिक स्पन फाइबर

(4) मानव निर्मित गैर-सेलूलोसिक स्पन फाइबर,

(5) रेशम

56. (1) मानव निर्मित सेलूलोसिक और गैर-सेलूलोसिक फिलामेंट यार्न

(2) नाइलोन टायर/कार्ड/फैब्रिक

57. अभ्यास पुस्तिकाएं

58. नारियल की भूसी से निकाले गये नारियल के रेशे ।

50. कीटनाशक, फफूंदनाशी खरपतवारनाशी तथा तत्समान वस्तुएं ।

60. चाय

61. पावर ग्रेडर

62. (1) खाद्यान्नों के बीज और फलों तथा सब्जियों के बीज,

(2) पशु चारे के बीज और

(3) पटसन के बीज । बोने या रोपने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले (इनके पौध और कन्द, कन्द (बल्ब) प्रकंद (राइजोम), जड़ों, कलमों और अन्य सभी प्रकार के ग्रांट्स तथा खाद्यान्न फसलों या पशु-चारे की अन्य सभी उद्भिज्ज उपज सामग्री सहित)

63. सर्जिकल इम्प्लाट्स

64. प्राकृतिक गैस

65. हाइड्रालिक ब्रेक फ्लूइड

नदी जल को राष्ट्रीय परिसम्पत्ति घोषित करना

2126. श्री सी. के. कुप्पुस्वामी : क्या जल संसाधन मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार का देश में सिंचाई कार्यों में तेजी लाने और अन्तर्देशीय नौसंचालन की सहायता करने हेतु जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने तथा जल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : इस समय देश के जल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, सरकार द्वारा सितम्बर, 1987 में स्वीकार की गयी राष्ट्रीय जल नीति में जल को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ सुनियोजित, विकसित एवं संरक्षित किए जाने हेतु एक दुलर्भ तथा मूल्यवान राष्ट्रीय संसाधन स्वीकार किया गया है ।

इस व्यापक ढांचे में, प्रत्येक परियोजनाओं के ब्योरों का पता लगाया जाना और संबंधित राज्य/केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जानी है ।

कर्नाटक में बेनीथोरा परियोजना

2127. श्री जनार्दन पुजारी : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बेनीथोरा परियोजना पर कार्य आरंभ हो गया है; यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना का ब्योरा क्या है तथा इस परियोजना के लिए केन्द्र द्वारा कितनी सहायता राशि दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एक योजना स्कीम के रूप में सातवीं योजना के अन्त तक इस परियोजना पर 17.12 करोड़ रुपए व्यय किए गए।

(ख) लगभग 20240 हेक्टेयर को लाभान्वित करने के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत की संशोधित परियोजना रिपोर्ट दिसम्बर, 1988 में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुई।

(ग) राज्य सरकार का नौवीं योजना के दौरान परियोजना पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

बुद्ध विहार के लिए भूमि का आबंटन

2128. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुद्ध भीरत्न मिशन को बुद्ध विहार के निर्माण हेतु चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में भूमि आबंटन हेतु स्वीकृत दी गई है;

(ख) यदि हां, तो यह स्वीकृति कब दी गई थी;

(ग) क्या मिशन को उक्त भूमि आबंटित किये जाने में अनुचित विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भूमि आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) बुद्ध भिरत्न मिशन को भूमि आबंटन की कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) उपरोक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पेप्सी फूड्स द्वारा आयात/निर्यात करने के लिए विदेशी मुद्रा

2129. श्री फूल चन्द वर्मा :

प्रो. मालिनी भट्टाचार्य :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सी फूड्स द्वारा मशीनरी, तकनीकी जानकारी तथा कच्चे माल का आयात करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(ख) पेप्सी फूड्स ने निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और जितनी भी उपलब्ध हो पायेगी, सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रक्तदाताओं के रक्त की अनिवार्य जांच

2130. श्री अमल दत्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्त बैंक को रक्त देने वाले व्यक्तियों के मामले में यह अनिवार्य कर दिया है कि उनके रक्त की इस दृष्टि से जांच की जाये कि कहीं वे एड्स रोग से ग्रस्त तो नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब से किया गया है तथा किए गए उपाय से क्या लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या अनिवार्य रूप से रक्त-जांच किये जाने पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है; यदि हां, तो इस निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम मिले हैं और यह कितना प्रभावी सिद्ध हुआ है; और

(घ) क्या सरकार का रक्तदाताओं की अनिवार्य रक्त-जांच सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (घ) औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों का 11.7.89 को जी. एस. आर. संख्या 670 के तहत संशोधन किया गया है। इसके अन्तर्गत रक्त बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे प्रत्येक रक्त यूनिट के नमूने का एच. आई. वी. प्रतिपिण्डों से मुक्त होने के बारे में परीक्षण करवाएं। ऐसे परीक्षण करने की तारीख डिब्बे के लेबल पर भी दर्ज की जायेगी। इससे रक्त बैंकों द्वारा सप्लाई किये गये प्रदूषित रक्त को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।

रक्तदाताओं के रक्त का अनिवार्य रूप से परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित कारगर उपाय किए गए हैं :—

(I) औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों में संशोधन किया गया है।

(II) सभी रक्त बैंकों को रक्ताधान सेवाओं के लिए मानकों और रक्तबैंकों के लिए प्रशासनिक दिशानिर्देशों का परिचालन कर दिया गया है।

(III) एच आई. वी. के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने, प्रशिक्षित जन शक्ति की व्यवस्था करने और मौजूदा रक्त-बैंकों का दर्जा बढ़ाने के लिए एक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि रक्ताधान सेवाओं में निरापदता को सुनिश्चित किया जा सके।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में डाक्टरों के रिक्त पद

2131. **श्री प्रकाश वी. पाटिल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में डाक्टरों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) इन रिक्त पदों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में जब कभी भी पद रिक्त होते हैं, तब उन रिक्त पदों की सूची केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों में परिचालित की जाती है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में डाक्टरों के कितने पद एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पड़े हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) आज तक 597।

(ख) रिक्त पदों का श्रेणीवार ब्योरा संलग्न विवरण मे दिया गया है।

(ग) जी, नहीं, क्योंकि यह नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित नहीं है।

(घ) 478.

विवरण

क्रम संख्या	पद की श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1.	चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	294
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	34
3.	विशेषज्ञ ग्रेड-II	209
4.	विशेषज्ञ ग्रेड-I	53
5.	सुपरटाइम ग्रेड	7
	कुल	597

पुरानी दिल्ली के क्षेत्रों का विकास

2132. **श्री जे. पी. अग्रवाल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पुरानी दिल्ली के क्षेत्रों के नियोजित विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को चांदनी चौक, लाल किला, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आदि के आस-पास के क्षेत्रों के विकास के लिए वहां की जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) पुरानी दिल्ली के पुर्नविकास के निम्नलिखित 5 प्रमुख घटक है :—

(i) वाणिज्यिक भीड़-भाड़ को कम करना।

(ii) भौतिक और सामाजिक अवसंरचना का उन्नयन।

(iii) यातायात तथा परिवहन प्रबन्ध और विनियमन।

(iv) ऐतिहासिक भवनों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार, तथा

(v) रिहायशी क्षेत्रों को पुनर्जीवित रखना।

(ग) सरकार को ऐसे किसी अभ्यावेदन की जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य निरीक्षकों को प्रोत्साहन

[हिन्दी]

2134. श्री पी. आर. कुमारमंगलम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग के खाद्य निरीक्षकों को विदेशी अतिथियों को परोसे जाने वाले भोजन की जांच करने के लिए रविवार और सरकारी छुट्टी वाले दिनों में "वी. आई. पी. ड्यूटी" पर लगा दिया जाता है;

(ख) क्या यह ड्यूटी निभाने के लिए इन निरीक्षकों को समयोपरि भत्ता/प्रतिपूरक छुट्टी दी जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भोजन की गुणवत्ता मानक स्तर की न पाए जाने के मामले में इन निरीक्षकों की शक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग के खाद्य निरीक्षकों को रविवार तथा सरकारी छुट्टियों में भी विदेशी अतिथियों/अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को परोसे जाने वाले भोजन की जांच करने के लिए तैनात किया जाता है लेकिन ऐसी ड्यूटियों के लिए इन खाद्य निरीक्षकों को जनहित में कोई समयोपरिभत्ता अथवा प्रतिपूरक छुट्टी नहीं दी जाती है।

(घ) भोजन को यदि असंतोषजनक पाया जाता है तो उसे वापस लौटा दिया जाता है और परोसने की अनुमति नहीं दी जाती है।

अस्पताल सेवा परामर्श निगम पर व्यय

[अनुवाद]

2135. श्री डी. अमात : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पताल सेवा परामर्श निगम लिमिटेड की क्या भूमिका है;

(ख) इस निगम की स्थापना के समय से अब तक इस पर, वर्ष-वार कितनी धन-राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या इस निगम को बन्द करने का प्रस्ताव किया गया था, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (घ) हास्पिटल सर्विसिज कन्सल्टेंसी कार्पोरेशन स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र से संबंधित परामर्शी सेवाएं प्रदान प्रदान करता है। इन सेवाओं में परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, आर्किटेक्चुरल और और इंजीनियरी डिजाइन और प्लानिंग, परियोजना व्यवस्था और समन्वय और सप्लाई, चिकित्सा उपकरण की स्थापना और उन्हें चालू करना, अनुवर्ती सेवाओं का रखरखाव तथा चिकित्सा एवं अर्धचिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षण देना भी शामिल है।

कारपोरेशन का वर्षवार व्यय निम्नलिखित है :—

वर्ष	धनराशि
1983-84	4.87 लाख रुपये
1984-85	14.77 लाख रुपये
1985-86	20.18 लाख रुपये
1986-87	25.23 लाख रुपये
1987-88	26.54 लाख रुपये
1988-89	29.32 लाख रुपये
1989-90	35.60 लाख रुपये (अनन्तिम, लेखे संकलित किए जा रहे हैं।

सचिवों की समिति की सिफारिशों पर सरकार ने 1985 में निश्चित किया कि हास्पिटल सर्विसिज कन्सल्टेंसी कार्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड को समाप्त कर दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस कार्पोरेशन की सर्वोत्कृष्ट कार्यनिष्पादन को देखते हुए इस आशय के आदेशों पर पुनर्विचार करने पर बल दिया।

मार्च, 1990 में सरकार द्वारा कार्पोरेशन की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि कार्पोरेशन को अपने कार्यकलाप अनिश्चित काल तक जारी रखने की अनुमति दी जाए।

आन्ध्र प्रदेश के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिए दीर्घावधिक योजना

2136. श्री बी. एन. रेड्डी : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिए कोई दीर्घावधिक योजनाएं तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1986 में गोदावरी नदी प्रणाली के बाढ़ तटबन्धों को ऊंचा करने के लिए एक मास्टर योजना तैयार की है। उनसे नवम्बर, 1987 में मास्टर योजना के अंतर्गत परिकल्पित की गयी सभी स्कीमों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु कहा गया है।

प्राइवेट बिल्डरों को विदेशी ऋण लेने की अनुमति

2137. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री पी. नरसा रेड्डी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राइवेट बिल्डरों को मकानों के निर्माण के लिए विदेशी ऋण प्राप्त करने तथा क्रेताओं से भुगतान एकत्रित करने की अनुमति दी है;

(ख) क्या दिल्ली में ऐसी आवास परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्राइवेट बिल्डरों को भूमि आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

चंडीगढ़ में होटल उद्योग के लिए स्थान

2138. बाबा सुच्चा सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ में होटल उद्योग के लिए निर्धारित स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचे गये स्थानों का ब्यौरा क्या है और वे प्रत्येक प्रति एकड़ किस मूल्य पर बेचे गये;

(ग) क्या ऐसे कोई स्थान आरक्षित मूल्य अथवा नाममात्र के मूल्य पर आवंटित किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके आवंटितियों का ब्योरा क्या है और उनसे प्रति एकड़ कितना मूल्य लिया गया; और

(ङ) रियायती मूल्यों पर आबंटन करने और सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से न बेचे जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरयू नहर तथा जल-निकास संयुक्त परियोजना

[हिन्दी]

2139. श्री रुद्रसेन चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सरयू नहर तथा जल-निकास संयुक्त परियोजना को किस तारीख तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) उक्त परियोजना द्वारा कितने भूमि में, जिलों के नाम सहित, सिंचाई प्रदान की जाएगी;

(ग) उपर्युक्त सभी जिलों में उक्त जल-निकास परियोजना से कितने भूमि-क्षेत्र को जलमग्न होने से बचाया जा सकेगा; और

(घ) अब तक परियोजना में कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो गया तथा इसके लिए कितना समय लिया गया है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) संशोधित परियोजना रिपोर्ट (1985) के अनुसार सरयू नहर परियोजना के पूर्ण होने की प्रत्याशित तारीख 1993 है।

(ख) परियोजना 14.04 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सहित बहराइच, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर जिलों को लाभान्वित करेगी।

(ग) कमान क्षेत्र में एक सुरक्षा सीमा तक भूमिगत जल स्तर को व्यवस्थित रखने के लिए परियोजना रिपोर्ट में 9000 किलोमीटर की सतही नालियां और 3600 नलकूप उपलब्ध कराए गए हैं।

(घ) 1976 तक पूर्ण किए गए विभिन्न घटकों के कार्य का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	कार्य की मद	3/90 को पूर्ण किए गए कार्य का प्रतिशत
1	2	3
1.	भूमि अर्जन	30

1	2	3
2.	सरयू लिंक चैनल	
	मिट्टी कार्य	100
	चिनाई कार्य	34
3.	सरयू मुख्य नहर	
	मिट्टी कार्य	100
	चिनाई कार्य	66
4.	राप्ती लिंक चैनल	
	मिट्टी कार्य	30
	चिनाई कार्य	30
5.	राप्ती मुख्य नहर	
	मिट्टी कार्य	7
	चिनाई कार्य	—
6.	शाखाएं	
	मिट्टी कार्य	51
	चिनाई कार्य	87
7.	वितरण प्रणाली	
	मिट्टी कार्य	4
	चिनाई कार्य	3
8.	पम्प नहर (4 संख्या)	36

बिहार में बीड़ी कामगार कल्याण कोष के लिये धन-राशि संग्रह करना

2140. श्री राधा मोहन सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, बिहार में बीड़ी कामगार कल्याण कोष के लिए कितनी धन-राशि संग्रह की गई;

(ख) उपयुक्त अवधि के दौरान बिहार में बीड़ी कामगारों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु कुल कितनी धन-राशि नियत की तथा इसमें से कितनी धन-राशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या बिहार द्वारा आबंटित धन-राशि का पूरा उपयोग कर लिया गया है और यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस धन-राशि का पूरा उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) बिहार में वर्ष 1987-88, 1088-89 और 1989-90 के दौरान बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अंतर्गत एकत्र की गई उपकर की कुल राशि संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) बिहार में वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और आवास शीर्ष के तहत आबंटन और व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) उपरोक्त शीर्षों के अधीन 1.14 करोड़ रु. के आबंटन की तुलना में, पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय 99 लाख रु. हुआ। बजट में व्यवस्था केवल अनुमानित आवश्यकताओं पर आधारित होती है जिससे आबंटन और वास्तविक व्यय के बीच भिन्नता होती है। वर्तमान मामले में यह भिन्नता बहुत अधिक नहीं है। साथ ही सरकारी खर्चे में बचत करने के लिए लगाई गई बजट कटौतियों के कारण भी कुछ भिन्नता है।

(घ) आबंटित राशि का पूरा उपयोग करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जाते हैं।

विवरण-1

बिहार राज्य में पिछले तीन वर्षों अर्थात 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान निर्मित बीड़ियों पर एकत्र किए गए उपस्कर को दर्शाने वाला ब्योरा

(रु. हजारों में)

क्रमांक	क्षेत्र/राज्य	1987-88	1988-89	1989-90
1.	बिहार	6001	5930	5713

विवरण-2

बिहार में पिछले तीन वर्षों अर्थात 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान बजट आबंटन और वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला ब्योरा

(हजारों में)

	1987-88		1988-89		1989-90	
	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1. प्रशासन	202	172	266	238	343	503
2. स्वास्थ्य	1280	1371	1835	1584	3174	3746

3. शिक्षा	426	596	580	765	1075	903
4. मनोरंजन	30	1	50	5	345	10
5. आवास	50	—	500	—	500	—
6. जल आपूर्ति	—	—	—	—	40	—
कुल	1988	2140	3231	2592	5477	5162

	1987-88		1988-89		1989-90	
	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1. 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	—	—	400	—	50	—
1. 4250-सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता	—	—	—	—	100	—
3. 6250-आवास के लिए ऋण	—	—	140	—	25	—
	1988	2140	3771	2592	5652	5162

दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र में प्रापर्टी डीलरों द्वारा शापिंग काम्पलैक्स का निर्माण

2141. श्री राम सिंह शाक्य : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में यमुना-पार के कैलाश नगर, कृष्णा नगर और गांधी नगर जैसे रिहायशी क्षेत्रों में कुछ प्रापर्टी डीलरों ने शापिंग काम्पलैक्सों का निर्माण कर लिया है और वे इन दुकानों को बड़े ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली नगर निगम अथवा दिल्ली प्रशासन ने इन प्रापर्टी डीलरों को रिहायशी क्षेत्र को वाणिज्यिक क्षेत्र में बदलने की अनुमति दी है;

(ग) यदि नहीं तो अवैध निर्माणों को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अब तक कितने प्रापर्टी डीलरों के विरुद्ध कार्यवाई की गई है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि कैलाश नगर, कृष्णा नगर और गांधी नगर के रिहायशी क्षेत्रों में लगभग 98 विपणन परिसरों का निर्माण किया गया है किन्तु उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इनमें से कितनों का निर्माण प्रापर्टी डीलर्स द्वारा किया गया है और क्या इन दुकानों को ऊंचे प्रीमियम पर बेचा जा रहा है। दिल्ली नगर निगम ने रिहायशी क्षेत्र को वाणिज्यिक क्षेत्र में बदलने की अनुमति नहीं दी है। गैर-कानूनी निर्माण के मामले में दिल्ली नगर निगम दिल्ली नगर निगम अधिनियम के उपबन्धों के तहत समय-समय पर कारंवाई करता है।

सरकारी अस्पतालों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

2142. श्री छबिराम अर्गल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री दिल्ली प्रशासन के अधीन विभिन्न अस्पतालों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के बारे में 27 दिसम्बर, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 122 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीनियर फोटोग्राफर का रिक्त पद भर लिया गया है जिसके लिए इस संबंध में दिसम्बर, 1989 में एक विभागीय परिपत्र जारी किया गया था और रोजगार कार्यालय के माध्यम से आवेदन पत्र भी आमंत्रित किए गए थे;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में असाधारण विलम्ब करने के क्या कारण हैं;

(ग) यह आरक्षित पद कब से रिक्त पड़ा है; और

(घ) इसे कब तक भरे जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ख) लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वरिष्ठ फोटोग्राफर का एक पद खाली पड़ा हुआ है और इसे पात्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण भरा नहीं गया है। वरिष्ठ फोटोग्राफर का यह पद 31.1.89 से खाली पड़ा हुआ है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया कि इस पद को रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किया गया था और रोजगार कार्यालय का अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उक्त रिक्त को समाचार पत्रों में विज्ञापित किया गया था। इस रिक्त को दिल्ली प्रशासन के अधीन अस्पतालों/संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विभागीय उम्मीदवारों के नाम आमंत्रित करने के लिए भी परिपत्रित किया गया। इसके जवाब में अनुसूचित जाति के दो उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से केवल एक ही उम्मीदवार पात्र है। इस पद पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की उपयुक्तता के संबंध में निर्णय करने हेतु कर्मचारी चयन बोर्ड की एक बैठक आयोजित की जा रही है।

वृक्षारोपण का कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए आवास हेतु वित्तीय सहायता ऋण

[अनुवाद]

2143. श्री पलाई के. एम. मैथ्यू : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वृक्षारोपण के कार्यों में लगे श्रमिकों को कौन-कौन सी केन्द्रीय एजेन्सियां वित्तीय सहायता/ऋण देती हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान केरल को ऐसी कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता/ऋण दिये गये; और

(ग) क्या सरकार का गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे श्रमिकों को आवास संबंधी ऋण की मात्रा दुगुनी करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) इस समय बागान श्रमिकों के लिए कोई केन्द्रीय क्षेत्र की अथवा केन्द्र द्वारा प्रवर्तित आवास की योजना नहीं है। विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के लिए राज्य क्षेत्र योजना प्रावधान राज्य की प्राथमिकताओं के आधार पर किए जाते हैं। आवास के लिए हडको, एच डी एफ सी, आदि जैसी विशिष्ट आवासीय वित्त संस्थाओं से ऋण सहायता प्राप्त करना राज्य अभिकरणों और बागान स्वामियों की इच्छा पर निर्भर करता है।

नई दिल्ली में होटलों के लिए भू-खण्ड

2145. श्री ए. एन. सिंह देव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पांच सितारा होटलों के निर्माण हेतु नई दिल्ली में विण्डसर प्लेस क्षेत्र में कुछ भू-खण्डों को आवंटित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये भू-खण्ड आवंटित करने के लिए क्या रीति अपनाई जाती है;

(घ) क्या भूखण्ड आवंटन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) क्षेत्रीय योजना में पांच तारा होटल के लिए नई दिल्ली स्थित विण्डसर प्लेस पर दो होटल स्थलों का निर्धारण किया गया है। इनमें से एक स्थल जिसका माप 4.5 एकड़ है के संबंध में नीलामी में सम्मिलित होने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित एक पूर्व अर्हता नोटिस के प्रत्युत्तर में 26 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे।

दिल्ली में यमुना-पार क्षेत्रों के लोगों में सफाई की स्थिति

2146. सरदार कृपाल सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में यमुना पार क्षेत्र की पुनर्वास कालोनियों में रहने वाले लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई निर्णय लिया है; और

(ख) इन कालोनियों के निवासियों को अब तक जल-मल व्ययन व्यवस्था प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल को चावल और खाद्य तेल की सप्लाई

2147. श्री पलास बर्मन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल को चावल और खाद्य तेल की मासिक कितनी आवश्यकता थी और इस अवधि के दौरान वास्तव में उसे कितनी मात्रा में ये वस्तुएं सप्लाई की गई;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान इन वस्तुओं की पश्चिम बंगाल की आवश्यकता कितनी है;

(ग) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान पश्चिम बंगाल को चावल और खाद्य तेल के कोटा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) जहां तक चावल का संबंध है, मास के लिए आवंटन के बारे में निर्णय करने से पूर्व राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्रत्येक मास उनकी आवश्यकताओं की जानकारी मांगी जाती है। अतः

अक्तूबर, 1990 से मार्च, 1991 तक के लिए पश्चिम बंगाल की आवश्यकताओं के बारे में अभी सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, अप्रैल 1990 से सितम्बर, 1990 तक के महीनों के लिए पश्चिम बंगाल के संबंध में चावल और खाद्य तेलों की मांग, आवंटन और उठान का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

जहां तक खाद्य तेलों का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने तेल वर्ष 1989-90 (नवम्बर-अक्तूबर) के लिए 1.80 लाख मीटरी टन की मांग की है।

(ग) से (ङ) चावल के मामले में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पश्चिम बंगाल के आवंटन को जुलाई, 1990 के 69,000 मीटरी टन से बढ़ाकर अगस्त, 1990 से 74,000 मीटरी टन कर दिया गया है। राज्य सरकार को सितम्बर, 1990 के मास के लिए पूजा त्योहार हेतु 10,000 मीटरी टन की अतिरिक्त मात्रा का भी आवंटन किया है।

खाद्य तेलों के बारे में पश्चिम बंगाल के आवंटन को जुलाई, 1990 के 6,000 मी. टन से बढ़ाकर अगस्त, 1990 में 10,000 मीटरी टन कर दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान पश्चिम
चावल और खाद्य तेल की मांग,

	1987-88 चावल			खाद्य तेल			1988-89 चावल		
मास	मांग	आवंटन	उठान	मांग	आवंटन	उठान	मांग	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल	150.0	125.0	64.6	*	8.70	8.00	150.0	85.0	79.8
मई	150.0	125.0	63.3		8.70	7.18	150.0	85.0	79.6
जून	150.0	125.0	56.6		9.70	8.51	150.0	80.0	76.0
जुलाई	150.0	125.0	68.9		10.5	9.92	150.0	80.0	83.1
अगस्त	150.0	125.0	79.4		17.0	13.84	150.0	80.0	72.4
सितम्बर	200.0	125.0	101.2		19.5	16.12	150.0	80.0	70.9
अक्तूबर	200.0	125.0	75.6		22.00	10.73	150.0	80.0	70.4
नवम्बर	200.0	125.0	61.2		22.00	17.50	150.0	85.0	58.4
दिसम्बर	150.0	125.0	57.8		22.00	17.64	150.0	80.0	61.3
जनवरी	150.0	125.0	66.8		15.50	17.86	150.0	80.0	56.6
फरवरी	150.0	110.0	72.1		10.40	12.54	150.0	64.0	52.8
मार्च	150.0	100.0	85.4		7.80	7.65	150.0	64.0	52.4

वार्षिक : (नवम्बर-अक्तूबर) * 186.00

मासिक औसत 15.50

1

बंगाल व संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए
आवंटन और उठान

(हजार मीटरी टन में)

1989-90								
खाद्य तेल			चावल			खाद्य तेल		
मांग	आवंटन	उठान	मांग	आवंटन	उठान	मांग	आवंटन	उठान
11	12	13	14	15	16	17	18	19
**	6.40	9.18	150.0	64.0	44.5	***	7.60	3.08
	6.40	10.48	150.0	64.0	44.3		5.60	4.14
	8.00	9.90	150.0	64.0	46.6		4.10	2.64
	9.00	8.28	150.0	64.0	44.6		4.10	11.30
	10.00	7.64	150.0	64.0	41.6		4.50	2.28
	10.00	6.40	150.0	64.0	41.6		5.20	2.18
	10.00	7.44	170.0	74.0	46.4		5.50	5.97
	9.00	4.23	150.0	80.0	47.3		5.00	5.16
	3.60	7.62	150.0	64.0	45.0		2.30	2.97
	5.60	4.41	150.0	69.0	49.4		3.30	2.11
	7.60	4.78	150.0	69.0	50.0		3.30	1.45
	7.60	5.58	150.0	69.0	49.8		4.00	1.27

** 220.00
18.33

*** 220.00
18.33

विवरण-2

वर्ष 1990-91 के लिए पश्चिम बंगाल के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और खाद्य तेल की मांग, आवंटन और उठान

(हजार मीटरी टन में)

	चावल			खाद्य तेल		
मास	मांग	आवंटन	उठान	मांग	आवंटन	उठान
अप्रैल	150.0	69.0	44.9	*	4.00	0.59
मई	150.0	69.0	47.5		4.50	2.89
जून	150.0	69.0	42.8		5.00	2.21
जुलाई	150.0	69.0	उ. न.		6.00	1.77
अगस्त	150.0	74.0	उ. न.		10.00	उ. न.
सितम्बर	150.0	84.0	उ. न.			

*तेल वर्ष (नवम्बर, 1989 से अक्तूबर, 1990 तक) के लिए कुल मांग 180.0 हजार मीटरी टन है।

उ. न.—उपलब्ध नहीं है।

दक्षिण दिल्ली में बाजारों में अवैध कब्जा

2148. श्री सूरज प्रसाद सरोज : क्या शहरी विकास मंत्री दक्षिण दिल्ली में भूमि पर अवैध कब्जा के बारे में 10 मई, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8841 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण दिल्ली में आर. के. पुरम सहित विभिन्न बाजारों के दुकानदारों जिन्होंने अपनी दुकानें आगे की ओर बढ़ा ली हैं, दो दुकानों को मिलाकर एक दुकान बना ली है, बाजार में सारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है और उनमें गोदामों का निर्माण कर रखा है, के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं और आवश्यक कार्यवाही न करने वाले प्राधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक श्रमिकों के लिये पेंशन योजना

2149. श्री सी. एम. नेगी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का विचार इस समय कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत लाभांवित औद्योगिक श्रमिकों के लिये एक कानूनी पेंशन योजना आरम्भ करने का है,

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस योजना को कब तक लागू किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस समय देश में सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों में 'एम्प्लाइज डिपोजिट इन्शोरेन्स लिंक्ड स्कीम' लागू है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) सरकार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत शामिल औद्योगिक कर्मकारों के लिए एक कानूनी पेंशन योजना शुरू करने की संभावना पर विचार कर रही है। इस संदर्भ में बीमांकिक आधार पर तैयार किए गए प्रस्ताव निम्नलिखित रूप में है :—

(i) 200/-रु. से 400/-रु. प्रतिमाह के बीच सेवा निवृत्ति पेंशन की अदायगी, बशर्ते कि मजदूरी के 5% प्रतिमाह की दर से अंशदान की अदायगी की गई हो।

(ii) 200/-रु. से 825/-रु. के बीच सेवा-निवृत्ति पेंशन की अदायगी, बशर्ते कि मजदूरी के 8.83% प्रतिमाह की दर से अंशदान की अदायगी की गई हो।

(iii) 200/-रु. से 1500/-रु. के बीच सेवा निवृत्ति पेंशन की अदायगी बशर्ते कि मजदूरी के 9.50% प्रतिमाह की दर से अंशदान की अदायगी की गई हो।

उपरोक्त सभी प्रस्तावों पर कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा इस समय विचार किया जा रहा है और उनकी सिफारिशें प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(ग) लगभग सभी ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, जिन पर क. भ. नि. अधिनियम लागू होता है, कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976 के अन्तर्गत आते हैं। तथापि, कुछ उपक्रमों को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ ग्रुप बीमा पालिसी लेने पर छूट प्रदान की गई है जिसमें तुलनीय लाभों की व्यवस्था है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये केरल में योरोपीय आर्थिक समुदाय विशेषज्ञों का दौरा

2150. श्री पी. ए. एन्टनी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में एक फल प्रसंस्करण एकक आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में योरोपीय आर्थिक समुदाय के विशेषज्ञों ने केरल का दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) केरल सरकार ने केरल राज्य बागवानी उत्पाद विकास निगम लिमिटेड में केन्द्रीय सरकार की इक्विटी-भागीदारी की मांग की है। राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गये हैं।

(ग) और (घ) "केरल में बागवनी विकास" नामक परियोजना के संबंध में, जिसे फण्ड देने के लिए योरोपीय आर्थिक समुदाय को पेश किया गया था, योरोपीय समुदाय कमीशन ने मार्च, 1990 में तीन सदस्यों का एक तकनीकी-मिशन दौरे पर भेजा था। इस शिष्ट-मंडल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। योरोपीय कमीशन का अब परियोजना तैयार करने के लिए दूसरा मिशन भेजने का विचार है।

परिवार नियोजन के लिए मध्य प्रदेश को सहायता

[हिन्दी]

2151. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में औसत जन्म दर क्या है और किन-किन राज्यों में यह दर क्रमशः सबसे कम और सबसे अधिक है;

(ख) चालू वर्ष में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) नवीनतम उपलब्ध वर्ष 1988 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जन्म-दर का अनुमान प्रति एक हजार जनसंख्या 31.5 है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से वर्ष 1988 की दर्ज की गई सबसे कम और ऊंची जन्म-दर क्रमशः गोवा और अरुणाचल प्रदेश की है।

(ख) 1990-91 के लिए मध्य प्रदेश के वास्ते निर्धारित किए गए परिवार नियोजन और मातृ शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यकलापों के तरीकेवार लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

परिवार नियोजन के तरीके/ मातृ-शिशु स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलाप	लक्ष्य
I. परिवार नियोजन के तरीके	
1. नसबंदियां	350,000
2. आई. यू. डी. निवेशन	3 0,000
3. समीकृत गर्भ निरोध उपयोगकर्ता	1100,000
4. समीकृत खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों के उपयोगकर्ता	220,000
II मातृ-शिशु स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलाप	
क. रोगप्रतिरक्षण	
I. गर्भवती महिलाओं के लिए टैटनस रोग प्रतिरक्षण	21,59,962
II. बच्चों के लिए डी. पी. टी. रोग प्रतिरक्षण	18.35,422
III. पोलियो,	18,35,422
बी. सी. जी.	18,35,422
I. खसरा	18,35,422
I. बच्चों के लिए डी. टी. रोग प्रतिरक्षण	13,50,535
II. टी. टी. (16 वर्ष)	12,42,492
III. टी. टी. (16 वर्ष)	11,88,471
ख. पोषण की कमी से होने वाली अरक्तता के विरुद्ध रोग निरोधन	
I. कुल महिलाएं	17,28,000
II. बच्चे	27,33,300

ग. विटामिन 'ए' की कमी के कारण होने वाली दृष्टिविहीनता के विरुद्ध रोग निरोधन—24,72,700

(ग) 1990-91 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु मध्य प्रदेश के लिए किए गए 3922.96 लाख रुपये के आबंटन के विरुद्ध, 1960.66 लाख रुपये की धन राशि पहले ही दो किस्तों में रिलीज की जा चुकी है।

राज्यों को लेवी चीनी

2152. श्री राघव जी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को राज्य-वार लेवी चीनी का माह-वार कितना कोटा जारी किया जा रहा है।

(ख) क्या सरकार का मासिक आवटन में वृद्धि करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश ने चीनी के कोटे में वृद्धि करने की मांग की है, यदि हां, तो चीनी का कोटा कब तक बढ़ाए जाने की सम्भावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामपूजन पटेल) : (क) से (ग) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को लेवी चीनी का आवटन उनकी मांग या अनुरोध पर नहीं किया जाता वरन् 1.10.1986 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम 425 ग्राम चीनी की मासिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के समान मानदंडों के आधार पर किया जाता है। ये ये मानदंड 1 फरवरी, 1987 से लागू हैं। तदनुसार मध्य प्रदेश का लेवी कोटा 25031.0 टन है। राज्य-वार मासिक लेवी कोटा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य-वार मासिक लेवी कोटा दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े टनों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	फरवरी, 1987 से और उसके बाद मासिक कोटा
1.	2.	3.
1.	आंध्र प्रदेश	25281
2.	अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह	247
3.	अरुणाचल प्रदेश	314
4.	आसाम	9617
5.	बिहार	33459
6.	चंडीगढ़	372
7.	दादरा और नगर हवेली	51
8.	दिल्ली	8721

1	2	3
9.	गोवा दमन और दीव	539
10.	गुजरात	16194
11.	हरियाणा	6386
12.	हिमाचल प्रदेश	2019
13.	जम्मू और काश्मीर	2884
14.	कर्नाटक	17769
15.	केरल	11953
16.	लक्षद्वीप	71
17.	मध्य प्रदेश	25031
18.	महाराष्ट्र	29938
19.	मणिपुर	694
20.	मेघालय	662
21.	मिजोरम	261
22.	नागालैंड	426
23.	उड़ीसा	12393
24.	पांडिचेरी	400
25.	पंजाब	7945
26.	राजस्थान	16914
27.	सिक्किम	165
28.	तमिलनाडु	22547
29.	त्रिपुरा	1001
30.	उत्तर प्रदेश	52926
31.	पश्चिमी बंगाल	25888
	कुल	333068

घी को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाना ले जाना

[अनुवाद]

2153. श्री जयंतीलाल वीरचंद शाह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कई राज्यों ने वनस्पति घी को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को देश में वनस्पति घी को एक राज्य से दूसरे राज्य में मुक्त रूप से लाने ले जाने को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान वनस्पति घी इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वनस्पति घी इकाइयों की क्षमता बढ़ाने की अनुमति देने के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) गुजरात सरकार द्वारा वनस्पति/खाद्य तेलों के परिचलन पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में कुछ रिपोर्ट थी।

(ख) और (ग) जी हां। संघ सरकार ने इस मामले पर गुजरात सरकार से बात की थी, उन्होंने सूचित किया था कि वनस्पति को गुजरात से बाहर लाने ले जाने पर गुजरात सरकार ने कोई भी औपचारिक अथवा अनौपचारिक प्रतिबन्ध नहीं लगाए हैं।

(घ) जी हां। एक विवरण संलग्न है।

(ङ) उन सभी वनस्पति एककों को बढ़ोत्तरी की अनुमति है जिनकी न्यूनतम आर्थिक आकार के रूप में दैनिक क्षमता 25 मी. टन कम है। तथापि, पहाड़ी क्षेत्रों और शून्य उद्योग जिलों में स्थित वनस्पति एककों की उच्च क्षमता से अधिक की बढ़ोत्तरी की अनुमति के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं :—

(क) एकक की अवस्थिति :

(ख) एकक के उत्पादन का प्रदर्शन और इसके उत्पादों की क्वालिटी;

(ग) वनस्पति की मांग और खपत;

(घ) कोयला, बिजली आदि अवसंरचना की सुविधाओं की उपलब्धता;

(ङ) कच्चे माल की उपलब्धता विशेष रूप से अनुज्ञेय खाद्य तेलों की उपलब्धता।

विवरण

विगत दो वर्षों (1.8.88 से 16.8 90) की अवधि में जिन फैक्टरियों को वनस्पति घी में क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी गई, उनकी सूची

क्र. सं.	एकक का नाम	मौजूदा क्षमता	अतिरिक्त क्षमता	कुल क्षमता
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स पुरोहित एंड कंपनी नागपुर	6000	1500	7500

1	2	3	4	5
2.	मैसर्स मद्रास वनस्पति लि.	6000	1500	7500
3.	मैसर्स श्री कृष्णा वनस्पति प्रोडक्ट्स	3150	4350	7500
4.	मैसर्स हरियाना वनस्पति लि., कुण्डली	3000	4500	7500
5.	मैसर्स राजाधिराज इंडस्ट्रीज लि., शिवनी	7500	7500	15000
6.	मैसर्स नैफेड, रायपुर	4500	3000	7500
7.	मैसर्स विप्रो लि., तुम्कुर	1575	5925	7500
8.	मैसर्स दीपक वेजिटेबल आयल इण्डस्ट्री, मानसवर	6000	1500	7500
9.	मैसर्स श्री राधाकृष्ण वेजिटेबल आयल्स प्रोडक्ट कंपनी कालका	3000	4500	7500
10.	मैसर्स केरला सोल्वं एण्ड आयल्स लि. कालीकट	3000	4500	7500
11.	मैसर्स तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज, प्रा. लि. सिकन्द्राबाद	4500	3000	7500
12.	मैसर्स लिबर्टी वैजिटेबल प्रोडक्ट्स प्रा. लि., बंगलोर	1575	5925	7500
13.	मैसर्स स्वाम अप वैजिटेबल प्रोडक्ट्स	7500	7500	15000
14.	मैसर्स दीपक वैजिटेबल, मानसवर	7500	7500	15000
15.	मैसर्स यू. पी. कोआप. फेडरेशन, लि.	15000	15000	30000
16.	मैसर्स ओसवाल वनस्पति एण्ड जनरल इण्डस्ट्रीज	7500	7500	15000
	कुल योग :	87300	85200	172500

अल्पसंख्यकों के लिए आयोगों की स्थापना

2154. श्री ए. के ए. अब्दुल समद : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) किन-किन राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम, वक्फ विकास निगम अथवा अल्पसंख्यक विकास बोर्ड की स्थापना नहीं की है,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस प्रकार की संस्थायें स्थापित करने के लिए कहा है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार, सिद्धांत रूप में यह मानती है कि राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक आयोगों/बोर्डों, अल्पसंख्यक वित्त निगमों/विकास बोर्डों, वक्फ विकास निगमों आदि की स्थापना की आवश्यकता की जांच करना और इस मामले में निर्णय लेना राज्य सरकारों का दायित्व है। अतः, ऐसी संस्थाएं स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को कोई औपचारिक अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अल्पसंख्यक आयोग/बोर्ड तथा वित्त विकास निगम/बोर्ड स्थापित किए हैं, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा तमिलनाडु में केवल अल्पसंख्यक आयोग ही हैं। अन्य राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा अभी ऐसी संस्थाएं स्थापित की जानी हैं।

वक्फ विकास निगम उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक द्वारा स्थापित किए गए हैं।

गैर सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से सरकारी निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन

2155. प्रो. राम गणेश कापसे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी निर्माण कार्यों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कार्यान्वित कराया जाना आवश्यक है;

(ख) क्या कुछ निर्माण कार्य गैर सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से भी कराया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन निर्माण कार्यों को गैर सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से कराने पर रोक लगाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां। सामान्य वित्त नियमावली के नियम 136 के अनुसार, रेलवे और रक्षा के सिवाय केन्द्रीय सरकार के सभी निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित किए जाने अपेक्षित हैं तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का प्रशासनिक प्रभारी होने के नाते, इस प्रकार के कार्यों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अलावा अन्य किसी अभिकरण को सौंपने के लिए इस मंत्रालय का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है।

(ख) और (ग) हाल ही में यह मंत्रालय लोगों संस्थान तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त

विश्वविद्यालय के कार्यों को राष्ट्रीय वन निर्माण निगम और हिन्दुस्तान प्रीफैब लि., जो कि सार्वजनिक क्षेत्र अभिकरण हैं, को सौंपने के लिए सहमत हो गया था। 20 लाख रुपये तक की लागत वाली पर्यटन परियोजनाओं के संबंध में, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अलावा अन्य किसी अभिकरण को सौंपने के लिए एक सामान्य अनुमति भी दी गई थी।

(घ) और (ङ) चूंकि अलग-अलग मामलों पर गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता है, इसलिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अलावा ऐसे निर्माण कार्यों को अन्य अभिकरणों के माध्यम से कराने पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का विचार नहीं है।

महाराष्ट्र को समाज कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन

2156. श्री बबनराव ढाकने : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को कल्याण योजनाओं के लिए धनराशि आबंटित करती है, और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र को सातवीं योजना और आठवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान किए गए आबंटन का वर्ष-वार ब्योरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

गेहूं के बढ़े हुए खरीद मूल्य का भुगतान

2157. श्री पी. एम. सईद : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार ने गेहूं के बढ़े हुए खरीद मूल्य के भुगतान की मांग केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों द्वारा की गई मांग की धनराशि का अलग-अलग ब्योरा क्या है; और

(ग) बकाया राशि का भुगतान कब तक किया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) पंजाब और हरियाणा सरकारों ने रबी विपणन मौसम 1990-91 के लिए 20 अप्रैल, 1990 से 15/- रु. प्रति क्विंटल बढ़ाए गए गेहूं के वसूली मूल्य की वजह से किसानों को देय मूल्यान्तर की राशि उन्हें देने के लिए अनुरोध किया था।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा किसी विशिष्ट धनराशि का दावा नहीं किया गया था। मूल्यान्तर की राशि किसानों को देय है।

(ग) किसानों द्वारा पहली अप्रैल, 1990 से 215/- रुपये प्रति क्विंटल के अभिवृद्ध समर्थन मूल्य को लागू करने की तारीख तक भारतीय खाद्य निगम और राज्य की वसूली एजेंसियों को

बेचे गए गेहूं के बारे में किसानों को मूल्यान्तर का भुगतान करने के आदेश सरकार द्वारा सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम को 13.7.1990 को जारी कर दिए गए हैं।

विभिन्न मेडिकल कालेजों में दाखिला

2158. डा. दौलत राव सोनू जी अहेर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय प्री/मेडिकल परीक्षा के आधार पर 15 प्रतिशत केन्द्रीय कोटे के अन्तर्गत विभिन्न मेडिकल कालेजों में छात्रों को दिए गए दाखिलों की संख्या का वर्ष वार और राज्य वार ब्योरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र के कितने छात्रों को दाखिला दिया गया; और

(ग) क्या ये दाखिले प्रत्येक वर्ष अगस्त तक दे दिए जाते हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) 15 प्रतिशत केन्द्रीय कोटे के अन्तर्गत 80 मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज हैं और राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार उपलब्ध सीटों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 15 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत महाराष्ट्र में 211 एम.बी.बी.एस. सीटें है और 211 छात्रों को दाखिले के लिए भेजा गया है।

(ग) पहला आबंटन अगस्त के महीने में पूरा हो गया है और एम.बी.बी.एस. छात्रों के लिए शामिल होने की अन्तिम तारीख 31 अगस्त, 1990 हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान पहला आबंटन समय से कर दिया गया था लेकिन छात्रों के शामिल न होने के कारण हुई रिक्तियों को बाद में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार भरा गया था।

विवरण

15 प्रतिशत केन्द्रीय कोटे के अन्तर्गत 1412 एम. बी. बी. एस. सीटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरा

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	एम. बी. बी. एस. सीटों की संख्या
1	2	3
1.	असम	51
2.	बिहार	74
3.	दिल्ली	62

1	2	3
4.	गोवा	11
5.	गुजरात	108
6.	हरियाणा	17
7.	हिमाचल प्रदेश	10
8.	कर्नाटक	94
9.	केरल	90
10.	महाराष्ट्र	211
11.	मध्य प्रदेश	108
12.	उड़ीसा	48
13.	पांडिचेरी	10
14.	पंजाब	44
15.	राजस्थान	83
16.	तमिलनाडु	147
17.	उत्तर प्रदेश	134
18.	पश्चिम बंगाल	110
		1412

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र में प्राइवेट उद्यमियों के साथ सहयोग

2159. श्री सुधीर गिरि : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र में प्राइवेट उद्यमियों के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राजस्व-अर्जन

[हिन्दी]

2160. श्री हरिशंकर महाले : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में श्रेणी-वार अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) इन सब कर्मचारियों के वेतन आदि पर कुल कितना वार्षिक व्यय किया जा रहा है;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सभी स्त्रोतों से कुल कितनी वार्षिक आय होती है और इसका वार्षिक व्यय कितना है; और

(घ) इसके राजस्व-अर्जन में वृद्धि करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क)

	दिल्ली विकास प्राधिकरण का मुख्यालय	स्लम विंग
समूह "क"	422	47
समूह "ख"	1270	135
समूह "ग"	6931	865
समूह "घ"	4743	309
	13356	1356

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुख्यालय द्वारा 38.35 करोड़ रुपये और स्लम विंग द्वारा 2.38 करोड़ रुपये ।

(ग) वर्ष	आय		व्यय	
	दिल्ली विकास प्राधिकरण मुख्यालय	स्लम विंग	दिल्ली विकास प्राधिकरण मुख्यालय	स्लम विंग
1989-90	399.09	20.90	354.21	22.48

(घ) राजस्व अर्जन की बढ़ोतरी करने के लिए उठाए गए कदमों में भूमि का विकास करना और विपणन परिसर, कार्यालय परिसर, सिनेमा स्थल, होटल स्थल, इत्यादि जैसी वाणिज्यिक सम्पत्तियों का निपटान करना शामिल है ।

किसानों को समर्थन मूल्य सम्बन्धी लाभ

[अनुवाद]

2161. श्री मानी भट्टाचार्य : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनाज, गन्ने और कपास के किसानों को दिया जाने वाला समर्थन मूल्य सम्बन्धी लाभ आपात बिक्री के दौरान बाजारी-हेराफेरी करके बिचौलियों द्वारा हथिया लिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) किसानों द्वारा समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्नों की मजबूरन बिक्री करने के किन्हीं अवसरों को रोकने की दृष्टि से भारतीय खाद्य निगम/राज्य की वसूली एजेंसियों द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अधीन किसानों से सीधे ही गेहूं, धान और मोटे अनाजों की वसूली की जाती है। किसानों द्वारा स्वैच्छिक बिक्री के आधार पर वसूली की जाती है और यह भारी संख्या में केन्द्रों पर की जाती है। ये केन्द्र अधिकांशत: मंडियों में होते हैं जहां किसान भारतीय खाद्य निगम अथवा राज्य की नामजद वसूली एजेंसियों को अथवा यदि उन्हें समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य मिल सकता है तो वे निजी व्यापारियों/मिल मालिकों को अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतन्त्र होते हैं। वसूली परिचालनों में कोई बिचौलिया अन्तर्ग्रस्त नहीं होता है।

जहां तक गन्ने का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने चीनी (नियन्त्रण) आदेश, 1966 के अधीन निर्धारित पात्र चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया था। कोई भी निर्धारित पात्र चीनी फैक्ट्री किसानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य अदा नहीं कर सकती है। रूई/कपास के बाजार मूल्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से गिरावट आने की दशा में मूल्य समर्थन परिचालनों को कार्यान्वित करने के लिए कपड़ा मन्त्रालय के अधीन भारतीय कपास निगम लि. केन्द्रक एजेंसी है। भारतीय कपास निगम सामान्यतया नियमित मण्डी समितियों, जोकि सांविधिक निकाय हैं और जिन्हें कृषि उपज का विपणन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, के तत्वावधान में खुली नीलामी/गुप्त टेंडर प्रणाली के अधीन विनियमित मण्डियों में रूई/कपास की खरीदारी करता है। यह निगम कपास उत्पादकों की प्रमुख सहकारी समितियों के जरिये भी रूई/कपास की खरीदारी करता है। इस समस्त प्रक्रिया में कोई बिचौलिया अन्तर्ग्रस्त नहीं होता है।

कीटनाशक औषध सम्बन्धी केन्द्रीय समिति

2162. श्री मान्धाता सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीटनाशक औषधों के अवशेषों के विभिन्न हानिकारक प्रभावों की जांच करने के लिए कोई कीटनाशक औषध-अवशेष सम्बन्धी केन्द्रीय समिति गठित की गई है;

(ख) इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या समिति में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के प्रसिद्ध विशेषज्ञों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) खाद्य उत्पादों में कीटनाशक औषध अवशेषो से सम्बन्धित मामलों के बारे में खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति की सहायता के लिए एक कीटनाशक अवशेष उप-समिति है।

(ख) इस समिति के गठन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी हां। इस विवरण के क्रम सं. 5 और 16 उल्लिखित भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद से दो विशेषज्ञ इस समिति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कीटनाशक औषध अवशेष उप-समिति की संरचना

कार्य : खाद्य पदार्थों में कीटनाशक औषध अवशेष सहिष्णुता की सीमाओं का निर्धारण करने और उनका पता लगाने और उनके प्राक्कलन के लिए भी विधियों को सुझाने सम्बन्धी मामलों का निपटान करना।

1. डा. आर. एल. राजक,
 संयंत्र सुरक्षा सलाहकार,
 भारत सरकार,
 संयंत्र सुरक्षा निदेशालय,
 संगरोधन एवं भण्डारण,
 एन. एच. IV, फरीदाबाद—अध्यक्ष

2. निदेशक,
 केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला,
 3, किड स्ट्रीट, कलकत्ता।

3. डा. राज सिंह,
 सचिव, (प्रतिनिधि)
 केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड,
 संयंत्र सुरक्षा निदेशालय,
 संगरोधन एवं भंडारण,
 एन एच IV, फरीदाबाद

4. डा. जी. के. गिरीश,
संयुक्त आयुक्त (एस एंड भार)
खाद्य विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली

5. डा. एन. के. राय,
कृषि रसायन प्रभागाध्यक्ष,
भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान,
पूसा, नई दिल्ली-110012

6. डा. आर. एल. कालरा,
वरिष्ठ कीट विषाक्तता विज्ञानी,
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय,
लुधियाना।

7. निदेशक,
राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद

8. प्रबन्धक (क्यू. सी.)
भारतीय खाद्य निगम,
16-20, बाराखम्भा लेन,
नई दिल्ली

9. डा. एस. के. मजूमदार,
निदेशक,
केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान
मैसूर-570013

10. कृषि विपणन सलाहकार,
भारत सरकार
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
एन. एच IV, फरीदाबाद

11. निदेशक
केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला
केन्द्रीय जांच ब्यूरो,
पूर्वी खण्ड VII, राम कृष्ण पुरम,
नई दिल्ली-110022

12. निदेशक
केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला,
केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसन्धान संस्थान,
मैसूर-570013

13. निदेशक,
खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला,
नवयुग मार्केट, गाजियाबाद-201001

14. निदेशक,
केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला
मार्फत राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला
स्टेनली रोड, पुणे-411 001

15. श्री टी. डी. सेठी,
वैज्ञानिक, औद्योगिक विषाक्तता विज्ञान
अनुसंधान केन्द्र,
पोस्ट बाक्स नं. 80, महात्मा गांधी
मार्ग, लखनऊ।

16. श्री एस. के. हांडा,
परियोजना समन्वयक,
अखिल भारतीय कीटनाशी
परियोजना समन्वित अनुसंधान
परियोजना,
भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद
नई दिल्ली

17. डा. डी पी. सिंह नाग,
उप निदेशक (टी एण्ड पी) एवं
विषाक्तता विज्ञान एवं भेषज विज्ञान प्रभाग,
केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला, संयंत्र सुरक्षा
निदेशालय, संगरोधन एवं भंडारण,
एन. एच. IV, फरीदाबाद

18. निदेशक,
रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला,
ज्योति नगर, मैसूर-570011

19. निदेशक (रसायन),
भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन,
9, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-2

20. सचिव,
खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन,
नई दिल्ली।

किसानों के लिए वसूली मूल्य

2163. श्री हेत राम : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 की फसलों और 1990-91 की खरीफ फसलों के वसूली मूल्य में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप, किसानों को अनुमानतः कितनी रकम दिए जाने की संभावना है;

(ख) किसानों को राज्यवार, अनुमानतः कितना लाभ होगा; और

(ग) लाभ की इस अनुमानत. रकम की गणना का आधार क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) पिछले खरीफ विपणन मौसम 1988-89 की तुलना में 1989-90 के खरीफ विपणन मौसम के लिए सभी किस्मों की धान के समर्थन मूल्य में 25/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर देने के फलस्वरूप, आशा है कि किसानों को वसूली एजेंसियों से लगभग 81.25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मूल्य मिलेगा। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

रबी विपणन मौसम, 1989-90 की तुलना में रबी विपणन मौसम 1990-91 के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य में 32/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर देने के फलस्वरूप आशा है कि किसानों को वसूली एजेंसियों से लगभग 166.07 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मूल्य मिलेगा। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

खरीफ विपणन मौसम, 1989-90 के लिए धान के समर्थन मूल्यों की तुलना में पहली अक्तूबर, 1990 से प्रारंभ हो रहे खरीफ विपणन मौसम 1990-91 के लिए सभी किस्मों की धान के समर्थन मूल्य में 20/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर दी गई है। इस समय 1990-91 के दौरान मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन धान की संभावित वसूली के कोई अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। तथापि, खरीफ विपणन मौसम, 1989-90 के दौरान 17 अगस्त, 1990 तक समस्त देश में 32.50 लाख मीटरी टन धान की हुई वसूली की परिकल्पना करते हुए आशा है कि किसानों को 1990-91 के दौरान 62 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मूल्य मिलेगा।

(ग) किसानों को देय अतिरिक्त अनुमानित मूल्य की गणना खरीफ, 1989-90 और 17 अगस्त, 1990 तक रबी 1990-91 के लिए वास्तविक वसूली के आधार पर की गई है खरीफ विपणन मौसम, 1990-91 के लिए धान की संभावित वसूली के मामले में खरीफ विपणन मौसम, 1989-90 के दौरान 17 अगस्त, 1990 तक धान की वसूली के स्तर को अपनाया गया है।

विवरण-1

	17.8.90 की स्थिति के अनुसार 1989-90 खरीफ के दौरान भारतीय खाद्य निगम/एजेंसियों द्वारा वसूल की धान की मात्रा, लाख मीटरी टन में	25/- रुपये प्रति क्विंटल की दर पर देय अतिरिक्त धनराशि (लाख रुपयों में)
पंजाब	17.74	4435.00

1	2	3
हरियाणा	0.53	132 50
उत्तर प्रदेश	0.08	20.00
राजस्थान	0.03	7.50
जम्मू तथा कश्मीर	0.08	20.00
आंध्र प्रदेश	1.57	892.50
तमिलनाडु	12.30	3087.50
पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश	0.06	15.00
मध्य प्रदेश	0.02	5.00
	32.50	8125.00

विवरण-2

	वसूल की गई मात्रा (लाख मीटरी टन में)	राशि (लाख रुपयों में)
पंजाब	67.42	10113.00
हरियाणा	25.90	3885.00
उत्तर प्रदेश	16.01	2401.50
राजस्थान	1.35	202.50
संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़	0.02	3.00
हिमाचल प्रदेश	0.01	1.50
	110.71	16606.50

नशे की लत छुड़वाने वाले केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

2164. श्री राजवीर सिंह : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में नशे का सेवन करने वाले व्यक्तियों की संख्या में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए नशा छुड़वाने वाले केन्द्रों की स्थापना का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) समूचे देश में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से नशीली दवाओं के व्यसनियों को उपचार सुविधाएं प्रदान करने और उनकी संख्या में वृद्धि की रोकथाम के लिए 36 निर्व्यसन केन्द्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। उनका वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	कुल
स्थापित निर्व्यसन केन्द्रों की संख्या	1	7	16	12	36

आवश्यक वस्तुओं के खुदरा बाजार मूल्य

[अनुवाद]

2165. श्री शंकर सिंह वघेला :
डा. ए. के. पटेल :
श्री रेशम लाल जांगड़े :
श्री एस. सी. वर्मा :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रमुख बाजारों में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 1990 के दौरान चावल (मोटा), गेहूं, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, चीनी, सब्जियों, दालों, चाय और मिट्टी का तेल आदि के औसत खुदरा और थोक मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मूल्यों में वृद्धि होने के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या-क्या हैं;

(ग) बढ़े हुए मूल्यों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उनके परिणाम क्या निकले हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) देश में चुने हुए महत्वपूर्ण केन्द्रों के आधार पर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 1990, में चावल (मोटा), गेहूं, मूंगफली के तेल, सरसों के तेल, वनस्पति, चीनी, आलू, प्याज, अरहर, चाय और मिट्टी के तेल के थोक और खुदरा मूल्यों को दर्शाने वाले विवरण 1 और 2 संलग्न हैं।

(ख) मूल्य वृद्धि के लिए मुख्य कारण ये है :—1989-90 और पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, उपभोक्ता की बढ़ती मांग, दालों और खाद्य तेलों जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं के मामले में मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर, कृषि जन्य वस्तुओं की वसूली एवं न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि तथा मौसमजन्य कारण।

(ग) और (घ) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के क्रम को रोकने के कार्य

को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसके लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं।

व्यापक बृहत आर्थिक मोर्चे पर किए गए उपायों जैसे मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को कम करने और राजकोषीय अनुशासन अपनाने के अतिरिक्त सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट आवश्यक वस्तुओं, जैसे खाद्य तेल, दालें, चाय, चीनी और सीमेंट इत्यादि जिन पर दबाव है, के मामले में विशेष उपाय किए गए हैं। सरकार द्वारा किए गए उपायों में मुख्यतया आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना, खाद्यान्नों की प्रभावी अधिप्राप्ति करना और सुरक्षित भंडार बनाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना, मूल्य और उपलब्धता की स्थिति को मानीटर करना, आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों और अन्य नियामक उपायों को कड़ाई से लागू करना और विदेशी मुद्रा संबंधी समग्र अवरोधों को मद्देनजर रखते हुए, जहां कहीं आवश्यक हो, आयात के जरिए घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना शामिल है। इन उपायों के परिणामस्वरूप चावल, गेहूं, चीनी की कीमतें उचित स्तरों पर बनी हुई हैं, चाय के मूल्यों में नर्मी का रुख देखा गया है। खाद्य तेलों के मूल्यों में तेज रफ्तार वृद्धि को नियंत्रित किया गया है।

विवरण-1

देश में चुने हुए महत्वपूर्ण केन्द्रों के आधार पर चुनी हुई वस्तुओं के औसतन थोक मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

वस्तु	औसत थोक मूल्य (रुपये में)				
	फरवरी 1990	मार्च 1990	अप्रैल 1990	मई 1990	जून 1990
1	2	3	4	5	6
चावल (मोटा)	375.10	378.74	381.55	380.73	388.43
गेहूं	263.51	256.58	260.78	278.45	272.71
मूंगफली का तेल	2482.57	2563.12	2636.35	2700.54	2927.38
सरसों का तेल	2004.94	2050.08	2235.25	2189.41	2435.76
वनस्पति	2624.42	2705.42	2900.68	2986.25	3150.73
चीनी	822.91	831.33	854.95	813.76	816.48
सब्जियां					
(1) आलू	133.00	142 00	179.00	222.00	245.00
(2) प्याज	115.00	130.00	127.00	140.00	172.00

1	2	3	4	5	6
दालें					
(1) चना	818.58	831.26	886.70	900.64	926.38
(2) तुर (अरहर)	929.75	959.91	1010.53	1019.76	1068.75
चाय	4518.40	4813.15	5155.16	5308.25	5352.83
मिट्टी का तेल (प्रति कि. लीटर) (भंडारण स्थल से)					
बम्बई कलकत्ता तथा मद्रास	1956.93	1956.93	1956.93	1956.93	1956.93

स्रोत : 1. राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के नागरिक आपूर्ति विभाग।
2. पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय (केवल मिट्टी के तेल के लिए)
3. नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, कृषि मंत्रालय (आलू व प्याज के लिए)

विवरण-2

देश में चुने हुए महत्वपूर्ण केन्द्रों के आधार पर चुनी हुई वस्तुओं के औसत खुदरा मूल्य

वस्तु	औसत खुदरा मूल्य (रु. प्रति कि. ग्रा.)				
	फरवरी 1990	मार्च 1990	अप्रैल 1990	मई 1990	जून 1990
1	2	3	4	5	6
चावल (मोटा)	4.16	4.14	4.18	4.18	4.26
गेहूं	2.91	2.84	2.89	3.96	2.88
मूंगफली का तेल	25.67	26.72	27.55	28.00	30.64
सरसों का तेल	21.78	21.97	23.69	23.29	25.51
वनस्पति	27.50	28.20	30.24	31.06	32.59
चीनी	8.55	8.60	8.85	8.54	8.70

1	2	3	4	5	6
सब्जियां					
(1) आलू	1.98	2.07	2.42	2.82	3.14
(2) प्याज	2.02	2.04	2.09	2.71	2.56
दालें					
(1) चना	9.13	9.12	9.63	9.80	10.07
(2) तुर (अरहर)	10.14	10.45	10.92	11.12	11.54
चाय (खुली)	46.91	51.08	54.08	53.58	55.93
मिट्टी का तेल	2.43	2.45	2.60	2.54	2.55

स्रोत : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नागरिक आपूर्ति विभाग
आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय (केवल मिट्टी के तेल के लिए)

खाद्य तेलों का आयात

[हिन्दी]

2166. श्री संजय लाल :

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री पी. आर. एस. वेंकटेशन :

श्री हरिन पाठक :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का चालू वर्ष के दौरान खाद्य तेल आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितनी मात्रा में खाद्य तेल आयात किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य तेल आयात करने का निर्णय लेने से पहले तिलहनों के आयात पर विचार किया था ?

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा खाद्य तेल का आयात करने का निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) भारतीय राज्य व्यापार निगम सरकार के आयातकर्ता अभिकरण के रूप में खाद्य तेलों की उतनी ही मात्रा का आयात करता है जिनके लिए सरकार उसे प्राधिकृत करती है और जिसके लिए विदेशी मुद्रा मुहैया कराई जाती है।

(ख) आयात किए जाने वाले खाद्य तेल की मात्रा और उसका मूल्य मुख्यतया खाद्य तिलहनों की आगामी खरीफ फसल तथा विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता पर निर्भर करेगा।

(ग) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के मूल्यों और देश में उपभोक्ताओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए, इस समय केवल पामोलीन का आयात किया जा रहा है। इस तेल को इसके उत्पादन-स्थल पर ही संसाधित करना जरूरी होता है। तथापि तेल के बजाए तिलहनों का आयात करने के प्रस्ताव पर विगत में विचार किया गया था किन्तु बहुत सी बातों, जैसे वनस्पति संगठन संबंधी जरूरतों, तिलहनों के आयात से संबद्ध आर्थिक उतार-चढ़ाव, उन्हें प्राप्त करने और उनसे मिलने वाले तेलों के वितरण से संबंधित प्रचालनिक (लाजिस्टिक) और प्रशासनिक समस्याओं आदि के कारण सरकार तिलहनों के आयात के पक्ष में नहीं है।

वस्तुओं पर मूल्य अंकित करना

2167. श्री बालेश्वर यादव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्माताओं को प्रत्येक पैकेट पर सभी करों सहित अधिकतम मूल्य अंकित करने के आदेश दिए हैं;

(ख) क्या निर्माताओं ने इस आदेश का पालन शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे कार्यान्वित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) विनिर्माताओं को 30 नवम्बर, 1990 तक परिवर्तन समय की अनुमति दी गई है।

राजस्थान में अफीम के आदी लोग

[अनुवाद]

2168. श्री नन्द लाल मीणा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में अफीम के आदी लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान में अफीम के आदी लोगों की सहायता के लिए आठवीं योजना में क्या प्रावधान किए गए हैं ताकि उन्हें इस आदत से छुटकारा पाने में समर्थ बनाया जा सके ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

बिहार की नदियों के लिए कार्य योजना

2169. श्री कड़िया मुण्डा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में आरम्भ की गयी विभिन्न कार्य योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गयी/व्यय की गयी है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनु भाई कोटाडिया) : सितम्बर 1987 में बनाई गयी राष्ट्रीय जल नीति में आदेश दिया गया है कि कुल मिलाकर नदी बेसिन अथवा उप बेसिन जैसे जल वैज्ञानिक यूनिट के लिए जल संसाधन आयोजना की जानी है। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में राज्य सरकारों को अपने-अपने क्षेत्र में नदी बेसिनों के लिए बेसिन योजनाएं बनाने की सलाह दी गई है ताकि केन्द्र में उनका एकीकरण हो सके । राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव का उत्तर देना है।

राष्ट्रीय नेत्र हीन संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना

2170. श्री राम सजीवन :

श्री उत्तम राठौड़ :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जुलाई, 1990 को प्रधान मत्री के घर के बाहर राष्ट्रीय-नेत्रहीन संघ के बैनर तले सैकड़ों दृष्टिहीन व्यक्तियों ने प्रदर्शन किया था और प्रधान मंत्री को अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का दृष्टहीन व्यक्तियों के लिए कल्याण के उपायों के कार्यान्वयन हेतु कोई विधेयक लाने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ के झंडे तले दृष्टि विकलांगों द्वारा 16 जुलाई, 1990 को प्रदर्शन किया गया तथा अपनी मांगों की सूची वाला एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

(ख) और (ग) मांगों के ब्यौरे तथा उन पर सरकार का निर्णय इसके साथ संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ के दिनांक 16.7.1990 के ज्ञापन में दी गई मांगे नीचे सूचीबद्ध की गई हैं।

(1) संसद में निश्चित रूप से मानसून सत्र में ही "विकलांगों के लिए कानून" को तत्काल लाना।

(2) नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए आरक्षित पीछे से चले आ रहे रिक्त पदों को भरना और देश भर के रोजगार कार्यालयों तथा व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्रों जिनकी संख्या लगभग 3500 है, में पंजीकृत सभी नेत्रहीन व्यक्तियों को 3 महीने की अवधि के अन्दर रोजगार देना।

(3) वर्ष 1987 के दौरान विशेष भर्ती अभियान के परिणाम स्वरूप भर्ती किए गए सभी नेत्रहीन अवर श्रेणी लिपिकों को टाइप टैस्ट पास करने से छूट दी जाए और उनकी सेवायें नियमित की जाएं

उपरोक्त मांगों से संबंधित स्थिति नीचे दी गई है :—

(1) विकलांगों के अधिकारों तथा कल्याण के संबंध में कानून बनाने के लिए एक विधेयक संसद के मानसून सत्र में लाया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में दृष्टि विकलांगों तथा श्रवण विकलांगों के लिए पीछे से चली आ रही रिक्तियों को भरने के लिए 1987 में एक विशेष भर्ती अभियान आरम्भ किया था। प्रथम चरण में दिल्ली में तथा इसके इर्द-गिर्द के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के संबंध में और बाद में बम्बई, कलकत्ता तथा गुहावटी के कार्यालयों में भर्ती की गई थी। इस मंत्रालय के अनुरोध पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1.4 1990 की स्थिति के अनुसार पीछे से चली आ रही रिक्तियों को भरने के लिए 17.6.1990 को एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया। पीछे से चली आ रही रिक्तियों को भरने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) नेत्रहीन अवर श्रेणी लिपिकों को टंकण परीक्षा से छूट देने के मामले पर विचार किया गया था, परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया है। इस मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है।

गेहूं की खरीद और आयात

[हिन्दी]

2172. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक सरकारी एजेन्सियों द्वारा गेहूं की कितनी मात्रा की खरीद की गई;

(ख) क्या सरकार का विदेशों से गेहूं का आयात करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और इसकी खरीद किस दर पर किये जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) केन्द्रीय

पूल के लिए वर्तमान रबी विपणन मौसम के दौरान 17.8.1990 तक 110.71 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली कर ली गई है।

(ख) और (ग) सरकार का विदेशों से गेहूं का आयात करने का कोई विचार नहीं है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम परिवर्तित करना

[अनुवाद]

2173. श्री कल्पनाथ सोनकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम परिवर्तित कर भूतपूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर रखने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संस्थान का नाम शास्त्री जी के नाम पर कब तक परिवर्तित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में नयी चीनी मिलें स्थापित किया जाना

[हिन्दी]

2174. श्री बाबा साहिब उदय सिंह राव गायकवाड़ : क्या खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में अप्रैल से जून, 1990 की अवधि के दौरान नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए है;

(ख) नई चीनी नीति के अन्तर्गत अब तक कितने आवेदकों को लाईसेंस मन्जूर किए गए है; और

(ग) अभी कितने आवेदन पत्र विचाराधीन है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) खाद्य विभाग को अप्रेल से जून, 1990 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए 43 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है।

(ख) शून्य।

(ग) दिनांक 23.7.1990 के प्रेस नोट के तहत घोषित नए मार्ग दर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए अब उक्त सभी आवेदन पत्रों पर विभाग द्वारा विचार किया जाएगा।

कृषि श्रमिकों के संबंध में श्वेत पत्र

[अनुवाद]

2175. श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मार्च, 1990 के "दि टाइम्स आफ इंडिया", बम्बई में "बैक-लाज टू एड फार्म वर्कर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कानून बनाने में किन-किन राज्यों ने केन्द्र को समर्थन देने पर सहमति व्यक्त की है;

(ग) क्या सरकार का कृषि श्रमिकों के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) 20 अप्रैल, 1990 को नई दिल्ली में हुए राज्य श्रम मंत्री सम्मेलन के 38 वें अधिवेशन में यह आम मतैक्य था कि केन्द्रीय सरकार कृषि कर्मकारों के लिए एक उपयुक्त कानून बनाए जो रोजगार के संरक्षण, मजदूरी आदि की व्यवस्था करे तथा जिसमें कल्याण सुविधाओं आदि की भी व्यवस्था हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिणी तटों के किनारे समुद्री-कटाव

2176. श्री एन. डेनिस : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में दक्षिणी तटों के किनारे समुद्री-कटाव की समीक्षा का जायजा लेने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने समुद्री-कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने मछुआरों तथा समुद्री कटाव से प्रभावित अन्य लोगों को क्या-क्या सुरक्षा प्रदान करने की पेशकश की है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) राज्य

सरकारों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर, समुद्री-कटाव द्वारा केरल में लगभग 80 प्रतिशत तटीय रेखा तथा कर्नाटक में 26 प्रतिशत के प्रभावित होने की सूचना मिला है, अन्य राज्यों में कटाव पृथक स्थलों (आईसोलेटिड प्वाइंटस) पर होने की सूचना है।

(ग) और (घ) तट कटाव बोर्ड के जरिए तकनीकी सलाह देने के अलावा केन्द्रीय सरकार केरल सरकार को नई समुद्री दीवार बनाने तथा विशिष्ट पहुंचों में वर्तमान समुद्री दीवार को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता दे रही है। मार्च 1990 तक लगभग 47 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता निर्मुक्त की गयी है।

एशियाड के लिए होटलों का निर्माण

2177. डा. सुधीर राय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड के लिए किन होटलों का निर्माण किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने स्वतः अथवा किसी अन्य से प्राप्त अभ्यावेदन पर इन होटलों के निर्माण हेतु किए गये सम्बद्ध भूमि-सौदे की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस जांच के परिणामस्वरूप यदि कोई कार्यवाही की गई है; तो वह क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) एशियाड 82 के लिये एशियन गेम्स संचालन समिति की सिफारिशों पर पर्यटन विभाग ने निम्नलिखित होटल परियोजनाएं अनुमोदित की थी :—

1. हयात रिजेन्सी
2. सूर्य साफीटल
3. मौर्य शेराटन (विस्तार)
4. सिद्धार्थ कान्टीनेन्टल
5. ताज पैलेस
6. सम्राट होटल
7. सैन्टूर होटल
8. मेरीडियन होटल
9. होलिडेइन
10. पार्क होटल

(ख) सार्वजनिक अभिकरणों को होटलों के लिए भूमि या तो पूर्व निर्धारित वाणिज्यिक भूमि दर पर पट्टा आधार पर दी गई थी अथवा सरकार द्वारा यथा-निर्धारित परिवर्तन प्रभारों के भुगतान पर विद्यमान पट्टे को वाणिज्यिक में बदलने की अनुमति द्वारा अथवा सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण की उस समय प्रचलित नीति के अनुसरण में गैर-सरकारी पार्टियों की नीलामी

के माध्यम से दी गई थी। अतः इन मामलों में भूमि के आबंटन में जांच-पड़ताल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेशम-कीट पालन परियोजना के लिए विश्व सहायता

2178. श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व विकास निगम की सहायता से एक राष्ट्रीय रेशम-कीट पालन परियोजना स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना की सहायता से देश में सभी चारों किस्मों के रेशम का उत्पादन दोगुना हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) विश्व बैंक/स्विस विकास निगम की सहायता से क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना का उद्देश्य केवल देश में शहतूती रेशम उत्पादन का विकास करना है। इस परियोजना अवधि (1993-94) के अन्त तक 6000 टन शहतूती रेशम के अतिरिक्त उत्पादन की परिकल्पना की गई है।

वनस्पति उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले तेलों को मिश्रित करना

2179. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनस्पति उत्पादन में प्रयोग होने वाले वनस्पति तेलों को मिश्रित करने की अनुमति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) वनस्पति विभिन्न हाइड्रोजनित तेलों का सम्मिश्रण है। वनस्पति के विनिर्माण के लिए निम्नलिखित खाद्य तेलों की अनुमति है :—

आयातित तेल

1. सोयाबीन का तेल

2. रेपसीड तेल

3. खजूर का तेल

देशी तेल

1. बिनौले का तेल

2. विलायक निष्कर्षित मूंगफली का तेल
3. महुआ का तेल
4. काले तिल का तेल
5. खजूर का तेल
6. मक्का (दाना) का तेल
7. चावल की भूसी का तेल
8. सोयाबीन का तेल
9. सूरजमुखी का तेल
10. तरबूज के बीज का तेल
11. पामोलीन
12. सालसीड का तेल जो 10% से अधिक न हो
13. विलायक निष्कर्षित रेपसीड सरसों का तेल
14. सूरजमुखी (करड़ी के बीज) का तेल
15. विलायक निष्कर्षित तिल का तेल

पेंसिल उद्योग में कामगारों का "सिलिकोसिस" रोग से ग्रस्त होना

2180. **श्री आनन्द सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंसिल उद्योग में कार्यरत काफी संख्या में कामगार "सिलिकोसिस" रोग से ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इस रोग से कितने कामगारों के रोगग्रस्त होने की संभावना है; और

(ग) इन कामगारों को बचाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद ने 1981-82 में मंदसौर के स्लेट पेंसिल उद्योग में पर्यावरणिक और चिकित्सीय सर्वेक्षण किया था जिससे यह पता चला कि जांच किए गए 593 व्यक्तियों में से 324 व्यक्ति (54.6%) सिलिकोसिस से पीड़ित थे। इनमें से 105 व्यक्ति (17.7%) प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस (रोग का बहुत ही गंभीर रूप) से पीड़ित थे और शेष व्यक्ति साधारण सिलिकोसिस से पीड़ित थे। धूल के स्तर की प्रभाव सीमा अधिकतम सीमा मूल्यों की अपेक्षा कई गुना अधिक थी। 16 महीनों के पश्चात् इन श्रमिकों की अनुवर्ती जांच से पता चला कि सिलिकोसिस का उत्तरोतर प्रकोप बहुत ही तेज था और अब व्यक्तियों की मृत्यु-दर

बहुत ऊंची थी जिनको प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस रोग व्याप्त था। इस अवधि के दौरान 23 श्रमिकों जिन्हें पी एम एफ था, की मृत्यु हुई गम्भीर अवस्था के समय उनकी औसत आयु 34.7 वर्ष थी जिनकी औसत कार्य अवधि 11.9 वर्ष थी। ऊंची मृत्यु-दर का कारण सिलिका धूल की ऊंची सांद्रता में बहुत अधिक समय तक रहना था।

(ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से विकसित किया गया लोकल एक्झास्ट सिस्टम कटिंग मशीनों पर स्थापित किया गया था। बाद में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि यह लोकल एक्झास्ट सिस्टम लगभग 95 प्रतिशत धूल को नियंत्रित करता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोकल एक्झास्ट सिस्टम का उपयोग अनिवार्य बना दिया गया है।

घरों को राष्ट्रीय स्मारकों में बदलना

[हिन्दी]

2181. श्री सन्तोष कुमार गंगवार: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसिद्ध नेताओं के घरों को राष्ट्रीय स्मारकों में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली के गोल मार्किट क्षेत्र में जल की सप्लाई

2182. श्री शंकर मुंजारे: क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली के गोल मार्किट क्षेत्र, विशेषकर अल्बर्ट स्क्वेयर में सी. सेक्टर के सरकारी क्वार्टरों में, के निवासी गत कई वर्षों से अपर्याप्त जल सप्लाई की समस्या से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में लगातार जल की कमी रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में जल सप्लाई सामान्य बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरसोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई समस्त आपूर्ति में भारी कमी के कारण इस क्षेत्र में जल का अभाव है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान, बिजली फेल हो जाने, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव होने,

कच्चा पानी कम मात्रा में उपलब्ध होने तथा अग्निशमन कार्यों में पानी के इस्तेमाल के कारण पानी की सप्लाई और भी कम हो जाती है।

(ग) इस क्षेत्र में जल की आपूर्ति नई दिल्ली नगर पालिका तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित नलकूपों द्वारा पूरी की जाती है। इस क्षेत्र में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा एक नया नलकूप खोदा गया है तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा सेक्टर डी में आपूर्ति हेतु एक अतिरिक्त कनेक्शन की भी व्यवस्था की गई है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित लोगों को वेतन

2163. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित व्यक्ति अपने ट्रेड के अनुसार अपनी नौकरियों में न्यूनतम वेतन पाने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रारम्भ में ट्रेड-वार न्यूनतम वेतन कितना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाद में उन्हें वार्षिक वेतन-वृद्धि देने के लिए भी कुछ उपबन्ध किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों में नियोजित सभी व्यक्ति उस नियोजन के लिए नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों के हकदार हैं।

(ख) से (घ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए ट्रेड-वार न्यूनतम वेतन और वार्षिक वेतन-वृद्धि की राशि के बारे में सूचना मन्त्रालय में नहीं रखी जाती।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का परिव्यय

[अनुवाद]

2184. **श्री एस. बी. थोरट** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री ह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण एककों के परिव्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1990-91 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उन एककों में कितना निवेश करने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) खाद्य प्रसंस्करण

उद्योग का उद्योगों (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है—

(1) डिब्बाबन्द फल और फलों के उत्पाद।

(2) दुग्ध आहार।

(3) माल्टेड आहार।

(4) आटा।

(5) अन्य संसाधित खाद्य पदार्थ।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम आते हैं—

1. माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड।

2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड।

पूंजी-निवेश के लिये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का वर्ष 1990-91 के लिये 5·50 करोड़ रुपये का अनुमोदित योजना परिव्यय है जिसमें माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के लिये आंतरिक और अतिरिक्त बजट संसाधनों से 2·00 करोड़ रुपये का प्रावधान भी शामिल है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के लिए बजट प्रावधान उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा किया जाता है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1991 से 1995 तक की अवधि के लिये पूंजी-निवेश के ब्यौरे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भूमिगत जल का स्तर बढ़ाना

2185. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत जल सर्वेक्षण एवं विकास एजेंसी ने हाल ही में भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने के संबंध में एक नया परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमिगत जल सर्वेक्षण एवं विकास एजेंसी ने इस संबंध में नागपुर में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम स्वरूप सन्तरे के पौधों को किस हद तक बचाया जा सकेगा ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) जी, हां।

(ख) नागपुर जिले के कुछ भागों में भूजल सर्वेक्षण और विकास अभिकरण द्वारा भूजल के पुनर्भरण के लिये सर्वेक्षण और परीक्षण किये गये हैं।

(ग) छोटे क्षेत्रों में नमूना अध्ययन से पता चलता है कि भूजल निकाय के पुनर्भरण के लिये पुनर्भरण तकनीक अपना कर तथा क्षीण और पारगम्य क्षेत्रों का उपयोग करके तथा संतरे के विद्यमान पौधों में से 50 प्रतिशत को बचाया जा सकता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियों में आरक्षण नीति लागू करना

2186. श्री बी. कृष्ण राव :

श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का गैर-सरकारी क्षेत्रों में नियुक्तियों में भी आरक्षण नीति लागू करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में उत्पादन

2187. श्री टी. बशीर : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में कितने मूल्य के कपड़ों का उत्पादन हुआ तथा वर्ष 1990-91 के दौरान कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम को घाटा हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान एन टी सी मिलों का अनन्तिम उत्पादन मूल्य 1159·17 करोड़ रुपए था। वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्याशित उत्पादन मूल्य 1291·56 करोड़ रु. है।

(ख) और (ग) जी हां। वर्ष 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन मिलों को 196·28 करोड़ रु. का अनन्तिम निवल घाटा हुआ।

पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण

2188. डा. असीम बाला : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग को आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों के आधुनिकीकरण के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने पात्र पटसन मिलों को उनकी आवश्यकता पर आधारित आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1 नवम्बर, 1986 से 150 करोड़ रु. की पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना (जे एम एफ एस) स्थापित की है।

अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम

2189. श्री राम नाईक : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के उत्थान के लिये 15 सूत्री कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 11 राज्यों के 41 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों को अपना उद्योग/व्यापार आरम्भ करने हेतु सहायता देने के लिये कोई योजना तैयार करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या है, और वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के नाम क्या है और इन जिलों की कुल आबादी में उनकी प्रतिशतता क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) 15-सूत्री कार्यक्रम की एक प्रति विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये एक ठोस कार्रवाई कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के लिए लघु उद्योग तथा खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को शामिल किया गया है इन कार्यक्रमों में साझा सुविधा केन्द्र 1990 91 के दौरान अलीगढ़ तथा हावड़ा मे प्रोटोटाईप विकास केन्द्र लघु उद्योग के लिये योजनाओं का प्रायोजन ट्राइसेम के अन्तर्गत परिशिल्पियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा उद्यमिता विकास हेतु कार्यक्रम, राज्य खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्डों के माध्यम से खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के ग्रामीण परिशिल्पियों के लिये विशेष कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम/ट्राइसेम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में स्वरोजगार/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का बेहतर उपयोग, इन जिलों में आई. आर. डी. पी./ट्राइसेम के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के लिये सुसंगत विशेष व्यवसायों/काम धन्धों की पहचान शामिल है।

(ग) 15-सूत्री कार्यक्रम में कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, पांच धार्मिक समूहः अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, नवबौद्ध तथा जोरास्ट्रियन के संबंध में विचार किया जाता है 41 जिलों में कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता के ब्यौरे विवरण-2 के रूप में संलग्न है।

विवरण-1

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये 15-सूत्री कार्यक्रम

1. साम्प्रदायिक दंगे :

1. जिन क्षेत्रों को साम्प्रदायिक रूप से नाजुक और उपद्रव वाले क्षेत्रों के रूप में निर्धारित किया गया है, वहां ऐसे जिला तथा पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाए, जो अत्यधिक कार्यकुशल, निष्पक्ष तथा धर्म-निरपेक्ष हों। ऐसे क्षेत्रों में तथा अन्य कहीं भी साम्प्रदायिक तनाव रोकना, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक का एक प्रमुख कर्त्तव्य होना चाहिये। उनकी पदोन्नति का निर्धारण करने में इस संबंध में उनका कार्य-निष्पादन ही एक महत्वपूर्ण कारक होना चाहिये।

2. इस संबंध में जिला तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा किये गये अच्छे कार्य के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

3. उन सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो साम्प्रदायिक तनाव को भड़काते हैं अथवा हिंसा मे शामिल होते हैं।

4. साम्प्रदायिक अपराधों के विचारण के लिये विशेष न्यायालयों अथवा विशेष रूप से निर्धारित न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि अपराधियों को शीघ्र सजा दिलायी जा सके।

5. साम्प्रदायिक दंगों के शिकार व्यक्तियों को तत्काल राहत दी जानी चाहिये और उनके पुनर्वास के लिए फौरन तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

6. ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास साम्प्रदायिक सदभाव और शांति बहाल करने में रेडियो और दूरदर्शन द्वारा भी सहायता दी जानी चाहिये।

7. यह दुर्भाग्य की बात है कि कभी-कभी प्रेस के कुछ लोग भी जान-बूझकर ऐसी रिपोर्ट तथा सामग्री का प्रकाशन करते हैं जो पक्षपातपूर्ण, आपत्तिजनक और उत्तेजक होती है जिससे साम्प्रदायिक तनाव भड़क सकता है। ऐसी सामग्री के प्रकाशन से बचने का तरीका ढूंढने में सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक तथा अन्य संबंधित अपना सहयोग देंगे।

2. राज्य तथा केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती

8. राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि पुलिस कर्मचारियों की भर्ती में अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस प्रयोजन के लिए चयन समिति का गठन प्रतिनिधित्वपूर्ण होना चाहिए।

9. केन्द्रीय पुलिस बलों में कार्मिकों की भर्ती में ऐसी ही कार्रवाई केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

10. रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। इन मामलों में भी संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदायों में से भर्ती करने पर विशेष ध्यान दें।

11. बहुत से क्षेत्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की जाती है। प्रायः अल्प-संख्यक समूह ऐसी परिक्षाओं में बराबरी के आधार पर प्रतियोगिता करने के लिए शिक्षा प्रणाली का लाभ उठाने में असमर्थ रहे हैं। इन कठिनाईयों को दूर करने में उनकी सहायता करने के लिए इन परीक्षाओं में सफलता पूर्वक प्रतियोगिता करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने हेतु अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों में कोचिंग कक्षाएं शुरू करने को प्रोत्साहित करने के किए जाएं।

12. इन अल्पसंख्यकों द्वारा जो आज पिछड़े हुए हैं तकनीकी कौशल प्राप्त कर लेने सेदेश के विकास में भी सहायता मिलेगी। इन समुदायों के व्यक्तियों को पर्याप्त संख्या में ऐसी संस्थाओं में दाखिला लेने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए सरकार और निजी एजेंसियों द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आई. टी. आई.) और पोलिटेक्निक खोलने के प्रबन्ध किए जाने चाहिए।

(3) अन्य उपाय :

13. यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को, 20 सूत्री कार्यक्रम सहित विभिन्न विकास कार्यक्रमों से होने वाले लाभों में से पर्याप्त तथा समुचित लाभ प्राप्त हों। ऐसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए गठित की गई विभिन्न समितियों में उन समुदायों के सदस्यों को सक्रिय रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।

14. उपरोक्त सामान्य मुद्दों के अलावा ऐसी अनेक स्थानीय समस्याएं हैं, जो अल्पसंख्यकों के लिए अनावश्यक रूप से क्षोभकारी बन जाती हैं। उदाहरण के लिए वक्फ सम्पत्तियों और कब्रिस्तानों के अतिक्रमण से कुछ स्थानों पर विरोध और शिकायतें पैदा हुई हैं। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए शीघ्रतापूर्वक और संतोषजनक ढंग से समुचित उपाय किए जाने चाहिए।

15. अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर सतत् आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि आशंकाओं को दूर किया जा सके और वास्तविक शिकायतों का निवारण किया जा सके। इसके लिए अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई को सरल बनाने के लिए गृह मंत्रालय में एक विशेष एकक बनाया जाएगा।

विवरण-2

राज्य		जिले	कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता
1		2	3
उत्तर प्रदेश	1.	रामपुर	51.38

1	2		3
	2.	बिजनौर	40.74
	3.	मुरदाबाद	38.57
	4.	सहारनपुर	32.52
	5.	मुजफ्फरनगर	29.23
	6.	मेरठ	26.05
	7.	बहराईच	26.94
	8.	गोण्डा	22.53
	9.	गाजियाबाद	21.77
	10.	पीलिभीत	25.14
	11.	देव-रिय:	20:76
	12.	बाराबंकी	20.50
	13.	बस्ती	20,45
	14.	मुर्शिदाबाद	58.78
	15.	मालदा	45 48
	16.	पश्चिम दीनाजपुर	36.62
	17.	बिरभूम	31.23
	18.	नादिया	24.79
	19. 20.	24-परगना-उत्तर 24परगना-दक्षिण	24.49
	21.	कूच-बिहार	20.87
	22.	हावड़ा	20.43
केरल	23.	मालापुरम	67.89
	24.	कोझीकोड	38.75
	25.	कनान्नोर	35.24
	26.	पालघाट	26.88
	27.	वयनानाद	49.02
बिहार	28.	पूर्णिया	41.70
	29.	कटिहार	37.18

1	2		3
	30.	दरभंगा	21.61
कर्नाटक	31.	बीदर	23.08
	32.	गुलबर्ग	17.33
	33.	बीजापुर	12.82
महाराष्ट्र	34.	बृहत बम्बई	26.58
	35.	औरंगाबाद	24.96
आंध्रप्रदेश	36.	हैदराबाद	39 83
	37.	करनूल	19.84
हरियाणा	38.	गुड़गांव	31.36
मध्य प्रदेश	39.	भोपाल	26 39
राजस्थान	40.	जैसलमेर	23.40
गुजरात	41.	कच्छ	18.99

नर्मदा सागर परियोजना

2191. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण पंचाट के अनुसार गांवों को तभी जलमग्न होने दिया जाएगा जब विस्थापितों के पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नियम का पूरी तरह अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले जलमग्न होने वाले गांवों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त भूमि प्रदान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) और (ख) जी हां। इस संबंध में सभी मानदण्डों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) महाराष्ट्र के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि की समस्या को हल किया गया है, क्योंकि भारत सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों पुनर्स्थापना के प्रयोजन हेतु धुले जिले में 2,7000 हेक्टेयर वन भूमि निर्मुक्त करने का आदेश दिया है।

गर्भनिरोधक टीके

2192. श्री भवानी शंकर होटा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में चुहिया पर एक नया गर्भनिरोधक टीका सफल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जैसा कि "हेल्थ फार मिलियन्स" के अप्रैल, 1990 के अंक में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या ये परिणाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान मे पहले ही किये गये ऐसे अनुसंधान और विकास कार्य पर आधारित है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अमेरिका मे विकसित नये टीके में, ऐसी कोई विशेषता है जो इसे अधिक प्रभावी बनाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां। एक टीका चूहो में सफल रहा है। इसमे एक परत होती है जो अण्डाणु को घेरे रहती है जिसे "जोना पेलुसिडा" कहा जाता है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन होते है। जोना प्रतिजनों के विरुद्ध मोड़े गए प्रति पिंड शुक्राणु-डिम्ब की परस्पर क्रिया को रोकने का कार्य करेगे और इस प्रकार जनन क्षमता की गर्भाधान पूर्व रुकावट हो जाती है।

(ख) जी नहीं। चूहों में संयुक्त राज्य अमेरिका मे किए गए अध्ययन भिन्न है और उन अध्ययनों से स्वतंत्र हैं जो राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान में किए जा रहे हैं।

(ग) ये अध्ययन केवल प्रयोगशाला स्तर पर है और इसकी आगे और पुष्टि किए जाने की जरुरत है। इस अवस्था में टीके की प्रभावकारिता के बारे मे कोई टिप्पणी करना कठिन है :

"प्री-पेड टिकट एडवाइस" पद्धति

2193. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों में रोजगार ढूंढने के लिए जाने वाले सभी व्यक्तियों को उत्प्रवास मंजूरी के लिए "प्री-पेड टिकट एडवाइस" की पूर्वशर्त को समाप्त करने हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

केरल को पामोलीन की सप्लाई

2194. प्रो. पी. जे. कुरियन :

श्री एस. कृष्ण कुमार :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पामोलीन की कमी हो गई है जिससे केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से होने वाली इसकी सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का आगामी महीनों में इसकी सप्लाई में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उपभोक्ताओं को आयातित खाद्य तेलों के वितरण का उद्देश्य सभी उपभोक्ताओं की खाद्य तेल संबंधी समूची मांग को पूरा करना नहीं, बल्कि खाद्य तेलों की उपलब्ध मात्रा की अनुपूर्ति करना होता है। विदेशी मुद्रा संबंधी अवरोधों के कारण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जाने वाले खाद्य तेल की सीमित मात्रा ही उपलब्ध होती है। बाजार में देशीय खाद्य तेल के मूल्यों में वृद्धि तथा त्योहारों के कारण लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, केरल राज्य के सम्बन्ध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्य तेल का मासिक आबंटन, जो जुलाई, 1990 में 3500 मी. टन था, बढ़ाकर अगस्त, 1990 में 5,000 मी. टन कर दिया गया है और इस बढ़े हुए आबंटन को, त्योहार के महीनों की जरूरत पूरी करने के लिए, दो माह तक जारी रखे जाने की सम्भावना है।

तमिलनाडु स्थित राष्ट्रीय कपड़ा मिलों में उत्पादन

2195. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु स्थित राष्ट्रीय कपड़ा विभाग की मिलों ने गत वर्ष लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम का आगामी वर्षों में कारोबार बढ़ाने के लिए तमिलनाडु, विशेष रूप से डिंडिगुल में कार्य कर रही अपनी मिलों में उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार का तमिलनाडु में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के मिलों में कार्य कर रहे बुनकरों को क्या प्रोत्साहन देने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां।

(ख) एन. टी. सी. का न तो डिंडीगुल में कोई यूनिट स्थित है और न ही डिंडीगुल में

किसी यूनिट की स्थापना का कोई प्रस्ताव है। फिर भी एन. टी. सी. की तमिलनाडु में कार्य कर रहे अपने यूनिटों में उत्पादन बढ़ाने की योजना है जोकि वर्ष 1989-90 में 169 करोड़ रु. से बढ़ा कर वर्ष 1990-91 के दौरान 196 करोड़ रु. कर दिया जाएगा।

(ग) तमिलनाडु की एन. टी. सी. मिलों के कामगार से ही प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि वे उजरती दरों वाले कामों पर लगे हैं। प्रोत्साहन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सफदरजंग अस्पताल में नशीली औषध व्यसन उपचार वार्ड

2196. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी :**

कुमारी उमाभारती :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में नशीली औषध व्यसन उपचार वार्ड पर, इसकी स्थापना से लेकर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और वहाँ पर कितने रोगियों का उपचार किया गया;

(ख) क्या इसकी व्यवस्था में कोई कमी पाई गई; और

(ग) क्या लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में भी ऐसे नशीली औषध व्यसन उपचार वार्ड स्थापित किए गए थे, यदि हां, तो उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई थी और इन अस्पतालों में अस्पताल-वार कितने-कितने रोगियों का इलाज किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ड्रग डीएडिक्शन वार्ड की स्थापना करने पर निम्नलिखित धनराशि खर्च की गई है :

1987-88	1.19 लाख रुपये
1988-89	7.60 लाख रुपये
1989-90	0.40 लाख रुपये

इस वार्ड के प्रारम्भ से लेकर अब तक 287 रोगी इलाज के लिए इस केन्द्र में आए।

(ख) और (ग) सफदरजंग अस्पताल में ड्रग डीएडिक्शन यूनिट के लिए स्थान की कमी होने के कारण इस केन्द्र को वहां चालू रख पाना सम्भव नहीं था।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए 18.9.1989 को ड्रग डीएडिक्शन सेंटर को सफदरजंग अस्पताल से श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में स्थानान्तरित कर दिया गया। इस केन्द्र पर जो धन खर्च हुआ और जितने रोगियों का उपचार किया गया उसकी संख्या नीचे दी गई है :—

खर्च	
18.9.1989 से 31.3.1990 तक	7.15 लाख रुपये
1.4.1990 से 31.7.1990 तक	2.13 लाख रुपये

उपचार किए गए रोगियों की संख्या

18.9.1989 से 20.8.1990 तक 837

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) में चाय बागान श्रमिकों को मजदूरी

[हिन्दी]

2197. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दार्जिलिंग के चाय बागानों में पत्तियों की पैकिंग के लिए श्रमिकों को कितनी दैनिक मजदूरी दी जाती है,

(ख) क्या चाय बागान मालिकों द्वारा इन्हें दी जाने वाली मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित की गई निम्नतम मजदूरी से बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए तथा उनकी मजदूरी की पिछली बकाया राशि, जो कम मजदूरी दिये जाने से मालिकों ने बचायी थी, का भी भुगतान करने के लिए चाय बागान मालिकों को अनुदेश जारी करने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गांव में तैनात डाक्टर

[अनुवाद]

2200. श्री जगन्नाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1989 के दौरान राज्य-वार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाक्टर तैनात किए गए;

(ख) वस्तुतः कितने डाक्टरों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कार्यभार संभाल लिया है;

(ग) ऐसे डाक्टरों की संख्या कितनी है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी ज्वाइन नहीं की; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी ज्वाइन न करने वाले डाक्टरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (घ) राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिने कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 का कार्यान्वयन

2201. श्री पी. पेंचालैया : क्या श्रम मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मार्च, 1986 में आयोजित त्रिपक्षीय बैठक में संकलित सिने-कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमों में संशोधन करने तथा केन्द्रीय परामर्श समिति/बोर्ड और क्षेत्रीय परामर्श समिति/बोर्ड गठित करने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के जरिये गांधी फिल्म फंड के पांच प्रतिशत शुद्ध लाभ को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) वर्ष 1988 में सरकार ने सिने कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1984 में संशोधन किया ताकि केन्द्रीय सलाहकार समिति के गठन के बारे में नियमों में परिवर्तन किया जा सके। नवम्बर, 1989 में केन्द्रीय सलाहकार समिति को संशोधित नियमों के अनुसार पुनर्गठित किया था। सलाहकार समितियों के गठन के बारे में नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सलाहकार समितियों के लिए नामांकन भेजें।

(ग) सर रिचर्ड एटनबोरो के कहने पर सिने कलाकार कल्याण निधि में 5% लाभ अंतरित करने के लिए रोक कर रखा जा रहा है। सरकार को स्थिति की जानकारी है और वह गांधी फिल्म से 5% कुल लाभ को स्वदेश भेजने और उसे भारत में सिने कर्मकार कल्याण निधि में अंतरित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास कर रही है।

विदेश स्थित प्रवासी भारतीय श्रमिकों से प्राप्त शिकायतें

2202. **श्री एस. कृष्ण कुमार** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश स्थित प्रवासी भारतीय श्रमिकों की शिकायतों के समाधान हेतु किसी सरकारी तंत्र की स्थापना की गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) वर्ष 1988 और 1990 में आज तक प्राप्त शिकायतों की संख्या और स्वरूप क्या है, और

(घ) इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) विदेशी नियोजकों परियोजना निर्यातकों तथा पंजीकृत और गैर पंजीकृत एजेंटों के विरुद्ध भारतीय उत्प्रवासियों से जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनकी जांच की जाती है तथा प्रत्येक मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विदेशों में भारतीय दूतावासों और या पुलिस प्राधिकारियों की सहायता से जांच पड़ताल की जाती है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में शहरों का विकास

[हिन्दी]

2204. श्री रेशम लाल जांगड़े : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने छोटे और माध्यम दर्जे के शहरों के समेकित विकास के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में शहरों के विकास हेतु वर्ष 1985 से नवम्बर, 1989 तथा दिसम्बर, 1989 से जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि दी थी और किये गए विकास कार्य का ब्योरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के बिलासपुर और रायपुर जिलों के विभिन्न शहरों में किए गए विकास कार्य का ब्योरा क्या है और इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इस संबंध में मध्य प्रदेश को विशेष रूप से रायपुर और बिलासपुर जिलों में वर्ष 1990-91 में कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) छोटे तथा माध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार को 1985 से नवम्बर, 1989 तक और दिसम्बर, 1989 से जुलाई 1990 की अवधि के दौरान क्रमशः 565.25 लाख रुपये और 82.23 लाख रुपये दिए गए हैं।

(ख) बिलासपुर जिले में दो कस्बों नामतः कोटा और बिलासपुर को उपर्युक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है। रिहायशी, वाणिज्यिक तथा यातायात एवं परिवहन जैसी 110.75 लाख रुपए तथा 52.62 लाख रुपये के लागत की योजनायें क्रमशः उपर्युक्त दो कस्बों के लिए आरम्भ की गई है। उक्त अवधि के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता बिलासपुर के लिए 21.5 लाख रुपये तथा कोटा के लिए 15.40 लाख रुपये की है। इस अवधि से पूर्व बिलासपुर के लिए 22.25 लाख रुपये की राशि पहले ही दे दी गई है। बताया गया कि सितम्बर, 1988 तक पर किया गया व्यय 112.27 लाख रुपये और कोटा पर 5 लाख रुपये है। रायपुर जिले के किसी भी कस्बे को लाभान्वित नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकार ने इस जिले में किसी को शिनाख्त नहीं की थी।

(ग) अब इस योजना के अन्तर्गत कोई नियतन नहीं किया गया है।

पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ से खाड़ी के देशों को गये लोगों की संख्या

[अनुवाद]

2205. श्री कमल चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 और 1990 (अब तक) के दौरान वर्ष-वार और देशवार, पंजाब और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा चंडीगढ़ से अलग-अलग खाड़ी देशों को गये व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) कितने कामगारों ने उक्त अवधि के दौरान अपनी समस्याओं को हल करने के लिये खाड़ी के देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में शिकायतें की है;

(ग) ऐसी कितनी शिकायतों को हल किया गया है; और

(घ) कितनी शिकायतें अब भी विचाराधीन है तथा इसके क्या कारण हैं और इन्हें शीघ्र हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) प्रदान की गई उत्प्रवास अनुमति के आंकड़े राज्य वार नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सर्जरी से सम्बन्धित उपकरण

[हिन्दी]

2206. श्री युवराज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के भीतर सर्जरी से सम्बन्धित उपकरणों की आवश्यकता को पूरा करने में हमारा देश सक्षम नहीं है ;

(ख) क्या अनुसंधान और विकास की भारी कमी के कारण सर्जरी उपकरणों की अधिकांश तकनीक का हमें आयात करना पड़ता है ; और

(ग) देश में सर्जरी संबंधित उपकरणों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, नहीं। अत्याधुनिक और उन्नत उपकरणों के मामले को छोड़कर।

(ख) और (ग) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

बिहार में बीरपुर बराज का पुनर्निर्माण

2207. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बीरपुर बराज की आयु समाप्त हो जाने के पश्चात इसका पुनर्निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई है?

(ग) यदि नहीं तो क्या इस बराज को कोई क्षति पहुंचती है, तो इससे बिहार के दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और भागलपुर क्षेत्रों में जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचेगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके पुनर्निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) और (ख) केन्द्र में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रक्त बैंकों की क्षमता

[अनुवाद]

2208. श्री उत्तम राठौड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीड़ित व्यक्तियों लाभार्थ रक्त बैंकों में कितनी मात्रा में रक्त जमा रखने की आवश्यकता है;

(ख) इस समय देश में रक्त बैंकों की क्षमता कितनी है;

(ग) रक्त-संग्रह कार्य को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) रक्तदान के हानिकारण प्रभावों से दाताओं को बचाने के लिए तथा रक्त लेने वालों को किसी रोग के संक्रमण से बचाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 7 यूनिट प्रति पलंग प्रति वर्ष के हिसाब से सुझाए गये मानदंड पर आधारित रक्त की अनुमानित आवश्यकता लगभग 40 लाख यूनिट प्रति वर्ष है।

हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार मौजूदा रक्त बैंकों में एकत्र किए गए रक्त की मात्रा 19.5 लाख यूनिट प्रति वर्ष का अनुमान लगाया गया है।

स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए अन्तर्गत स्वैच्छिक रक्तदान के लिए लोगों को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। शिविरों का आयोजन करने और जहां कहीं भी संभव हो, एक केन्द्रीयकृत रक्त बैंक को चलाने में भारतीय रेडक्रास सोसाइटी और स्वयं सेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये योजनाओं को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। रक्त-दान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने 6 जनवरी, 1988 को रक्तादान सेवाओं के लिए एक केन्द्रीयकृत रक्त बैंक चलाने के लिए प्रशासनिक दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ-साथ दाता व्यक्तियों की निरापदता से सम्बद्ध पहलुओं से संबंधित हैं। रक्त की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियम, किए जाने वाले परीक्षणों को निर्धारित करते हैं।

एच. आई. वी. नियराणो के एक घटक के रूप में रक्त दाताओं की जांच अप्रैल, 1986 में शुरू की गयी थी। 4 महानगरों के अतिरिक्त इस समय 27 शहरों में परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध

हैं जहां सभी रक्त बैंकों को इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जोनल परीक्षण केन्द्रों से जोड़ा गया है कि रक्ताधान के लिए उपयोग किया गया रक्त एच. आई. वी. प्रति पिण्डों से मुक्त है। इस कार्यक्रम के अगले चरण में रक्त बैंकों से जोड़ें गए 37 जोनल रक्त परीक्षण केन्द्रों को 15 राज्यों में स्थापित किया जाएगा। सभी रक्त बैंकों को चरणवार ढंग से जोनल रक्त परीक्षण केन्द्रों के साथ जोड़ना अन्तिम उद्देश्य है ताकि रक्ताधान के लिए सुरक्षित रक्त उपलब्ध हो सके।

पश्चिम बंगाल को चावल और गेहूं की सप्लाई

2209. श्री अजीत कुमार पांजा :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर, 1990 महीनों के लिए पश्चिम बंगाल को चावल, गेहूं, चीनी और खाद्य तेलों का कितना कोटा आवंटित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का उक्त महीनों में पश्चिम बंगाल के लिए चावल और गेहूं तथा अन्य आवश्यक सामग्री का कोटा बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजनपटेल) : (क) पश्चिम बंगाल के लिए अगस्त से अक्तूबर, 1990 के महीनों हेतु चावल, गेहूं, चीनी तथा खाद्य तेलों का नियत किया गया आवंटन इस प्रकार है :—

(आंकड़े मी. टनों में)

वस्तु	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर
चावल	74,000	84,000	—
गेहूं	90,000	90,000	—
लेवीचीनी	25888	25888	25888
आयातित खाद्य तेल	10'000	—	—

अक्तूबर, 1990 के महीने के लिए चावल व गेहू का आवंटन सितम्बर, 1990 में किया जाएगा।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल को पूजा त्योहार से उत्पन्न होने वाली मांग को पूरा करने के लिए सितम्बर, 1990 के महीने हेतु 10 हजार मी. टन चावल का बढ़ा हुआ आवंटन किया गया। चीनी के मामले में सितम्बर व अक्तूबर, 1990 के प्रत्येक महीने के लिए 3898 मी. टन मात्रा

त्यौहार कोटे के रूप में निर्मुक्त की गई है। आयातित खाद्य तेलों के लिए अगस्त, 1990 के दौरान पश्चिमी बंगाल का आवंटन 10,000 मी. टन है, जो जुलाई में किए गए आवंटन से 4000 मी. टन अधिक है और जिसे त्यौहार के महीनों के लिए बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए किया गया है। सितम्बर व अक्तूबर, 1990 के लिए आवंटन बाद में किया जाएगा।

उचित दर दुकानों से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

2210. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चौदह आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई किए जाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी हां।

(ख) सुझाई गई 14 मदें इस प्रकार है :—(1) अनाज (चावल व गेहूं) (2) चीनी (3) खाद्य तेल (4) कपड़े धोने का साबुन (5) नहाने का साबुन (6) बिस्कुट (7) पिसे मसाले (8) आयोडाइज्ड नमक (9) घी (10) मोम (11) दियासलाइयां (12) कंट्रोल का कपड़ा (13) जनता धोतियां व साड़ियां तथा (14) कापियां।

(ग) केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित करने के लिए गेहूं, चावल, लेवी चीनी, मिट्टी का तेल, आयातित खाद्य तेल तथा साफ्ट कोक जैसी प्रमुख आवश्यक वस्तुएं पहले ही सप्लाई कर रही है।

केंद्रीय स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत और मदों को शामिल करना सम्भव नहीं है। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों का इस्तेमाल करके अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आम खपत की कुछ मदों को वितरण हेतु शामिल करने पर विचार करें।

मंडल आयोग की रिपोर्ट

2211. श्रीमती बासव राजेश्वरी :

श्री जी. एस. बासवराज :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से पिछड़े वर्गों के बारे में मंडल आयोग की सिफारिशों के बारे में अपने विचार भेजने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विचार भेजने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसी राज्य ने अब तक अपने विचार भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) तीन राज्यों अर्थात तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा मिजोरम ने अपने विचार भेजे हैं। कुल मिलाकर वे मण्डल आयोग की सिफारिशों से सहमत हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अन्तर्गत इन्सटेंट काफी

2212. श्री आर. गुन्डू राव : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार इन्सटेंट काफी पर उत्पाद शुल्क घटाने और इसे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अधीन शामिल करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

फ्लोराइडकृत टूथपेस्ट कितना सुरक्षित

2213. श्री के. एस. राव :
श्री हरीश पाल :
श्री राम सजीवन :
क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फ्लोराइडकृत टूथपेस्ट के प्रयोग से उत्पन्न खतरों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या दांतों के क्षय के संदर्भ में फ्लोराइडकृत टूथपेस्ट के प्रयोग के बारे में उनके मंत्रालय अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोई अनुसंधान कार्य शुरू किया गया है;

(ग) क्या सुरक्षित सीमा तक फ्लोराइडकृत टूथपेस्ट के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई चिकित्सीय परीक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) टूथपेस्ट में फ्लोराइड मिलाने के पक्ष और विपक्ष दोनों के संबंध में डेटा तैयार करने के लिए और ऐसी शिकायतें प्राप्त होने के बाद कि टुथपेस्ट में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा से देश में विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो फ्लोरोसिस स्थानिकमारी वाले क्षेत्र हैं; गंभीर स्वास्थ्य खतरे हो सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरकार को टुथपेस्टों में फ्लोराइड की अनुमत्य मात्रा की सीमा के बारे में सलाह देने हेतु एक समिति गठित की थी इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, जिन्हें

सरकार द्वारा मान लिया गया है, राजपत्र में दिनांक 29 मार्च, 1990 की सा. का. नि. संख्या 410 (अ) के द्वारा औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों का एक प्रारूप संशोधन टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया है जिसमें फ्लोराइडयुक्त टुथपेस्टों से संबंधित विशिष्ट उपबंध किए गए हैं। इसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(i) टुथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 1000 पी. पी. एम. से अधिक नहीं होगी और फ्लोराइड की मात्रा का पी. पी. एम. में ट्यूब और डिब्बो पर उल्लेख करना होगा।

(ii) टुथपेस्ट की प्रत्येक ट्यूब और डिब्बी पर निम्नलिखित सावधानी नोट अंकित होगा :-

सावधानी :—"7 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों को फ्लोराइडयुक्त टुथपेस्ट का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

(iii) इस्तेमाल करने की तारीख की समाप्ति का ट्यूब और डिब्बी पर उल्लेख किया जाना चाहिए।

प्राप्त हुई टिप्पणियों की सरकार द्वारा संशोधन को अन्तिम रूप देने से पहले जांच की जाएगी।

मूल्य सूचकांक के मानदण्डों में परिवर्तन

2214. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता मूल्य और थोक मूल्य सूचकांकों में कितनी वृद्धि हुई है और इस संबंध में आंकड़े एकत्र करने के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) इनमें किन-किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है और उन्हें शामिल करने का मानदण्ड क्या है;

(ग) क्या सरकार का रहन सहन के स्तर में सुधार और लोगों की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए इन मानदण्डों में परिवर्तन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) औद्योगिक मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982=100) और चुनी हुई अवधियों हेतु समग्र वस्तु थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1981-82 = 100) में हुई वृद्धियां नीचे दी गई हैं :—

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक*	समग्र वस्तु थोक मूल्य सूचकांक**
जून, 90 / मई, 90 +1.6%	जुलाई, 90 / जून, 90 +1.2%

जून, 90 / मार्च, 90 +4.5%	जुलाई, 90 / मार्च, 90 +4.8%
जून, 90 / दिस., 89 +5.7%	जुलाई, 90 / जन., 90 +6.1%
जून, 90 / जून, 89 +8.8%	जुलाई, 90 / जुलाई, 89 +9.0%

*औद्योगिक मजदूरों के लिए नवीनतम उपलब्ध उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जून, 1990 के महीने के लिए है (श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा संकलित)।

**समग्र वस्तु थोक मूल्य सूचकांक (आर्थिक सलाहकार, उद्योग मंत्रालय के कार्यालय द्वारा संकलित) जुलाई, 1990 माह के लिए उपलब्ध है।

औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

सूचकांक के संकलन के वास्ते मूल्य आंकड़े समूचे देश में फैले हुए 70 औद्योगिक केन्द्रों से संबंधित 326 चुने हुए बाजारों से संग्रह किए जाते हैं। विभिन्न केन्द्रों पर 260 वस्तुएं शामिल होती हैं। जिनकी संख्या एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र पर 109 से 168 के बीच होती है। पारिवारिक आय और व्यय सर्वेक्षण के दौरान श्रमिक वर्ग परिवारों द्वारा प्रकट किए गए उपभोग के स्वरूप के आधार पर किसी केन्द्र के सूचकांक समूह में वस्तुओं को शामिल किया जाता है। वस्तुओं को इन समूहों में रखा गया है (1) खाद्य पान सुपारी, तम्बाकू और मादक वस्तुएं, (2) ईंधन और प्रकाश (3) आवास (4) वस्त्र, बिछावन के कपड़े और जूते चप्पलों का समूह और (5) विविध।

समग्र वस्तु थोक मूल्य सूचकांक

चुनी हुई वस्तुओं और उनकी श्रेणी/कोटि से संबंधित महत्वपूर्ण बाजार केन्द्रों/विनिर्माताओं से प्राप्त हुए मूल्यों के आधार पर सूचकांक संकलित किए जाते हैं। वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक श्रेणियों में कुल 447 वस्तुएं शामिल की गई हैं। (आधार 1981-82=100)। ये वस्तुएं वस्तुओं के विभिन्न महत्वपूर्ण समूहों और उप-समूहों से संबंधित होती हैं तथा मोटे तौर पर (1) प्राथमिक वस्तुओं (जैसे खाद्य वस्तुएं और गैर खाद्य वस्तुएं जैसे रेशे) (2) ईंधन, बिजली, प्रकाश और स्नेहक, (3) विनिर्मित उत्पाद समूह के तहत आता है। विशेषज्ञ उप-दलों अथवा अन्य संबंधित संगठनों के सुझावों के अनुसार लगभग सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं जिनकी अर्थ-व्यवस्था में खरीद बिक्री की जाती है, को मौजूदा थोक मूल्य सूचकांक श्रेणी में शामिल किया गया है। कृषिजन्य वस्तुओं तथा उनके बाजारों का चयन, इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ उपदल की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। जहां तक विनिर्मित उत्पादों के चयन का प्रश्न है, सभी मदों जिनका उत्पादन मूल्य उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण, 1980-81 के अनुसार 20 करोड़ रुपए अथवा अधिक का है, को शामिल किया गया है। जिन वस्तुओं का काफी आयात किया जाता है और देशीय उत्पादन सहित

उनका मूल्य कम से कम 20 करोड़ रुपए तक होता है उनको भी शामिल किया गया है। आयातों को सम्मिलित करके 10 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए के बीच उत्पादन मूल्य वाली कुछ मदें संबंधित मंत्रालयों/विभागों की राय पर इस सूची में रख ली गई हैं। विशिष्टियों के साथ-साथ चुनी हुई औद्योगिक मदों के संबंध में मूल्य आंकड़ों की आपूर्ति के लिए स्रोतों का चयन इन मदों का उत्पादन करने वाले बड़े विनिर्माताओं की सूची से किया जाता है।

(ग) और (घ) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों के अनुसार श्रमिक वर्ग परिवार के आय और व्यय का नया सर्वेक्षण सामान्यतः अधिकतम 10 वर्षों के अंतराल पर कराया जाना चाहिए ताकि सूचकांक समूह में मदों की सूची और महत्व को अद्यतन बनाया जा सके। तदनुसार, सरकार 1992-93 के दौरान श्रमिक वर्ग परिवार के आय और व्यय का नया सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव करती है, क्योंकि पूर्ववर्ती सर्वेक्षण 1981-82 के दौरान किए गए थे जिसके ऊपर 1982 की श्रेणी आधारित है।

समग्र वस्तु थोक मूल्य सूचकांक

थोक मूल्य सूचकांक में मदों के चयन के लिए कसौटी को बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि मौजूदा श्रेणी केवल लगभग एक वर्ष पहले आरम्भ की गई थी।

केन्द्रीय कैंसर उपचार केन्द्र

2215. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कैंसर उपचार के केन्द्रों का ब्योरा क्या है;

(ख) इन केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र में प्रतिवर्ष कितने आप्रेशन किए जाते हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों में रोग के निदान और चिकित्सा के लिए लगाये गये उपकरणों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

देश में विभिन्न क्षेत्रीय कैंसर उपचार केन्द्रों का ब्यौरा	इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार इन केन्द्रों में प्रत्येक वर्ष में किए गए आपरेशनों की संख्या	पिछले 3 वर्षों के दौरान इन केन्द्रों में स्थापित किए गए रोग नैदानिक और चिकित्सीय उपकरणों का ब्यौरा
(1)	(2)	(3)
1. डा.बी.बी. कैंसर संस्थान, गुवाहाटी	1987 1988 991 1989	क. टेलिविजन और अल्ट्रा साउंड यूनिट सहित इमेज इंटेन्सिफायर ख. थिरेपी सेलेक्ट्रान ग. उपचार नियोजन पद्धति
2. रोटरी कैंसर अस्पताल संस्थान (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली)	इस समय रोटरी कैंसर अस्पताल संस्थान के पास सर्जीकल बेड्स के लिए कोई सुविधा नहीं मिली है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के संबंधित विभागों द्वारा आपरेशन किए जा रहे हैं।	क. इन्टरस्टीटल ब्रेची थिरेपी ख. सैल सेपेटेटर ग. सैलेक्ट्रान नियोजन पद्धति घ. एक्सरे फिल्म प्रोफेसर (ऐटोमेटिक) ङ. बी आई सी गेस्ट्रो इन्टेस्टीनल फिब्रोस्कोप च. कार्डिएक मानिटर
3. गुजरात कैंसर एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	1987 1988 4927 1989	क. क्राइयो स्टेट बैंच स्टैंडिंग माइक्रोटोम ख. स्टेरी-कल्प इन्क्युबेटर ग. बेकर एनीलिटे-I एवं II घ. बेकर माइक्रो प्रोफेसर ङ. पार्टेबल एक्स-रे यूनिट

च. बौश एंड लोम गेलन II माइक्रोस्कोप्स

छ. कार्ल जीस कालपोस्कोप

ज. बल्मोन्ट आपरेटिंग टेबल

झ. आर एम एल न्यूरो प्रोब सिस्टम III

ञ. सेवर्ड-यू के कार्डियक मोनिटर

ट सी ओ 2 सर्जीकल लेसर इक्विपमेंट

ठ. वालीलैब फोर्स-4 इलेक्ट्रो सर्जीकल

4. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र त्रिवन्द्रम	1987—418 1988—428 1989—3‾3	क. बायले एनेस्थेसिया सिस्टम ख. बाइनोक्यूचर माइक्रोस्कोप ग. हाइड्रालिक आपरेशन टेबल घ. रिस्पिरेटर मोनाल ङ. ट्रस्कोप विद ऐक्सेसरीज च. नान-इनसिवा पेस-मेकर छ. डि डिफिब्रिलेटर ज. सलेक्ट्रान एप्लीकेटर झ. लाइनर ट्रांसड्यूसर ञ. मोबाइल रेकिंग सिस्टम ट. आपरेशन लाइट

1	2	3
5. किदवई मेमोरियल इन-स्टिट्यूट आन आनकालाजी, बंगलोर	1987—अप्रर्याप्त 1988—1790 1989—अप्राप्त	क. लाइनर एक्सेलरेटर ख. कोबाल्ट 60 ग. सिमुलेक्स मशीन
6. कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर	1987—253 1988—472 1989—497	क. कोबाल्ट 60 थेराट्रान ख. बायल्स ऐपरेट्स ग. सेकेंड्री स्टैंडर्ड डोसीमीटर घ. होल बाडी सी टी स्कैन ङ. ई सी जी मशीन च. माइक्रो पिपेटट्स छ. आप्थेल्मोस्कोप ज. डाइरेक्ट लैरिंगोस्कोप झ. रिजिड फाइबरस्कोप
7. टाटा मेमोरियल सेंटर, बम्बई	1987—19799 1988—22544 1989—21940	क. थेराटांन 780 ख. माइक्रो सेलेक्ट्रान यूनिट ग. अल्ट्रा साउंड वाडी स्केनर घ. फिल्म एण्ड जिरोक्स मेमोग्राफी सिस्टम

		ङ. जिरोक्स सिस्टम 125
		च. सीमेन मनोमोबिल 100 एम ए एक्सरे—यूनिट
		छ. इसलेंट मोडल एपेक्स-4(9 ए को लार्ज
		ज. फील्ड गामा कैमरा
		झ. कोडक एटोमेटिक एक्सरे फिल्म प्रोसेसर
		ञ. टेलिड 100 एम एच बेड डिजिटल स्टोरेट ओसिलोस्कोप
		ट. इकोकार्डिया प्रोब
8. कैंसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सोसाइटी, कटक	1987—1109 1988—1339 1989—1294	क. 500 एम ए एक्सरे यूनिट
		ख. गामा कैमरा विद स्केट फेसिलिटी
		ग. कोल्पोस्कोप
		घ. लेप्रोस्कोप
		ङ. फलेक्सिबल नसोफार्गास्कोप
		च. थिराट्रन 780 कोबाल्ट यूनिट विद रिमोट कंट्रोल फेसिलिटी
		छ. बसचर आकाइथिरेपी यूनिट
		ज. ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम

1	2	3
9. कैंसर संस्थान मद्रास	1987—6590	क. गामा कैमरा
	1988—6927	ख. अल्ट्रा साउंड
	1989—9728	ग. लाइनर एक्सेलरेटर
10. चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्तान, कलकत्ता	1987—1528	क. कोबाल्ट 60 यूनिट
	1988—1336	ख. ब्राकाइथिरेपी यूनिट
	1989—1354	ग. सिलेक्शन ट्रीटमेंट प्लानिंग यूनिट
		घ. सिमुलेटर
		ङ. सेजियम 137 यूनिट
		च. हिस्टोकिनेटिक एप्रेटस इक्विपमेंट्स फार साइटालाजी स्क्रीनिंग
		छ. सेमी आटोनलाइजर
		ज. ब्लड सेल काउंटर
		झ. इलिसा इक्विपमेंट
		ञ. कामन लेबोरेटरी ऐपरेटस
		ट. एक्सरे मशीन-500 एम ए 300 एम ए

शिशुओं को विदेशों में बेचने के धंधे का उन्मूलन

2216. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अप्रैल, 1990 के "डक्कन हेरल्ड" में प्रकाशित "ला ग्राम एडोप्शन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अवैध और अनचाहे बच्चों को भारी धनराशि के बदले में विदेशियों को बेचने का कार्य अब भी प्रचलित है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) । (क) जी, हां ।

(ख) दत्तक ग्रहण की आड़ में अवैध तथा अन्य अनचाहे बच्चों की विदेशियों को बिक्री की कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दामोदर घाटी निगम के बांधों से पानी छोड़ना

2217. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के बांधों से जुलाई/अगस्त के महीने में अत्यधिक पानी छोड़ने के कारण मिदनापुर, बर्दमान, बांकुरा और बीरभूम में व्यापक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है;

(ख) क्या बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए जल स्तर और पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय किये जायेंगे; और

(ग) उपर्युक्त जिले में बाढ़ के कारण कितनी क्षति हुई है, कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) से (ग) जल की निर्मुक्ति, विनियमन नियमावली में किए गए प्रावधानों के अनुसार थी । इन निर्मुक्तियों का प्रबोधन, केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (बाढ़) की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल और दामोदर घाटी निगम के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं । अब तक, नदियों से बाढ़ों के कारण इन जिलों में अत्यधिक क्षतियों के संबंध में संबंधितों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

दिल्ली में कुष्ठ रोगी

[हिन्दी]

2218. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली में कुष्ठ रोग निवारण की कोई व्यापक योजना तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) यह पुनर्वास कालोनी कहां स्थापित की गई है और उसमें ऐसे कितने व्यक्ति रह रहे हैं;

(ङ) क्या इस पुनर्वास कालोनी में कुष्ठ रोगियों के बच्चों की देखभाल करने के लिए शुरू से ही कोई चिकित्सा अधिकारी तैनात है; और

(च) इस समय इस कालोनी में उक्त व्यवस्था की देखरेख के लिए उत्तरदायी अधिकारी का नाम क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को शतप्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। दिल्ली प्रशासन केन्द्रीय सरकार के निदेशों और दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है। चूंकि दिल्ली एक निम्न स्थानिक मारी वाला क्षेत्र है जहां कुष्ठ की व्याप्तता दर प्रति हजार के पीछे एक से कम है, इसलिए कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है। केन्द्रीय सरकार, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम आदि द्वारा चलाए जा रहे सभी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों का उपचार किया जाता है।

(ग) पिछले 4 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन दिल्ली को आबंटित की गई धनराशि इस प्रकार है :—

वर्ष	नकद	सामग्रीगत	योग (लाख रुपये में)
1987-88	—	0.50	0.:0
1988-89	0.50	0.50	1.00
1989-90	0.50	—	0 50
1990-91	0.50	0.50	1.00

दिल्ली में कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

(1) दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा एक पुनर्वास केन्द्र को चलाना।

(2) दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा शरणार्थी कार्यशाला और प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र को चलाना।

(3) कुष्ठ से ग्रस्त 1520 व्यक्तियों को 300/-रुपये प्रतिमाह रख-रखाव और अनुरक्षण के रूप में मंजूर करना।

(4) ताहीरपुर शाहदरा, में दिल्ली नगर निगम द्वारा कुष्ठ गृह को चलाना।

(घ) ताहीरपुर, शाहदरा, में 1520 लाभार्थी रह रहे हैं।

(ङ) जी, हां, दिल्ली नगर निगम द्वारा दो चिकित्सा अधिकारियों को तैनात किया गया है।

(च) 1. डा. हरिओम अग्रवाल,
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,
कुष्ठ गृह, दिल्ली नगर निगम, ताहीरपुर।

2. श्री ए. के. सिन्हा,
वरिष्ठ अधीक्षक, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली प्रशासन
कुष्ठ गृह, ताहीरपुर।

चीनी मिलों का बन्द किया जाना

2219. श्री सी. डी. गामित : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में बन्द और रुग्ण चीनी की मिलों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन चीनी मिलों में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ग) इन चीनी मिलों की रुग्णता और बन्द होने के क्या कारण हैं;

(घ) इन मिलों की रुग्णता/बंद होने से कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं; और

(ङ) इन रुग्ण और बन्द चीनी मिलों को फिर से चालू करने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) 1989-90 मौसम के दौरान 20 चीनी फैक्ट्रियां विभिन्न कारणों से बन्द रहीं जिनकी राज्य-वार/क्षेत्र-वार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) केन्द्र सरकार चीनी फैक्ट्रियों में कोई शेयर पूंजी निवेश नहीं करती है।

(ग) चीनी फैक्ट्रियों के बन्द होने के विभिन्न कारण हैं जैसे गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता, आकार, मियाद, प्लांट एवं मशीनरी की हालत, तकनीकी तकनीकी तथा प्रबंधकीय अक्षमता आदि।

(घ) क्योंकि कुछ चीनी फैक्ट्रियां काफी सालों से बन्द पड़ी हैं और कुछ फैक्ट्रियां बीच-बीच में पेराई करती रही हैं, इसलिए इन चीनी मिलों के बन्द हो जाने के कारण बेरोजगार हुए व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ङ) चीनी मिलें पुनः स्थापना और आधुनिकीकरण तथा गन्ना विकास योजनाओं के लिए नियमों, आदेशों आदि के अनुसार चीनी विकास निधि से रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है।

एक बन्द चीनी इकाई को आधुनिकीकरण तथा पुनः स्थापना के लिए चीनी विकास निधि से 800 लाख रुपये के ऋण की मंजूरी दी गई है।

विवरण

1989-90 मौसम के दौरान बन्द रही चीनी मिलों की राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार संख्या :

क्र. सं.	राज्य	सार्वजनिक क्षेत्र	संयुक्त क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	—	1	—
2.	आसाम	1	—	—
3.	बिहार	—	2	—
4.	गुजरात	—	—	3
5.	कर्नाटक	—	1	1
6.	केरल	—	—	1
7.	महाराष्ट्र	—	6	—
8.	राजस्थान	—	1	—
9.	उत्तर प्रदेश	1	—	—
10.	तमिलनाडु	—	1	—
11.	पश्चिम बंगाल	—	1	—

मादीपुर में डी. डी. ए. के फ्लैट्स

2220. श्री यूसुफ बेग : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग द्वारा पाकेट "ई" मादीपुर, दिल्ली, में निर्मित फ्लैट के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग ने सूचित किया है कि मादीपुर "ई" ब्लाक, डी. डी. ए. (स्लम जनता) फ्लैट के रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच-पड़ताल करने पर पाया गया कि नीचे दिए गए तीन आरोपों को छोड़कर, शिकायत के कारण वास्तविक नहीं थे :—

(i) यह पाया गया कि बारिश के पानी वाले कुछ पाइप बालकोनी से बारिश के पानी की सही तौर पर निकासी नहीं होती है;

(ii) विपणि कम्पलैक्स के लिए उद्दिष्ट खुली जगह का घास के लान के रूप में विकास किया गया था; तथा

(iii) कम्पलैक्स से कूड़ा-करकट नहीं उठाया जा रहा है।

शिकायतों को दूर करने के लिए स्लम विंग ने कार्रवाई की है।

पटना का विकास

2221. प्रो. शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार द्वारा शहरी विकास के लिए दिसम्बर, 1989 से जून, 1990 की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार को कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए;

(ख) उन योजनाओं के नाम क्या-क्या हैं जो पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा नियन्त्रित हैं और किन प्रस्तावों के लिए आर्थिक सहायता की मंजूरी दी गई है;

(ग) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अपनी राजधानी पटना के समेकित विकास के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को शहरी विकास के लिए केन्द्रीय सहायता लघु तथा मझौले दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना के माध्यम से दी जाती है। यह योजना के अन्तर्गत, दिसम्बर, 1989 से जून, 1990 तक की अवधि के दौरान बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मधुबनी, दरभंगा और बिहार शरीफ के नगरों के सम्बन्ध में पहले प्राप्त प्रस्ताव इस अवधि के दौरान स्वीकृत किए गए थे और क्रमशः 29.545 लाख रुपये, 29.75 लाख रुपये तथा 29.75 लाख रुपये की राशियां केन्द्रीय सहायता के भाग के रूप में इन शहरों के लिए दी गयी थीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

दिल्ली में मस्तिष्क शोथ की बीमारी

2222. श्री हरीश पाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान देश में मस्तिष्क शोथ से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ख) दिल्ली में इनकी संख्या कितनी थी; और

(ग) इस रोग के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) वर्ष 1990 के दौरान मेनिन्गोकोकल मेनिन्जाइटिस के कारण हुई मौतों की संख्या का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मेनिन्गोकोकल मेनिन्जाइटिस के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

I. अर्ध चिकित्सा स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा रोगियों के बारे में शुरू में सूचित करना ताकि सभी संदिग्ध रोगियों का अस्पतालों में उपचार किया जा सके।

II. रोगियों का पता लगाने तथा निदान के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने हेतु चिकित्सा दलों का गठन।

III. त्रिटैयाइन बेंजिल पेनिसिलीन तथा क्लोरैम्फेनिकोल जैसी उपयुक्त औषधों से रोगियों का उपचार।

IV. अस्पतालों और आपाती विभागों में रोगियों की देखभाल करने वाले चिकित्सा तथा अर्ध चिकित्सा कार्मिकों को टीके लगाना।

V. रोगियों के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को रिफाम्पाइसीन देकर सुरक्षित करना।

विवरण

1990 के दौरान भारत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मेनिन्जाइटिस/मेनिंगोकोकल मेनिन्जाइटिस कारण हुई सूचित मौतें

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मौतों की संख्या	रिपोर्ट का समय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	11	30.4.90
2.	बिहार	9	30.4.90

1	2	3	4
3.	गुजरात	207	7.7.90
4.	हरियाणा	1	31.3.90
5.	हिमाचल प्रदेश	3	16.6.90
6.	केरल	2	28.5.90
7.	मध्य प्रदेश	304	31.7.90
8.	महाराष्ट्र	237	21.7.90
9.	पंजाब	3	31.3.90
10.	राजस्थान	120	30.6.90
11.	त्रिपुरा	1	26.5.90
12.	उत्तर प्रदेश	1	14.7.90
13.	दिल्ली*	306	4.8.90
14.	उड़ीसा	84	31.7.90

(आंकड़े अनन्तिम)

*14 प्रहरी अस्पतालों की निगरानी पर आधारित।

शीतल पेयों में रंगों का उपयोग

[अनुवाद]

2223. श्री जगपाल सिंह :

श्री कल्पनाथ राय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न नामों के अन्तर्गत शीतल पेयों में उपयोग किए जाने जाने वाले रंग अथवा संघटक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) शीतल पेय उद्योगों में हानिकारक रंगों और संघटकों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) । (क) से (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है ।

(घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अन्तर्गत केवल वही रंग और घटक अनुमत्य हैं जिन्हें निरापद समझा जाता है। विशेषज्ञों की सलाह पर इस मन्त्रालय ने तीन सिंथेटिक रंगों अर्थात ऐमरैन्थ, पक्का लाल-ई और हरा-एस पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है ।

मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों के श्रमिकों को भविष्य निधि का भुगतान न होना

[हिन्दी]

2224. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन कपड़ा मिलों का ब्योरा क्या है जिनमें श्रमिकों को सेवानिवृत्त होने के बाद भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया है,

(ख) प्रत्येक मिल में ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है और उन्हें उनकी भविष्य निधि की कितनी बकाया राशि का भुगतान किया जाना है; और

(ग) सरकार द्वारा श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद तत्काल भविष्य निधि के भुगतान किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार में भू-क्षरण रोकने के लिए उपाय करना

2225. श्री सूर्यनारायण सिंह : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने गंगा नदी में भू-क्षरण को रोकने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा गंगा नदी में भू-क्षरण रोकने के लिए तत्काल क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) विशिष्ट स्कीमें, जिनके लिए केन्द्रीय सहायता मांगी गयी है, राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) राज्य सरकार स्थलों की स्थिति और निधियों की उपलब्धता के अनुसार कार्य शुरू करती है ।

भौतिक चिकित्सकों के लिए अलग परिषद

[अनुवाद]

2226. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय भौतिक चिकित्सक संघ से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि भौतिक चिकित्सकों के लिए एक अलग परिषद बनाई जाए, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एसोसिएशन आफ फिजियोथिरेपिस्ट से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर फिजियोथिरेपिस्टों और आक्यूपेशनल थिरेपिस्टों के लिए अलग-अलग सेलों सहित एक अलग परिषद स्थापित करने का निश्चय किया गया है। इस परिषद को स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

नशीली औषधों के आदी व्यक्तियों के लिये पुनर्वास केन्द्र

2227. श्री प्रतापराव बी. भोसले : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नशीली औषधों के व्यसन को रोकने के लिए नशीली औषध संबंधी कानूनों को सख्ती से लागू करने और नशीले औषधों के आदी व्यक्तियों हेतु पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) स्वापक औषध एवं मनोविकारी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा स्वापक औषध एवं मनोविकारी पदार्थों का अवैध व्यापार निरोध अधिनियम, 1988 देश में प्रवर्तित है तथा संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इसके अलावा औषध कुसेवन से निपटने हेतु एक समग्र बहुआयामी नीति, अपनाई गई है। मद्य निषेध तथा औषध कुसेवन निरोध हेतु कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत, औषध व्यसनियों को परामर्श निर्व्यसन तथा चिकित्सोत्तर सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 108 परामर्श केन्द्र, 36 निर्व्यसन केन्द्र तथा 7 चिकित्सोत्तर केन्द्र खोले गए हैं।

दिल्ली में रक्षा तथा सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को आवास

2228. श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तैनात रक्षा तथा सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों जिनको अब तक उनके केन्द्रीय सरकार में भर्ती की तारीख से वरीयता क्रम की तारीख के अनुसार केन्द्रीय सरकार के आवास के आवंटन करने के लिए सम्मिलित किया जाता था, उन्हें अब आवंटन सूची से निकाल दिया गया है और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को आवास आवंटन के लिए कोई कोड संख्या नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें सूची से हटाने के क्या कारण है और उनके हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) चूंकि सीमा सुरक्षा बल के पास टाइप-II, III, IV तथा V में आवास का अपना स्वयं का अलग पूल है। अतः उसके कर्मचारियों को इन श्रेणियों में सामान्य पूल से आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, अन्य श्रेणियों में, वे कोड सं. 01630 के साथ सामान्य पूल से आवास प्राप्त करने के अधिकारी है। सशस्त्र बलों के कार्मिकों को भी सामान्य पूल से आवंटन नहीं किया जाता है क्योंकि उनके लिये रक्षा मंत्रालय के पास आवास का अपना स्वय का अलग पूल है। तथापि, उपयुक्त अंचलों में स्थित रक्षा स्थापनाओं के असैनिक कर्मचारियों, यदि उनके नाम अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात पात्रता सूची में शामिल कर लिये गये हों, को सामान्य पूल से आवास आवंटित किये जाते हैं।

महानगरों में छुट्टी बिताने के प्रयोजन हेतु आवास

2229. **प्रो. यदुनाथ पांडेय :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशालय के बम्बई और कलकत्ता जैसे महानगरों में कोई ऐसे आवास हैं जिन्हें सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियां बिताने के लिए उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के आवास के आवंटन की क्या प्रक्रिया है; और

(घ) उक्त आवास के लिए औसतन कितना लाइसेंस शुल्क लिया जाता है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास मे केन्द्रीय सरकारी पर्यटन अधिकारी होस्टलों में अधिकारियों को छुट्टियों/अवकाश में भी आवास उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) छुट्टियों में आने वाले अधिकारियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उक्त केन्द्रीय सरकारी पर्यटन अधिकारी होस्टल में आवास उपलब्ध कराया जाता है। अग्रिम आरक्षण की अनुमति नहीं दी जाती है।

(घ) इन होस्टलों में आवास संबंधी लाइसेंस शुल्क की दरें संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

विवरण

कमरों का किराया

श्रेणी	ड्यूटी पर आये सरकारी कर्मचारी/संसद सदस्य	छुट्टी पर आये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी तथा ड्यूटी पर आये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारी और ड्यूटी पर आये राज्य सरकारों के कर्मचारी जो पारस्परिक प्रबन्ध के अंतर्गत नहीं हैं।	छुट्टी पर आये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारी/राज्य सरकारों के कर्मचारी	गैर-सरकारी व्यक्ति जब सरकारी अधिकारी के अतिथियों/संसद सदस्यों के अतिथियों के रूप में आवंटित किया जाय)
1	2	3	4	5
1. एक बिस्तर वाला कमरा	5/-रुपये प्रति बिस्तर	10/-रुपये	20/-रुपये	40/-रुपये
2. दो बिस्तर वाला कमरा	10/-रुपये	20/-रुपये	40/-रुपये	80/-रुपये
3. शयनागार/वैयक्तिक सहायक का कमरा	3/-रुपये प्रति बिस्तर	6/-रुपये प्रति बिस्तर	12/-रुपये प्रति बिस्तर	24/-रुपये प्रति बिस्तर

इसके अतिरिक्त, वातानुकूलितों तथा गीजर के लिए निम्नलिखित प्रभार लिए जायेंगे :—

श्रेणी	ड्यूटी छुट्टी पर आये सरकारी कर्मचारियों सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारी तथा संसद सदस्य के लिए प्रभार	सरकारी कर्मचारियों के अतिथि तथा संसद सदस्यों के अतिथि
1	2	3
1. एक बिस्तर वाला कमरा	प्रति वातानुकूलक प्रतिदिन 8/-रुपये गीजर एक रुपये प्रतिदिन	प्रति वातानुकूलक प्रतिदिन 15/-रुपये गीजर 4/-रुपये प्रतिदिन

1	2	3
2. दो-बिस्तर वाला कमरा	प्रति वातानुकूलक प्रतिदिन 8/-रुपये गोअर 2/-रुपये प्रतिदिन	प्रति वातानुकूलक प्रतिदिन 15/-रुपये गोअर 8/-रुपये प्रतिदिन

होस्टल में ठहरने का अभीष्ठ समस्त अवधि का किराया अग्रिम वसूल किया जायेगा।

गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए अधिक समय तक ठहरने का किराया निर्धारित दर पर लिया जायेगा, गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा अधिक समय तक ठहरने के मामले में, उनके लिए निर्धारित किराया से दुगना किराया लिया जायेगा।

सुवर्ण-रेखा बहुउद्देशीय परियोजना पर सम्मेलन

2230. **श्री समरेन्द्र कुन्डू** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में अधिकारियों और इंजीनियरों का एक उच्च स्तरीय सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था, यदि हां, तो इसमें क्या निर्णय लिए गए;

(ख) इस परियोजना पर विश्व बैंक द्वारा दी गई धनराशि सहित कितनी धनराशि व्यय की गई है और कितनी धनराशि और व्यय की जानी है;

(ग) इस परियोजना से सिंचाई तथा उड़ीसा में बाढ़ को नियंत्रित करने की सुविधा कब प्राप्त होगी; और

(घ) क्या इसके द्वारा उड़ीसा की तरफ से सुवर्ण रेखा नदी में बाढ़ को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकेगा ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) भारत सरकार के अधिकारियों, बिहार, उड़ीसा की राज्य सरकारों और विश्व बैंक के अधिकारियों की अन्तिम बैठक 12.7.90 को आयोजित की गई थी जिसमें विश्व बैंक द्वारा सहायता के लिए बिहार और उड़ीसा सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं को तैयार करने के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया।

(ख) बिहार (127 मिलियन अमेरिकी डालर की विश्व बैंक की सहायता समेत) और उड़ीसा की सुवर्णरेखा परियोजना पर 3/90 के अंत तक संभावित व्यय क्रमश: 460.15 करोड़ रुपए और 155.37 करोड़ रुपए है। चालू दरों पर लागत के अनुमानों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) 8वीं योजना के अंत तक आंशिक लाभ

(घ) पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों को बांध परियोजना से बाढ़ नियंत्रण लाभ को बढ़ाने के लिए तटबंधन स्कीमों का प्रतिपादन करना है।

एकीकृत जनजातीय विकास योजना के अंतर्गत चावल का निर्गम मूल्य

2231. श्री के. प्रधानी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में उपभोक्ता जनजातीय क्षेत्रों में रियायती मूल्य वाला चावल किस दर पर सप्लाई किया जाता है;

(ख) क्या उसके मूल्य में कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामपूजन पटेल) : (क) समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों आदिवासी बहुल राज्यों तथा असम के उत्तरी कछार और कार्बी अंगलांग जिलों में विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर गेहूं और चावल की आपूर्ति करने की योजना के अधीन भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के लिए चावल के निर्धारित किए गए निश्चित खुदरा मूल्य निम्नानुसार हैं :—

	(रुपये प्रति क्विंटल)
चावल (साधारण)	264
चावल (बढ़िया)	324
चावल (उत्तम)	345

(ख) इस योजना के अधीन जारी किए जा रहे चावल के निश्चित खुदरा मूल्यों में 25.6.1990 से वृद्धि की गई थी।

(ग) चावल के पिछले मूल्यों की तुलना में चावल के मूल्यों में वृद्धि 45/- रुपये प्रति क्विंटल बैठती है।

नवजात शिशुओं का एड्स

2232. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रदूषित रक्त और अन्य कारणों के नवजात शिशुओं सहित कितने व्यक्ति एड्स का शिकार हुए हैं;

(ख) इन व्यक्तियों/शिशुओं को एड्स होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी अस्पतालों तथा अन्यत्र में रोगियों को रक्त चढ़ाने से पहले कार्माशियल रक्त बैंकों से प्राप्त रक्त का परिक्षण नहीं किया गया था;

(घ) इसके बाद से रक्त की शुद्धता को जांचने और भविष्य में ऐसी किसी घटना को न होने देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सभी ब्लड बैंकों में रक्त की शुद्धता की जांच कराए जाने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) एड्स के पूरे विकसित नैदानिक लक्षणों वाले 48 व्यक्तियों का पता चला है। इनमें से 12 विदेशी हैं। देश में एड्स से संक्रमित किसी नवजात शिशु की सूचना नहीं मिली है।

इस रोग से पीड़ित 36 भारतीयों में रोग के संक्रमण के सम्भावित स्रोत इस प्रकार हैं :

संक्रमण का स्रोत	भारत में	विदेश में
इतर-लिंगी स्वैरता	15	12
रक्ताधान	2	1
रक्तोत्पाद आधान	1	1
समलैंगिक यौन संपर्क	0	1
एड्स पीड़ित का पति की पत्नी	2	0
पेशेवर रक्तदाता	1	0
	21	15

(ग) से (ङ) रक्त बैंक द्वारा उपयोगकर्ता को रक्त देने से पहले इसकी शुद्धता प्रमाणित की जाती है।

औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों में 11 जुलाई, 1989 के सा. का. नि. सं. 370 के तहत संशोधन करके रक्त बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे रक्त की प्रत्येक यूनिट में एच. आई. वीं. एंटिबाटीज से मुक्त होने के बारे में जांच करें। ऐसे परीक्षण करने की तारीख भी डिब्बे के लेबल पर अंकित की जाएगी।

श्रीनगर में मेडिकल कालेज के छात्र

2233. श्री प्यारे लाल हांडू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर के मेडिकल कालेज के कितने छात्रों को अन्य राज्यों में प्रवेश दिया गया है;

(ख) इन छात्रों को किन-किन स्थानों पर प्रवेश दिया गया है; और

(ग) जेहलम वेली मेडिकल कालेज के छात्रों को किन कालेजों में प्रवेश दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) 1. सरकार ने निर्णय किया है कि गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, श्रीनगर के मेडिकल छात्रों को पहले जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, जम्मू में समायोजित किया जाना चाहिए जिसके न हो सकने पर जम्मू व कश्मीर की राज्य सरकार से उनके विवरण प्राप्त होने पर उन्हें दिल्ली को छोड़कर विभिन्न राज्यों में समायोजित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तदनुसार जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार से गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, श्रीनगर के छात्रों के प्राप्त हुए नामों और विवरणों को राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों तथा स्नातकोत्तर संस्थान चण्डीगढ़ को पहले ही भेज दिया गया है ताकि वे उन्हें उस समय तक जब तक कि वे पुनः अपने कालेज नहीं खोल सकते, स्थानान्तरण के आधार पर अपने-अपने मेडिकल कालेजों में समायोजित कर सकें।

2. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित किए गए माइग्रेशन नियमों के अनुसार माइग्रेशन किसी एक मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से दूसरे मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में अनुमत्य है। चूंकि जेहलम वेली मेडिकल कालेज भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कालेज नहीं है इसलिए इस कालेज के छात्रों का माइग्रेशन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के नियमों के अनुसार अनुमत्य नहीं है।

मध्य प्रदेश फेफड़े उपचार संस्थान

[हिन्दी]

2234. **श्री रामेश्वर पाटीदार : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में फेफड़ों संबंधी बीमारी के उपचार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल में एक "नेशनल लंग इंस्टीट्यूट आफ इंडस्ट्रीयल डिसास्टर मैनेजमेंट" की स्थापना के लिए 1987 से की जा रही है मांग को ध्यान में रख कर भोपाल में एक फेफड़ा उपचार केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार पूर्ण दर्जा प्राप्त संस्थान खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो वहां संस्थान कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा औद्योगिक दुर्घटना उपचार के लिए दिल्ली में एक राष्ट्रीय फेफड़ा संस्थान खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है जिसके अहमदाबाद, पुणे और भोपाल में अधीनस्थ केन्द्र होंगे। भोपाल स्थित अधीनस्थ केन्द्र का भोपाल गैस पीड़ितों में गैस विषाक्त दीर्घावधि स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों की मानीटरिंग करने का भी दायित्व होगा। यह के

मुख्य रूप से अनुसंधान प्रयोजनों के लिए होगा और सभी पीड़ितों के फेफड़ों की समस्याओं के उपचार/इलाज के लिए नहीं होगा। यह संस्थान आठवीं पंचवर्षीय योजना के औपचारिक अनुमोदन के बाद शीघ्र स्थापित किए जाने की आशा है।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि

2235. श्री हरीश रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में प्रति हजार व्यक्ति के हिसाब से कितने डाक्टर तथा बिस्तर उपलब्ध है;

(ख) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो किन अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में पलंग जनसंख्या अनुपात प्रतिहजार व्यक्ति 2.41 है। विभिन्न आकार के अस्पतालों के लिए डाक्टरों की संख्या कर्मचारी मानदण्डों पर आधारित है।

(ख) और (ग) 1990-91 के दौरान दिल्ली प्रशासन निम्नलिखित अस्पतालों में पलंग क्षमता बढ़ाने के प्रस्तावों को तैयार कर रहा है।

1. राव तुलाराम मेमोरियल हास्पिटल—	100 पलंग
2. गुरुनानक नेत्र केन्द्र	50 पलंग
3. गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल	150 पलंग

शीतल पेयों में फलों का रस मिलाने की आवश्यकता

2336. प्रो. प्रेम कुमार धूमाल : क्या खाद्य प्रसंकरण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार से फल उगाने वाले लोगों के लाभ के लिए शीतल पेयों में 20 प्रतिशत फलों के रस का प्रयोग किये जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (मंत्री श्री शरद यादव) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

कलकत्ता शहर का सुधार

[अनुवाद]

2237. श्री चित्त बसु : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता नगर निगम द्वारा कलकत्ता शहर के सुधार के लिए तैयार की गई 800 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना को पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्रम न्यायालयों में लम्बित मामले

2239. श्री आर. एन. राकेश :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री हरिश पाल :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम न्यायालयों में काफी अनेक मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का उनके शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31..2.89 को श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों के समक्ष 2,09,085 औद्योगिक विवाद और आवेदन पत्र तथा केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालयों के समक्ष 12,767 औद्योगिक विवाद और आवेदनपत्र लम्बित पड़े थे।

इन मामलों के निपटान में विलम्ब के लिए आम तौर पर पता लगाए गए कारण, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिक कार्य भार, पीठासीन अधिकारियों की रिक्तयां भरने में यदा कदा देरी, एडवोकेट की अनुपस्थिति जैसी प्रक्रियात्मक रुकावटें, सूचना प्रस्तुत करने के लिए आस्थगन मांगना, वरिष्ठ न्यायालयों के स्थगन आदेश या न्यायालय से बाहर समझौते करने के प्रयास करना आदि हैं।

(ग) औद्योगिक विवादों के शीघ्र न्यायनिर्णयन के लिए किए जा रहे उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) संराधन तंत्र को सुदृढ़ करना तथा उसमें सुधार करना ताकि संराधन अवस्था पर अधिकांश मामलों का निपटारा हो जाए;

(ii) श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के पदों में रिक्तियों को शीघ्र भरना;

(iii) जैसा उपयुक्त हो, अतिरिक्त श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों को गठित करना;

(iv) जहां संभव हो, लोक अदालतें आयोजित करना।

जीवन रक्षक तथा आवश्यक औषधियों की सूची

2240. **श्री राजमंगल मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद/संयुक्त राष्ट्र संघ/विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियों के लिए कोई सूची प्रकाशित की गई है;

(ख) क्या भारतीय औषधियां उक्त सूची के अनुरूप हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस विषमता का ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का भारत में औषधियों का उत्पादन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद/विश्व स्वास्थ्य संगठन/संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यक तथा जीवन रक्षक औषधि सूची तक सीमित रखने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनिवार्य औषधों की एक सूची संकलित की है। प्रस्तावना में यह उल्लेख किया गया है कि अनिवार्य औषधों का चयन स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं और प्रत्येक देश को स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे और विकास पर निर्भर करेगा।

(ख) देश में सामान्यतः विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनिवार्य औषधों की सूची में दी गई औषधों का विपणन होता है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान में वनस्पति तेल का उत्पादन

[हिन्दी]

2241. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में समूचे देश की तुलना में कितने प्रतिशत तिलहनों का उत्पादन होता है;

(ख) देश में वनस्पति तेल का कितना उत्पादन होता है और उसमें से राजस्थान में कितना उत्पादन होता है;

(ग) क्या राजस्थान में उत्पादित वनस्पति तेलों की मात्रा राज्य के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का वनस्पति तेल की फैक्टरियां स्थापित करने के लिए और अधिक लाइसेंस जारी करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) 1988-89 में खेती किए गए तिलहनों के उत्पादन पर आधारित समूचे देश की तुलना में राजस्थान में तिलहनों का उत्पादन 10.7 प्रतिशत है।

उसी वर्ष खेती किए गए स्रोतों से उत्पादित वनस्पति तेलों की मात्रा का अनुमान 42 लाख टन है। यदि यह मान लिया जाए कि राज्य में उत्पादित सारे तिलहनों का संसाधन भी राज्य में ही होता है और यह है कि तिलहनों/तेलों की राज्य से बाहर या बाहर से राज्य के अन्दर कोई अन्तर्राज्यीय परिचलन नहीं होता है तो वनस्पति तेल के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा अनुमानतः 14% है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान में उत्पादित वनस्पति तेलों की मात्रा राज्य के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है।

गंगा और चम्बल के जल को पाली तक ले जाना

2242. श्री गुमान मल लोढा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा और चम्बल के जल को राजस्थान के पाली जिले तक ले जाने के प्रस्ताव के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके बारे में सर्वेक्षण कब तक कराये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने केन्द्र को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। वेसिन राज्यों की सहमति से सर्वेक्षण करने और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य राज्य सरकार का है।

बिहार में चीनी मिलें

2243. श्री भोगेन्द्र झा : क्या खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य चीनी निगम के अधीन बिहार में कितनी चीनी मिलें हैं,

(ख) क्या सरकार ने राज्य में चीनी मिलों के आधुनिकरण की कोई योजना बनाई है, और

(ग) यदि हां, तो रैयाम, लोहाट और सकरी मिलों का आधुनिकरण कब तक किया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) खाद्य

विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार में 15 चीनी फैक्ट्रियां बिहार राज्य चीनी निगम के अधीन कार्य कर रही हैं।

(ख) और (ग) ये चीनी मिलें बिहार सरकार के एक निगम द्वारा चलाई जा रही है अतः इन मिलों के आधुनिकरण की योजना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही तैयार की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी

[अनुवाद]

2244. श्री तेज नारायण सिंह : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को समान भागीदारी देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) सरकार स्वतंत्रता से ही अनुसूचित जातियों/जनजातियों को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में लाने और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में उनकी समुचित प्रतियोगिता और समुचित हिस्सा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में इन समुदायों के लोगों के लिए स्थानों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि की सेवाओं में भी उनकी आबादी के अनुपात से उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है।

राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजनाएं तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आदिवासी उपयोजनाएं तैयार कर उनके सर्वांगीन विकास हेतु कार्यान्वित करते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 244 तथा 244(क), पांचवीं तथा छठी अनुसूची में आदिवासियों द्वारा उनसे संबंधित मामलों में उनके परामर्श और प्रतियोगिता की व्यवस्था है। छठी अनुसूची में स्वायत्त जिला/क्षेत्रीय परिषदों के तंत्र के माध्यम से आदिवासियों को उनके मामलों में सक्रिय रूप से शामिल करने, विकास प्रक्रिया तथा उन्हें न्याय दिलाने का प्रावधान है। ऐसी परिषदें मेघालय, मिजोरम, असम तथा त्रिपुरा के चार उत्तर पूर्वी राज्यों में कार्यरत है। छठी अनुसूची की अपेक्षा पांचवीं अनुसूची दृष्टिकोण में रक्षात्मक है। तथापि, पांचवें व छठे दोनों ही अनुसूचित क्षेत्रों में विकास-प्रक्रिया में आदिवासियों का सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करने की गुंजायश है जिसे कई प्रकार से प्राप्त किया जा

सकता है आदिवासी विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मामले आदिवासी सलाहकार परिषदों के सामने रखे जाते हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, अनुसूचित जाति/जनजाति विकास तथा कल्याण कार्य दलों ने उनके विकास के लिए कई सुझाव दिए है। इस योजनावधि के दौरान उनकी विकास- योजनाएं तैयार करने में इन सुझावों को ध्यान में रखा जा रहा है।

मध्य प्रदेश में बानसागर बांध परियोजना

2245. कुमारी उमा भारती : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बानसागर बांध परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बांध का निर्माण कार्य कब से आरम्भ हुआ;

(घ) इसके पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या है;

(ङ) बांध पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और देरी की वजह से व्यय में कितनी वृद्धि हुई है; और

(च) क्या नहरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी नहीं।

(ख) निधियों की कमी तथा भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापितों के पुनर्वास और पुनः स्थापना में कठिनाइयां विलम्ब के मुख्य कारण है।

(ग) अप्रैल, 1978

(घ) संशोधित कार्यक्रम के अनुसार	क्रेस्ट स्तर तक बांध	जून, 1992
	गेट सहित	जून, 1995

(ङ) जुलाई 1990 तक संचयी व्यय लगभग 222 करोड़ रुपये है। सामान्य मूल्य वृद्धि के अलावा, पुनर्वास के लिए संशोधित प्रावधानों से भी परियोजना की लागत में वृद्धि हुई है।

(च) नहर नेटवर्क को वर्ष 2000 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

रोगियों को डाक्टर द्वारा लिखी गई दवा देना

2246. श्री रामसागर (सैदपुर) : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोगियों को चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई कुछ दवाइयाँ नहीं दी जाती बल्कि कई बार उन दवाइयों की वैकल्पिक दवाइयां दी जाती हैं, और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि वैकल्पिक दवाइयों की बजाय चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई दवाइयां ही दी जाएं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई सभी औषधें लाभार्थी को जारी की जाती हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

औषधियों की खपत

2247. **श्री इरा अन्बारासु :**

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान औषधियां मुख्यतः एंटी बायोटिक्स औषधियों की खपत में पर्याप्त वृद्धि हुई है, और

(ख) औषधियों की खपत पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

[हिन्दी]

2248 **श्री के. डी. सुलतानपुरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए उस राज्य से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण हेतु सरकार ने राज्य सरकार को धनराशि प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया।

(ख) और (ग) जी हां। योजना आयोग ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (स्वास्थ्य क्षेत्र)

के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए 541 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की है।

(i) मौजूदा और स्थापित उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवनों के निर्माण को पूरा करना।

(ii) 20 नए उपकेन्द्र, 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना तथा उनके भवनों का निर्माण करना तथा स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए कर्मचारियों, उपकरणों, मशीनरी, औषधि तथा वाहनों आदि की व्यवस्था करना।

(iii) मंजूर किए गए ऐसे पद जो खाली पड़े हैं उन्हें भरना तथा वर्ष 1990-91 के दौरान 250 अतिरिक्त बहुत उद्देशीय कार्यकर्त्ताओं (पुरुष) को भर्ती करना।

आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत डाक्टरों को विशेष भत्ता

2249. श्री मानकू राम सोढ़ी :

श्री के. पधानी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था असंतोषजनक है और वहां अस्पतालों डाक्टरों और दवाइयों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने के लिए आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत डाक्टरों को विशेष भत्ता दिए जाने का है; और

(ग) क्या सरकार का नगरों में डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए डाक्टरों के लिए विशेष भत्ते के रूप से कोई धनराशि निर्धारित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : देश के आदिवासी क्षेत्रों में शिथिल मानदण्डों पर तैयार किए गए ग्रामीण स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत ढांचे के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। शिथिल आधार भूत ढांचे से संबंधित मानदण्ड सामान्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों के लिए क्रमशः 30,000 और 5,000 की जनसंख्या के बजाय क्रमशः 20,000 और 3,000 की जनसंख्या पर निर्धारित किए गए हैं।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सेक्टर बार और योजनावार प्रारूपों को अन्तिम रूप देने पर कारंवाई की जा रही है। इस प्रकार, प्रस्तावों के ब्यौरे देना संभव नहीं है।

राशन कार्ड जारी किया जाना

[अनुवाद]

2250. श्री कमलनाथ राय : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऐसे व्यक्तियों के लिए राशन कार्ड जारी करना बन्द करने का विचार है जो 2000/- रुपए प्रतिमाह से अधिक वेतन ले रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के श्रमिकों की छटनी

2252. श्री बसुदेव आचार्य : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के नलगोंडा गोदाम के नैमितिक श्रमिकों की भारी संख्या में छंटनी की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में गए थे और उन्होंने अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त किया था;

(ग) क्या उनको सेवा में बहाल नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम ने नालगोंडा जिले में स्थिय क्रैप भण्डारण को बन्द कर देने के कारण दिहाड़ी के 82 नैमित्तिक पहरेदारों की सेवाएं समाप्त कर दी थी। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिए हैं कि वे जब कभी रिक्तियां हों, तब नोकरी से निकाले गए कामगारों को अग्रता के आधार पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन नोकरो में पुनः लगाने के बारे में विचार करें। नियुक्तियां न होने के कारण भारतीय खाद्य निगम के लिए उन्हें नोकरी में पुनः नियुक्त करना अभी तक सम्भव नहीं हुआ है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम इस दिशा में प्रयास कर रहा है।

गैर-परम्परागत खाद्य तेलों का उपयोग

2253. श्री शांताराम पोटदुखे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनस्पति उद्योग से गैर-परंपरागत खाद्य तेलों के उपयोग के संबंध में अपने प्रयास को तीव्र करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों के संबंध मे उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) जी हां। वनस्पति उद्योग ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई है।

राष्ट्रीय संदर्शी योजना

2254. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने "राष्ट्रीय संदर्शी योजना, 1980" नाम की कोई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना की प्रणाली के अन्तर्गत नदियों के जल को एक दूसरे के अन्तरित करने का विचार है;

(घ) क्या दक्षिणी राज्यों की सिंचाई और पेय जल की समस्या को सुलझाने का एक मात्र उपाय महानदी और गोदावरी के अतिरिक्त जल को अन्तरित करना है; और

(ङ) यदि हां, तो इन योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल अन्तरित करके राष्ट्रीय स्तर पर भारत में जल संसाधन के विकास के लिए, केन्द्रीय सरकार ने 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है जिसमें दो घटक हिमालयी नदी विकास घटक तथा प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं। दोनों में जल के अन्तर-बेसिन अन्तरण की परिकल्पना है। अन्य के साथ-साथ, जल की कमी वाले बेसिनों तथा दक्षिण में सूखा प्रवण क्षेत्रों की अतिरिक्त आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा-कावेरी संपर्क बनाने का भी विचार है। जुलाई 1982 में केन्द्रीय सरकार ने प्रारम्भ में प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक जिसमें 17 जल अन्तरण संपर्क पर अध्ययन किए जाने अपेक्षित है, पर अध्ययन शुरू करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की है। इस अभिकरण द्वारा 5 जल संपर्कों पर प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्टें पहले ही तैयार की जा चुकी है।

नर्मदा सागर परियोजना पर किया गया खर्च

[हिन्दी]

2255. प्रो. महादेव शिवनकर : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1990 तक नर्मदा सागर परियोजना पर कुल कितना खर्च किया गया है;

(ख) इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है और यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी;

(ग) मूल रूप से इसे कब तक पूरा हो जाना था और इस विलम्ब के कारण इसकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इस परियोजना के लिए अब तक कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है और परियोजना के कार्यान्वयन और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कितनी विदेशी मुद्रा भविष्य में प्राप्त होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनु भाई कोटड़िया) : (क) और (ख) नर्मदा सागर परियोजना की अनुमानित लागत 1988 के मूल्य स्तर पर 1993.67 करोड़ रुपये हैं। पहली जुलाई, 1990 तक परियोजना पर खर्च की गई राशि 133.97 करोड़ रुपए है। तथापि, परियोजना के वृहद घटकों अर्थात कांक्रीट बांध, सैंडल बांध, विद्युत घर तथा वितरण प्रणाली के साथ 0 से 81.59 कि. मी. तक की मुख्य प्रवाह नहर का निर्माण 1998 तक पूरे किए जाने की योजना है।

(ग) इस परियोजना की वर्ष 1982 में मूलतः अनुमानित लागत 920.91 करोड़ रुपए की थी और इसे 1991-92 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य था।

(घ) इस परियोजना को विश्व बैंक के ऋण सहायता की सूची में रखा गया है। तथापि, बैंक के साथ अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।

तमिलनाडु में होजियरी व्यापार के लिए स्थान

[अनुवाद]

2256. श्री वी. राजा रवि वर्मा : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि तमिलनाडु के तिरुप्पुर से जुड़े हुए उडुमलपेट नामक स्थान होजियरी व्यापार के क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिये उपयुक्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) होजयरी उद्योग के लिए के लिए अडुमलपेट का विशेष रुप से विकास करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी सरकार को होजरी उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में तिरुपुर की महत्ता की जानकारी है तथा तिरुपुर में और उसके आस पास के क्षेत्रों में इस उद्योग का और विकास करने को सुकर बनाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

हस्तशिल्प के सामान का निर्यात

1257. श्री डी. डी. खनोरिया : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों का नाम क्या है जहां हस्तशिल्प के सामान का निर्यात किया जाता है; और

(ख) हस्तशिल्प के सामान का कितना उत्पादन होता है और आठवीं अवधि के लिए इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) मुख्य देश है, संयुक्त राज्य अमरीका, पश्चिम जर्मनी, यू. के. सोवियत संघ, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, आस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, सऊदी अरब और स्विटजरलैण्ड।

(ख) हस्तशिल्पों के राज्यवार उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं है। फिर भी सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान हस्तशिल्प के अनुमानित उत्पादन आंकड़े नीचे दिए गए हैं—

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रु. में)
1985-86 (उपलब्धि)	4100
1986-97 (-वही-)	5200
1987-88 (-वही-)	6150
1988-89 (-वही-)	8250
1989-90 (प्रत्याशित)	97.50

आठवीं योजना के लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

बिहार में चिकित्सा संस्थान

[हिन्दी]

2258. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान की भांति बिहार में एक चिकित्सा संस्थान खोलने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ बिहार के मधुबनी जिले के अन्तर्गत झंझारपुर मे भी किसी स्थान का चयन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संस्थान के कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) झंझारपुर, बिहार में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सिद्धान्तों पर एक मेडिकल कालेज खोलने का केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) बिहार राज्य सरकार ने पहले ही पटना में एक स्नातकोत्तर संस्थान खोल दिया है जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए विशिष्ट उपचार सुविधाएं प्रदान करेगा।

कानपुर में गंगा के ऊपर बांध का निर्माण

[अनुवाद]

2259. श्री केशरी लाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में गंगा नदी पर बांध के निर्माण के सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या बांध के निर्माण के लिये आरम्भिक कार्य पूरा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य के कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितनी लागत आने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (घ) कानपुर के पास गंगा पर बराज के निर्माण के लिए 151 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु केन्द्र में प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार को माडल अध्ययनों के आधार पर रिपोर्ट को संशोधित करने की सलाह दी गयी है ।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन

*2260. डा. सी. सिलवेरा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में बाल कल्याण के कार्यकलापों में लगे आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का इन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने का भी विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है. और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे किन-किन नियमों के अन्तर्गत अस्वीकृत किया गया है ?

कल्याण मंत्रालय के स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उपमंत्री (श्रीमती ऊषा सिंह) : (क) और (ख) : ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तथा शहरी गन्दी बस्तियों में समेकित बाल विकास सेवा (आई. सी. डी. एस.) योजना में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में संशोधन के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ।

(ग) और (घ) इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है । आई. सी. डी. एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अंशकालिक प्रतिदिन 4½ घन्टे (स्वयंसेवी कार्य कर्ता होते हैं, जिन्हें स्थानीय समुदाय से चुना गया होता है । इसलिए उन्हें केवल मानदेय ही दिया जाता है ।

अनाथालय और अनाथों के लिए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना

2261. श्री के. मुरलीधरन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने अनाथालय हैं ;

(ख) इन अनाथालयों में कितने अनाथ हैं;

(ग) क्या इन अनाथालयों/निर्धन गृहों में कोई शिक्षित बेरोजगार अनाथ है;

(घ) क्या सरकार का इन्हें रोजगार देने के लिये आरक्षण पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या सरकार का अनाथों को रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में इन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के बराबर लाने पर विचार करने का प्रस्ताव है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) देश में अनाथालयों की कुल संख्या के बारे में सूचना, हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अनाथालय केन्द्रीय और राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी निकायों तथा व्यक्तियों द्वारा सरकारी सहायता से अथवा इसके बगैर स्थापित तथा संचालित किए जाते हैं। तथापि, कल्याण मंत्रालय राज्य सरकार की सहायता से देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण हेतु, केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1979-80 से 914 निराश्रित गृहों को जहां लगभग 46,000 बच्चों को देखभाल तथा सुरक्षा प्रदान की जाती है अनुदान प्रदान करता है।

(ग) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत 16 अथवा 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे गृहों में रखे जाते हैं। जहां कहीं आवश्यक हो उन्हें पूर्णतः पुनर्वासित करने के उद्देश्य से बच्चों को आगे शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण करने लिए इस अवधि में बढ़ोतरी की जा सकती है।

(घ) और (ङ) इस प्रकार के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उड़ीसा को लेवी चीनी

2262. श्री नकुल नायक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा राज्य में चीनी की बढ़ती हुई मांग की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वर्ष 1990-91 के दौरान उड़ीसा को चीनी आवंटन में वृद्धि करने का विचार है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार से चीनी आवंटन में वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं;

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (घ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को लेवी चीनी का आवंटन उनकी मांग या अनुरोध पर नहीं किया जाता वरन् 1.10.1986 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम 425 ग्राम मासिक चीनी को

उपलब्धता सुनिश्चित करने के समान मानदंडों के आधार पर किया जाता है। ये मानदंड 1 फरवरी, 1987 से लागू हैं। तदनुसार उड़ीसा का मासिक लेवी कोटा 12 93.0 टन है।

लेवी चीनी की वर्तमान उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस समय इन मानदंडों में संशोधन करना संभव नहीं होगा।

नई चीनी नीति

2263. श्री रामदास सिंह :

श्री सी. एम. नेगी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीनी-उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चीनी उद्योग हेतु एक संशोधित नीति तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) वर्तमान नीति में चीनी का अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन देने की पहले ही व्यवस्था है।

(ख) हाल ही में कुछ मामलों के सम्बन्ध में यथासंशोधित नीति में निम्नलिखित मुख्य-मुख्य बातें हैं :—

(1) उदार लाइसेंसिंग;

(2) गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की घोषणा;

(3) जल्दी और देर तक पिराई करने पर प्रोत्साहन;

(4) गन्ना विकास स्कीमों के लिए सहायता; और

(5) वर्तमान फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण और क्षमता का विस्तार करने के लिए सहायता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संगठनों को खाली पड़े भूखण्डों का आबंटन

2264. श्री रामजी लाल सुमन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में संस्थागत, भूमि के आबंटन में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और कल्याण संगठनों को प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) क्या इन संगठनों द्वारा जिन आवंटित न किये गए भूखण्डों को आवंटित करने की मांग की है उन्हें भूखंड आवंटित किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में, यदि कोई, दिशानिदेश जारी किये गए हैं, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का अब ऐसे कोई दिशानिदेश निर्धारित करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) संस्थागत भूखण्डों का आबंटन दिल्ली प्रशासन/भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों के समर्थन/सिफारिशों के आधार पर तथा निर्धारित मूलभूत औपचारिकताएँ पूरी करने की शर्त पर किया जाता है, और इसलिए, वर्तमान में किसी प्रकार के आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

सेन्ट्रल होम्योपैथिक रिसर्च सेन्टर के भवन का नवीकरण

2265. श्री रमेश चेन्नीथाला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में साचीवोत्यामापुरम कोट्टयाम जिले के स्थित सेन्ट्रल होम्योपैथिक रिसर्च सेन्टर के भवन नवीकरण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के विकास के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (होम्योपैथी), कोट्टयाम, केरल सरकार द्वारा प्रदान किए गए भवन में स्थित है। केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद भवन की चरणबार ढंग से तत्काल का मरम्मत कार्य कर रही है।

(ख) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार इस संस्थान को केवल व्यवहार संबंधी विकारों के संस्थान के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

"कास्मेटिक लाइसेंस जारी करना

2266. श्री रवि नारायण पाणि : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवेदकों को कास्मेटिक लाइसेंस" प्रदान करने से संबंधित नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) औषध नियंत्रक के पास कास्मेटिक लाइसेंस जारी करने संबंधी लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उक्त आवेदनों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) किसी प्रसाधन सामग्री की बिक्री अथवा वितरण के लिए विनिर्माण हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लाइसेंसिंग प्राधिकरण को आवेदन किया जाता है। प्रसाधन सामग्री लाइसेंस जारी करने हेतु आवेदक द्वारा औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के नियम 139 में निर्धारित की गई शर्तों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार उत्तर इस प्रका है :—

भाग (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई।

भाग (ग) ऐसे आवेदनों जो आवेदक से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण लम्बित पड़े होते है, आवेदक से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी।

2. जहां निरीक्षण/आवेदन की जांच के बाद जारी किए गए ज्ञापन के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, वहां आवेदनों पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

3. जो आवेदन जांच पड़ताल न होने की वजह से लम्बित पड़े हैं, उनकी शीघ्र जांच-पड़ताल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण

दिल्ली प्रशासन के औषध नियन्त्रण विभाग में लम्बित पड़े प्रसाधन सामग्री विनिर्माण लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पत्रों का विवरण

क. सं.	आवेदक का नाम व पता	लम्बन के कारण
1	2	3
1.	मे. लिविया कास्मेटिक्स, 254-बी, गली न. 3 और 5 ब्लाक भोलानाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली-32	फर्म को एक ज्ञापन जारी किया गया है कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी, दिल्ली से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करे। अनुपालन न किए जाने के कारण लम्बित
2.	बोनी कास्मेटिक्स, बी-10 मोतिया खान, नई दिल्ली-55	—तदेव—
3.	मे. मोरमी कास्मेटिक्स, सी-77 ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया फेज-1, नई दिल्ली।	फर्म को यह ज्ञापन जारी कर दिया गया है कि वे फर्म से निरीक्षण के बाद पाई गई कमियों को दूर करे. फर्म द्वारा अनुपालन न किए जाने के कारण लम्बित।
4.	मे. कुलक्षन परफ्यूमरी क. 7814/8, नई बस्ती, बाड़ा हिन्दूराव, दिल्ली-6	—तदेव—
5.	मे. ओंकार बदायूं फैक्टरी, एफ एन सी 311, पुठ मसान, दिल्ली-41	केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन, नार्थ जोन के अधिकारी के पास जांच पड़ताल के कारण लम्बित। उप औषध नियन्त्रक, गाजियाबाद (भारत) का एक पत्र लिख कर उनसे अनुरोध किया गया है कि वह उक्त फर्म के परिसरों का एक संयुक्त निरीक्षण करने के लिए अपने

1	2	3
		संगठन के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।
6.	मे. सारथी कास्मेटिक्स, 10296, आजाद मार्किट, दिल्ली-6	निरीक्षण कर लिया गया है, फाइल पर कार्यवाही की जा रही है।
7.	मे. रतन लाला एण्ड क. (प्रा.) लिमि., 36, डी.एस.आई.डी.सी., वजीरपुर इंडस्ट्रियल कम्पलैक्स, दिल्ली-52	निरीक्षण के बाद कमियों को दूर करने के लिए एक ज्ञापन जारी कर दिया गया है। फर्म से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण लम्बित।
8.	मे. सुपर सिस्टम कास्मेटिक्स, जे. 97, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली-18	निरीक्षण के बाद कमियों के लिए एक ज्ञापन जारी किया गया है। अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। अनुपालन रिपोर्ट का सत्यापन न होने की वजह से लम्बित।
9.	मेसर्स शेड्डूक प्रोडक्टस, आजाद मार्केट, दिल्ली	निरीक्षण के बाद कमियों के बारे में एक ज्ञापन जारी किया गया था। आवेदक द्वारा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अनुपालन रिपोर्ट सत्यापित की गई है और इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

10.	मेसर्स साहनी कास्मेटिक्स, पहाड़ी धीरज, दिल्ली-6	परिसर का निरीक्षण करने के बाद कमियों के बारे में एक ज्ञापन जारी किया जा रहा है।
11.	मेसर्स जगदीश सोप वर्क्स, पंजाबी बस्ती, सब्जी मण्डी, दिल्ली-7	आवेदन पत्र हाल ही में प्राप्त हुआ और निरीक्षण के अभाव में लम्बित है।
12.	मेसर्स भारत रूकयूमरी कम्पनी, शास्त्री नगर, दिल्ली-52	आवेदन पत्र हाल ही में प्राप्त हुआ और निरीक्षण के अभाव में लम्बित है।
13.	मेसर्स आर. ए. प्रोडक्ट्स, 17 साहीपुर, शालीमार बाग, दिल्ली-52	निरीक्षण के बाद कमियों के बारे में जारी किए गए ज्ञापन के अनुपालन की सूचना फर्म ने दी है और इस मामले पर आगे कार्रवाही की जा रही है।
14.	मेसर्स ए.के. कास्मेटिक्स, ई-5, रघुबीर नगर, नई दिल्ली	—तदेव—
15.	मेसर्स एवमी कास्मेटिक्स कम्पनी-11103, गली स्वर्ण वाली, मोतिया खान, नई दिल्ली	आवेदन पत्र हाल ही में प्राप्त हुए हैं और निरीक्षण के अभाव में रुके पड़े हैं।
16.	मेसर्स नेशनल ब्यूटी प्रोडेक्टस, 3013/4, गली न.-18, रणजीत नगर, नई दिल्ली।	—तदेव—
17.	एवियन फ्रेगरेंसिज, खसरा न. 7/19, ग्राम, लिबासपुर, भटाला रोड, सूप नगर, दिल्ली	आवेदन पत्रों की समीक्षा करने के बाद कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एक ज्ञापन जारी किया गया है और फर्म के अनुपालन करने के लिए यह रुके पड़े हैं।
18.	मेसर्स जैन एन्टरपाइजिज, सराय रोहिल्ला, दिल्ली	आवेदन पत्र हाल ही में प्राप्त हुए और निरीक्षण न होने के कारण रुके पड़े हैं।
19.	मेसर्स के. कास्मेटिक्स, पीरो गढ़ी, दिल्ली	
20.	मेसर्स वर्धमान फूड एंड फर्मास्यूटिकल्स, बदरपुर, नई दिल्ली	

विदेशियों द्वारा बच्चों को गोद लिया जाना

2267. श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने विदेशियों द्वारा भारत से बच्चे गोद लिए गए और अपने साथ विदेश ले गये;

(ख) क्या भारत छोड़ने के बाद इन बच्चों को होने वाली कठिनाइयों का पता लगाने के लिए कोई तंत्र है;

(ग) केन्द्रीय क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि भारत से गोद लिए गए और विदेशों को ले जाये गए बच्चों को उत्पीड़ित किया जाता है और उनके शरीर के अंगों को बेच दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

श्रम मन्त्री कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार अभिभावक और बच्चा अधिनियम 1890 के अधीन उन विदेशियों की संख्या जो दत्तक ग्रहण हेतु भारत से बच्चे ले गए थे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	बच्चों की संख्या
1987	792
1988	686
1989	793

(ख) उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार भारत सरकार द्वारा समय-समय पर भावी दत्तक ग्राही अभिभावकों के देशों में स्थित भारतीय दूतावासों अथवा उच्चायोगों को दत्तक ग्रहण हेतु विदेशों में ले जाए गए ऐसे बच्चों के नाम, पते और विवरण भेजे जाते हैं और दूतावास और उच्चायोग को जैसा भी मामला हो ये अनुरोध किया जाता है कि उन्हें ऐसे बच्चों के कल्याण और प्रगति पर नजर रखनी चाहिए।

(ग) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनसंख्या वृद्धि

2268. श्रीमती उमा गजपति राजू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 2.08 प्रतिशत है, जबकि इसकी तुलना में चीन की दर 1.38 प्रतिशत है;

(ख) क्या विशेषज्ञों का यह मत है कि जनसंख्या वृद्धि की इस भारी दर पर, महिलाओं को शिक्षा तथा रोजगार के अवसर प्रदान कर उनके सामाजिक स्तर में सुधार करने से ही स्थायी तौर पर अंकुश लगाया जा सकता है; और

(ग) वर्ष 2050 तक जनसंख्या वृद्धि की शून्य दर प्राप्त करने के लिए परिवार कल्याण योजनाओं को सफल बनाने हेतु क्या विशिष्ट समेकित उपाय करने पर विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) सरकार को चीन के मुकाबले भारत में हो रही अधिक जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानकारी है । वर्ष 1988 के लिए भारत की सहज वृद्धि दर के नवीनतम उपलब्ध अनुमान 2.05 प्रतिशत हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) देश की आबादी को नियंत्रणीय सीमा में रखने के लिए एक सुस्पष्ट कार्यनीति तैयार की गई है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को जीवित रखने की दर में वृद्धि करने, जनसंख्या शिक्षा को तेज करने, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने, उन्नत संचार नीति अपनाने तथा इसमें स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने पर बल दिया गया है । बुनियादी स्तर के कार्मिकों को प्रशिक्षण तथा पुन: प्रशिक्षण प्रदान करने की स्कीमों के अतिरिक्त इससे संबंधित विकास कार्यक्रमों जैसे महिला साक्षरता तथा महिलाओं के स्तर में सुधार करने तथा गहन क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाने जैसे कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं और इन्हें आगे भी सुदृढ़ किया जाएगा ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों के पंजीकरण पर रोक

[हिन्दी]

2269. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

श्री राम बहादुर सिंह :

श्री मदन लाल खुराना :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री कमल नाथ :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में डाक्टर-रोगी का अनुपात कितना-कितना है;

(ख) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों के दैनिक पंजीकरण की संख्या पर रोक लगा दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस नीति के कारण कैज्यूल्टी वार्ड में आने वाले रोगियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) डाक्टर-रोगी अनुपात किसी अस्पताल के अलग-अलग विभागों और दिल्ली के अलग-अलग अस्पतालों में भिन्न-भिन्न हैं।

(ख) से (ङ) जी, नहीं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि वह 13 सामान्य बहिरंग रोगी विभाग और 5९ विशिष्ट क्लिनिक चलाता है और इन बहिरंग रोगी विभागों और क्लिनिकों में आने वाले सभी रोगियों की उपयुक्त देखभाल की जाती है। लगभग केवल एक माह के लिए (15 मई, 1990 से 15 जून, 1990 तक) मेडिसिन विभाग में परामर्शदाताओं और वरिष्ठ रेजीडेंटों की कमी (कारण केवल मेडिकल बहिरंग रोगी विभाग में कुछ प्रतिबन्ध लगाया गया था। शेष बहिरंग विभागों ने सामान्य कामकाज किया। यहां तक की प्रश्नाधीन अवधि के दौरान भी किसी भी जरूरतमन्द रोगी को इलाज अथवा परामर्श देने से मना नहीं किया गया।

रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय में रोजगार निदेशालय

[अनुवाद]

2270. श्री तरंग साय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालयों को राज्यों को स्थानांतरित किये जाने के बाद रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय में रोजगार निदेशालय के कार्यकलापों में स्थिरता आ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उच्च योग्यता प्राप्त तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवाओं का उपयोग करने के लिए इसे नये प्रकार के कार्य सौंपने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्रेणी-वार विकलांग व्यक्ति

[हिन्दी]

2271. स. अतिन्दर पाल सिंघ :

श्री के. एस. राव :

श्री कैलाश मेघवाल :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य में श्रेणी-वार कुल कितने व्यक्ति हैं;

(ख) इन व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का इन्हें ब्याज मुक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है;

(घ) क्या दृष्टि विहीनों, दोनों हाथो और टांगों से विकलांग व्यक्तियों को ब्याज-मुक्त ऋण दिये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(च) क्या सरकार का विकलांगों के कल्याण हेतु कोई नई योजनायें शुरू करने का विचार है; और यदि हा, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 1981 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, देश में श्रेणीवार तथा राज्यवार विकलांग व्यक्तियों की कुल अनुमानित संख्या संलग्न विवरण I से 4 में देखी जा सकती है।

(ख) विकलांग व्यक्तियों को आत्म-निर्भर बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएं संलग्न विवरण 5 में दी गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) केन्द्रीय सरकार 1990-91 के दौरान निम्नलिखित तीन नई योजनाएं प्रारम्भ करेगी,

(1) विकलांगों का शीघ्र पता लगाने के लिए ग्रामीण शिविर लगाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता;

(2) स्पाटिक्स तथा मन्द बुद्धि व्यक्तियों हेतु काम करने वाली संस्थाओं को सहायता की योजना।

(3) विकलांगों हेतु आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए राज्यों को सहायता।

विवरण-I

चुनिंदा राज्यों के लिए लोकोमीटर विकलांगता वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या (प्रति लाख)

राज्य	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1030	849

1	2	3
असम	271	295
बिहार	895	696
गुजरात	769	646
हिमाचल प्रदेश	811	584
जम्मू एवं कश्मीर	915	485
कर्नाटक	835	660
केरल	874	842
मध्य प्रदेश	686	637
महाराष्ट्र	775	635
मणिपुर	300	477
मेघालय	302	244
नागालैण्ड	कोई ग्रामीण नमूना नहीं	241
उड़ीसा	729	629
पंजाब	1392	854
राजस्थान	1023	892
तमिलनाडु	848	769
त्रिपुरा	695	683
उत्तर प्रदेश	810	694
पश्चिम बंगाल	676	431
चण्डीगढ़	640	1058
दादर एवं नगर हवेली	398	कोई शहरी क्षेत्र नहीं
दिल्ली	844	443
गोवा, दमन एवं दीव	923	591
मिजोरम	487	365
पाण्डिचेरी	1182	836
हरियाणा	1006	973
	828	679

विवरण-2

पांच वर्षों से अधिक आयु के श्रवण विकलांगों की अनुमानित संख्या (प्रति लाख)

राज्य	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	749	510
2. असम	381	354
3. बिहार	495	365
4. गुजरात	338	274
5. हरियाणा	662	538
6. हिमाचल प्रदेश	612	207
7. जम्मू एवं कश्मीर	598	262
8. कर्नाटक	599	405
9. केरल	489	413
10. मध्य प्रदेश	314	205
11. महाराष्ट्र	484	275
12. मणिपुर	333	187
13. मेघालय	635	146
14. उड़ीसा	842	382
15. पंजाब	592	384
16. राजस्थान	505	426
17. तमिलनाडु	829	728
18. त्रिपुरा	584	447
19. उत्तर प्रदेश	490	337
20. पश्चिम बंगाल	656	350
21. चण्डीगढ़	680	359
22. दादर एवं नगर हवेली	407	कोई शहरी क्षेत्र नहीं
23. दिल्ली	480	359

1	2	3
24. गोवा, दमन एवं दीव	224	106
25. मिजोरम	896	494
26. पाण्डिचेरी	1292	1307
27. नागालैण्ड	सर्वेक्षण नहीं किया	87
अखिल भारतीय	553	390

विवरण-3

पांच वर्ष से अधिक आयु के वाणी विकलांगों की अनुमानित संख्या (प्रति लाख)

राज्य	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
आंध्र प्रदेश	443	373
असम	244	213
बिहार	334	258
गुजरात	169	164
हरियाणा	269	625
हिमाचल प्रदेश	379	127
जम्मू और कश्मीर	523	298
कर्नाटक	343	291
केरल	418	470
मध्य प्रदेश	174	161
महाराष्ट्र	194	199
मणिपुर	131	116
मेघालय	513	11
नागालैंड	सर्वेक्षण नहीं हुआ	31
उड़ीसा	303	214

1	2	3
पंजाब	270	291
राजस्थान	250	272
तमिलनाडु	372	353
त्रिपुरा	319	329
उत्तर प्रदेश	307	342
पश्चिम बंगाल	341	168
चंडीगढ़	355	419
दादर और नगर हवेली	213	कोई शहरी क्षेत्र नहीं
दिल्ली	522	319
गोवा दमन और द्वीप	249	841
मिजोरम	640	359
पांडिचेरी	568	379
अखिल भारतीय	304	304

विवरण-4

बुद्धि विकलांगों की अनुमानित संख्या (प्रति लाख)

राज्य	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
आंध्र प्रदेश	769	426
असम	190	168
बिहार	518	291
गुजरात	481	244
हरियाणा	530	473
हिमाचल प्रदेश	398	348
जम्मू और कश्मीर	248	141
कर्नाटक	593	315

1	2	3
केरल	255	303
मध्य प्रदेश	484	309
महाराष्ट्र	528	307
मणिपुर	203	68
मेघालय	251	139
नागालैंड	सर्वेक्षण नहीं किया गया	36
उड़ीसा	748	501
पंजाब	727	373
राजस्थान	635	376
तमिलनाडु	565	636
त्रिपुरा	585	395
उत्तर प्रदेश	664	394
पश्चिम बंगाल	364	219
चंडीगढ़	143	111
दादर और नगर हवेली	318	कोई शहरी क्षेत्र नहीं
दिल्ली	419	173
गोवा, दमन और दीव	451	216
मिजोरम	226	95
पांडिचेरी	814	1259
अखिल भारत :	553	356

विवरण-5

विकलांग व्यक्तियों को आत्म-निर्भर बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है :—

1. विकलांग व्यक्तियों हेतु संगठनों को सहायता की योजना

इस योजना के अन्तर्गत, विकलांग व्यक्तियों के वास्ते काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों

को सहायतानुदान दिया जाता है। विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण नियोजन तथा पुनर्वास सुविधाएं दिलाने के लिए ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को 90% तक वित्तीय सहायता दी जाती है।

2. सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना

इस योजना के तहत् 25/-रु. से 36000/-रु. के बीच की कीमत के सहायक यंत्र उपकरण विकलांगों को उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान इस प्रकार दिए जाते हैं :

(i) 1200/-रु. मासिक से कम आय वालों को मुफ्त तथा (ii) 1201/-रु. से 2500/-रु. मासिक आय वालों को 50% लागत पर यह योजना, देश भर में फैली स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

इस योजना के तहत, दृष्टि विकलांगों, श्रवण विकलांगों तथा अस्थि विकलांगों को सहायक यंत्र तथा उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।

3. विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्तियां

नेत्रहीनों समेत शारीरिक विकलांगों को, 9 कक्षा से आगे अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए, छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने की भारत सरकार की एक योजना है। प्रशिक्षण के लिए भी छात्र-वृत्तियां दी जाती है। दिवा-छात्रों तथा छात्रवासियों के अध्ययन-पाठ्यक्रमानुसार भिन्न-भिन्न इन छात्रवासियों के अध्ययन-पाठ्यक्रमानुसार भिन्न-भिन्न इन छात्रवृत्तियों के अलावा, नेत्रहीनों को वाचक (रीडर) भत्ता भी दिया जाता है।

4. जिला पुनर्वास केन्द्र

जिला पुनर्वास केन्द्रों की योजना प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी। इन केन्द्रों के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों को, व्यावसायिक पुनर्वास सहित समग्र एवं समेकित सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाते हैं। अभी तक देश भर में 11 जिला पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

5. राष्ट्रीय संस्थान

केन्द्र सरकार ने, विकलांगता के अपने अपने क्षेत्रों के शीर्षस्थ संगठनों के रूप में निम्नलिखित चार राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए हैं :—

(i) राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून;

(ii) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कलकत्ता;

(iii) अलीयावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई;

(iv) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद;

इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों को सामान्य सेवाएं, उपलब्ध कराने के लिए निम्न-लिखित दो संस्थाएं, प्रमुख रूप से सेवा संस्थाओं के रूप में स्थापित की गई है;

(1) शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली;

(2) राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, ओलतपुर, उड़ीसा;

6. रोजगार

(1) आरक्षण : केन्द्र सरकार के वर्ग "ग" तथा "घ" पदों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के समकक्ष पदों की 1-1 प्रतिशत रिक्तियां क्रमशः नेत्रहीनों बधिरों तथा अस्थि विकलांगों के लिए आरक्षित की गई है।

(2) शारीरिक विकलांगों हेतु विशेष रोजगार कार्यालय लाभदायक रोजगारों में विकलांगों की अनन्य रूप से सहायता हेतु. शारीरिक विकलांगों के लिए 22 विशेष रोजगार कार्यालय तथा सामान्य रोजगार कार्यालय में 42 विशेष प्रकोष्ठ खोले गए हैं। इसके अलावा, सामान्य रोजगार केन्द्र भी उन्हें उपयुक्त रोजगार खोजने में सहायता देते हैं।

(3) व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र : इस समय देश भर में 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र खुले हुए हैं। व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों द्वारा दी गई सेवाओं में, चिकित्सा मूल्यांकन व्यावसायिक मूल्यांकन, कौशल विकास तथा नियोजन शामिल है।

महिलाओं के लिए गर्भनिरोधक (कंडोम)

[अनुवाद]

2272. श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में सर्जनों तथा चिकित्सा विशेषज्ञों ने महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक (कंडोम) विकसित किया है जिसे उस देश में विपणन के लिए अमरीका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) क्या भारत में गर्भनिरोधक (कंडोम) का निर्माण करने के लिए संयन्त्र स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को इसे भेजने से पूर्व भारत में बाजार सर्वेक्षण करने के लिए बड़ोदा स्थित आपरेशन रिसर्च ग्रुप द्वारा इसका परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी अद्यतर स्थिति क्या है;

(घ) इस साधन की मुख्य बातें क्या-क्या हैं; और

(ङ) क्या भारतीय परिस्थितियों में इसकी उपयुक्तता के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) संयुक्त

राज्य अमेरिका के वायोमिंग के एक जनरल सर्जन डा. ए. वी. के. रेड्डी ने महिलाओं के इस्तेमाल के लिए एक लेटेक्स रबड़ युक्ति का विकास किया है जो कि "कंडोम" की तरह का है। संयुक्त राज्य की एक फार्मास्यूटिकल फर्म "एकान रबड़ डेवलपमेंट" ने इसका निर्माण करने के लिए डा. रेड्डी के साथ सहयोग किया है। डा. ए. वी. के. रेड्डी ने दावा किया है कि यह युक्ति खाद्य और औषध प्रशासन (एफ. डी. ए) द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) इस युक्ति में एक डिस्पोजेबल लेटेक्स डिवाइस होती है जो योनि के अन्दर सरलता से लगाई जा सकती है और मूलाधार को भी कवर करती है। इसे संभोग से पहले योनि के अन्दर लगाया जा सकता है और इससे साथी के शारीरिक स्राव के साथ किसी सम्पर्क को रोकने में कारगर होने का दावा किया गया है। इस प्रकार इसके कथित लाभ गर्भनिरोधक सुविधा के साथ साथ-साथ एड्स और यौन संचारित रोग से बचाव करना भी है।

(ङ) हमारे देश में इसकी उपयुक्तता के आकलन के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य

2273. श्री कैलाश मेघवाल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा समर्थन मूल्यों में की गई वृद्धि के कारण खरीफ फसल के बड़े हिस्से की वसूली का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो फसलवार कितनी अतिरिक्त वसूली किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार के पास इस प्रकार वसूल किए गए खाद्यान्न आदि के भंडारण, परिवहन रख-रखाव, बिक्री और वित्त के साधन उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम और राज्य की वसूली एजेंसियां स्वैच्छिक आधार पर मूल्य समर्थन के अधीन धान और मोटे अनाजों की वसूली करती हैं ताकि किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके और उन्हें समर्थन मूल्यों से कम मूल्यों पर धान और मोटे अनाजों की मजबूरन बिक्री न करनी पड़े। चावल की वसूली केन्द्रीय सरकार द्वारा लेवी चावल के लिए निर्धारित किए गए वसूली मूल्यों पर सांविधिक लेवी के अधीन चावल मिल मालिकों से की जाती है। धान/मोटे अनाजों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि कर देने और निरन्तर तीसरे वर्ष खाद्यान्नों के उत्पाद की अच्छी संभावनाएं होने के कारण मूल्य समर्थन योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम और राज्य की वसूली एजेंसियों द्वारा भारी मात्रा में धान/मोटे अनाजों की वसूली कर लेने की संभावना है। तथापि, इस समय कोई अनुमान नहीं लगाए जा सकते हैं क्योंकि किसानों द्वारा स्वैच्छिक बिक्री पर वसूली आधारित होती है।

(ग) और (घ) संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से भंडारण, परिवहन, परिरक्षण और वित्त आदि जैसे सभी पहलुओं सहित 1990-91 के खरीफ विपणन मौसम के दौरान धान और मोटे अनाजों के बारे में मूल्य समर्थन परिचालनों तथा लेवी चावल की वसूली का प्रभावकारी ढंग से प्रबंध करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को धन-राशि दिया जाना

2274. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड ने दिल्ली के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को मंजूरी जारी की है तथा धन-राशि प्रदान की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा है ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उपमन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और और (ख) जी हां। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 (17 अगस्त, 1990 तक) के दौरान दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा संस्थाओं को स्वीकृत धनराशि, उनके स्थान और लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या जैसे अन्य ब्योरे सहित संस्थानों के नाम और पते दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड
पोषाहार कार्यक्रम 1990-91

संस्था का नाम और पता	स्थान	लाभ प्राप्त-कर्ताओं की संख्या	इकाइयों की संख्या	वर्ष 90-91 के लिए स्वीकृत धनराशि	वर्ष 90-91 के लिए दी गई धनराशि
1	2	3	4	5	6
1. दुर्गा जन कल्याण समिति, एन.डी.एम.सी. कम्युनिटी सेंटर, धोबी घाट, नई दिल्ली	एन. डी. एम. सी. कम्युनिटी सेंटर, धोबी घाट	50	1	10,050/-	5125/-
2. भारतीय रेडक्रास सोसाइटी दिल्ली शाखा, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली	रघुबीर नगर मदन गढ़ बाबा नगर, फतहपुर बेरी, खटीकपुरा, कुसुम पालम, न्यू सीमा-पुरी, झिलमिल,	660	12	1,01,700/-	—

1	2	3	4	5	6
	नजफगढ़, दिलशाद-गार्डन, रानीखेड़ा				
3. दिल्ली प्रोग्रेसिव ग्रीव्स, सी-10/एन डी, एम सी-टाइप-II, क्वार्टर, आर. के. आश्रम नगर, नई दिल्ली	श्यामा सैंटर	50	1	10,050/-	
	गोल मार्किट	25	1	6,675/-	3,375/-
	रघुबीर नगर	125	1	26,775/-	13,425/-
4. एसप्रिम बुनियादी शिक्षा समिति, न्यू सीलमपुर, दिल्ली	न्यू सीलमपुर	100	1	20,100/-	10,050/-
5. श्री आनंद ऐजुकेशन सोसाइटी 283/23, आम प्लाट, मछली वाली गली, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली	विष्णु गार्डन	50	1	10,050/-	5025/-
6. गुजराती नव निर्माण समाज एच ब्लाक-2 जहांगीरपुरी, दिल्ली	जहांगीर पुरी	50	1	10,050/-	
7. समुदाय कल्याण संगठन, ए-65, बटी भवन,	गोकुलपुरी	50	1	10,050/-	5300/-

गोकलपुरी दिल्ली					
8. महिला प्रतिरक्षा मण्डल, 5-1/58, लाजपत नगर, नई दिल्ली	रघुबीर नगर	50	1	10,050/-	5,225/-
9. सेवा भारती, 10196/ए झण्डेवाला मार्किट, झण्डेवाला माता मंदिर के सामने. नई दिल्ली	आर.के. पुरम गौतम नगर	160	2	31,500/-	—
10. भारतीय कल्याण समिति आर्य समाज, मोती बाग (साऊथ) नई दिल्ली	हुर्सतान गांव विकास नगर	50	2	13,350/-	7,350/-
11. दिल्ली भारतीय ग्रामीण महिला संघ, सुभाष सिंह पार्क, नई दिल्ली।	(शाहदरा ब्लाक)				
	तारापुर	30	6	29,700/-	
	बोमारबंद	32			
	घरौली	28			
	मकालभी	30			
	पल्ला	30			
	जैतपुर	30			
	बंसत गांव और चंदा नगर	71	2	16,185/-	

9	2	3	4	5	6
	झंझौला और				
	घसोबांव	60	2	14,700/-	
	शेरपुर	30	1	7,350/-	
12. कल्पतरु कल्याण केन्द्र भारतीय हाऊस, 17 फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली	महिराबाद	50	1	10,050/-	5,025/-
13. स्त्री आर्य समाज, निजामुद्दीन वैस्ट, दिल्ली	निजामुद्दीन	30	1	7,350/-	3675/-
14. बालक माता सैंटर मटिया महल, दिल्ली	कसबपुरा मटिया महल	200	3 2	40,200/-	
15. पूर्वोश्री महिला समिति बी-152, चितरंजन पार्क नई दिल्ली	के-2019 चितरंजन पार्क	50	1	10,050	
16. झुग्गी बाल सुधार केन्द्र 1, शंकराचार्य मार्ग, सिविल लाइन्स, नई दिल्ली	खैबर पास	100	1	20,100/-	
17. सुष्मा शिक्षा समिति, बी-58, कृष्णकुंज, ऐक्सटेनशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली	लक्ष्मी नगर	50	1	8,365/-	

18.	चेतना, 15-जाकिर बाग, सूर्य होटल के सामने, ओखला रोड़ दिल्ली	कटवारिया सराय गांव	100	1	20,100/-
19.	भारत सेवक समाज, 19 और 20 नार्थेंड काम्पलेक्स, आर.के. आश्रम मार्ग, नई दिल्ली।	मानकपुरा-किशनगंज	30	4	576000
		शादीपुर-खानपुर	50		
		दिल्ली गेट	50		
		नबी करीम पहाड़गंज	50		
20.	गिल्ड आफ सर्विस (दिल्ली शाखा) मार्फत शहीद भवन, 18/1, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जे. एन. यू. के पास, नई दिल्ली	शहीद भवन	100	2	20,100/-
		—तदैव—	25		6,675/-
21.	स्वामी शिवानंद मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट, रोड़ नं. 31, ईस्ट एवेन्यू, पंजाबी बाग, नई दिल्ली	रानी खेड़ा बेगमपुर बादपुर पंजाबी बाग	150	2	30,150/-
22.	सर्वेंट आफ दी पीपल सोसाइटी लाजपत भवन, लाजपत नगर, नई दिल्ली।	जलकनेरा	70	2	20,100/-
		हरिजन बस्ती मोहरचंद मार्ग	30		

1	2	3	4	5	6
23. श्री सनातन धर्म शिशु केन्द्र, ए-6860, विला पृथ्वीराज, नई दिल्ली।	नबी करीम	300	1	60,530/-	
24. इंडियन विडो वेल्फेयर एसोसिएसन, प्लाट नं. 1, डी-11/2, वेस्ट किदवई नगर के सामने, नई दिल्ली।	हुमायुं रोड	50	1	10,050/-	
25. अक्षय प्रतिष्ठान, 4 सिंधिया हाऊस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली।	बसंत कुंज	50	1	20,100/-	10,000/-
26. दिल्ली यूनीवर्सिटी वीमेंस छत्र मार्ग, दिल्ली।	छत्र मार्ग	75	1	16,725/-	
27. नई दिल्ली महिला समिति, काली बाड़ी, नई दिल्ली	काली बाड़ी	100	1	20,100/-	
28. डिस्प्रेस्ड वीमेन वेल्फेयर एसो. देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली।	रैगरपुरा	50	1	10,050/-	

29.	निर्मल शिक्षा केन्द्र, 16ए आसफ अली रोड, नई दिल्ली	शाहजहां रोड	50	1	10,050/-
30.	होस्पीटल वेल्फेयर सोसाइटी सी-70, न्यू फ्रैंड्स कालोनी, नई दिल्ली	एस.पी. होस्पीटल सफदरजंग होस्पी.	50 50	1	28,100/-
31.	वनिता समाज, लोदी रोड, नई दिल्ली	लोदी रोड	50	1	10,050/-

दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड

1990-91 (योजनावधि) के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अन्तर्गत संस्वीकृत

क्रम सं.	संस्था का नाम और पता	स्थान	लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या	संस्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	सेवा भारती, 10196/ए, झण्डेवाला माता मंदिर, नई दिल्ली	जहांगीर पुरी	160	7500/-	3500/-
2.		सावन पार्क	—तदैव—	10,000/-	5000/-
3.		तिमारपुर	—तदैव—	7500/-	3500/-
4.		वजीरपुर	—तदैव—	7500/-	3500/-
5.		संगम पार्क		7500/-	3500/-
6.	स्त्रीबल, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली	हुमायुंपुर विलेज	40	8,000/-	
7.	सर्वेंट आफ द पीपल सोसाइटी लाजपत भवन, लाजपत नगर, नई दिल्ली	कल्याण पुरी	30	6000/-	3000/-
8.	परमार्थ मिशन होस्पिटल, 23/7. शक्ति नगर, दिल्ली	शक्ति नगर	50	10,000/-	5,000/-

9.	हॉस्पीटल वेलफेयर सोसाइटी, एफ 70, ग्रेटर कैलाश-II नई दिल्ली	एल.एन.जे.एन. सफदरजंग अस्पताल	500	20,000/-	
10.	भारत ब्लाइंड टेक्निकल वेलफेयर सोसाइटी, मदनगिर, सेंट्रल मार्किट के नजदीक, नई दिल्ली	मदनगिर		6,000/-	
11.	दिल्ली यूनिवर्सिटी वोमेन्ज एसो. छरावत मार्ग, नई दिल्ली	छरावत मार्ग	75	10,000/-	
12.	इंडियन रेडक्रास सोसाइटी, गोल्फ लाईन्ज, नई दिल्ली	(7 केन्द्र)	300	10,000/-	
13.	सोसाइटी आफ सिस्टर्स ग्राम व क्रास नजफगढ़, नई दिल्ली-43	नजफगढ़	25-30	10,000/-	
14.	नारी रक्षा समिति, राज निवास मार्ग, नई दिल्ली	रानीबाग	30	6,000/-	
15.	झुग्गी बाल सधार केन्द्र, 58, लखनऊ रोड, नई दिल्ली	कुबेर पार्क	100	7,500/-	4,000/-
16.	महिला प्रशिक्षण मण्डल, बी-587 लाजपत नगर,	रघुबीर नगर	25	6,000/-	3000/-
17.	आदर्श महिला शिल्प कला केन्द्र, ए-1/53, जनकपुरी नई दिल्ली	जनकपुरी	25	6000/-	

1	2	3	4	5	6
18.	हिंदोकेन्द्र वेल्फेयर फेडरेशन, 14-तानसेन मार्ग, नई दिल्ली	तानसेन मार्ग	25	10,000/-	
10.	बीबी नानकी सतसंग सभा 1557/1, गुलाबो बिल्डिंग, पश्चिम रोहताश नगर, दिल्ली-25	रोहताश नगर	25	6,000/-	
20.	बीबी नानकी सतसंग सभा, 34, ओल्ड अनारकली, कृष्णा नगर, दिल्ली	कृष्णा नगर	25	6,000/-	
21.	श्री गुरु अमर दास सतसंग सभा जे एक्सटेंशन, 124 लक्ष्मी नगर दिल्ली	लक्ष्मी नगर	25	6,000/-	
22.	भारत सेवा समाज (दिल्ली प्रदेश) 19 और 20 नार्थेड काम्पलेक्स, आर.के. मार्ग नई दिल्ली	मार्थ एवेन्यू	25	6,000/-	
23.	डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल वेल्फेयर सोसाइटी, डा. एम.एल. होस्पिटल, नई दिल्ली	ओ.पी.डी. ब्लाक	30	10,000/-	5000/-
24.	—तदैव—	—तदैव—		10,000/-	

25.	ऐसोसियेशन फार सोशल हैल्थ इन इंडिया, 4 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली		50	10,000/-	
26.	इक्रेट सोसाइटी, 16-ई/33 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली	पटेल नगर	50	10,000/-	5,000/-
27.	न्यू दिल्ली सोशल सर्विस लीग सी/30, एन.डी.एम.सी. टाइप-II क्वार्टर, आर.के. मार्ग, नई दिल्ली	गोल मार्केट और रघुबीर नगर	25 25	7,000/-	3500/-
28.	डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल वेल्फेयर सोसाइटी, जामिया नगर नई दिल्ली	ओखला और मशीवड़	60	10,000/-	
29.	चन्द्रवती चौधरी स्मारक ट्रस्ट छात्रावास भवन, चन्द्र आर्य विद्या मंदिर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली	छात्रावास भवन	120	7,000/-	
30.	गुजरात रिसर्च सोसाइटी, एफ-47, एन. डी. एस. ई.	मस्जिद मोठ	25	10,000/-	5000/-
31.	छात्रावास चन्द्र आर्य विद्या मंदिर ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली	ईस्ट आफ कैलाश	100	7,000/-	

1	2	3	4	5	6
32.	आर्य कन्या सदन, पटौदी हाऊस, दरियागंज दिल्ली	दरियागंज	400	10,000/-	
33.	आर्य कन्या सदन, पटौडी हाऊस दरियागंज दिल्ली	दरियागंज	350	10,000/-	
34.	श्री आनन्द एजूकेशन सोसाइटी, जे-124, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली	विष्णु गार्डन	25	6,000/-	

दिल्ली समाज कल्याण परामर्शदात्री बोर्ड

वर्ष 1990-91 (एक वर्ष)

सामान्य सहायता अनुदान के लिए संस्वीकृत प्रमाणित सूची

क्रम सं.	संस्था का नाम और पता	स्थान	लाभ प्राप्त-कर्ताओं की संख्या	स्वीकृत/दी गई राशि
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली भारतीय ग्रामीण महिला संघ, बी-14 सुजान सिंह पार्क नई दिल्ली	बसंत गांव, चांद नगर, धर्मो गांव, दक्षिणपुरी संगलपुर, एम.पो. खादर, माजरा	3:0	28,000/- 14,000/-
2.	जनसेवक समिति, लाजपत भवन, लाजपत नगर नई दिल्ली	मदनगिरि	50	5000/- 2500/-
3.	समाज सेवा संघ, एम 69/10 क्वार्टर नं. 16 ब्रह्मपुरी, दिल्ली-53	ब्रह्मपुरी	100	5,000/-
4.	वूमैंस एक्शन फार डेवलपमेंट, एस 156, ग्रेटर कैलाश (पार्ट-1), नई दिल्ली-48	सागरपुर	50	5000/-
5.	वेरी स्पेशल आर्ट एंड इंडिया ई-18, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	डिफेंस कालोनी	25	5000/- 2500/-
6.	पुरबोश्री महिला समिति, के-20 के, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली	—	30	5000/- 2500/-
7.	ललित सोशल वेलफेयर एजूकेशन सोसाइटी टी-702, (गुरुद्वारा)	बलजीत नगर	30	5000

1	2	3	4	5
	प्रेम नगर रोड़, बलजीत नगर नई दिल्ली			
8.	नारी रक्षा समिति राज निवास मार्ग, नई दिल्ली		30	5000/- 2500/-
9.	करुणा, 95. ए बी. शाहजहां रोड, दिल्ली	जंगपुरा "बी"	25	5000
10.	अखिल भारतीय बधिर संस्थान, 18, नार्थ सैण्ड काम्पलैक्स, आर. के. आश्रम मार्ग, नई दिल्ली	आर.के. आश्रम मार्ग	25	5000/-
11.	कल्पतरू कल्याण केन्द्र 101, कायसन हाऊस, 84, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	वजीराबाद	—	5000/-
12.	सामुदायिक कल्याण संगठन ए-65 बंटी भवन, गोकल पुरी दिल्ली	गोंकलपुरी	25	3500/-
13.	कर्णाक शिक्षा संस्थान, क्यू, 21, विकास विहार, उत्तम नगर, दिल्ली	उत्तमनगर	25	5000/-
14.	अन्ध विद्यालय संस्थान पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली	पंचकुइयां रोड	—	5000/-
15.	हार्डिंग एवेन्यू वेलफेयार एसोसिएशन सी-11/43 तिलक मार्ग, नई दिल्ली	तिलक मार्क	25	5000/- 2500/-
16.	टैगोर माण्टेसरी स्कूल 4834/XIII बाराटूटी दिल्ली	बाराटूटी	300	5000/-

1	2	3	4	5
17.	दा क्रिश्चियन रिलीफ एण्ड पीस सोसायटी प्लाट नं. 7 पुष्पा भवन डा. अम्बेडकर रोड नई दिल्ली	दक्षिणपुरी	25	5000/-

(7 अगस्त, 1990 की स्थिति)

क्रम सं.	संगठन का नाम	संस्वीकृति राशि	जारी की गई राशि
1	2	3	4
1.	इण्डोक्रॅपट वेलफेयर फेडरेशन	8000.00	4800,00
2.	[illegible] चन्द्रा आर्य विद्या मन्दिर	5200.00	9000.00
3.	आर्य बाल गृह	10400.00	
4.	नई दिल्ली सोशल सर्विस लीग	10,400.00	9000.00
5.	दिल्ली भारतीय ग्रामीण महिला संघ	10,400.00	
6.	भारत सेवक समाज	5,200.00	
7.	~~सर्विस सिविल इन्टरनेशनल इंडिया~~	~~10,400.00~~	~~9000.00~~
8.	नारी रक्षा समिति	10,400.00	
9.	सेवा भारती (प्रथम कैम्प)	10,400.00	10,400.00
10.	सेवा भारती (दूसरा कैम्प)	10,400.00	7432.00
11.	दिल्ली स्टेट भारत स्काउट एण्ड गाईडस (स्काउट्स)	10,400.00	
12.	—वही—(गाइड्स)	10,400.00	
13.	जीवन ज्योति संघ	10,400.00	

1	2	3	4
14.	आर्य कन्या सदन	5200	
15.	सामुदायिक कल्याण संगठन	10,400.00	9000.00
16.	राम प्रिया बुनियादी शिक्षा समिति	5200	4800.00
17.	भारतीय कल्याण समिति	10,400.00	9000.00
18.	महिला प्रतिरक्षा मण्डल	10.400.00	9000.00
19.	ग्रामीण शिक्षा समिति	10,400.00	9000.00
20.	सेंट सोशल वेलफेयर एजूकेशनल सोसाइटी	10,400.00	9000.00
21.	चन्द्रावती चौधरी स्मारक ट्रस्ट	5,200.00	
22.	कोणार्क शिक्षण संस्थान	10,400.00	
23.	पीपेन एक्शन फार डिवेलेपमेंट	10,400.00	9000.00
24.	वेरी स्पेशल आर्टस-इंडिया	8000.00	

शिशुगृह कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990-91 के लिए संस्वीकृत और जारी की गई राशि

क्रम सं.	संस्थान का नाम और पता	इकाइयों की संख्या	संस्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	जीवन ज्योति संघ, नेहरू विद्यालय, मेन करावल नगर, दिल्ली	2 इकाइयां	25,240	12,620
2.	धर्म निर्पेक्ष समाज उत्थान समिति एन. ए. 58, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली	2 इकाइयां	25,240	—

1	2	3	4	5
3.	नागरिक शिक्षा समिति, एम-II श्याम नगर, नई दिल्ली	1 इकाईयां	12.620	6,310
4.	ग्रामीण शिक्षा समिति, जे-ब्लाक 939 जहांगीर पुरी दिल्ली	2 इकाईयां	25,240	12,620
5.	स्ट्रीट बाल 135, हुमायूपुर सफदरजंग इन्कलेव, नई दिल्ली	2 इकाईयां	25,2‹0	12,610
6.	बाल सहयग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली	2 इकाईयां	25.240	12,620
7.	सामुदाय कल्याण संगठन ए-65 बंटी भवन, गोकुलपुरी दिल्ली	2 इकाईयां	25,240	12,620
8.	काउंसिल फार तिब्बतियन एजूकेशन आफ हिज होलीनेस दा दलाई लामा, मज तिब्बतन रिफ्यूजी के स्कूल मजनू का टीला दिल्ली	2 इकाईयां 2 इकाईयां	25,240 25,240	12,620 12,620
9.	श्री आनन्द एजूकेशन सोसायटी, 283/23 माधव वाली गली, विष्णु गार्डन, दिल्ली	2 इकाईयां	25.240	12,620
10.	महिला कल्याण और स्वरोजगार समिति, 285, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली	2 इकाईयां	25,240	12,620
11.	कोणार्क शिक्षा संस्थान, क्यू 21, विकास विहार उत्तम नगर, नई दिल्ली	1 इकाई	12,620	6,310
12.	परीक्षा शिशु विकास परिषद 36/232 हिम्मतपुरी त्रिलोकपुरी, दिल्ली	1 इकाई	12.620	6.310

1	2	3	4	5
13.	सेंट थामस एजूकेशन सोसायटी, 26/384, डी.डी.ए. फ्लेट्स मदनगिरि, नई दिल्ली	1 इकाईयां	12,620	6,310
14.	महेश सेवा सभा 120, नेहरू कुटिया मलका गंज, दिल्ली	1 इकाई	12,620	6,310
15.	रोहिणी स्टार एजूकेशनल सोसाइटी, डी. डी. ए. जनता फ्लेट्स, नन्द नगरी, नई दिल्ली	1 इकाई	12.620	6,310
16.	करुणा, 95, ए. बी. शाहजहां रोड, नई दिल्ली	2 इकाईयां	25,240	12,620

(1990-91) के दौरान परिवार परामर्श के अन्तर्गत संस्वीकृत और दी गई राशि

क्रम सं.	संस्थान का नाम	संस्वीकृत राशि	राशि की गई राशि
1	2	3	4
1.	इन्स्टीच्यूट आफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट, एस. एम. एम. थियेटर क्राफ्ट बिल्डिंग, 5 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली	46,400	23,200
2.	महिला दक्षिता समिति 2 तेलेमठ लेन, नई दिल्ली	48,320	24,160
3.		48,960	24,480/-
4.	गुजरात अनुसंधान समिति एफ 47, एन एस एक ई पार्ट-1, नई दिल्ली	41,440	20,720

1	2	3	4
5.	आल इंडिया एसोसिएशन फार क्रिश्चियन हायर एजूकेशन प्लाट नं. 39, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली	38,4[illegible]0	19,200
6.	वाई. एम. सी. ए. आफ इंडिया पार्लियामेंट, स्ट्रीट, नई दिल्ली	43,008	21,504
7.	गिल्ड आफ सर्विस, मार्फत शहीद भवन, 18/1 इन्स्ट्रच्यूशनल एरिया नजदीक जे. एन. यू. नई दिल्ली	45,120	22,560
8.	हरिजन सेवक संघ किंग्ज वे कैम्प, दिल्ली	45,120	22,560

नर्मदा सागर तथा सरदार सरोवर परियोजनाएं

2275. डा. वेंकटेश काबडे : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा सागर तथा सरदार सरोवर परियोजनाओं के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन दोनों परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) इन दोनों परियोजनाओं के प्रत्येक दृष्टिकोण से कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया): (क) से (ग) नर्मदा सागर और सरदार सरोवर परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्रमशः 1993.67 करोड़ रुपए तथा 6406 करोड़ रुपए है । नर्मदा सागर परियोजना सम्बन्धी निर्माण-पूर्व कार्य, जिसमे कालोनी के भवन, पहुंच सड़के, मुख्य बांध की नींव खुदाई तथा विद्युतघर का गड्ढा बनाना शामिल है, प्रगति पर है। सरदार सरोवर परियोजना के सम्बन्ध में—राकफिल डाइकों, सम्पर्क चैनलो, मुख्य बांध तथा नहर और वितरिणयों के निर्माण सम्बन्धो कार्य प्रगति पर है । सरदार सरोवर और नर्मदा सागर परियोजनाओं को क्रमशः वर्ष 2004 तथा 2007 तक पूरे किए जाने की योजना है।

खरीफ और रबी फसलों की खरीद

2276. श्री बालगोपाल मिश्र : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष खरीफ फसल की खरीद के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या वर्ष 1989 की तुलना में इस वर्ष रबी की फसल की खरीद अधिक रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल): (क) वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं क्योंकि सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अधीन किसानों द्वारा की गई स्वैच्छिक पेशकशों के प्रति खाद्यान्नों की वसूली की जाती है। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम, 1989-90, जोकि 30 सितम्बर, 1990 को समाप्त हो जाएगा, के दौरान 17 अगस्त 1990 तक केन्द्रीय पूल के लिए 117.88 लाख मीटरी टन चावल की रिकार्ड वसूली की जा चुकी है।

(ख) और (ग) जी, हां। वर्तमान रबी विपणन मौसम, 1990-91 के दौरान 17.8.1990 तक 110.71 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली कर ली गई थी जबकि 1989-90 के समूचे रबी विपणन मौसम में 90.04 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई थी।

पुनर्वास कालोनियों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता

2278. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली समाज कल्याण परामर्शदात्री बोर्ड ने गन्दी बस्तियों तथा पुनर्वास कालोनियों में कार्यरत विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता देना बन्द कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या-क्या हैं तथा इन्हें अनुदान सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उपमन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) :(क) और (ख) दिल्ली की निम्नलिखित दो संस्थाओं को असंतोषजनक कार्य के कारण वर्ष 1990-91 के दौरान सभी कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान देना बन्द कर दिया गया है :—

(1) जनता विद्यापीठ, मंगोलपुरी

(2) दलित उत्थान शिक्षा समिति, शास्त्री नगर

वर्ष 1990-91 के दौरान निम्नलिखित संस्थाओं को केवल पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान देना बन्द किया गया है क्योंकि ये संस्थाएं नियमित स्कूल चला रही थीं और लाभ-प्राप्तकर्ताओं से अधिक शुल्क (हाई फीस) वसूल कर रही थीं :

(1) नागरिक शिक्षा समिति, बयाला।

(2) शिव दुर्गा मन्दिर समिति, सोमापुरी

(3) बाल विकास समिति, त्रिलोकपुरी।

कर्नाटक में हुबली और धारवाड़ में जल आपूर्ति

2279. श्री जनार्दन पुजारी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में रेणुका सागर से हुबली और धारवाड़ को जल आपूर्ति किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, फरवरी, 1990 के अन्त तक रेणुका सागर से हुबली और धारवाड़ को जल आपूर्ति करने के प्रथम चरण पर 1149 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। राज्य सरकार का चालू वर्ष के दौरान रानी मेन्नूर से हुबली और धारवाड़ को पानी की सप्लाई करने के द्वितीय चरण पर 50.00 लाख रुपये की राशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें से जुलाई, 1990 के अन्त तक 0.16 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

भारतीय जनसंख्या परियोजनाएं

2280. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय जनसंख्या परियोजना विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना किन-किन राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में इस परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान को भी शामिल करने का विचार है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी हां।

(ख) इस समय जिन राज्यों में भारत जनसंख्या परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है, वे हैं, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और महानगर बम्बई तथा मद्रास।

(ग) और (घ) निकट भविष्य में भारत जनसंख्या परियोजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस समय राजस्थान को क्षेत्रीय परियोजना के अन्तर्गत रखा गया है जो 1.3.89 से जनसंख्या सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है।

प्रतिरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन

2281. श्री प्रकाशबापू बसन्तराव पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय प्रौद्योगिक मिशन के उद्देश्य क्या हैं और इन्हें किस हद तक पूरा किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : रोग प्रतिरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय प्रौद्योगिक मिशन का उद्देश्य 1990 तक कम से कम 85 प्रतिशत शिशुओं को डी पी टी, ओरल पोलियो वैक्सीन, बी सी जी और खसरा वैक्सीन से तथा शतप्रतिशत गर्भवती महिलाओं को टेटनस टाक्साइड से सुरक्षित करना तथा इन वैक्सीनों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। जहां तक इस कवरेज का सम्बन्ध है, मार्च, 1990 तक डी पी टी, ओरल पोलियो वैक्सीन और बी सी जी के मामले में 82.89 प्रतिशत तथा शिशुओं में खसरे तथा गर्भवती महिलाओं को टेटनस टाक्साइड के मामले में 69 प्रतिशत की उपलब्धि रही है। देश ने ओरल पोलियो वैक्सीन को छोड़कर रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए अपेक्षित अन्य सभी टीकों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।

जे. जे. कालोनियों में जन सुविधाएं

2282. श्री जे. पी. अग्रवाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली की विभिन्न जे. जे. कालोनियों में पेयजल, सीवर, बरसाती नालियां, पार्क और स्कूल आदि सुविधाओं का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कालोनियों में ऐसी आवश्यक सेवाओं/सुविधाओं को देने के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास कालोनियों में बरसाती नालियां, पार्क, स्कूल आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। दिल्ली जल प्रदाय और मल-व्ययन संस्थान ने सभी 44 पुनर्वास कालोनियों में पेयजल और 15 कालोनियों में मल-निर्यास की सुविधाएं प्रदान की है। शेष कालोनियों को मल-जल-निर्यास सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से मुहैया करने के लिए कार्य-योजना तैयार की गई है और इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निष्पादित किए जाने का विचार है। इन कालोनियों में विभिन्न सेवाओं का चरणों में सुधार/उन्नयन करने के लिए भी एक योजना तैयार की गई है।

कैंसर रोग में अत्यधिक वृद्धि

2283. श्री सनत कुमार मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) के वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान के अनुसार देश में कैंसर रोग के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है और इस सदी के अन्त तक 30 लाख लोगों के इस रोग से ग्रस्त होने की सम्भावना है; और

(ख) इस खतरनाक रोग से बचाव के लिए, सरकार द्वारा लम्बी अवधि या अल्पावधि की क्या योजना तैयार की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर की रोकथाम करने तथा उसका शुरू में ही पता लगाने पर और अधिक जोर दिया जा रहा है। कैंसर के उत्पन्न होने के सम्भावित कारणों और उसका शुरू में ही पता लगाने के बारे में लोगों को शिक्षित करने और उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी उपाय किए जा रहे हैं। तम्बाकू पीने के कारण होने वाले दुष्प्रभावों पर भी प्रकाश डाला जा रहा है।

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

2284. श्री पी. नरसा रेड्डी : क्या कल्याणमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कामकाजी महिलाओं के लिए विभिन्न राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्रों मे कितने होस्टलों का निर्माण किया गया है,

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए ऐसे किसी होस्टल का निर्माण किया गया है,

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार आंध्र प्रदेश में ऐसे होस्टलों का निर्माण करने पर विचार करेगी ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उपमन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) देश में 563 श्रमजीवी महिला होस्टल स्वीकृत किए जा चुके है। प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि इन 563 होस्टलों में से 321 होस्टल पूरे हो चुके हैं।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में 22 श्रमजीवी महिला होस्टल स्वीकृत हो गए है जिनमें से 11 होस्टल पूरे हो चुके बताए गए हैं।

(ग) नये श्रमजीवी महिला होस्टलों के लिए ऐसे सभी परियोजना प्रस्तावों पर, जो पात्र संगठनों से प्राप्त होते हैं और सभी तरह से पूरे होते हैं तथा जो राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों द्वारा अभिशंसित होते है, वित्तीय सहायता दिए जाने के लिए सरकार विचार करती है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

इस्तेमाल की तारीख समाप्त दवाइयां

2285. बाबा सुच्चा सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दवाइयों का ब्योरा क्या है जिन्हें पंजाब के सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल की तारीख समाप्त हो जाने के कारण नष्ट किया गया था;

(ख) ऐसी दवाइयों को इस्तेमाल की तारीख समाप्त होने से पूर्व इस्तेमाल न किये जाने अथवा उन्हें जनता को न दिये जाने के लिए कौन जिम्मेवार ठहराया गया है;

(ग) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खरीदी गई ऐसी दवाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने तथा दवाइयों के स्टाक का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षा संस्थानों को भूमि के आवंटन की दरों में संशोधन

2286. श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न जोनों या क्षेत्रों में शिक्षा संस्थानों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित की जाने वाली नजूल भूमि की वर्तमान दर क्या है;

(ख) क्या इस दर में कोई कमी या संशोधन किए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास क्षेत्रवार शिक्षा संस्थानों को भूमि के आवंटन के लिए लम्बित आवेदनों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) ये इस प्रकार हैं :—

पूर्वी क्षेत्र	रुपये 14,25,000/-	प्रति एकड़
उत्तरी क्षेत्र	रुपये 19,00,000/-	,,
दक्षिणी क्षेत्र	रुपये 28,50,000/-	,,
पश्चिमी क्षेत्र	रुपये 23,75,000/-	,,

(ख) और (ग) दरों में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

(घ) सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

उन शैक्षिणिक संस्थानों की क्षेत्रवार सूची, भूमि के आवंटन के लिए जिनके आवेदन पत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास लम्बित हैं।

क्रम सं.	समिति का नाम	प्रयोजन	क्षेत्र
1	2	3	4
1.	कल्याण शिक्षा समिति	मिडिल स्कूल	पूर्वी
2.	शान्ति जनक सर्वसेवा शिक्षा समिति	,,	,,
3.	आदर्श विद्या संस्थान	,,	,,
4.	मधली रोक शिक्षा समिति	,,	,,
5.	लवली बाल शिक्षा परिषद	,,	,,
6.	फारुक एजूकेशन सोसाइटी	,,	,,
7.	सर्वोदय शिशु शिक्षा परिषद	,,	,,
8.	ललित कला उपवन	,,	,,
9.	शिव.शिक्षा निकेतन	,,	,,
10.	नूतन विद्या मन्दिर सोसाइटी	,,	,,
11.	बाबरपुर बाल विकास शिक्षा समिति	,,	,,
12.	वैश्य एजूकेशन फाउंडेशन	,,	,,
13.	सेन्ट एन्ड्रूज स्काट्स एजूकेशन सोसाइटी	,,	,,
14.	ज्योतिर्मय बाल शिक्षा समिति	,,	,,
15.	केरल एजूकेशन सोसाइटी	हायर सैकेण्ड्री स्कूल	,,
16.	अर्वाचीन शिक्षा समिति	सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल	,,
17.	सेन्ट जोसेफ एकाडमी	,,	,,
18.	लार्ड कैरी बैपटिस्ट मिशन	,,	,,
19.	सनातन धर्म शिक्षा संस्थान	,,	,,
20.	माता कृष्णावन्ती मेमोरियल एजूकेशन सोसाइटी सोसाइटी	प्राइमरी स्कूल	पश्चिमी
21.	दशमेश एजूकेशन सोसाइटी	,,	,,

1	2	3	4
22.	कटारिया एजूकेशन सोसाइटी	मिडिल स्कूल	,,
23.	सन्त नामदेव एजूकेशन सोसाइटी	,,	,,
24.	श्रीनगर शिक्षा प्रचारिणी तथा	,,	,,
25.	बोस्को एजूकेशन वेलफेयर सोसाइटी	,,	पश्चिमी क्षेत्र
26.	सबदेवा एजूकेशन सोसाइटी	,,	,,
27.	सेन्ट मार्टिन्स एजूकेशनल सोसाइटी	,,	,,
28.	सेन्ट मार्कस क्रिश्चियन्स एजूकेशनल सोसाइटी	सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल	,,
29.	नामधारी दरबार	,,	,,
30.	जयगणेश एजूकेशन सोसाइटी	प्राइमरी स्कूल	उत्तरी
31.	एम. डी. मेमोरियल चैरिटेबल एण्ड एजूकेशन सोसाइटी	मिडिल स्कूल	,,
32.	नूरलोरियल एजूकेशन सोसाइटी	,,	,,
33.	सेन्ट रोबर एजूकेशन सोसाइटी	,,	,,
34.	बाल शैक्षिक एण्ड बौद्धिक विकास समिति	,,	,,
35.	क्रिसेन्ट पब्लिक स्कूल सोसाइटी	,,	,,
36.	डी.ए.डी. कालेज मैनेजमेंट कमेटी	,,	,,
37.	वर्द्धमान महावीर एजूकेशन सोसाइटी	,,	,,
38.	बुका शक्ति एजूकेशन सोसाइटी	सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल	,,
39.	एगनेल चैरिटीज	प्राइमरी स्कूल	,,
40.	लक्ष्मी बाई फाउन्डेशन	मिडिल स्कूल	दक्षिणी
41.	दिगम्बर जैन सोसाइटी फार चाइल्ड वेलफेयर	,,	,,
42.	जुगल किशोर खन्ना एजू. सोसाइटी	,,	,,
43.	सुन्दावन एजू. सोसाइटी	,,	,,
44.	जीसस फ्री सालवेशन हाउस	,,	,,
45.	दोपावली एजू. सोसाइटी	,,	,,
46.	वीरेन्द्र भटनागर संस्थान	सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल	,,
47.	गुरु रामदास एजू. ट्रस्ट	,,	,,
48.	चाइल्ड एजे. सोसाइटी	सेकेन्ड्री स्कूल	,,
49.	दयावन्ती मोदी चेरिटेबल फाउन्डेशन	सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल	,,

टूथ पेस्ट में फ्लोराइड

2287. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्लोराइड टूथ पेस्ट के उत्पादन/बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया था, क्योंकि यह बच्चों के लिए हानिकारक है;

(ख) क्या सरकार को इस बन्द के लगाए जाने के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) राजपत्र में दिनांक 29 मार्च, 1990 को सा. का. नि. संख्या 410 (अ) के द्वारा औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों का एक प्रारूप संशोधन टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया है जिसमें फ्लोराइडयुक्त टुथपेस्टों से संबंधित विशेष उपबन्ध दिए गए हैं। इसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

(i) टुथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 1000 पी. पी. एम. से अधिक नहीं होगी और फ्लोराइड की मात्रा का पी पी एम में टयूब और डिब्बी पर उल्लेख करना होगा।

(ii) टूथपेस्ट की प्रत्येक टयूब और डिब्बी पर निम्नलिखित सावधानी नोट अंकित होगा—

सावधानी—"7 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों को फ्लोराइडयुक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

(iii) इस्तेमाल करने की तारीख की समाप्ति का टयूब और डिब्बी पर उल्लेख किया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) सरकार को प्रस्तावित संशोधन का विरोध करने वाली आपत्तियां काफी संख्या में प्राप्त हुई हैं। संशोधन को अन्तिम रूप देने से पहले इन टिप्पणियों की जांच की जाएगी।

भारत जनसंख्या परियोजना हेतु केरल को दी गई धन-राशि

2288. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान केरल राज्य के लिए भारत जनसंख्या परियोजना हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धन-राशि आबंटित की गई है,

(ख) अब तक कितनी धन-राशि का उपयोग किया गया है,

(ग) क्या केरल राज्य ने इस परियोजना के अन्तर्गत और धन-राशि की मांग की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) केरल राज्य में कार्यान्वित की जा रही तीसरी भारत जनसंख्या परियोजना के लिए वर्ष 1990-91 में 26 लाख रुपए का आबंटन किया गया है। इसमें से 13 लाख रुपए राज्य को पहले ही दिए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने 49.11 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के विरुद्ध अप्रैल, 1990 तक कुल 48.20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने इस परियोजना के अन्तर्गत 1.10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मांगी है। बहरहाल, संसाधनों की कठिनाइयों के कारण कोई अतिरिक्त धन-राशि आबंटित नहीं की जा सकी है।

पंजाब के स्थानीय निकायों में वास्तुविद

2289. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में नगर निगमों, नगर समितियों और सुधार न्यासों में पंजीकृत वास्तुविदों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त वास्तुविद योग्यता प्राप्त वास्तुविद है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके वास्तुविद अधिनियम के अन्तर्गत क्या परिणाम होंगे ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) पंजाब सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

बेघर बच्चे और उनका शोषण से बचाव

2290. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न महानगरों में बेघर आवारा बच्चों की संख्या का पता लगाने तथा उन्हें शोषण से बचाने हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या अभी तक कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक महानगर में इन बच्चों की संख्या कितनी है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में बाल अपराधियों के अतिरिक्त बच्चों की केवल ऐसी श्रेणियां शामिल हैं जो "उपेक्षित किशोरों"

की परिभाषा के अन्दर विनिर्दिष्ट है। इसलिए किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न महानगरों में बेघर बच्चों/आवारा बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अस्पतालों में समुचित रख-रखाव न होना

2291. श्री जे. पी. अग्रवाल : क्या स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के अस्पतालों में समुचित रख-रखाव नहीं आने के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों और प्रचार माध्यमों से प्राप्त समाचारों तथा जनता से प्राप्त शिकायतों की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के रख-रखाव के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली सभी रिपोर्टों और अन्य शिकायत की शीघ्रता से जांच की जाती है और उन पर उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। परन्तु कभी-कभी स्वच्छता का उच्च स्तर बनाए रखना कठिन हो जाता है क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में बहुत भीड़-भाड़ होती है और सामान्यतः रोगियों के साथ उनके परिवार भी होते हैं जो आम तौर पर स्वच्छता रखने के बारे में बहुत अधिक सजग नहीं होते हैं। अस्पतालों में सफाई बनाये रखने में आम जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जनता के सहयोग से स्थिति को सुधारने में काफी मदद मिल सकती है।

चीनी सम्बन्धी नीति की समीक्षा

2293. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

श्री सी. डी. गामित :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से भारतीय चीनी निर्माता संघ और सहकारी चीनी फैक्टरीज लिमिटेड के राष्ट्रीय संघ जैसी शीर्ष चीनी संस्थाओं ने सरकार से चीनी के मूल्य निर्धारण संबंधी नीति की समीक्षा की मांग की है;

(ख) क्या चीनी मिल संघ द्वारा कई सुझाव दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामपूजन पटेल) : (क) खुली बिक्री की चीनी की बिक्री पर ऊंची कीमत वसूल करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। इन सुझावों में अन्य बातों के साथ-साथ एक थोक विक्रेता से दूसरे थोक विक्रेता को चीनी की बिक्री पर लगी पाबंदी को हटाना, थोक विक्रेताओं की स्टाक रखने की सीमा को बढ़ाना, बिकी चीनी को लेवी चीनी में बदलने के अनुदेशों को वापिस लेना, मासिक खुली बिक्री रिलीज की मात्रा में कमी आदि सुझाव शामिल हैं।

(घ) जमाखोरी को हतोत्साहित करने और खुले बाजार में चीनी की कीमतों को उचित स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता के कारण उपर्युक्त में से किसी भी सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन :

(i) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे 1-8-88 को जारी किए गए थोक विक्रेता लाइसेंसों की संख्या में दस प्रतिशत की वृद्धि पर विचार करें जिससे थोक विक्रेताओं में अधिक प्रतिस्पर्धा बनी रहे, और

(ii) चीनी फैक्ट्रियों को मास से पहले सप्ताह के लिए रिलीज किए गए खुली बिक्री कोटे को उस मास की 10 तारीख तक बेचने को अनुमति दी गई है जिससे यदि किसी कारण से थोक विक्रेता स्टाक को नहीं उठाते हैं, तो उन्हें कोटे को अलाभकारी कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य न होना पड़े।

चीनी की नई लाइसेंस नीति

2294. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र चीनी सहकारी समितियों ने सरकार की चीनी मिलों सम्बन्धी नई लाइसेंस नीति की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र चीनी सरकारी समितियों द्वारा किन-किन मुख्य बातों पर आपत्ति की गई है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) चीनी मिलों के लिए केन्द्र की नई लाइसेंसिंग नीति के बारे में महाराष्ट्र चीनी सहकारी समितियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

जनजातीय उपयोजना के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता का अन्य क्षेत्रों में उपयोग करना

[हिन्दी]

2295. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पूरे देश में आरम्भ की जाने वाली जनजातीय उप योजनाओं के लिए

विशेष सहायता इस शर्त पर दी जाती है कि इस धनराशि का उपयोग केवल आदिवासियों के विकास कार्यों में ही किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक राज्य सरकारों ने इस धनराशि को गैर आदिवासी क्षेत्रों में खर्च किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) आदिवासियों उपयोजना के अन्तर्गत जो कि पांचवीं योजना से ही जारी है, राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य योजना निधियों के प्रवाह में अनुपूरक के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता अनिवार्य है।

(ख) ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा आदिवासी उपयोजना के लिए अलग बजट शीर्ष/उपशीर्ष अपनाए गए हैं।

सरकारी महिला कर्मचारी, जिनके पति सरकारी उपक्रमों में कार्यरत हैं, को सुविधाएं देना

[अनुवाद]

2296. प्रो. राम गणेश कापसे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की उन महिला कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा/चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा जैसी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, जिनके पति सरकारी क्षेत्र और/अथवा सरकारी उपक्रमों में नियोजित/कार्यरत हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जा

2297. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :
क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण पार्कों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए रखी गयी दिल्ली नगर निगम की भूमि से कब्जा कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक दिल्ली नगर निगम की कुल कितनी भूमि पर कब्जा किया है और इसका क्या औचित्य है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

कपास एकाधिकार खरीद योजना की अवधि बढ़ाने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध

2298. **श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से महाराष्ट्र में कपास एकाधिकार खरीद योजना की अवधि अगले दस वर्षों के लिये बढ़ाने हेतु अनुरोध किया है, यदि हां, तो यह मांग कब रखी गई; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंकरण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां। महाराष्ट्र सरकार ने समय-समय पर (पिछले बार जनवरी, 1990 में) महाराष्ट्र रुई एकाधिकार खरीद योजना को दस वर्ष की अवधि तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।

(ख) सरकार ने महाराष्ट्र रुई एकाधिकार खरीद योजना को 30.6.1990 के आगे तक और जारी रखने के गुणावगुण की जांच करने के लिए एक अन्तर मंत्रालयी समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इस योजना को बढ़ाने की मंजूरी देने के मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

2299. **श्री मदन लाल खुराना** :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, जिसके आधार-पर सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिया जाता है, गत सूचकांक की अपेक्षा तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है, और 31 दिसम्बर, 1989 के सूचकांक की तुलना में इसकी स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त सूचकांक में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए किए गए दीर्घावधिक और अल्पावधिक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) औद्योगिक कर्मकारों के लिए दिसम्बर, 1989 से जून, 1990 तक की अवधि के लिए 1982 = 100 पर आधारित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नीचे दिए गए हैं :—

माह/वर्ष	सूचकांक
दिसम्बर, 1989	175
जनवरी, 1990	174
फरवरी, 1990	175
मार्च, 1990	177
अप्रैल, 1990	180
मई, 1990	182
जून, 1990	185

(ग) मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए सरकार की कार्यनीति में लोकवितरण प्रणाली के जरिए अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखना, व्यवहार्य सीमा तक आयातों के जरिए घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना, जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना, और इसके अतिरिक्त राजकोषीय तथा मौद्रिक नियंत्रण रखना शामिल है। सरकार ने मुद्रा विस्तार की दर में तथा बजट घाटे के आकार में तेजी से कमी लाने के वास्ते चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति के क्षेत्र में कदम उठाए हैं।

वर्ष 1990-91 की पहली छमाही के लिए साख नीति 12 अप्रैल, 1990 को घोषित की गई थी। इस नीति के अंतर्गत, सांविधिक परिसमापन अनुपात (एस. एल. आर.) को सितम्बर, 1990 से निवल मांग तथा समय दायित्वों के वर्तमान 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 38.5 प्रतिशत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अप्रवासी विदेशी रुपया खाते (एन. आर. ई. आर.) और विदेशी मुद्रा अप्रवासी खाते (एफ. सी. एन. आर.) के संबंध में सांविधिक परिसमापन अनुपात (एस. एल. आर.) के 25 प्रतिशत को भी 28 जुलाई, 1990 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष के लिए कठोर राजकोषीय अनुशासन के माध्यम से बजट घाटे पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक चार महीनों में एक बार वास्तविक बजटीय घटनाओं की समीक्षा की जाए और जनता तथा संसद को स्थिति से अवगत कराया जाए।

अनेक मितव्ययता संबंधी उपाय किए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं: (क) विदेश स्थित बहुत से कार्यालयों को बन्द करना और विभिन्न कार्यालयों में तैनात स्टाफ में कमी करना; (ख) सभी सरकारी विभागों के कार्यकलापों की समीक्षा करना; (ग) 3500/- रु. तथा उससे अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहे अधिकारियों के लिए अतिरिक्त मंहगाई भत्ते को बन्द करना; (घ) विदेश यात्रा बजट में 25 प्रतिशत कटौती करना; और (ङ) पिछले वर्ष के आधार पर सरकारी विभागों द्वारा ईंधन के उपभोग में 20 प्रतिशत की कटौती करना।

सरोजनी नगर, नई दिल्ली में सफाई की स्थिति

2900. श्री गंगा चरण लोधी : क्या शहरी विकास मन्त्री सरोजनी नगर में सफाई की स्थिति के बारे में 26 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7159 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में नगर निगम ने सरोजनी नगर में टाइप-चार के क्वाटरों की सर्विस लेनों में बरसाती पानी की नालियों को ढक दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त सरकारी क्वाटरों में सर्विस लेनों में बरसाती पानी की नालियों को अब तक न ढके जाने के क्या कारण है और इन्हें कब ढका जायेगा;

(घ) क्या इन नालियों से पानी निकलने की कोई निकासी व्यवस्था नहीं है जिसके कारण इन में पानी इकट्ठा हो जाता है और गंदगी फैल जाती है जिसके परिणामस्वरूप पूरे क्षेत्र में मलेरिया की महामारी फैलने का खतरा हो जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे मे क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में ग्रेफाइट खानों के श्रमिकों को दैनिक मजूरी

2901. श्री अनन्तप्रसाद मिश्र : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बोलनगीर और सम्बलपुर जिले की ग्रेफाइट खानों के श्रमिकों को कितनी दैनिक मजूरी दी जाती है;

(ख) क्या सरकार को इन श्रमिकों को निर्धारित मजूरी से कम भुगतान करने से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 1.4.1990 से देय मजदूरी की दैनिक दरें जिसमें विशेष भत्ता शामिल है, नीचे दी गई हैं :—

श्रेणी	भूमि से ऊपर कार्य रु.	भूमिगत कार्य रु.
1	2	3
अकुशल	17.48	21.19

1	2	3
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	21.79	26.12
कुशल	27.02	32,23
लिपिकीय	27.02	—

(ख) जी, हां। न्यूनतम मजदूरी की कम अदायगी के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (के.) भुवनेश्वर ने स्थापनों का दौरा किया और निरीक्षण रिपोर्ट नियोजकों को उनके अनुपालन के लिए जारी कर दी गई हैं। श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई करें।

उत्प्रवास अधिनियम में संशोधन

2303. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

श्री बी. एन. रेड्डी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्प्रवास अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधान लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) इस संबंध में अब तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े बांधों के गुण और दोष

2304. श्री ए. के. राय : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े बांधों और छोटे बांधों के तुलनात्मक गुणों और दोषों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो बड़े मध्यम और छोटे बांधों से एक एकड़ भूमि की सिंचाई लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छोटानागपुर के पठारी क्षेत्रों के लिए छोटे बांध सबसे उपयुक्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में ऐसे और बांधों का निर्माण करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनु भाई कोटाडिया) : (क) से (घ) बांधों का निर्माण मूलत: स्थान विशेष मामला है और हाइड्रोलिक संरचनाओं का आकार जल विज्ञान, स्थलाकृति, भूवैज्ञानिक स्थितियों, किसानों की आवश्यकताओं परियोजना के पर्यावरणीय महत्व तथा आर्थिक सक्षमता जैसे बहुत से उपयुक्त तत्वों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस मामले में कोई साधारणीकरण सम्भव नहीं है। बेसिन की मास्टर योजना में क्षेत्र की भू-आकृतिक तथा जल-वायु सम्बन्धी विशेषताओं पर निर्भर करते हुए इनके उपयुक्त मिश्रण को शामिल किया जाना है। बिहार सरकार से भी अपनी घाटियों की मास्टर योजनाओं को अन्तिम रूप देने का अनुरोध किया गया है।

सिने कर्मकार कल्याण निधि

2305. **श्री सुदाम देशमुख :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिने कर्मकार कल्याण निधि के लिए भारत में बनने वाली तथा सेंसर होने वाली प्रत्येक फीचर फिल्म पर निर्धारित उपकर लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कब से लगाया यह जाता है और दिनांक 31 मार्च, 1990 तक कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(ग) सिने कर्मकार कल्याण निधि के वितरण का मानदण्ड क्या है;

(घ) अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई है और वास्तव में कितनी राशि वितरित की गई है; और

(ङ) क्या निधि वितरण की मशीनरी में सिनेमा प्रोड्यूसरों और सिने कर्मकारों के प्रतिनिधियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) सिने कर्मकार कल्याण निधि के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को प्रस्तुत की गई प्रत्येक फीचर फिल्म पर 1000/- रु. की दर से उपकर लगाया जाता है और उसे एकत्र किया जाता है।

(ख) सिने कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981 जिसके अधीन उपकर लगाया और एकत्र किया जाता है, पहली जनवरी, 1984 से लागू हुआ। 31 मार्च, 1990 तक उपकर के रूप में 48.20 लाख रुपये की राशि एकत्र की गई है।

(ग) से (ङ) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, इस निधि को उन उपायों तथा सुविधाओं में किए गए व्यय को पूरा करने के लिए लागू किया जाता है जो सिने कर्मकारों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक या समीचीन है। 31 मार्च, 1990 तक, सिने कर्मकार कल्याण निधि के अधीन 5,62 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। सिने कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम,

1981 के अधीन केन्द्रीय सलाहकार समिति और सलाहकार समितियों के गठन की जरूरत है जो विधि के प्रशासन से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देंगी। इन समितियों में सिने कर्मकार, सिने निर्माता और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम पर व्यय

2306. श्री हेत राम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988, 1989 और 1990 (आज की तारीख तक) के दौरान देश में जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम पर वर्ष वार कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है;

(ग) वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर से सन 2001 ईस्वी तक देश की जनसंख्या कितनी हो जायेगी;

(घ) किन-किन राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वियन की प्रगति असंतोषजनक रही है;

(ङ) इस कार्यक्रम से संबंधित नीति, योजना और कार्यान्वयन में यदि कोई कमी रही है तो वह क्या है; और

(च) इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) राज्यों से उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान देश परिवार नियोजन कार्यक्रम में हुआ व्यय इस प्रकार है—

वर्ष	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय (करोड़ रुपए)
1987-88	590.77
1988-89	671.84
1989-90 (संशोधित अनुमान)	6[illegible]8.00

(ख) जनसंख्या की सहज वृद्धि दर भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति से उपलब्ध जन्म और मृत्यु दरों के अन्तर से प्राप्त होती है। वर्ष 1989 और 1990 के सहज वृद्धि दरों के अनुमान क्रमश: 1990 और 1991 के अन्त तक उपलब्ध होने की सम्भावना है और वर्ष 1988 के अनुमान 2.05 प्रतिशत है।

(ग) यदि जनसंख्या की सहज वृद्धि दर वर्तमान स्तर अर्थात 2.05 प्रतिशत जारी रहती है तो पहली मार्च, 2001 को देश की जनसंख्या 103 करोड़ 50 लाख 40 हजार होगी।

(घ) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन पैरामीटरों अर्थात् दम्पती सुरक्षा दर जन्म दर और शिशु मृत्यु दर के मामले में राज्यों द्वारा प्राप्त उपलब्धियां संलग्न विवरण मे दी गई हैं।

(ङ) परिवार कल्याण के नीति नियोजन तथा कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख कठिनाइयों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं—महिलाओं का निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, उच्च शिशु मृत्यु दर का होना, छोटे परिवार के आदर्श को अपनाने में आशंकाएं, कार्यक्रम में बुनियादी स्तर पर लोगों की अपर्याप्त भागीदारी, स्वैच्छिक एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों की अपर्याप्त भागीदारी तथा आपूर्ति/सेवाओं में कमियां।

(च) देश की आबादी को नियंत्रणीय सीमा में रखने के लिए एक सुस्पष्ट कार्यनीति तैयार की गई है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को जीवित रखने की दर में वृद्धि करने, जनसंख्या शिक्षा को तेज करने, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने, उन्नत संचार नीति अपनाने तथा इसमें स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने पर बल दिया गया है। बुनियादी स्तर के कार्मिकों को प्रशिक्षण तथा पुन: प्रशिक्षण प्रदान करने की स्कीमों के अतिरिक्त इससे संबंधित विकास कार्यक्रमों जैसे महिला साक्षरता तथा महिलाओं के स्तर में सुधार करने तथा गहन क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाने जैसे कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं और इन्हें आगे भी सुदृढ़ किया जाएगा। विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा प्रदाय प्रणाली के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए चुने हुए राज्यों में क्षेत्र परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में अनुमानित दम्पती सुरक्षा, शिशु जन्म और मृत्यु दरों के अनुमान

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दम्पती सुरक्षा दर प्रतिशत		जन्म दर (प्रति 1000 हजार)		शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 हजार जीवित जन्म पर)	
		31.3.85	31.3.90	1985	1988	1985	1988
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.
1.	आंध्र प्रदेश	32.0	45.2	29.9	27.4	83	83
2.	असम	24.9	25.2	34.3	32.9	111	99
3.	बिहार	17.2	26.3	37.8	37.3	106	97

1	2	3	4	5	6	7	8
4	गुजरात	45.5	56.6	33.0	29.5	98	90
5.	हरियाणा	45.8	58.3	35.7	33.8	85	90
6.	हिमाचल प्रदेश	35.7	50.0	30.2	32.2	84	80
7.	जम्मू और कश्मीर	15.6	21.7	23.6	33.1	85	71
8.	कर्नाटक	32.8	45.4	29.6	23.7	69	74
9.	केरल	38.1	51.9	24.3	20.3	31	28
10.	मध्य प्रदेश	29.5	40.2	39.4	37.0	122	121
11.	महाराष्ट्र	51.8	56.4	29.0	29.4	68	68
12.	मणिपुर	1 .1	26.2	28.5	25.8	अप्राप्त	अप्राप्त
13.	मेघालय	5.7	5.2	39.1	36.4	अप्राप्त	अप्राप्त
14.	नागालैंड	2.3	4.8	25.3	22.3	अप्राप्त	अप्राप्त
15.	उड़ीसा	32.8	40.7	30.7	31.9	132	122
16.	पंजाब	48.9	74.2	28.5	28.5	71	62
17.	राजस्थान	19.8	29.6	39.7	33.3	108	103
18.	सिक्किम	11.5	18.0	33.1	33.8	अप्राप्त	अप्राप्त
19.	तमिलनाडु	36.1	56.2	24.7	22.7	81	74
20.	त्रिपुरा	11.2	17.5	27.3	26.6	अप्राप्त	अप्राप्त
21.	उत्तर प्रदेश	17.1	33.8	37.6	37.1	142	124
22.	पश्चिम बंगाल	27.3	33.9	29.4	28.4	74	69
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	27.1	38.2	28.3	22.1	अप्राप्त	अप्राप्त
24.	अरुणाचल प्रदेश	4.4	10.0	55.5	40.0	अप्राप्त	अप्राप्त
25.	चंडीगढ़	37.0	36.8	24.5	22.4	अप्राप्त	अप्राप्त
26.	दादरा और नगर हवेली	31.4	50.2	36.9	38.3	अप्राप्त	अप्राप्त
27.	दिल्ली	35.6	42.1	32.8	28.6	अप्राप्त	अप्राप्त
28.	गोवा	23.0	30.9	19.5	17.7	अप्राप्त	अप्राप्त

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	दमन और दीव	22.4	30.6	अप्राप्त	28.1	अप्राप्त	अप्राप्त
30.	लक्षद्वीप	9.9	9.8	35.0	25.5	अप्राप्त	अप्राप्त
31.	पांडिचेरी	52.4	63.2	22.0	22.5	अप्राप्त	अप्राप्त
32.	मिजोरम	23.8	37.2	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
	अखिल भारत	32.1	42.7	32.9	31.5	97	94

* आंकड़े अनन्तिम

* केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए

* गोवा दमण और दीव की संयुक्त दरें

दिल्ली के रोजगार केन्द्रों में पी. जी. टी./टी. जी. टी. के लिए पंजीकरण

2307. श्री गंगा चरण लोधी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के विभिन्न रोजगार केन्द्रों में पी. जी. टी./टी. जी. टी. पदों के लिए कितने उम्मीदवार पंजीकृत हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31.7.1990 की स्थिति के अनुसार दिल्ली के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर स्नातक और स्नातकोत्तर अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार है :—

स्नातकोत्तर		(हजारों में)
अध्यापक (पी. जी. टी.)	:	15.4
प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (टी. जी. टी.)	:	30.3

गन्ने के लिए माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रित प्रणाली

2308. श्री पी. नरसा रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग में उत्पादन बढ़ाने के लिए 'माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रित प्रणाली' को लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को लागू करने से उत्पादकता में कितना सुधार हुआ; और

(ग) इस प्रणाली को लागू करने से पहले इस उद्योग में कितने मजदूर नियोजित थे और उसके बाद कितने नियोजित हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी ने दावा किया है कि उनके द्वारा चीनी उत्पादन की विभिन्न प्रक्रिया स्टेजों के लिए विकसित की गई माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रित प्रणाली को देश की कुछ चीनी फैक्ट्रियों में लागू किया गया है तथा इन चीनी फैक्ट्रियों में इससे चीनी उत्पादन में 0.3 प्रतिशत तक की वृद्धि पाई गई थी। उक्त संस्थान ने यह सूचना भी दी है कि मजदूरों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित प्रणाली के प्रचालन तथा रख-रखाव के लिए एक या दो इन्सट्रुमेंट टेक्नीशियन लिए जाने से कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

वस्त्र उद्योगों के लिए माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोलर सिस्टम

2309. श्री पी. नरसा रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग ने अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए पहले से ही माइक्रोप्रोसेसर कन्ट्रोल सिस्टम अपना लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सिस्टम को शुरू किये जाने से उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) वस्त्र उद्योग में इस सिस्टम को शुरू करने से पहले तथा बाद में कितने-कितने मजदूर नियुक्त किये गये थे ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां।

(ख) माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग सिस्टम विश्लेषण के सहायक के रूप में और बेहतर प्रबंध संबंधी जानकारी प्राप्ति के जरिए क्वालिटी में सुधार करने और प्रोसेस नियंत्रण के लिए किया जाता है तथा जिसके फलस्वरूप उत्पादकता में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करने में मदद मिलती है।

(ग) माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम हाल ही में बेहतर प्रबंध और क्वालिटी और प्रोसेस कंट्रोल में सुधार करने के लिए सहायक के रूप में लागू किया गया है। वस्त्र उद्योग में इस प्रौद्योगिकी को लागू करने से रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव को बता पाना संभव नहीं है।

नालियों की सफाई के लिए बोध रहित प्रणाली

2310. श्री राजवीर सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्षा के पानी के सुचारू रूप से बहने के लिए बन्द पड़ी नालियों की सफाई तथा घास-फूस हटाने के लिए बोध रहित प्रणाली तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त राज्य सरकारों को भी कोई अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जल निकास स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा सुनियोजित तथा निष्पादित की जाती हैं। इनका अनुरक्षण भी राज्य सरकारों द्वारा उनको उपलब्ध निधियों में से किया जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न होती हैं।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को आवंटन के मापदण्ड और मध्य प्रदेश को किया गया आवंटन

2311. श्री छवि राम अर्गल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विकास गतिविधियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के आवंटन के मापदण्ड क्या हैं; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश को प्रति वर्ष कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) आदिवासी उपयोजना हेतु राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटित करने के मापदण्ड मुख्यत: है—अनुसूचित जनजाति जनसंख्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्र-तथा राज्य का तुलनात्मक पिछड़ापन।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश को वर्षवार दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता नीचे दी गई है :—

वर्ष	धनराशि दी गई (रु. लाखों में)
1985-86	3969.98
1986-87	4399.72
1987-88	4518.48
1988-89	4934.15
1989-90	5385.00

योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के आवंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। आठवीं योजना के प्रथम वर्ष अर्थात 1990-91 के लिए, मध्य प्रदेश को, विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 5923.50 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है।

टुंड्रा पैक में फलों के रस का निर्यात

2312. श्री बसंत साठे : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टुंड्रा पैक में फलों के रस और अन्य उत्पादों के निर्यात की संभावना वाले कुछ क्षेत्रों में इनके निर्यात की क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) कार्यान्वियन के अधीन अन्य संबद्ध योजनाओं/प्रायोगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) ऐसी सूचना मिली है कि फलों पर आधारित पेय और फलों के रसों को उपभोक्ता टंट्रा-पैक में निर्यात करने की गुंजाइश कम है क्योंकि आयात करने वाले देश फलों के गूदे और कांसन्ट्रेट को फल पेय में परिवर्तित करने के लिए बड़ी मात्रा में उनका आयात करना पसन्द करते हैं। साफ्ट-ड्रिंक के कुछ निर्माताओं द्वारा तैयार पेय का टंट्रा-पैक में निर्यात आरम्भ करने की सूचना मिली है।

नागालैंड की माध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार की मंजूरी

2313. श्री शिकिहो सेमा : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड की मध्यम दर्जे की तीन सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं और इनमें से प्रत्येक परियोजना पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(ग) इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा और इन कार्यों के पूरा होने के लिए कितना अनुमानित समय निर्धारित किया गया है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

स्नातकोत्तर मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए मार्ग निर्देश

2314. श्री गंगा चरण लोधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित ऐसे कुल कितने छात्र हैं, जिन्होंने इस वर्ष अखिल भारतीय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है; और

(ख) क्या विभिन्न कालेजों में उनके प्रवेश के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा कोई मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को प्रतीक्षा सूची प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) योग्यता सूची में शामिल छात्रों को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा मेरिट एवं वरियता (विषयवार और कालेजवार) के आधार पर स्नातकोत्तर सीटें आबंटित की जाती हैं बशर्ते वे पाठ्यक्रम के लिये पात्रता की शर्तों को पूरा करते हों।

कृषि-प्रसंस्करण उद्योग

2315. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहकारी समितियों अथवा इस तरह की संस्थाओं के ढांचे के अंदर प्रसंस्करण एकक स्थापित करने के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहन देने का है, जैसा कि उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी "लघु और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने संबंधी नीतिगत उपायों और औद्योगिक मंजूरियों के लिए प्रक्रियाओं में परिवर्तन" के अनुच्छेद 7 में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कच्चे माल की उपलब्धता के अनुसार कृषि जलवायु संबंधी में नये एकक स्थापित करने में किसानों की भागीदारी बढ़ाने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे एककों का लाइसेंस समाप्त करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 1990-91 के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें तैयार की हैं। इन स्कीमों में फल तथा सब्जी उत्पादक समितियों को सहायता देकर उत्पादकों और प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच संयोजन सुदृढ़ बनाने की स्कीम; खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की स्कीम; उत्पादकों द्वारा खुम्बी के उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की स्कीम आदि शामिल हैं।

दुग्ध आहार और माल्टेड आहार को छोड़कर डिब्बाबन्द फल तथा सब्जी उत्पादों, प्रोटीन संसाधित खाद्य पदार्थों सब्जी पर आधारित वीनिंग फूड्स और समुद्री उत्पादों से सम्बन्धित सभी उद्योगों को कुछ शर्तों पर लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

केरल में अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्रीय आबंटन

2316. श्री पी. सी. थामस :

श्री सुरेश कोडीकुन्नील :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में और केरल में अनुसूचित जनजातियों की कितनी-कितनी आबादी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केरल

को कितना धन आवंटित किया गया और उसमे से केरल सरकार द्वारा कितनी कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा मेलूकावू पर्वतीय क्षेत्र की जनजातियों के लिए कोई धन आवंटित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 516.28 लाख थी और केरल में यह 2.61 लाख थी।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किए गए आवंटन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इनमें से उपयोग में लाई गई धनराशि से संबंधित वर्षवार सूचना केरल सरकार से प्राप्त की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	योजनाएं	1987 88 के लिए आवंटन	1988-89 के लिए आवंटन	1989-90 के लिए आवंटन
1	2	3	4	5
1.	आदिवासी उपयोजना (विशेष केन्द्रीय सहायता)	83.74	115.78	126.21
2.	लड़कियों को छात्रावास	8.16	—	6.00
3.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	6.12	8.92	10.00
4.	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम उपबंध के अधीन योजना	9.72	9.72	9.73
5.	अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	शून्य	शून्य	44.88

1	2	3	4	
6.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना	1 79	3.02	—
7.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	4 18	4.44	3.00

गेहूँ की खरीद का लक्ष्य

2318. श्री माधवराव सिंधिया : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष गेहूं की खरीद का राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यह लक्ष्य किस हद तक पूरा कर लिया गया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं कि किसानों को विवश होकर कम मूल्य पर अपने उत्पाद की बिक्री न करनी पड़े ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि गेहूँ की वसूली सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अधीन किसानों द्वारा की गई स्वैच्छिक पेशकशों के प्रति की जाती है।

(ख) वर्तमान रबी विपणन मौसम 1990-91 के दौरान 17-8-1990 तक 110.71 लाख मीटरी टन गेहूं की एक रिकार्ड मात्रा की वसूली कर ली गई थी जबकि रबी मौसम 1989-90 के दौरान 90.04 लाख मीटरी टन गेहूँ की वसूली की गई थी।

(ग) सरकार की वसूली नीति का उद्देश्य किसानों को पर्याप्त समर्थन मूल्य प्रदान करना है ताकि उन्हें अपने उत्पाद मजबूरन न बेचने पड़ें। संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय खाद्य निगम द्वारा अन्तिम रूप से किए गए प्रबन्धों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य की वसूली एजेन्सियों द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों का देश भर में जाल बिछाया जाता है और मजबूरन बिक्री करने की सम्भावनाओं को रोकने के लिए इनकी संख्या में आवश्यकतानुसार समय-समय पर वृद्धि की जाती है।

नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण पंचाट

2319. श्री एस. सी. वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार को नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण पंचाट के अन्तर्गत गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर और महेश्वर परियोजनाओं का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में पूरा करना होगा;

(ख) उक्त निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 1989-90 के मूल्यों के अनुसार कितनी धनराशि की आवश्यकता थी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण पंचाट के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार को अपना दायित्व पूरा करने में सक्षम बनाने हेतु इसे वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) और (ख) नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट में यह प्रावधान है कि मध्य प्रदेश द्वारा नर्मदा सागर बांध का निर्माण सरदार सरोवर बांध निर्माण के साथ-साथ अथवा इससे पहले पूर्ण किया जाए। नर्मदा सागर परियोजना की अनुमानित लागत 1988 के मूल्यों के अनुसार 1993.67 करोड़ रुपए है। ओंकारेश्वर और महेश्वर परियोजनाओं के निर्माण के लिए समय सारणी के संबंध में पंचाट में कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ) आठवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राजस्थान में सांसी जनजाति का पुनर्वास

2320. श्री राम लाल राही : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान के सांसी जनजाति के लोगों की दयनीय दशा के बारे में पता है ;

(ख) इस जनजाति के लोगों के पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) (क) और (ख) सूचना राजस्थान सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में भूमि का कटाव

2321. प्रो. सत्यगोपाल मिश्र : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी से विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर हुए भूमि के कटाव के कारण पश्चिम बंगाल के हजारों लोग बेघर हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) से (ग) मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में लगभग 160 हेक्टेयर भूमि और 1800 परिवार प्रभावित हुए हैं। कटाव रोकने के उपाय राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं।

उड़ीसा में रेशम उत्पादन में वृद्धि

2322. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या उड़ीसा में रेशम उत्पादन में वृद्धि किए जाने की काफी गुंजाईश है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में उठाए जाने वाले कदमों का ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा में रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड आठवीं योजना के दौरान रेशम उत्पादन संबंधी निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है :—

(1) राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना, इस परियोजना में परियोजना अवधि 1993-94 के अन्त तक राज्य में 120 टन रेशम उत्पादन करने के लिए शहतूती कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत 4000 एकड़ क्षेत्र बढ़ाने की व्यवस्था है । परियोजना में उड़ीसा में सहायक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की भी व्यवस्था है ।

(2) अन्तर राज्यीय टसर परियोजना (आई एस टी पी) राज्य में आई एस टी पी की सफलता के आधार पर, आठवीं योजना अवधि में विश्व सहायता से क्रियान्वय के लिए उड़ीसा राज्य के वास्ते 451.50 लाख रु. के परिव्यय वाला आई. एस टी पी का एक कंसोलिडेशन फेज बनाया गया है ।

(3) रेशम उत्पादन में कृषकों को लाभ पहुँचाने के लिए उड़ीसा में एक कृषक प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया जाना है ।

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार

2323. श्रीमती विद्या चेन्नुपति :

श्री सी. के. कुप्पुस्वामी :

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री राम लाल राही :

श्री धर्मन्ना मोनडय्या सादुल :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में फतेहपुर और आगरा (उ. प्र.) और आसपास के क्षेत्रों में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों को विशेष हिदायतें जारी की हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध अत्याचार करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कानून और व्यवस्था बनाए रखने वालों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई ।

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहलुओं पर जोर दिया गया है :—

(1) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत यथा निर्दिष्ट सभी उपाय करना ताकि अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

(2) प्रत्येक जिले में अनन्य विशेष अदालतों का विनिर्देशन तथा यह भी सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त विशेष लोक अभियोजक केवल इस अधिनियम के अधीन मुकदमों का ही काम करे ताकि रोजमर्रा विचारण हो तथा न्यूनतम संभावित समय के अन्दर अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जा सके।

(ग) और (घ) जी, हां। इस आशय की कुछ शिकायतें मिली हैं कि पुलिस अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को समुचित महत्व नहीं दे रही है तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिकायतें दर्ज नहीं करती है। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकारों को इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करने को कहा गया है :—

(1) सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी करना ताकि अत्याचार के सभी मामले आवश्यतः दर्ज किए जाएं तथा शिकायतें करने वालों को किसी प्रकार का उत्पीड़न न हो।

(2) अनुसूचित जातियों/जनजातियों में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों का प्रचार।

(3) तुरन्त सन्दर्भ हेतु सभी पुलिस थानों में इस अधिनियम की एक एक प्रति दी जाए ताकि जब जब पुलिस थाना में ऐसे मामले रिपोर्ट किये जाएं तो इस अधिनियम के अन्तर्गत मामलों को समुचित रूप से दर्ज किया जाए।

(4) सभी पुलिस अधिकारियों को इस कानून की जानकारी देने के लिये उनके प्रशिक्षण हेतु आवश्यक प्रबंध करना।

(5) यह सुनिश्चित करना कि विचारणार्थ मामले विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों को भेजे जाएं तथा विशेष अदालतों में तेजी तथा बारीकी के साथ मामलों पर कार्रवाई हेतु अधिसूचित विशेष लोक अभियोजकों को अनुदेश दिये जाएं।

बुरहानपुर-ताप्ती मिल का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

2324. श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की बुरहानपुर स्थित बुरहानपुर-ताप्ती मिल के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो मिल के आधुनिकीकरण कार्य कब शुरू होगा;

(ग) इस योजना पर कुल कितनी धन राशि व्यय होगी; और

(घ) इस योजना के कार्यान्वयन के बाद कितने श्रमिकों को रोजगार मिलेगा ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) एन टी सी (धारक कम्पनी) नई दिल्ली और वित्तीय संस्थानों आवश्यक अनुमोदन के पश्चात् बुरहानपुर ताप्ती मिल, बुरहानपुर के संबंध में आधुनिकीकरण योजना सम्भवता चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगी तथा ऐसी आशा है कि वित्तीय वर्ष 1993-94 के अन्त तक इसे पूरी तरह से क्रियान्वित कर दिया जाएगा ।

(ग) बुरहानपुर ताप्ती मिल संबंधी आधुनिकीकरण प्रस्ताव में लगभग 29 करोड़ रु. के निवेश की व्यवस्था है ।

(घ) ऐसा अनुमान है कि आधुनिकीकरण योजना के क्रियान्वयन के बाद श्रमिकों की कुल संख्या लगभग 1400 होगी ।

केरल में आंगनवाड़ी के लिए केन्द्रीय सहायता

[अनुवाद]

2325. श्री. ए. चालसं : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार राज्यों में आंगनवाड़ी के संचालन हेतु 50 प्रतिशत व्यय केंद्रीय सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत शेष व्यय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जायेगा,

(ख) वर्ष 1988-90, 89-90 और 90-91 के दौरान आंगनवाड़ी के लिये केरल को कितनी धन-राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई है, और

(ग) उपर्युक्त तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार केरल सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उपमंत्री (श्रीमती ऊषा सिंह) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा (आई. सी. डी. एस.) योजना के अन्तर्गत

पोषाहार घटक के अलावा केन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण खर्च वहन करती है। पोषाहार घटक का खर्च राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है उसके लिए भी केन्द्रीय प्रायोजित गेहूं-आधारित पोषाहार कार्यक्रम के माध्यम से कुछ राज्यों को खाद्य सहायता दी जाती है।

(ख) केरल को 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता क्रमश: 625.15 लाख रुपए, 566.56 लाख रुपए और 449.44 लाख रुपए (31.7.90 तक) है।

(ग) केरल सरकार द्वारा 1988-89 और 1989-90 के दौरान खर्च की गई राशि क्रमशः 492.70 लाख और ·95.93 लाख रुपए है। परन्तु केरल सरकार द्वारा 1990-91 में खर्च की गई राशि का ब्यौरा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सहायक कम्पनियों में चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक

2326. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड का विभिन्न सहायक कम्पनियों के लिए चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि. के विभिन्न सहायक निगमों में अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक का चयन करने की कोई प्रणाली नहीं है। इन पदों पर नियुक्ति, लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा किये गए साक्षात्कार तथा उनके द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर की जाती है।

अग्रिम चयन प्रक्रिया

2327. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र कार्यकारी चयन बोर्ड/सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के चयन के लिए छह महीने की अग्रिम चयन प्रक्रिया संबंधी आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले तीन महीनों के दौरान वस्त्र मंत्रालय ने सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में तथ्य क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वस्त्र मंत्रालय सामान्य केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियों की प्रोसेसिंग करने के बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का अनुसरण कर रहा है। पद रिक्त होने से छः महीने पूर्व कार्रवाई शुरू करने के बारे में हाल ही में जारी अनुदेशों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

महाराष्ट्र के स्वयंसेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र

2328. **श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र संगठनों से प्राप्त उन आवेदन पत्रों का ब्योरा क्या है, जो (1) समेन्वित बाल विकास सेवा, (2) समन्वित बाल विकास सेवा कर्मचारी प्रशिक्षण, (3) बालसेवक प्रशिक्षण, (4) बालबाड़ी पोषाहार कार्यक्रम और (5) बाल्यावस्था-पूर्व शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभाग से (एक लाख रुपये से अधिक का) आवृति अनुदान प्राप्त करने के लिए गत तीन वर्षो से लम्बित पड़े हैं अथवा रद्द कर दिए गए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उपमंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के किसी भी स्वयंसेवी संगठन से (1) समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई. सी. डी. एस.), (2) आई. सी. डी. एस. कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, (3) बाल सेविका प्रशिक्षण, (4) बालबाड़ी पोषाहार कार्यक्रम और (5) प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत आवर्ती अनुदान (1 लाख रुपए से अधिक) प्राप्त करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, कल्याण मंत्रालय में कोई भी आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

परन्तु एक आवेदन-पत्र 1989-90 के दौरान एक स्वयंसेवी एजेंसी-संजीवनी महिला मिलन, 4-ए, जहांगीर वाजी स्ट्रीज, टी. जे. रोड, बम्बई से बालबाड़ी पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 150 पोषाहार केन्द्रों के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड में प्राप्त हुआ था जो दिसम्बर, 1989 में अस्वीकृत कर दिया गया । बालबाड़ी पोषाहार कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के माध्यम से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है ।

दिल्ली में महिलाओं के उत्थान संबंधी योजनाएं

2329. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में महिलाओं के उत्थान संबंधी कितनी महिला कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के अन्तर्गत हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उपमंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

दिल्ली में कार्यान्वित की जा रही महिला कल्याण योजनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं—

(क) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं

(i) **कामकाजी महिला होस्टल :**

इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूसरे नगरों और क्षेत्रों से रोजगार तलाश में आने वाली एकल कामकाजी महिलाओं को स्वस्थ वातावरण में सुरक्षित और उपयुक्त आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत होस्टल भवनों के निर्माण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

प्रदान की जाती है। वर्ष 1987-88 में, 96 कामकाजी महिलाओं को आवास और 24 बच्चों को दिवस-देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मिशन आफ सर्विस को एक कामकाजी महिला होस्टल के लिए स्वीकृति दी गई। 1988-89 और 1989-90 में कोई नया होस्टल स्वीकृत नहीं किया गया।

(ii) महिलाओं के लिए रोजगार और आय-उत्पादक-प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र स्थापित करना

इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें दीर्घावधि आधार पर रोजगार प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिए रोजगार और आय उत्पादक उत्पादन यूनिटें खोले जाने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत, वर्ष 1988-89 के दौरान आल इंडिया कान्फेडरेशन आफ दि ब्लाईंड, माडल टाऊन, नई दिल्ली का एक परियोजना मन्जूर की गई।

(iii) अल्पावास गृह

इस योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं और लड़कियों को अस्थाई आश्रय और पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराना है जो सामाजिक और नैतिक खतरों का सामना कर रही हैं। इसका कार्यान्वयन इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक ढांचा (इनफ्रास्ट्रक्चर) और अनुभव रखने वाले स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। 1988-89 में दिल्ली में एक अल्पावास गृह स्वीकृत किया गया।

(iv) महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षा कार्य

योजना का मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवी संगठनों, आई. टी. आई. इत्यादि को सहायता प्रदान करना है ताकि प्रचार और अनुसंधान कार्यों के द्वारा अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षा-कार्यों के जरिए महिलाओं का उत्थान किया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत, 1987-88 में 27 परियोजनाओं, 1988-89 में 23 परियोजनाओं और 1989-90 में 14 परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी गई थी।

(v) संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए महिला प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता

इस योजना का उद्देश्य निराश्रित महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बन सकें। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान 266 महिलाओं के लाभार्थ दस प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता दी गई। 1987-88 और 1989-90 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई।

ख. दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यान्वित योजनाएं

(क) समाज कल्याण निदेशालय, दिल्ली प्रशासन हजारों महिलाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए निम्नलिखित सेवाएं प्रदान कर रहा है और संस्थाएं चला रहा है—

1. निराश्रितों और देखभाल संस्थाओं के भूतपूर्व संवासियों के लिए आफ्टर केयर होम फार वोमेन।

2. विधवा गृह (निराश्रित विधवाओं के लिए)

3. नैतिक खतरों से ग्रस्त परित्यक्त महिलाओं और आई. टी. पी. ए. के अन्तर्गत आने वाली महिलाओं के लिये निर्मल छाया।

4. अल्पवास गृह-संकटग्रस्त और जरूरतमंद महिलाओं के लिए आवास, भोजन और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं।

5. महिला भिखारियों के लिए महिला सदन और महिला भिक्षु गृह।

6. दहेज विरोध कक्ष (सैल)।

7. महिलाओं के लिए रोजगार और आय उत्पादक योजना—महिलाओं के लिए 5 कार्य केन्द्र और शारीरिक विकलांगों के लिए प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र।

8. विधवाओं के लिए वित्तीय सहायता।

9. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र—

पुनर्वास विभाग द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं के लिए संचालित किए जा रहे 19 केन्द्र।

10. महिला कैदियों के लिए कार्य-केन्द्र।

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्तकर्ताओं का ब्यौरा निम्नानुसार है—

योजना		1987-98	88-89	89-90
1		2	3	4
1.	आफ्टर केयर होम फार वोमेन	81	85	87
2.	विधवा गृह	38	18	17
3.	निर्मल छाया	207	254	259
4.	अल्पावास गृह	85	81	85
5.	महिला सदन और महिला भिक्षु गृह	143	129	110

1	2	3	4	5
6.	दहेज विरोधी प्रकोष्ठ	161	218	69
7.	महिलाओं के लिए रोजगार और आय उत्पादक योजना	1050	1074	1184 औसत
8.	महिलाओं के लिए विस्तीय	1999	426	118
9.	आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र	355	200	207
10.	कार्य-केन्द्र, केन्द्रीय कारावास	40	18	47

ग. केन्द्र समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित योजनाएं

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं के लिए निम्नलिखित कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है—

1. ग्रामीण और निर्धन महिलाओं के लिए जागृति विकास परियोजनाएं—

वर्ष	शिविरों की संख्या	लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या
1987-88	5	120
1989-89	6	150
1989-90	4	120

2. व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संक्षिप्त पाठ्यक्रम

वर्ष	इकाइयों की संख्या	लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या
1987-88	56	1,120
1988-89	41	925
1989-90	40	950

3. परिवार परामर्श केन्द्र

वर्ष	इकाइयों की संख्या	लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या
1989-88	8	582
1988-89	7	765
1989-90	8	1156

4. प्रौढ़ महिलाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम

वर्ष	इकाइयों की संख्या	लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या
1987-88	8	180
1988-89	14	295
1989-90	8	190

5. महिला मण्डल कार्यक्रम

वर्ष	इकाइयों की संख्या	लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या
1987-88	15	738
1988-89	15	820
1989-90	15	820

आंध्र प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवार

2330. श्री बी. एन. रेड्डी : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने परिवार हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं; और

(ख) उनके जीवन यापन की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जा रही सहायता का ब्योरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्रीराम विलास पासवान) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण परिणामों के 38 वें दौर के अनुसार आंध्र में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की संख्या 1983-84 में क्रमश: 42.20 लाख तथा 17.36 लाख थी।

(ख) भारत सरकार, अनुसूचित जाति/जनजातियों की जीवन परिस्थितियों में सुधार हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता दे रही है—

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम	राशि (लाखों रुपए में)
1.	विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उप योजना के पूरक के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता	
	(क) विशेष संघटक योजना में विशेष केन्द्रीय सहायता	सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 7,103,42
	(ख) आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5,166,18
2.	आन्ध्र प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त निगम को शेयर पूंजी तथा तल्य सहायता	सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1,425.34

(3) इसके अलावा, राज्य के राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम को सहायता देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना, लोगों के लिये आय अर्जक योजनाएं शुरू करने के लिये की गई है। भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लि. आदिवासी उत्पादन विपणन कर रहा है, जिनमें लघु वनोपजादी शामिल है।

दिल्ली में पट्टा प्रणाली समाप्त करना

2331. रामेश्वर प्रसाद :

श्री माधवराव सिंधिया :

कुमारी उमा भारती :

श्री पी. एम. सईद :

क्या शहरी विकास मंत्री दिल्ली में पट्टा प्रणाली समाप्त करने के बारे में 14 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 300 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पट्टा प्रणाली को समाप्त करने के लिए नीतिगत निर्णय को लागू करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या पट्टा प्रणाली से संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा जो सार्वजनिक सूचना जारी की जानी है, वह जारी कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) दिल्ली में 500 वर्गमीटर तक के रिहायशी प्लाटों के लिये भू-धृति की पट्टाधारण प्रणाली को फ्री-होल्ड में परिवर्तन करने के लिये

विकल्प की अनुमति देने हेतु 21 अक्तूबर, 1989 को आदेश जारी किये गये थे। इसके आधार पर, पट्टा प्रणाली से संबंधित अभिकरण को सार्वजनिक नोटिस जारी करना अपेक्षित था। इसी दौरान इस संबंध के विभिन्न विकल्पों का सुझाव देते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे। इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

केरल को हरिजनों के लिए आवास परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु आबंटन

2332. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल को अनुसूचित जातियों के लिये आवास परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु कोई आबंटन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अनन्य रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विमुक्त बन्धुआ मजदूरों के लिए अभिप्रेत इन्दिरा आवास योजना नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित की जा रही है जो कि जवाहर रोजगार योजना की एक उपयोजना है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और ऐसे मुक्त बन्धुआ मजदूरों के लिये जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, निःशुल्क मकान बनाये जाते हैं। 1990-91 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के लिये केरल के लिये 220.11 लाख रु. की राशि निश्चित की गई है।

वेश्याओं के बच्चों और दलित जनजातियों का पुनर्वास

2333. **श्री पी. एम. सईद :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में वेश्याओं और अन्य दलित जनजातियों तथा निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास के लिये कोई योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) वेश्याओं के बच्चों के पुनर्वास के लिये अलग से कोई योजना नहीं बनाई गई है। फिर भी देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण की योजना के अन्तर्गत परिभाषित निराश्रित, अनाथ तथा अन्य उपेक्षित बच्चों को देखभाल तथा संरक्षण के लिये उपलब्ध सुविधाएं, पाने के लिए वेश्याओं के बच्चे भी हकदार हैं।

निराश्रित महिलाओं के लिये संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिये महिला प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान स्थापित करने हेतु सहायता की योजना तथा महिलाओं और लड़कियों के लिये अल्पावास गृह की योजना क्रियान्वित की जा रही है।

भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की रिपोर्ट

2334. श्री ए. के. ए. अब्दुल समद : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) भाषाई अल्प संख्यक आयुक्त ने सरकार को किस वार्षिक अवधि के लिये अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) सरकार द्वारा संसद के सभापटल पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन सहित अथवा ज्ञापन के बिना कौन सी अवधि की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(ग) संसद में कौन सी वार्षिक अवधि की रिपोर्ट पर चर्चा हुई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संसद में सभा पटल पर रखी गई अंतिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है।

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त द्वारा प्रस्तुत पिछली वार्षिक रिपोर्ट अर्थात 28 वीं रिपोर्ट जुलाई, 1987 से जून, 1988 तक की अवधि के लिये है।

(ख) सरकार के केवल टिप्पणियां ही संसद में रखी जाती हैं। रिपोर्ट के साथ 25 वी रिपोर्ट पर सरकार की टिप्पणियां संसद में रखी गई थी।

(ग) 12 वीं रिपोर्ट वह अंतिम रिपोर्ट थी जिस पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई थी। राज्य सभा में 13.11.1972 और 14.11.1972 तथा लोक सभा में 28.11.1972, 29.11.1972 और 30.11.1972 को इस पर चर्चा हुई थी। 13 वीं, 14 वी, 15 वीं तथा 16 वीं रिपोर्ट पर केवल राज्य सभा में चर्चा हुई थी। 13 वीं रिपोर्ट पर 27.11.1973 तथा 28.11.1973 को, 14 वीं रिपोर्ट पर 23.7.1974 4.7.1974 तथा 25.7.1974 को और 15 वी रिपोर्ट तथा 16 वीं रिपोर्ट पर 21.11.1977 को एक साथ चर्चा हुई थी।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा सिफारिशों पर सतत आधार पर कार्रवाई की जाती है। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को भेजी जाती है।

महिलाओं की शिकायतें

2335. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महिलाओं की शिकायतें दूर करने के लिए विभिन्न राज्यों सरकारों को कुछ संगठन स्थापित करने का परामर्श दिया है,

(ख) क्या राजस्थान में ऐसा कोई संगठन स्थापित किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संगठनों के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उपमंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

[हिन्दी]

2336. **श्री नन्द लाल मीणा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान, राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों ने छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन किया और कितने ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई तथा छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के मापदंड क्या थे;

(ख) क्या छात्रों ने, समय पर छात्रवृत्ति न मिलने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है; और

(ग) यदि हां, तो छात्रवृत्ति के समय पर भुगतान को सुनिश्चित बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना राजस्थान सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं

[अनुवाद]

2337. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए देश में वर्ष 1989 के दौरान कितनी नई योजनाएं शुरू की गई;

(ख) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं के अन्तर्गत कोई प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व किस एजेंसी पर है ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल, 1989 को महिला समख्या नामक एक नई योजना शुरू की ।

(ख) इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा तन्त्र तैयार करना है जिसके द्वारा महिलाओं को अपनी शिक्षा के सम्बन्ध में योजना बनाने, उसका प्रबोधन करने तथा नवीन ज्ञानार्जन करने का अवसर मिल सके। इसका उद्देश्य महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर शिक्षा, आयोजना की प्रक्रिया में शामिल करना और प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों के स्तर पर लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, ग्रामीण स्तर के स्कूली अध्यापकों के प्रशिक्षण और शिक्षा सम्बन्धी सामग्री के उत्पादन जैसी शिक्षात्मक निविष्टियां उपलब्ध कराना है।

यह कार्यक्रम गुजरात और कर्नाटक के तीन-तीन जिलों में और उत्तर प्रदेश के चार जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सभी जिलों में क्षेत्रीय स्तर के समन्वय-कर्ताओं अर्थात् सहयोगिनों के प्रशिक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। सहयोगिनों की देखरेख में गांवों में महिला संघ स्थापित कर दिए गए हैं। कुछ क्षेत्रों में शिशु देखभाल केन्द्र; अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे घटक शुरू कर दिए गए हैं।

कुछ क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी चालू कर दिए गए हैं। कर्नाटक, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश के तीनों राज्यों में एक-एक स्वायत्त निकाय अर्थात् महिला समख्या समितियां पंजीकृत की गई हैं। परियोजना के कार्यकर्ता भी नियुक्त किए गए हैं।

मंडल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन

2338. श्री हरिकेवलप्रसाद :

डा. दौलतराव सोनूजी आहेर :

प्रो. राम गणेश कापसे :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मंडल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या सरकार का रिपोर्ट में कुछ संशोधन करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूचियां तैयार करने में अनेक राज्यों के लम्बे अनुभव का लाभ उठाने तथा सौहार्दपूर्ण तथा तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम चरण में उन जातियों को अपनाया जाए जो मंडल सूची तथा राज्य सूची में एक समान है।

सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता 27% होगी यह आरक्षण भारत सरकार के अधीन सेवाओं तथा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों पर 7 अगस्त, 1990 से लागू होगा।

नर्मदा सागर परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता

2339. श्रीमती सुभाषिनी अली :

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जून, 1990 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "वर्ल्ड बैंक में स्टाप एड फार नर्मदा डैम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक ने क्या-क्या आपत्तियां उठाई हैं;

(ग) क्या सरकार के लिए प्रभावित लोगों को उचित दीर्घावधिक आपत्तियों और यदि इस परियोजना को प्रस्तावित रूप में कार्यान्वित किया गया तो इससे उत्पन्न होने वाली राष्ट्रीय समस्याओं का व्यावहारिक समाधान खोजना संभव नहीं है; और

(घ) क्या सरकार वर्तमान नर्मदा परियोजना के मूल उद्देश्यों और लक्ष्यों का विकल्प खोजने के लिए भारत का विकास चाहने वाले सभी वास्तविक मित्र देशों से विचार-विमर्श करेगी ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) (क) जी हां।

(ख) विश्व बैंक ने कुछ शर्तें निर्धारित की थीं, जिनकी अनुपालना गुजरात जल निर्मुक्ति और जल निकास परियोजना के लिए ऋण सहायता 2 जुलाई, 1990 से आगे और बढ़ाने पर विचार करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों तथा भारत सरकार द्वारा की जानी थी। इन शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ महाराष्ट्र में परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास और पुनःस्थापन व्यवस्थाएं, प्रशासनिक आदेश जारी करना तथा महाराष्ट्र में वन भूमि प्राप्त करने पर निर्णय लेना शामिल है। इन सभी शर्तों की अनुपालना की गयी है तथा इसके परिणामस्वरूप बैंक ने 1 जुलाई, 1991 तक एक वर्ष की और अवधि के लिए परियोजना हेतु ऋण सहायता बढ़ा दी है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद और पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के अध्यधीन सरदार सरोवर और नर्मदा सागर परियोजनाओं को अनुमोदित किया था। तीन भागीदारी राज्यों नामशः गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए उदार पुनर्वास तथा पुनःस्थापन नीतियां घोषित की हैं तथा प्रभावित व्यक्तियों को संतोषजनक पुनःस्थल सुलभ कराने के वास्ते इन राज्यों द्वारा विस्तृत कार्यक्रम बनाए गए हैं। संबंधित राज्यों ने पर्याप्त पर्यावरणीय उपायों की योजना बनायी है। परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता को भी अच्छी प्रकार आकलन लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, ये परियोजनाएं नर्मदा जल विवाद अधिकरण के अंतिम निर्णय के एक भाग के रूप में है, इसलिए विद्यमान परियोजनाओं, जैसाकि परिकल्पना की गयी है, के किसी विकल्प का पता लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में अगोंन जनजाति को शामिल करना

[हिन्दी]

2340. श्री ब्रजभूषण तिवारी : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगोंन जनजाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन के संदर्भ में इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। संशोधन के अनुच्छेद 341 (2) 342 2() के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

नर्मदा सागर परियोजना के लिये जापानी सहायता

2341. श्री शिव शरण वर्मा :
श्री हरीश पाल :
श्रीमती बासवराजेश्वरी :
क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने नर्मदा सागर परियोजना के लिए सहायता देने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में बातचीत की गई है अथवा किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) से (ग) नर्मदा सागर परियोजना के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु जापान सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

निर्यात माल का सम्बद्ध पार्टियों को न दिया जाना

[अनुवाद]

2342. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्स इंडिया द्वारा निर्यात माल को अमरीकी आयातकों को समय पर न दिये जाने के कारण वस्त्र निर्यात उद्योग के भावी निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सरकार को एयर इंडिया द्वारा निर्यात कार्गो का समय पर वितरण न करने के बारे में अमरीका आयातकों की किसी भी शिकायत की जानकारी नहीं है। वास्तव में जनवरी-जुलाई, 1990 के दौरान अमरीका को परिधान का निर्यात मूल्य बढ़कर 721 करोड़ रु. हो गया जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 596 करोड़ रु. था।

महिलाओं के अधिकार

2343. श्रीमती जयन्ती नवीनचन्द्र मेहता : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मार्च, 1990 के 'टाइम्स आफ इंडिया' (बम्बई संस्करण) मे महिलाओं के अधिकारों से संबंधित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले छह महीनों के दौरान महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक सांविधिक राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक 1990 पर संसद मे विचार किया जा रहा है।

बंद कपड़ा मिलों को खोलने के लिए महाराष्ट्र से प्रस्ताव

2344. श्री बसन्त साठे : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से बन्द कपड़ा मिलों को खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) महाराष्ट्र से ऐसे कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो सरकार के पास विचाराधीन है; और

(घ) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने आठ मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिए अग्रिम योजना सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। ये मिलें हैं, ओनिवाल मिल्स, बम्बई; खानदेश मिल्स, जलगांव; स्वान मिल्स, बम्बई (तीन एकक); रघुवंशी मिल्स, बम्बई; लोकमान्य मिल्स, बर्धा तथा राजन मिल्स, बर्धा। जबकि सरकार बन्द पड़ी अक्षम वस्त्र मिलों के पुनरुद्धार के लिए हर संभव प्रयास करेगी फिर भी इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं है कि गैर अर्थक्षम वस्त्र मिलों को बन्द करने की अनुमति दी जाए बशर्ते कि उनके कामगारों को संरक्षण दिया जाए। राष्ट्रीयकरण से

रुग्णता की समस्या का कोई निवारण नहीं हो जाता तथा सरकार नियमत ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। फिर भी महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह नौद्योग अभिकरण/बी आई एफ आर से पहले इन मिलों की अर्थक्षमता सिद्ध करें, मिलों की पुनर्स्थापना के लिए उनसे प्रत्याशित विभिन्न रियायतों के पैकेज के बारे में सभी संबंधित पक्षकारों की सहमति प्राप्त करें, तथा अर्थक्षम मिलों के राष्ट्रीयकरण के ठोस तथा पूरे प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले गैर सरकारी प्रवर्तकों या कामगारों की सहकारी समितियों के जरिए मिलों के पुनरुद्धार के अन्य विकल्पों की संभावना का भी पता लगा लें। इन प्रस्तावों पर भारत सरकार अलग अलग मामले में उनके गुणों के आधार पर विचार करेगी।

पंजाब में बच्चों को दांत की बीमारी

2345. श्री आर. एम. राकेश :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में स्कूल जाने वाले 82 प्रतिशत बच्चों को दांत की कोई न कोई बीमारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दांत की बीमारी की इतनी व्यापक प्रतिशतता को कम करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि प्राथमिक स्कूलों में 6 से 12 वर्ष के आयुवर्ग वाले 80 प्रतिशत से अधिक बच्चे दांतों के किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं।

(ख) पंजाब स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले के एक-एक खण्ड में सर्वेक्षण किया गया था और यह पाया गया था कि अधिकांश प्रभावित बच्चे दन्तक्षरण, और मसूड़ों के रोगों, ऊबड़-खाबड़ दांतों और मुंह में गलत चीज डालने की आदतों से पीड़ित हैं।

(ग) दन्त रोगों में इस वृद्धि को रोकने के लिए राज्य में निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए हैं।—

(1) 14 नवम्बर, 1989 को बाल दंत स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाना;

(2) प्राथमिक स्कूलों के सभी बच्चों के लिए गहन दन्त स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम;

(3) बृहत दन्त स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन;

(4) दन्त स्वास्थ्य शिक्षा पर दूरदर्शन तथा आकाशवाणी वार्ताओं का बार-बार आयोजन।

दिल्ली में पत्थर की खदानों में काम करने वाले श्रमिकों की मृत्यु

[हिन्दी]

2346. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत छः महीनों के दौरान पत्थर की खादानों में काम करने कितने श्रमिकों की जमीन पर खुदाई के कारण मृत्यु हुई;

(ख) इन घटनाओं में मृतकों के परिवारों को क्या सहायता और सुविधायें प्रदान की गई;

(ग) दोषी पाए गए खादान ठेकेदारों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) इन घटनाओं को रोकने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पिछले छह माह के दौरान दिल्ली में महिपालपुर गांव के पास अवैध पत्थर खनन संक्रिया में जमीन की खुदाई के कारण 7.5.90 को तीन श्रमिक मारे गए थे।

(ख) दिल्ली प्रशासन से कहा गया है कि वे हर्जाने के लिए मृतक श्रमिकों के परिवारों की पात्रता की जांच करें।

(ग) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी तथा पुलिस द्वारा ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया था तथा बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

(घ) खान सुरक्षा निदेशक, गाजियाबाद के कार्यालय द्वारा दिल्ली प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि वे कारगर उपाय करें ताकि खतरनाक परिस्थितियों में अवैध खनन में व्यक्तियों के रोजगार पर रोक लगाई जा सके। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु एहतियाती उपाय किए गए हैं।

बिहार में कृषि भूमि पर पानी जमा होना

2347. **श्री सूर्यनारायण यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में कृषि भूमि पर पानी जमा होने से रोकने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो जमा हुए पानी को निकालने के लिए उपर्युक्त प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो पानी जमा होने से रोकने के लिए की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ग) गण्डक बेसिन के जलनिकास से प्रभावित क्षेत्रों के लिए बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई 5 जल-निकास स्कीमों का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया गया है। उत्तरी बिहार के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के वास्ते राज्य की योजनाओं से किए गए प्रावधानों के अतिरिक्त मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में अनुकूल बाढ़ नियंत्रण उपायों के वास्ते केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है। इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार की वार्षिक योजना में प्राथमिकताएं देनी है।

बाढ़ राहत सहायता

2348. श्री हरिशंकर महाले : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार देश में विध्वंसकारी बाढ़ को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को स्वीकृत की गई कुल बाढ़ राहत सहायता राशि का वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या बाढ़-प्रभावित राज्यों को बाढ़ राहत सहायता देने का कोई ठोस प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) बाढ़ नियंत्रण जला-शयों, तटबंधन और शहर सुरक्षा कार्य आदि जैसे भौतिक बाढ़ सुरक्षा कार्यों के अतिरिक्त, बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी और बाढ़ प्रूफिंग प्रबंधों आदि जैसे गैर-संरचनात्मक उपायों पर भी बल दिया गया है।

(ख) महाराष्ट्र में 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान राहत उपायों के लिए, क्रमशः शून्य, 21.97 करोड़ रुपए. 26.96 करोड़ रुपए को उच्चतम दर की संस्वीकृति दी गई है।

(ग) और (घ) नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए विपत्ति राहत कोष बनाया गया है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा 75% अंशदान और शेष 25% राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

चार्टर-फिशिंग नीति की समीक्षा

[अनुवाद]

2349. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय और विदेशी मत्स्य एजेन्सियों के काम पर अपनी "चार्टर-फिशिंग" नीति के प्रभाव का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या समुद्र उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने सरकार की "चार्टर-फिशिंग", नीति की समीक्षा किए जाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने विशिष्ट रूप से चार्टर नीति की समीक्षा की मांग नहीं की है। परन्तु एक प्रतिवेदन पर टिप्पणी करते हुए इसने अन्य बातों के साथ-साथ नीति की समीक्षा का सुझाव दिया है। ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए नौकरी में आरक्षण के लिए विधान

2350 **श्री के. चौधरा राव :**

श्री मधुसूदन नायक :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए नौकरी में आरक्षण को अनुयोज्य अधिकार संबंधी विधान बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो संसद के समक्ष ऐसा विधेयक कब तक लाया जाएगा ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की स्थापनाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों तथा सेवाओं में, रिक्तियों के आरक्षण के लिए विधान लाने का निर्णय लिया गया है।

(ख) यह विधान संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा का कार्य निर्बाध रूप से चलने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैंने श्री हरीश रावत को बोलने के लिए इजाजत दी है।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, यह लोक तंत्र का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि विरोधी दल है उनको अपनी बात कहने दी जाए। सरकार ने यदि कहीं पर कुछ गलतियां,

की है, तो उन गलतियों के खिलाफ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जनता का आह्वान करने दिया जाए आंदोलन करने दिया जाए, धरना और प्रदर्शन करने दिया जाए, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सिद्धान्त का कुछ राज्य सरकारें पालन नहीं कर रही हैं और वे विरोधी दल की आवाज को दबाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग कर रही हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि यह संसद लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है और आप हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षक हैं इसलिए मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दुर्भाग्य से हमारी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं जिनमें वरिष्ठ कार्यकर्त्ता भी शामिल हैं, जिनमें एक भूतपूर्व मंत्री, जो इस सदन की सदस्या रही हैं, श्रीमती शीला दीक्षित और श्री बलराम सिंह जो राज्य सभा के सदस्य हैं भी शामिल हैं, उन्होंने जब हरिजनों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर आंदोलन करना चाहा, प्रदर्शन करना चाहा, तो सरकार ने पुलिस-बल का उपयोग कर के, उनके ऊपर लाठी चलवाई। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाईए। आप क्यों खड़े हो जाते हैं ? आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत : मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत आदर करता हूं। मुझे यह बात बिलकुल स्पष्ट कर देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के प्रति मेरे मन में बहुत अधिक सम्मान है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

जिस तरीके से राजनीतिक दलों की आवाज को दबाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस का उपयोग किया जा रहा है, वह निंदनीय है। श्रीमती शीला दीक्षित के साथ बेअदबी की गई है। बलराम सिंह जी का कुर्ता फाड़ा गया और हमारे कार्यकर्त्ताओं को पुलिस ने प्रदर्शन नहीं करने दिया उनके हाथों में हथकड़ियां लगाई गई; यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

[अनुवाद]

केवल यही घटना नहीं है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष जी इसके अतिरिक्त सिकन्दरा-राऊ में एक घटना हुई।

(व्यवधान)

एक हरिजन बालिका को जलाया गया, उनके खिलाफ हमारे कार्यकर्त्ताओं ने थाने में प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व हमारे भूतपूर्व, सांसद श्री चन्द्रपाल शैलानी, कर रहे थे। उनके दो लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनको आज जेल में सड़ाया जा रहा है। राजनीतिक विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए यदि पुलिस का उपयोग किया जाएगा और सदन इस बारे में चुप

रहेगा तो लोकतन्त्र समाप्त हो आएगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अन्दर पुलिस राज को समाप्त करने के लिए (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमको आपके प्रोटेक्शन की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि सदन के अन्य सदस्य हमारी बात का समर्थन करें। (व्यवधान) उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस के अंकुश को खत्म करे और राजनीतिक विरोधियों की आवाज को दबाने का काम नहीं करे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उदय प्रताप सिंह (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। व्यवस्था का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री उदय प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, उसमें पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसका जवाब नहीं, आप व्यवस्था का सवाल उठायें।

श्री उदय प्रताप सिंह : यह सवाल उत्तर प्रदेश के सदन में उठाया जाना चाहिए था। यह प्रश्न यहां पर नहीं उठाया जाना चाहिए था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय . मैं उनको ला एंड आर्डर का सवाल उठाने की इजाजत नहीं दिया हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड के सैकड़ों कर्मचारी दिल्ली आ गये है और वे आज धरना दे रहे है। वे अपने वेतन तथा मंहगाई भत्ते में वृद्धि की मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी एक मात्र मांग कम्पनी को बचाने की है, एक ऐसी कम्पनी को बचाने की जो तीन वर्ष पूर्व लाभ कमा रही थी। अब यह करोड़ों रुपये के घाटे में चल रही है। अत: ये कर्मचारी इस कम्पनी को बचाने की मांग कर रहे हैं। आई. डी. पी. एल. के अध्यक्ष ने इसे घाटे की संस्था बना दिया है। इसमें 107 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप मे कहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पेट्रोलियम मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन्हें इस कम्पनी को बर्बाद होने से बचाने हेतु कदम उठाने चाहिये। (व्यवधान)

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : पिछले चुनावों से एक महीना पहले आई. डी. पी. एल. के अध्यक्ष ने कुछ एजेंट नियुक्त किए थे, जो कांग्रेसी हैं, और उन्हें कमीशन दिया जा रहा है। (व्यवधान) मैं चाहता हूँ कि ऐसी गड़बड़ियों के लिए अध्यक्ष को हटा दिया जाए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब और काश्मीर से जो विस्थापित दिल्ली में आए हुए हैं और दूसरे भागों से जो भी आए हुए हैं उनकी समस्या को कई बार इस सदन में उठाया गया है, बहुत ही बदकिस्मती और दुर्भाग्य की बात है कि वे आज नरक की जिन्दगी जी रहे हैं। उनके भूखा मरने की नौबत आ गई है। हजारों आदमी बोट क्लब में बैठे हुए हैं। वहां पर न उनके ऊपर कोई छत है और न कोई तम्बू है। खाने-पीने का कोई इन्तजाम नहीं है और मंत्री महोदय वहां पर बार-बार यह घोषणा करते हैं कि हमने उनको सहायता दी है। मेरा कहना है कि उनको एक पैसे की भी सहायता नहीं दी गई है और कश्मीर तथा पंजाब के विस्थापितों का क्या केवल यही कसूर है कि वे "हिन्दू" हैं और यहां दिल्ली में आकर के बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो सवाल उठा रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, न उनको कोई टेम्परेरी नौकरी है, न कोई कारोबार है और न सरकार उनको कोई रोजगार देती है। पंजाब में लोग बंदूक उठा लेते हैं, तो प्रधान मंत्री घोषणा कर देते हैं कि एक लाख आदमियों को पंजाब में रोजगार दिया जाएगा और इसी प्रकार से कश्मीर में घोषणा कर दी जाती है कि वहां पर लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से पूछ रहा हूं कि पंजाब और कश्मीर से आने वाले विस्थापितों के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या सरकार को मालूम है उनकी क्या स्थिति वहां हो रही है? अगर यही स्थिति रही, तो वे क्या करेंगे, क्या वे लोग भी अब बंदूक उठा लेंगे, तब आप उनके लिए कुछ करेंगे? क्या वे लोग भी अब हिंसा पर उतर आएंगे, तब आप कुछ करेंगे? अध्यक्ष महोदय, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, यह बड़ी चिन्ता का विषय है। (व्यवधान)

———

12.12 म. प.

कुवैत में भारतीयों की स्थिति के बारे में

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, देश के कुवैत और सउदी अरब में लगभग 2 लाख से अधिक नागरिक फंसे हुए हैं। जहां से मैं आता हूं वहां से विशेषकर गुजरात राज्य से लगभग 40 से 50 हजार नागरिक वहां फंसे हुए हैं। उनके रिश्तेदार अहमदाबाद आए, तो वे बता रहे थे कि वहां स्थित भारतीय एम्बेंसी से उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। वहां पर हमारे लोग हजारों मील डेजर्ट में यातना सहकर, सफर करके जब भारतीय एम्बेंसी में पहुंचते हैं, तो उनको एम्बेंसी में घुसने तक नहीं दिया जाता है। यहां तक कि फुटपाथ पर भी नहीं रहने दिया जाता। ऐसे 40-50 हजार लोग हैं जिनमें हमारी बहनें और बच्चे भी हैं, उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है और यहां पर हाउस में हमारे विदेश मंत्री आकर भाषण दे देते हैं कि हमारी एम्बेंसी उन लोगों की बहुत सहायता कर रही है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि विदेश मंत्री हाउस को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाईए। आपकी बात पूरी हो गई। बैठ जाईए।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा मैं तब तक नहीं बैठूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अफ्रीका में लाइबेरिया एक छोटा सा देश है वहा पर भी पिछले 20 दिन से यही स्थिति पैदा हुई है। वहां पर सिविल वार के कारण लगभग 500-600 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। इस सम्बन्ध में मैंने 13 तारीख को विदेश मंत्री से फोन पर बात की थी, उन्होंने कहा था कि लाइबेरिया में हमारा जहाज पहुंच चुका है, लेकिन वे लोग अभी तक भारत वापस नहीं पहुंचे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लाइबेरिया में फंसे भारतीय नागरिकों की क्या स्थिति है और उनको कब तक हिन्दुस्तान वापस लाया जाएगा ? मेरा अनुरोध है कि विदेश मंत्री इस बारे में आज शाम तक अपना बयान दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री हरिन पाठक : कुवैत तथा सउदी अरब में वर्तमान स्थिति क्या है ? सरकार को मेरे प्रश्न का जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं भी आपसे कंसर्न्ड हूं। मैं भी कह रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

(व्यवधान)

श्री कालका दास (करोल बाग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को डायरेक्शन दें कि इनका जवाब दे। (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इसका जवाब दें। यदि वे जवाब नहीं देंगे, तो हम अपने गुजरात के लोगों को जाकर क्या बताएंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पाठक जी, आप बैठ जाईए। उपेन्द्र जी बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, यह तय हुआ था और कहा गया था कि कुवैत के बारे में रोज यहां इन्फर्मेशन दी जाएगी, तो क्यों नहीं दी जा रही है। यहां इन्फर्मेशन दी जाए।

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह जानते हैं कि विदेश मंत्री इस समय कुवैत में हैं। वह कल वहां पहुंचे हैं। इससे पहले वह बगदाद में थे। वह इराकी अधिकारियों से मिले थे और भारतीयों को उस देश से लाने में

सहायता की जा रही है। इसके लिए सभी प्रबन्ध किए जा रहे हैं और सदस्यगण इन सभी बातों से अवगत हैं। (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : हमारे दूतावास से कोई सहायता नहीं मिल रही है। सभी लोग कुवैती अधिकारियों की दया पर हैं। (व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। (व्यवधान) हम कल एक वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सारा हाउस कनसंर्ड है, सारा देश कनसंर्ड है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि वह कल एक वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मुझे यह बताएं कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शन प्लान बनाया है, इतने दिन हो गए, वे लोग वहां पर हैं, वहां पर हमारे राजनयिक गए हुए हैं, उनसे क्या बात होगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वह भी चिन्तित हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : क्या व्यवस्था की गई है, मंत्री महोदय उत्तर दें, सरकार पांच दिन पहले सदन में आश्वासन दे चुकी है।

[अनुवाद]

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : अध्यक्ष महोदय, उनके जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक दिन जब यह मुद्दा यहां उठाया गया था, तो मैंने उन्हें बताया था कि कुवैत से अम्मान की दूरी 1000 किलो मीटर है। क्या आपने कोई भोजन की व्यवस्था की है? क्या आपने पेट्रोल या पानी की व्यवस्था की है? उन्होंने इस बारे में राष्ट्रीय योजना स्पष्ट नहीं की है। वे 1,25,000 लोगों का चार या पांच हवाई जहाज भेज कर नहीं ला सकते। (व्यवधान) उन्हें लाने के लिए जहाजों का इन्तजाम करना होगा। मैं चाहता हूं कि वक्तव्य के बाद इस पर एक पूरी चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वह कल एक वक्तव्य देंगे, मैं उन्हें केवल उत्तर देने के लिए कह सकता हूं।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, कुवैत में भोजन की कमी है और भारतीय वहां भूखों मर रहे हैं। "गल्फ न्यूज" में तथा खाड़ी में सभी अखबारों में यह समाचार दिया गया है कि वहां भारतीय भूखों मर रहे हैं। श्रीलंका दूतावास, पाकिस्तानी दूतावास तथा अन्य दूतावास वहां अपने लोगों के लिए भोजन के पैकेट भेज रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता, दूसरे, श्री गुजराल पहले ही वहां हैं। सरकार को उनसे अभी तक प्राप्त सूचना इस सभा को दे देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुबई से अपने मित्र से जोकि 'खलीज टाइम्स' समाचार पत्र के संवाददाता हैं, 'फैक्स' द्वारा एक संदेश मिला है। इसमें कहा गया है कि जोर्डन में शरणार्थी पटरियों पर रह रहे हैं। वे भोजन खरीदने के लिए अपने कपड़े बेच रहे हैं और यहां तक कि अपनी कारों को 100 से 150 दीनार में बेच रहे हैं। सरकार यह झूठा प्रचार कर रही है कि सब कुछ सामान्य है। इसे रोका जाना चाहिए। भोजन और मकान लोगों को आधारभूत आवश्यकता है और रहने के लिए उन्हें टेन्ट मिले हैं। इन लोगों को सुरक्षा तथा भोजन मुहैया कराने हेतु सरकार को प्रबन्ध करने चाहियें। (व्यवधान)

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा) : सभा को पूर्णतया गुमराह किया गया है। टेलिविजन मे यह दिखाया गया था कि यात्री आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हालात बहुत अच्छे हैं यह कतई झूठ है। वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो. के. वी. थामस (एरणाकुलम) : सरकार ने विभिन्न स्थानों पर सूचना केन्द्र खोले हैं परन्तु कुवैत में रह रहे लोगों के बारे में एक भी सूचना नहीं मिली है। यह केवल दिखावा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर सभा को मत बांटिए।

(व्यवधान)

श्री पी. एम. सईद (लक्षद्वीप) : सभा में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए कि अभी तक वहां कितने भारतीय हैं, कितने यहां आना चाहते हैं और उनको लाने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नीथाला (कोट्टायम) : वहां 75000 लोग हैं। कुछ वापस आ रहे हैं। उनके पुनर्वास हेतु क्या किया गया है? उनके पुनर्वास हेतु केरल सरकार ने 750 करोड़ रुपये की एक योजना भेजी है। वहां से आने वाले लोग बेरोजगार हैं। हमें उनके लिए भी एक योजना तैयार करनी होगी। चूंकि ये लोग अब बेरोजगार हैं, केरल सरकार ने 750 करोड़ रुपए की एक योजना भेजी है। (व्यवधान)

श्री विनेश सिंह (प्रतापगढ़) : महोदय, आपने ध्यान दिया होगा कि सारी सभा और वस्तुतः समस्त देश इस मामले के बारे में बहुत चिन्तित है। शुरू में ही हमने सरकार को सुझाव दिया था कि उन्हें यहां से किसी को यह सुनिश्चित करने के लिए भेजना चाहिए था कि वे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि मंत्री पहले ही वहां हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मिनिस्टर वहां पर हैं लेकिन सरकार तो यहां पर है, सरकार को जवाब देना चाहिए कि उनसे क्या बात हुई है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दण्डवते) : आप उन्हें उत्तर देने की अनुमति ही नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : शुरू में ही मूल्यवान समय नष्ट हो चुका है जबकि सारी स्थिति के इतना अधिक बढ़ जाने से पहले ही किसी को भेजना संभव था। उन्हें वहां से निकालने के लिए एक जहाज या कोई अन्य बन्दोबस्त किया जा सकता था और वे वहां अपने सामान के साथ पहुंच सकते थे। फिर सरकार ने अपनी जिद में कहा कि उन्हें किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने मंत्री जी को भेजा और फिर एक विशेष प्रतिनिधि भेजा। अब, उन्होंने विदेश मंत्री को भेजा है और अभी तक हम नहीं जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है। यही स्थिति का दुखद पहलू है। यह गड़बड़ सरकार के हठ से पैदा हुई है। अन्यथा, लोग वहां से बगैर किसी कठिनाई के आसानी से निकल आते। (व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : इस मामले में काफी तत्परता दिखाई गई। पहले श्री आरिफ मोहम्मद खान को वहां भेजा गया और विदेश मंत्री पुनः वहां गये। वह बगदाद गए। वह न केवल इराकी अधिकारियों से मिले बल्कि जो भारतीय वहां पहुंच चुके हैं उनसे भी मिले·· (व्यवधान)·· वह कुवैत गये। वह और श्री आरिफ मोहम्मद खान दोनों के आज आने की संभावना है और कल सभा को इस संबंध में पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि क्या प्रबन्ध किये गये हैं। इराकी अधिकारियों ने भारतीयों को सभी सहायता देने का आश्वासन दिया है। मार्ग का भी फैसला हो चुका है। जो भी आना चाहे आ सकता है। यह कहना ठीक नहीं है कि सभी एक लाख पचास हजार लोग वहां आना चाहते है। उन लोगों के लिए बन्दोबस्त किये गये हैं जो यहां आना चाहते हैं और जैसे ही मंत्री जी यहां पहुंचेंगे एक पूरा वक्तव्य दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : जो भी जानकारी आपके पास हो उस पर आपको एक वक्तव्य हर रोज देना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बंशीलाल (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है महम इंसीडेंट के बारे में नियम 193 के अन्दर चर्चा का, पिछले दिनों महम में बड़ा अत्याचार हुआ। भूतपूर्व मुख्य मंत्री और उसके खानदान ने वहां अत्याचार करवाये और वहां पर उन्होंने मर्डर करवाये। आन दी फ्लोर आफ दी हाउस प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने कहा कि इसकी इन्क्वायरी सी. बी. आई. और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा करवायेंगे। मगर अफसोस की बात है दो-तीन महीने हो गये अब तक न तो सी. बी. आई. से जांच कराई गई और न ही सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की जांच करने में नियुक्ति की गई, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है।

12.26 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय—पीठासीन हुए]

मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस डिसकशन को जितनी जल्दी हो सके करवायें। कातिल भूतपूर्व मुख्य मंत्री, उसका खानदान और उसके लड़के हैं। इसलिए इसके ऊपर जल्दी से जल्दी डिसकशन करवायें। अगर जांच नहीं होगी और भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा उसका खानदान बरी हो जायेंगे तो इससे कैसे पार पड़ेगी। इसलिए आप जल्दी से जल्दी डिसकशन करवायें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा। श्री इन्द्रजीत गुप्त।

———

12.26½ म. प.

असम से कच्चे तेल की आपूर्ति अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मैं कल से सभा का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे और बहुत गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता था जोकि असम राज्य से संबद्ध है। असम से आंदोलन की वजह से जिसे वहां अखिल असम छात्र संघ चला रहा है कच्चे तेल की सप्लाई में रुकावट के परिणामस्वरूप तीन मुख्य तेल शोधक कारखाने बन्द कर दिये गये हैं। विडम्बना यह है कि बरौनी का तेल शोधक कारखाना और दो अन्य तेल शोधक कारखाने जो असम में ही स्थित हैं—एक बोंगाई गांव और दूसरा गुवाहाटी में हैं—बन्द कर दिये गये हैं। ऐसे वक्त पर जबकि देश पेट्रोलियम और तेल संकट का सामना कर रहा हो तो जैसे कि मंत्री महोदय हमें विस्तार में बता रहे थे कि यह स्थिति मध्य पूर्व की घटनाओं के कारण और अधिक बिगड़ेगा, फिर ऐसे समय में यदि हमारे इन तेल शोधक कारखानों से कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह से बन्द कर दी जाती है तो हम समझ सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि हम यह समाचार हर रोज पढ़ रहे हैं

लेकिन इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि भारत सरकार और असम सरकार जिससे भारत सरकार को परामर्श करना चाहिए, क्या कर रहे हैं।

मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि असम के लोगों की शिकायतें और मांगे जायज हैं। परन्तु मैं इस आंदोलन के तौर तरीके की बात कर रहा हूं जिससे देश के अन्य हिस्सों में तेल युद्ध शुरू हो गया। उन्हें कैसे अनुमति दी जा सकती है ? कल कोई बिहार में कह सकता है कि हम कोयला बाहर नहीं आने देंगे हम लोह अयस्क को बिहार से बाहर नहीं आने देंगे क्योंकि हमारा यहां आंदोलन चल रहा है। अतः इस तरह की चीजों से ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जहां देश कई प्रतिद्वन्द्वी राज्यों में बंट जाएगा और एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से लड़ेगा। देश की एकता और राष्ट्र की एकता के हित में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में क्या करने जा रही है। उन्हें इस क्षेत्र में तेल की सप्लाई रोकने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। (व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दण्डवते) : जो मुद्दा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उठाया है सरकार उस पर काफी चिन्तित है। हम पहले ही असम में संबद्ध व्यक्तियों के सम्पर्क में हैं और हम अपनी पूरी कोशिश से यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह मुद्दा वास्तव में सुलझ जाये और हमने उन्हें बताया है कि यह असम का ही प्रश्न नहीं है, यह तो सारे देश का सवाल है और खास तौर पर मध्य पूर्व संकट के बाद। अतः हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव कदम उठायेंगे ताकि ये मुद्दे हल किये जा सकें।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, भविष्य निधि के भुगतान के बिना हजारों मजदूरों का सेवा निवृत्ति के बाद गुजारा मुश्किल हो गया है। उज्जैन में विनोद मिल के ऐसे हजारों मजदूर परेशान हैं। मैं माननीय श्रम मंत्री से आग्रह करूंगा कि ऐसे मजदूरों को जिनको सेवा निवृत्ति के बाद भविष्य निधि नहीं मिली है···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक अविलम्बनीय महत्व का मामला नहीं है इसे अब नहीं उठाया जाना चाहिए। श्री संतोष मोहन देव।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त की चिन्ता से पूरी तरह सहमत हूं। मैंने स्वयं तेल की सप्लाई रोकने संबंधी इस मुद्दे विशेष पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है ?

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मैंने दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम इस पर गौर करेंगे।

श्री संतोष मोहन देव : मैं चाहता हूं कि इस पर एक चर्चा हो। यह एक बहुत गंभीर मसला है और इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : महोदय, पूरे देश को सतर्क किया गया है कि गया के मगध विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला से 10 ग्राम घातक पोटाशियम साइनाइड चोरी हो हो गया है। बिहार सरकार द्वारा यह कहा गया है कि यह काय राष्ट्र विरोधी तत्वों, आतंकवादियों का है। मेरे विचार में इस मामले की सही छानबीन वहां की स्थानीय प्रशासन नहीं कर सकती है। इसलिये, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की छानबीन के लिए एक उच्च-शक्ति प्राप्त दल को तुरन्त भेजा जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि आतंकवादियों का यह इरादा लगता है कि वे पेयजल व्यवस्था को जहरीला बना दें, जैसाकि स्थानीय प्रशासन ने आशंका जताई है इससे हजारों के जीवन की हानि हो सकती है। इसलिए मैं केन्द्र द्वारा तुरन्त कारंवाई करने की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान मैं इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का सब से पिछड़ा हुआ बुन्देलखण्ड का इलाका है, वहां पर कहना चाहिए कि पिछले चार वर्षों से लगातार सूखा पड़ा हुआ है।··· (व्यवधान)···किसानों को जेल में पीटा जा रहा है।··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे मामलों को उठाने का यह कोई तरीका नहीं है। ऐसे मामले नहीं उठाए जाने चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि किन मामलों को उठाया जाना चाहिए। इस तरह से नहीं। आप प्रत्येक मामला इस तरह से नहीं उठा सकते।

(व्यवधान)

श्री पी. आर. कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस दिया था कि मैं एक बहुत ही गंभीर स्थिति का उल्लेख करना चाहता हूं जो कि दूरसंचार विभाग के इंजीनियरों द्वारा हड़ताल पर जाने की धमकी के कारण पैदा हुई है। मैंने यह बात संचार मंत्री को भी बतायी है। यह बहुत ही गंभीर मामला है और जब तक आप इस मामले को बातचीत के द्वारा हल करने का प्रयास नहीं करेंगे, यह मामला आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा।

इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारी मंहगाई भत्ते के लिए आंदोलन कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री यहां मोजूद हैं। हर बार वे आंकड़ों का खेल खेलकर एक दो प्रतिशत घटा देते हैं। इस बार उन्होंने पूरी महगाई भत्ता ही काट लिया है। वे बहुत परेशान हैं, और शायद यह आंदोलन का रूप ले सकता जोकि नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। वे उनके कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस संबंध में अपना वक्तव्य दें··· (व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोडा) : यह बहुत ही गंभीर मामला है। केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों का इससे संबंध है। वे उनके कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। वे उत्तर दे सकते हैं···(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मैं गृह मंत्री के भाषण, जो उन्हें कल यहां दिया था, का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा··· (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा। आप कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री सी. एम. नेगी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, 17 और 18 अगस्त को बनाउड-बर्स्ट तथा अतिवृष्टि के कारण उत्तरकाशी जनपद में मोरी विकास खण्ड के मुख्यालय मोरी में लगभग मकान ध्वस्त हो गए हैं और दर्जनों आदमी मारे गए हैं। इसी प्रकार की दुर्घटना नीलकंठ में जो जुलाई को तथा लक्ष्मण-झूले पर हुई है। यहां पर भी सौ से अधिक व्यक्ति मारे गए हैं और दर्जनों गांवों में मकान धराशायी हो गए हैं। इसी प्रकार की दुर्घटना जनपद उत्तरकाशी, कुमाऊं और चमोली में भी हुई है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हिमालय क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र है और मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनमें भूमि स्थानान्तरण किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर इस तरह चर्चा नहीं की जानी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि इसे कैसे पेश किया जा सकता है। आप कृपया बैठ जाइए।

श्री इरा अम्बारासु (मद्रास मध्य) : मैंने स्वागत कक्ष से एक सूचना प्राप्त की है जो पूरी तरह हिन्दी में लिखित है। यह बड़ा ही पेचीदा मुद्दा है। मैं नहीं चाहता कि यह दक्षिण और उत्तर के बीच एक विवाद का मुद्दा बने। मैं हिन्दी-प्रेमी हूं। वास्तव में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने तामिलनाडु के लोगों का बर्बाद किया है। उन्होंने हिन्दी पढ़ने की व्यवस्था नहीं की है। इसलिए हमने भाषा नीति के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत एक नोटिस दिया है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। केन्द्रीय शहरी विकास मन्त्री यहां पर नहीं हैं। मेरा यह विचार था कि वह तमिल लोगों के हितों की रक्षा करेंगे लेकिन वह हिन्दी लागू करने की बात नहीं करते। इसलिए मैं नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करना चाहता हूं ······

(व्यवधान)

श्री एम. जे. अकबर (किशनगंज) : आज सुबह मुझे अध्यक्ष महोदय को श्री उपेन्द्र के विरुद्ध विशेषाधिकार सम्बन्धी एक दूसरा नोटिस 'खुला मंच' में धोखाधड़ी के सम्बन्ध में देना पड़ा। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि या तो वह 'खुला मंच' को बन्द कर दें या इसका नाम 'खुली धोखाधड़ी' रख दें। उस नाटक की नवीनतम घटना यह है कि···

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष महोदय से बात करें।

श्री एम. जे. अकबर : यह बहुत ही गम्भीर मामला है। खुला मंच में श्रीमती मृणाल पांडे को कार्यक्रम प्रस्तुत करते और बोलते हुए दिखाया गया था। उन्होंने सच कहा है लेकिन वे सच्चाई

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिखा नहीं सकते और इसलिए वे चीख रहे हैं। सरकार ने दूरदर्शन को प्रचार तंत्र बना दिया है। हम उनके प्रचार का पर्दाफाश कर रहे हैं···(व्यवधान) आप चिल्लाकर हमारी आवाज को नहीं दबा सकते···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैंने दूसरे व्यक्ति को बुलाया है।

श्री एम. जे. अकबर : मैं आपसे सुरक्षा चाहता हूं···(व्यवधान) मन्त्री महोदय को सदन में आकर सदन को गुमराह करने के लिए क्षमा मांगनी चाहिए···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह पता होगा कि यदि आपको कोई शिकायत है तो उसके लिये उपाय है। मेरे विचार से आप उस साधन का उपयोग कर रहे हैं—प्रस्ताव लाने का साधन। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आप जो प्रस्ताव लाए हैं उस पर समुचित विचार हुआ है या नहीं इसके लिए आप अध्यक्ष महोदय से उनके कक्ष में मिल सकते हैं और वे ही व्यवस्था देंगे। उस पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकती है। यही परम्परा और नियम है। यदि आपने कोई नोटिस दिया है तो अध्यक्ष महोदय से चर्चा करने के लिए आपका स्वागत है।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : हाल ही में आये भयंकर तूफान ने उड़ीसा के तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया, ज्वार बहुत ऊंचा उठा था और राज्य के अनेक भाग समुद्र के खारे जल में डूब गए। कई घर गिर गये। इसलिये मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस सबंध में सूचना प्राप्त करे, और यदि आवश्यक हो तो उड़ीसा के तूफान पीड़ितों की सहायता करे। मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के कामगार पिछले पांच दिनों से वर्षा में श्रम शक्ति भवन के सामने धरना दे रहे हैं। अनावश्यक रूप से और बिना कारण उनकी छंटनी की जा रही है और वहां प्रबन्धक ठेकेदारों को काम दे रहे हैं। यह सब कांग्रेस शासन के दौरान शुरू हुआ था। वर्तमान सरकार ने इस स्थिति को सुधारने का वायदा किया था परन्तु उन्होंने इसमें सुधार नहीं किया। यहां तक कि माननीय मंत्री महोदय ने भी वक्तव्य दिया था कि पचास मजदूरों को रोजगार दिया जायेगा परन्तु उनमें से किसी को भी रोजगार नहीं दिया गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को इस मुद्दे पर शीघ्र ध्यान देना चाहिए और इन मजदूरों के मसले का समाधान ढूंढना चाहिए।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले एक महीने से कलकत्ता पत्तन में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर हड़ताल पर हैं और इससे कलकत्ता पत्तन से आने-जाने वाले मालवाहक जहाज बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। यही कारण है कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह से आने वाले माल और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह जाने वाली आवश्यक सामग्रियां भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इतने महत्वपूर्ण और बड़े पत्तन न्यास क्षेत्र में हड़ताल चल रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भूतल परिवहन मंत्री महोदय ने इस सभा में इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य नहीं दिया है कि इस हड़ताल के संबंध में तथा कलकत्ता पत्तन से आवश्यक सामग्रियों और अन्य माल की आवाजाही को नियमित करने हेतु उन्होंने क्या कार्यवाही की है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन तिवारी।

श्री विनेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं लिया जाएगा। सभा के समक्ष अभी कोई कार्य नहीं है।

श्री विनेश सिंह : महोदय, आप मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकते हैं। आपको नियमों के अनुसार कार्य करना है। मैं नियम 222 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। मैं आपको निर्णय सुना दूंगा।

श्री विनेश सिंह : महोदय, कल माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि आज वे विशेषाधिकार प्रस्ताव जोकि मैंने रखा था, पर अपना निर्णय देंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप निर्णय देंगे और किस समय वह निर्णय दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, मेरा निर्णय यह है कि इस समय जब सभा के समक्ष कोई कार्य नहीं है, व्यवस्था का कोई प्रश्न उठाया नहीं जा सकता है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जब सभा के समक्ष कोई कार्य नहीं है, वे व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठायें। इस समय सभा के समक्ष कोई कार्य नहीं है। यदि आपको कोई कठिनाई है तो मैं उस कठिनाई को यह कह कर दूर कर सकता हूं कि आप माननीय अध्यक्ष महोदय से मिल जाकि उस कठिनाई का समाधान करेंगे। आपके द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न सही नहीं है। श्री जनार्दन तिवारी जी।

श्री विनेश सिंह : यदि सभा के समक्ष कोई कार्य नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? क्या आपका निर्णय है कि यह सभा बिना किसी कार्यसूची के कार्य कर रही है?···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जनार्दन तिवारी (सीवन) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरी बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है, उसे रोकने के लिए के. एल. राव कमेटी बनी थी, उस कमेटी मे सब कुछ तय हो गया था कि नेपाल की नदियों में जैसे कमला, बलान, कोसी, गंडक महानन्दा जो नेपाल से निकलती हैं उनमें बांध बनाया जाए। इससे बिजली मिलेगी और पटवन का काम होगा और हमारे उत्तरी बिहार के भू-भाग को बचाया जाएगा। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जो के. एल. कमेटी रिपोर्ट है, वह नेपाल सरकार से बात करें और नई कमेटी बनाकर उसे लागू करे। (व्यवधान)

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। सतलुज कनाल जो सारे नेशन का सवाल है, उस कैनाल को बनाने वाले इंजीनियर को चार महीने पहले उग्रवादियों ने हत्या कर दी। उसके बाद सारा काम ठप्प हो गया और श्री एस. एस, मान ने कह दिया कि हमारा पहला प्रोग्राम यह होगा कि हम उस नहर को मिट्टी से भरेंगे। भारत सरकार नहर तो बना रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, भारत

सरकार ने उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा है। आप जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा, दो प्रदेश ऐसे हैं जो सारे देश को अनाज सप्लाई करते हैं, चाहे शुगरकेन की बात हो, चाहे आयल सीड की बात हो और चाहे काटन की बात हो। उपाध्यक्ष महोदय, यह नहर बनाना हरियाणा ही नहीं सारे नेशन के लिए लाइफलाइन का सवाल है इसलिए मेरी प्रार्थना आपके द्वारा भारत सरकार से है कि उसके बारे में भारत सरकार सख्त जरूरी एक्शन ले, उस कैनाल को बनाने का काम शुरू करे।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा पाइण्ट यह है कि पाकिस्तान के बारे में प्रधान मंत्री ने कल बयान दिया लेकिन प्रधान मंत्री जी को चाहिए कि रोजाना सदन को पाकिस्तान की कार्यवाही के बारे में अवगत करायें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपने अपनी बात कह दी।

श्री भजन लाल : आखिरी पाइण्ट मेरा यह है। मैं एक मिनट लूंगा, कि हरियाणा में एक महीने से सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि, वर्तमान सरकार माइनोरिटी में हो गई है और वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन इतना खराब हो चुका है, ला एण्ड आर्डर की पोजीशन इतनी खराब हो चुकी है कि मैं प्रधान मंत्री जी और भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बारे में जल्दी फैसला करें, कोई डिसीजन लें ताकि सरकार कुछ काम कर सके।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, श्री दिनेश सिंह द्वारा उठाया गया मुद्दा न केवल व्यवस्था का प्रश्न है बल्कि सम्पूर्ण सभा इस मसले पर चिंतित है।···(व्यवधान) मैं आपके विनिर्णय पर आपत्ति बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं आपके ध्यान में सिर्फ यह बात ला रहा हूं कि कल सभा में माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की थी कि विशेषाधिकार प्रस्ताव पर विनिर्णय आज दिये जायेंगे। इसलिए इस विनिर्णय के अनुसार हम आपसे अथवा माननीय अध्यक्ष महोदय से विनिर्णय की अपेक्षा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो पी. जे. कुरियन : महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने कल जो कहा था मैंने उसका उल्लेख किया। हम विनिर्णय की आशा कर रहे है। कृपया इस पर अपना विनिर्णय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : विनिर्णय यह है कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आपने हमारे ध्यान में जो बात लायी है उसे माननीय अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाया जायेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

12.46½ म. प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली विकास प्राधिकरण (पेंशन) संशोधन नियम, 1990

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : महोदय, मैं दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (पेंशन) संशोधन नियम, 1990, जो 2 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 117 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1244/90]

शिशु (संशोधन) नियम, 1989 तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 1990

[हिन्दी]

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) शिशु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शिशु (संशोधन) नियम, 1989, जो 11 नवम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 853 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1245/90]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 1990, जो 9 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 354 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1246/90]

चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखा आदि

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति वार्षिक प्रतिवेदन लोक सभा में सभा पटल पर 3 मई 1989 को रखा गया था हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1247/90]

बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 तथा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

[हिन्दी]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : मैं निम्न-लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा 83 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बाट और माप मानक (डिब्बा बन्द वस्तु) संशोधन नियम, 1990, जो 25 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 511 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बाट और माप मानक (डिब्बा बन्द वस्तु) दूसरा संशोधन नियम, 1990, जो 26 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 601 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी. 1248/90]

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (दूसरा संशोधन) नियम, 1990, जो 5 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 543 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें) संशोधन विनियम, 1990, जो 25 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 598 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय मानक ब्यूरो (तीसरा संशोधन) नियम, 1990, जो 16 जुलाई, 1990 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 638 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का. आ. 473 (अ), जो 11 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यकारिणी

समिति के सदस्य के रूप में श्री एम॰ के जुत्सी, संयुक्त सचिव, नागरिक पूर्ति विभाग की नियुक्ति सम्बन्धी 26 मई, 1989 की अधिसूचना संख्या का. आ. 376 (अ) में कतिपय संशोधन किये गए है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1249/90]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दाल, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1990, जो 22 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. :05 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1250/90]

12.47½ म. प.

राज्य सभा से संदेश

अवर सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 20 अगस्त, 1990 को हुई अपनी बैठक में पारित राज्यपाल (उपलब्धियां भत्ते तथा विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक 1990 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

12.48 म. प.

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

अवर सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथा पारित राज्यपाल (आय, भत्ते तथा विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 1990 सभा पटल पर रखता हूं।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पुजारी जी, अब आप अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : महोदय, मैं भी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका भी व्यवस्था प्रश्न सुनूंगा। परन्तु अब श्री जनार्दन पुजारी बोलेंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय माननीय सदस्य श्री बसवराज ने नारियल के मूल्य के संबंध में नोटिस दिया है। वह पिछले तीन दिनों से इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं (व्यवधान) उन्होंने नोटिस दिया है। उसके बावजूद, उन्हें इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं बताया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपका व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया है।

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं नियम 4 के अंतर्गत व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठा रहा हूं। प्रश्न यह है कि मेरे प्रश्न-संख्या 198 का आज उत्तर नही दिया गया है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न का उद्देश्य यह है कि कीमतें कम कैसे की जाएं तथा बाजार को नियंत्रित कैसे किया जाए। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जहां तक इस मुद्दे का सवाल है, वह इस बारे में अपना बयान दें। कृपया हमें अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखना चाहता हूं कि आप किस नियम का उल्लेख कर रहे हैं। तत्पश्चात्, मैं उस मुद्दे पर अपना निर्णय दूंगा। किस नियम का उल्लंघन किया गया है ?

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं नियम 46 को उद्धृत कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कैसे उल्लंघन किया है ?

श्री यादवेन्द्र दत्त : मेरे प्रश्न सं. 158 का उत्तर नहीं दिया गया है। नियम 46 के प्रावधान में उल्लेख किया गया है :

"परन्तु जिस प्रश्न का मौखिक उत्तर देने के लिये समय नहीं बचा हो उसका उत्तर प्रश्न के घंटे के अन्त में यदि मंत्री अध्यक्ष से अभ्यावेदन करें कि वह प्रश्न विशेष लोक-हित का है और उसका वह उत्तर देना चाहता है तो अध्यक्ष की अनुज्ञा से दिया जा सकेगा।"

अतः मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक विवेकाधिकार का मामला है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने निर्णय दे दिया है।

श्री जी. एस. बासवराज (टुमकुर) : पिछले तीन दिनों से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैंने नोटिस दिया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे इस समय नहीं ला सकते। मैं आपकी बाद में मदद करूंगा।

12.50 म. प.

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

आठवां प्रतिवेदन

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.50½ म. प.

प्राक्कलन समिति

नौवां प्रतिवेदन

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) : महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में प्राक्कलन समिति के 66वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सिफारिशोंके बारे में समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

12.51 म. प.

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

देश में पेट्रोलियम उत्पादों में बचत करने के लिए सरकारी वाहनों के प्रयोग पर अंकुश और कतिपय अन्य उपाय

वित्त मन्त्री (प्रो. मधु दण्डवते) : जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है, मध्य-पूर्व की स्थिति से पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है : सम्भवत: अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे हमारे भुगतान शेष पर बोझ पड़ेगा। सौभाग्यवश, मध्य पूर्व संकट से पहले ही सरकार ने तेल खपत में वृद्धि दर को कम करने और पेट्रोलियम बचाने की जरूरत के संबंध में देश में जागरूकता पैदा करने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस प्रकार, बजट में और बाद में भी पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा कुछ उपायों की घोषणा की गई थी।

पिछले 3-4 वर्षों में तेल की खपत और आयात में अनियंत्रित वृद्धि के बाद यह उम्मीद की गई थी। कि खपत में कमी करने में वास्तविक सफलता का पता चलने में कुछ समय लगेगा।

तथापि, मध्य-पूर्व की स्थिति से यह आवश्यक हो गया है कि तेल उत्पादों की खपत कम करने के अपने निर्णय पर हम पुन: और तत्काल ही बल दें।

हम वर्तमान स्थिति से निपट सकते हैं यदि हम सभी मिलकर थोड़ा सा त्याग करें। तेल की मांग को कम करने के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकार को स्टाफ कारें/वाहन रविवार को उपयोग में नहीं लाए जायेंगे। सरकारी क्षेत्र की इकाइयों पर भी रविवार को यही नियम लागू होगा। राज्य सरकारों से भी यही नियम अपनाने का अनुरोध किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार में मंत्रियों की कारों के लिए पेट्रोल के कोटे में 20 प्रतिशत की कमी की जा रही है।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : क्या यह मजाक है ?

प्रो. मधु दण्डवते : जी हां, यह हो सकता है। आपके लिए यह मजाक है। हमारे लिए यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। यह मनुष्यों के रवैये पर निर्भर करता है। मैं इसे मजाक नहीं मानता। मैं इसे देश का एक महत्वपूर्ण मसला मानता हूं तथा इसे मजाक समझकर नहीं चल रहा हूं। आपके लिए यह मजाक हो सकता है। (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : रविवार ऐसा दिन होता है जबकि आशा की जाती है कि आप सरकारी वाहन का प्रयोग उस दिन नहीं करेंगे।

प्रो. मधु दण्डवते : सभी व्यक्तियों में से मुझे श्री दिनेश सिंह से इसकी आशा नहीं थी।

(व्यवधान)

साठे जी, मैंने आपकी बात हमेशा बहुत शान्ति से सुनी है। कृपया अब मेरी बात सुनिए।

श्री वसंत साठे (वर्धा) : आप मजाक अच्छा कर लेते है।

प्रो. मधु दण्डवते : मेरा विनोदी स्वभाव है। आप भी शान्ति बनाये रख सकते हैं।

कारों के व्यक्तिगत प्रयोग की अपेक्षा सार्वजनिक यातायात के विकास पर अधिक बल देना होगा। मेरा प्रस्ताव मोटर-कारों पर उत्पाद शुल्क में 10 प्रतिशत की मूल्यानुसार वृद्धि करने का है (विद्यमान 40 प्रतिशत के स्तर से 50 प्रतिशत)। इस प्रस्ताव को आज से लागू करने के संबंध में अधिसूचना यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी। उन मोटर कारों पर, टैक्सियों को छोड़कर जो 1-4-1990 को या उसके बाद खरीदी गई है, मूल्यह्रास की वर्तमान दर 33.33 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत की जा रही है।

इसके साथ ही मैं आम जनता, व्यापारिक, औद्योगिक व अन्य सभी संस्थानों से यह कहना चाहूंगा कि वे सप्ताह में एक दिन के लिए अपनी कारों का उपयोग स्वेच्छा से रोक दें। वे इसके लिए सप्ताह के किसी भी एक निर्धारित दिन का चयन कर सकते हैं। सरकार परिवारों, स्कूलों, कालेजों और समाज से यह सार्वजनिक संकल्प करने का आग्रह करेगी कि देश यह थोड़ा सा त्याग

करने के लिए तैयार है। इस दशा में ऊपर से कोई निदेश जारी करने की अपेक्षा सार्वजनिक प्रयास किया जाना बेहतर होगा। हमारे लोगों ने बहुत से गंभीर सूखों, जैसे की 1965-66-1979 और 1987 के सूखों का सामना किया है। हमने युद्ध व अन्य चुनौतियों का भी स्वेच्छापूर्वक सामना किया है। हम वर्तमान स्थिति से भी निपट सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति तथा सामूहिक प्रयास द्वारा थोड़ी सी कोशिश से ही स्थिति को बदल सकते हैं।

——— ———

12.55 म. प.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

नागा विद्रोहियों से देश की सुरक्षा को खतरा तथा इस बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

उपाध्यक्ष महोदय : अब, नागा विद्रोहियों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री मेहता अम्बरी।

श्री मेहता अम्बरी (अरुणाचल पूर्व) : मैं गृह मन्त्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"नागा विद्रोहियों से देश की सुरक्षा को खतरे से उत्पन्न स्थिति और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

[हिन्दी]

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : नागालैण्ड राज्य, मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिले नागालैण्ड के राष्ट्रीय समाजवादी परिषद के दो गुटों की अलगाववादी, हिंसक और अपराधिक गतिविधियों से प्रभावित होते आ रहे हैं। हत्या, सुरक्षा बलों के वाहनों पर घात लगाना, बैंकों और खजानों को लूटना, धन की लूट पाट करना, इत्यादि उनकी मुख्य गतिविधियां हैं। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक नेताओं और सिविलियन लोगों को उनके उद्देश्य पूर्ति के लिए सरकारी सूचकों तथा प्रतिपक्षियों के रूप में बहुधा प्रयोग किया जाता है तथा अपराधिक गतिविधियों का लक्ष्य बनाया जाता है। इस वर्ष (20.8.1990 तक) एन. एस. सी. एन. ने 24 हिंसक वारदातें की है, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा बलों के 6 कार्मिकों सहित 16 व्यक्ति मारे गये। 1989 में इसी अवधि के दौरान इतनी ही हिंसक घटनाएं हुई, जिनके परिणामस्वरूप सुरक्षा बलों के एक कार्मिक सहित 14 व्यक्ति मारे गए। यह बताया गया कि चालू वर्ष के दौरान भूमिगत एन. एस. सी. एन. ने 54 लाख रुपये की राशि लूटी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में इनके द्वारा 7.27 लाख रुपये की राशि लूटी गई। एन. एस. सी. एन. द्वारा इस वर्ष की गई प्रमुख हिंसक वारदातों में (i) 11 जनवरी को फेक जिले में चाखिहों पर सी. आर. ई. एफ. शिविर (बार्डर रोड) पर आक्रमण करना, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति मारा गया और 5 व्यक्ति जख्मी हुए (ii) 27 जनवरी को उखरूल से जनता दल के उम्मीदवार मुगांशिम शांत्रा पर घातक हमला, (iii) जनवरी, 1990 में उखरूल जिले में 3 तंगखुल नागाओं की हत्या (iv) 27 जनवरी को लेफोरी, जिला फेक में एन. एस. सी. एन. और असम

राइफल्स के गश्ती दल में मुठभेड़ हुई, जिसके परिणामस्वरूप 5 सैनिक मारे गए और एक घायल हुआ, (v) 19 फरवरी को नागालैण्ड के तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. सी. जमीर की हत्या का उनकी गाड़ी पर घात लगाकर उस समय असफल प्रयास किया गया जब वे अपने निजी आवास से कोहिमा स्थित सरकारी आवास को जा रहे थे, जिसमें उनके चालक तथा अंगरक्षक घटना स्थल पर ही मारे गए तथा उनकी पत्नी गोलियों की मामूली चोट लगने से जख्मी हुई और (Vi) 28 जून को मोकोचुंग जिले में तुली नामक स्थान पर भारतीय स्टेट की नकदी ले जा रहे एक ट्रक पर घात लगा कर हमला किया गया, जिसमें 30 लाख रुपये लुटे गए और एक पुलिस कान्स्टेबल मारा गया, शामिल है।

2. लगभग एक वर्ष पहले इसके गठन के समय से ही नागा यूथ लिब्रेशन फ्रन्ट (एन. वाई. एल. एफ.) ने, जो एक नव गठित आतंकवादी ग्रुप है तथा नागालैण्ड में कार्यशील है, गैर-स्थानीय सरकारी कर्मचारियों तथा व्यापारियों के विरुद्ध आतंक फैलाने का अभियान शुरू किया। चालू वर्ष के दौरान 2 वरिष्ठ गैर-स्थानीय सरकारी कर्मचारियों की हत्या की गई क्योंकि उन्होंने राज्य को छोड़ने के बारे में एन. वाई. एल. एफ. द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया। नागा छात्र फेडरेशन, जो नागा युवकों की एक स्थानीय निकाय है और, भूमिगत एन. एस. सी. एन. (कपलंग गुट) के साथ इसके घनिष्ट सम्बन्ध है। यह शिक्षित बेरोजगार युवकों को अपनी ओर आकर्षित करके अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

3. सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 के अधीन नागालैण्ड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की बर्मा के साथ लगने वाली सीमा के 5 कि. मी. क्षेत्र को काफी पहले से ही "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित किया जा चुका है। सम्पूर्ण मणिपुर राज्य को भी विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सुरक्षा बलों द्वारा किए गए संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों पर पर अंकुश लगाने में सहायता मिली है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा नागा विद्रोहियों के खिलाफ और कड़े उपाय करने और प्रवर्तन प्राधिकारियों को प्राप्त कानूनी शक्तियों का अधिक प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : शेष चर्चा भोजनावकाश के पश्चात् की जाएगी।

1.00 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.06 म. प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.05 म. प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण-(जारी)

नागा विद्रोहियों से देश की सुरक्षा को खतरा तथा इस बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कदम-(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री लेइता अम्बरी। अगर आप मंत्री जी से कुछ और स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं।

श्री लेइता अम्बरी (अरुणाचल पूर्व) : मैं बहुत संक्षेप में बोलने का प्रयत्न करूंगा और थोड़े से प्रश्न रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, नागालैंड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सबसे पुराने अलगाववादी संगठनों में से एक है। वह एक बार फिर सक्रिय हो गई है। मैं नहीं जानता कि इसका कारण क्या है। आप माननीय मन्त्री का वक्तव्य देख सकते हैं। यह सही है कि उन्होंने इस वर्ष की और पिछले वर्ष की घटनाओं का उल्लेख किया है। किन्तु इस वर्ष के पूरा होने में लगभग चार महीने बाकी हैं। फिर भी, इस साल हुए अपराधों की संख्या पिछले वर्ष के अपराधों से ज्यादा है। मैंने यह भी देखा है कि असम में असम संयुक्त मुक्ति मोर्चा आंदोलन 'उल्फा' के उठाए के साथ, नागालैण्ड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद् और असम संयुक्त मुक्ति मोर्चा दोनों ने ही लूटपाट और डकैती इत्यादि के जरिए काफी पैसा एकत्र किया है। अरुणाचल प्रदेश में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो जिले भी नागालैण्ड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद् के क्रियाकलापों से पूरी तरह प्रभावित हैं।

असम के साथ हमारी काफी सीमा लगी होने के कारण ब्रह्मपुत्र घाटी से लगा अरुणाचल प्रदेश का संपूर्ण तराई भाग भी 'उल्फा' की गतिविधियों से बुरी तरह प्रभावित है। ये दोनों संगठन देश के सबसे शांत राज्य अर्थात् अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों के युवकों को प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

माननीय मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है, उसे देखने का मुझे बहुत थोड़ा वक्त मिला। किन्तु, मैंने पाया कि उन्होंने अभी हाल ही में घटी कुछ घटनाओं का हवाला नहीं दिया। अरुणाचल-प्रदेश के टीरप जिले में, अभी हाल ही में नागालैण्ड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद ने एक प्रशासनिक परिसर पर रात में हमला किया। उन्होंने सरकार की और जनता की भी सारी संपत्ति लूट ली। उन्होंने सरकारी इमारतों को भी आग लगा दी। मुझे नहीं मालूम कि मंत्री जी को सूचना मिली है अथवा नहीं। मंत्री जी नागालैंड के जनस्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के एक और मुख्य अभियंता की निर्मम हत्या का उल्लेख भी नहीं कर सके। वे अभी हाल ही में मारे गए थे।

वक्तव्य से मुझे यह भी पता चला है कि इन गतिविधियों को रोकने के लिए की गई कार्यवाही संतोषजनक नहीं है। इसे सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत एक अशांत क्षेत्र घोषित कर देने भर से समस्या का समाधान नहीं होगा। बल्कि मुझे लगता है कि इससे समस्या और उलझेगी, क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग बहुत कठोर है। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस अधिनियम को लागू करने से और उन संवेदनशील क्षेत्रों में सेनाएं तैनात करने से कोई समस्या नहीं सुलझेगी। 'उल्फा' और नागालैंड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद् की साझी योजना है। वे सिर्फ

नागालैंड, असम और अरूणाचल प्रदेश के ही नहीं बल्कि सारे पूर्वी क्षेत्र के युवकों को प्रभावित करना चाहते हैं। वे बेरोजगार युवकों को अपने दल में शामिल करने के लिए प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन का दबाने के लिए, विशेषकर असम में 'उल्फा' की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? 'उल्फा' असम गण परिषद् की राजनैतिक इकाई है जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का एक घटक है। मैं नहीं जानना कि आप इस मामले में क्या कर रहे हैं ? इसके स्थान पर, अफवाहें फैल रही हैं और संपूर्ण पूर्वी राज्यों की जनता के दिमाग में भय है। क्योंकि, अब आप सिर्फ सरकार गिराने का काम कर रहे हैं। आपने मेघालय में सरकार गिराई। फिर मणिपुर में सरकार बनाने में भी आपका हाथ है। फिर, नागालैंड की सरकार को आपने गिराया। अब आप त्रिपुरा की सरकार को गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप अरूणाचल प्रदेश में भी सरकार गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु आपने असम में कुछ भी नहीं किया है जहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। वे असम संयुक्त मुक्ति मोर्चा के साथ मिले हुए हैं, असम संयुक्त मुक्ति मोर्चा कार्यकर्त्ता वहां पर लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह दोहराना चाहूंगा कि यह केवल असम संयुक्त मुक्ति मोर्चा के कारण है कि यह केवल असम संयुक्त मुक्ति मोर्चा के कारण है कि मणिपुर में आजकल एन. एस. सी. एन. और पी. एल ए इतने सक्रिय बन सके। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की इतनी संवेदनशील समस्या को सुलझाने के लिए इस अधिनियम को लागू करने के अलावा आप अन्य कौन से कदम उठाने जा रहे हैं ? ठीक है। आप चाहते थे कि मुझे केवल स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। नहीं तो, मेरे पास कहने को बहुत कुछ है।

सपूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में व्याप्त विद्रोह की स्थिति का कोई बहुत उचित कारण हो सकता है। हो सकता है केन्द्रीय सरकार की लगातार उपेक्षा के कारण ऐसा हुआ हो। यह हिन्दी या अन्य भाषाओं के थोपने के कारण हो सकता है; यह प्राकृतिक साधनों के उचित उपयोग के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने में केन्द्रीय सरकार की उपेक्षा के कारण भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मेरे राज्य, अरूणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 84,000 वर्ग किलोमीटर है। यह बंजर भूमि नहीं है। हमारे प्रदेश के 62 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में जंगल है जिसमें कीमती वृक्ष हैं। हमारे पास खनिज भण्डार हैं, हमारे पास तेल है। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया है।

हमारे जनजातीय विद्यार्थियों के साथ करीब सभी विद्यालयों में भेदभाव किया जाता है। तकनीकी संस्थानों में पढ़ रहे हमारे विद्यार्थियों के साथ तब भेदभाव बरता जाता है जब यह पता चलता है कि वे विद्यार्थी उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के जनजातीय हैं; उन्हें एक दृष्टि से देखा जाता है और उनके साथ कई मायनों में यहां तक कि परीक्षा में नम्बर देने के मामले में भी भेदभाव किया जाता है। इसलिए, वे अपना परिचय उद्घाटित नहीं करते हैं। कई मामलों में भी भेदभाव किया जाता है। इसलिए, वे अपना परिचय उद्घाटित नहीं करते हैं। कई मामलों में उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। आज देश में यह स्थिति है। इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए, मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इस समस्या से गम्भीरता से निबटें।

बजट सत्र के दौरान मैंने एक अतारांकित प्रश्न इस सम्बन्ध में दिया था कि अरूणाचल प्रदेश में चकमा और तिब्बत के कितने शरणार्थी हैं। मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है कि अरूणाचल प्रदेश में कोई शरणार्थी नहीं है। तब मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय और तत्कालीन महासचिव से

इस सम्बन्ध में बात की थी। किन्तु वे इसका समाधान नहीं खोज सके। लगभग सात या आठ शरणार्थी शिविर हैं जहां तिब्बत और चकमा के शरणार्थी रह रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यह इन शरणार्थियों की संख्या 30,400 के लगभग है। किन्तु यह संख्या लाखों में है।

आप अवश्य जानते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश एक प्रतिबन्धित क्षेत्र है। यह केवल विदेशियों के लिये आ सकते। कांग्रेस सरकार ने पूरे ईस्टर्न इंडिया को मेन धारा से दी प्रतिबन्धित है। जब जो भारतीय नागरिकों को अरुणाचल प्रदेश जाना होता है उन्हें अरुणाचल प्रदेश सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। जबकि, ये शरणार्थी बिना किसी रोक-टोक के आजादी से घूम रहे हैं। ये शरणार्थी जो अरुणाचल प्रदेश में आकर बस गए हैं वे वहां के भोले-भाले स्थानीय जनजातीय लोगों पर वर्चस्व जमाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह बहुत गम्भीर विषय है। किन्तु माननीय मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चकमा और तिब्बत के कोई शरणार्थी नहीं रह रहे हैं। इसलिए, मैं इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं और वे अरुणाचल प्रदेश से इन शरणार्थियों को कब तक निकाल पायेंगे।

सम्पूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अलगाववादी गुट की गतिविधियां बढ़ रही हैं। आज एन. एस. सी. एन. और नागा युवा मुक्ति मोर्चा गैर जनजातीय लोगों को नागालैण्ड छोड़कर जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। कल यह भी हो सकता है कि ये अलगाववादी गुट एक साथ मिलकर उत्तर पूर्वी लोगों के साथ अन्य भारतीयों को भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र छोड़ कर जाने के लिए कहें।

इसलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस समस्या का शीघ्र समाधान ढूंढने के लिए सम्पूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र के मुख्य मन्त्रियों और सरकारों से बात करेंगे।

माननीय मन्त्री महोदय ने असम के अलावा अन्य किसी उत्तर पूर्वी राज्य का दौरा नहीं किया है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे इन उत्तर पूर्वी राज्यों का एक दौरा करें।

मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री मेरे द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल शर्मा (उधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल काउंसिल आफ नागालैंड ने नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल के कुछ हिस्सों में आतंक फैला रखा है और लोगों को जबर-दस्ती डरा-धमकाकर, बिजनसमैन से पैसा बटोर रहे हैं। जो आफिसर हैं उनको धमकी देते हैं कि यदि पैसा नहीं देंगे तो जान से मार देंगे। कुछ दिन पहले नागराजन जी को मार दिया गया। तीस लाख रुपया बैंक का लूट लिया। मुख्य मन्त्री जी ने अपने बयान में कहा है कि यह गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जो फिगर उन्होंने 20 अगस्त तक की बताई, पहले साल 1989 में 14 लोग मरे और एक सिक्युरिटी फोर्सेस का था, 20 अगस्त तक 14 आदमी मर गए और 9 सिक्युरिटी फोर्सेस के लोग थे। सात लाख रुपये बैंक से लूट लिए, अभी तक 54 लाख रुपये लूट लिए गए हैं। बिजनस कम्युनिटी, तकरीबन मारवाड़ी, नागालैंड से इस डर की वजह से चले गए हैं। मेरे पास यह भी रिपोर्ट है कि इस डर की वजह से एक बैंक बिल्कुल बन्द हो गया है। दीमापुर में स्टेट बैंक आफ इंडिया के इम्प्लाइज को भी थ्रेट मिल रहा है कि आप स्टेट छोड़कर चले जाइए नहीं तो आपकी जान को खतरा है। लोकल प्रेस में जो आ रहा है, मेरे पास एक पैम्फलेट है जिसमें लिखा है :

[अनुवाद]

"नागालैण्ड छोड़ दो।

एन. एस. सी. एन. बल अब तुरन्त हमारे क्षेत्र को परिलक्षित करेगा और प्रत्येक जीवित सशस्त्र या नि:शस्त्र भारतीय नागरिक का नाश करके रचनात्मक कदम उठाएंगे।"

[हिन्दी]

यह सूरत वहां पर है। नागालैंड की डेवलपमेंट में बाकी प्रदेशों से ज्यादा योगदान दिया है चाहे वे आफिसर हों, बिजनसमैन हों, उनकी जिन्दगी को खतरा है। क्या स्टैप्स गृह मंत्री जी उनकी प्रापर्टी, लाईफ को बचाने के लिए उठा रहे हैं ? लगता है कि वह तो सिर्फ अपनी फाईटिंग में और डीस्टैबीलाईजेशन की तरफ, मेरे दोस्त ने जिक्र किया कि किस तरह इलैक्टेड गवर्नमैंट को गिराने के लिए डीस्टैबीलाईजेशन की तरफ जा रहे हैं। लोगों का विश्वास था कि चुने हुए नुमाइन्दे और सरकार उनकी है, सैन्टर में जो पार्टी आ जाती तो दूसरी पार्टी की सरकार उनको गिराने का काम करती है। बुनियादी काम लोगों की जिन्दगी को महफूज करने का, उनकी जायदाद की हिफाजत करने का और विश्वास पैदा करने का है कि पूरे भारत के नागरिक किसी भी जगह जाकर अपना काम-धन्धा कर सकते हैं, नागा यूथ फैडरेशन एक कनफिलक्ट एक साल से बना है जिसने दो लोकल आफिसरों की हत्या की है, वह भी लोगों को डराने-धमकाने का काम करते हैं। इस किस्म का माहौल बन गया है चाहे नान लोकल हैं, चाहे वहां के बाशिन्दे हैं। बावजूद इस अमर के कि डिस्टर्ब्ड ऐरिया एक्ट वहां है क्या वजह है कि यह तंत्रवाद वहां पर रूक नहीं रहा है। जैसा मंत्री जी ने माना है कि गतिविधियां बढ़ रही हैं और उसे रोकने में नाकामयाब हैं। मैं जानना चाहता हूं कि लोगों की जान और माल की हिफाजत करने के लिए क्या स्टेप्स लेंगे और लोगों को यह यकीन दिलाएंगे कि वहां पर एक शहरी की जिन्दगी महफूज है ? जो डीस्टैबीलाईजेशन का सिलसिला शुरू किया है उसको बन्द किया जाए और कोई कंसट्रक्टिव कोशिश करें। जो आतंकवादी बन गए हैं, क्या वजह है कि वे मेन धारा में नहीं लाने ही नहीं अपितु भारतीय नागरिकों के लिए का बड़ा काम किया है चाहे नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरम या त्रिपुरा हो। हमें उनसे नुकसान भी हुआ है, अपनी सरकारें भी छोड़नी पड़ीं, जैसे आसाम को ले लीजिए। लेकिन हमने देश के हित में उनको मेन धारा में लाने का कितना बड़ा काम किया है, वह काम पिछले आठ महीनों में सरकार ने न सिर्फ डीस्टैबीलाईजेशन करके बल्कि उनकी गतिविधियां रोककर वहां ऐसी सूरत पैदा कर दी कि उल्फा और एन. एस. सी. एन. दोनों मिल गए हैं और पूरे ईस्टर्न इंडिया में खतरा है कि हालात खराब होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, आपको क्लैरीफिकेशंस पूछने चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री धर्म पाल शर्मा : मैं यह जानना चाहूंगा कि उनका मन्त्रालय कौन से प्रभावी कदम उठा रहा है जिससे उत्तर-पूर्व क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जानमाल की सुरक्षा हो और वे वहां पर अपना सामान्य कार्य और अन्य गतिविधियों को चलाने के लिए वे आश्वस्त हों।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर): उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि सदन को मालूम है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले काफी समय से विद्रोही गतिविधियां चल रही हैं। राजनैतिक और प्रशासनिक तरीकों से कांग्रेस की सरकार इसे काफी हद तक रोकने में सफल रही है। पिछले अनुभव से हमें एक बात अवश्य सीखनी चाहिए कि हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के संवेदनशील सामाजिक-राजनैतिक ढांचे के साथ छेड़-छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें वहां की आदिवासी जनसंख्या की चारित्रिक विशेषताओं और उस क्षेत्र में विद्यमान वर्तमान राजनैतिक और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में भी अवश्य जानकारी होनी चाहिए। किन्तु, दुर्भाग्य से, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की विद्रोही गतिविधियों से निबटने के लिए वास्तव में कोई राजनैतिक समझदारी नहीं दिखाई है। मैं यह आरोप लगाता हूं कि जब से इस सरकार ने सत्ता सम्भाली है, पूर्वोत्तर क्षेत्र से हस्तक्षेप किया है और कई सरकारों को गिराने में उनका हाथ रहा है और उस क्षेत्र में विद्रोही गतिविधियों को एक नया आयाम दिया है। इस राजनैतिक अस्थायित्व से वहां पर आदिवासी समुदाय के दो मुख्य गुटों के बीच पुरानी दुश्मनी को पुनः उभारा है।

पिछली सरकार ने कुछ हद तक, वास्तव में, इन विद्रोही गतिविधियों पर नियन्त्रण कर लिया था किन्तु राजनैतिक क्षेत्र में फिर से ऐसी गतिविधियां शुरू हो गयी हैं। माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है किन्तु मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में इस सरकार की नीति क्या है। हमें यह समझना चाहिए कि सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्रोहियों के अधीन है और इनमें से अधिकतर विद्रोही कहते हैं कि वे भारत का हिस्सा नहीं हैं और वे भारत से अलग होना चाहते हैं। इसलिए, यह एक गम्भीर विषय है और सरकार को इसका गम्भीरता से सामना करना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि सरकार वहां विद्रोह फैलाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए गम्भीर कार्यवाही कर रही है। किन्तु इस तथ्य के अलावा कि सरकार ने मणिपुर जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों को गड़बड़ी वाले क्षेत्र घोषित कर दिया है, मन्त्री महोदय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही गतिविधियों के बारे में सरकार की नीति का कोई खुलासा नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस विषय की गम्भीर और बहुत अधिक संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोहियों के प्रति सरकार की क्या नीति है। जैसाकि मेरे मित्रों ने भी कहा है, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा के लिए सरकार क्या उचित कार्यवाही कर रही है।

एक बात और है कि नागालैण्ड में जिन सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया है उनमें से अधिकतर हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से हैं। दुर्भाग्य से ये निरीह कर्मचारी जो वहां पर नियुक्त हैं, विद्रोहियों का निशाना बन रहे हैं क्योंकि उनमें से बहुतों ने उनके आक्रमणों के कारण अपनी जानें गंवा दी हैं। एक विशेष मामला उस इंजीनीयर का है जो दक्षिण भारत से था, जिसकी हत्या के बारे में पहले वक्ता ने उल्लेख किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सरकार उन लोगों की जान की सुरक्षा के लिए क्या सकारात्मक कदम उठायेगी जो वहां पर दक्षिण भारत जैसे दूर-दराज स्थानों, से अपनी जीविका कमाने के लिए वहां गए हैं।

श्री चिकिहो सेमा (नागालैंड): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को शामिल करने और इस पर सदन और सरकार का ध्यान दिलाने की अनुमति देने के लिए मैं आपका

धन्यवाद करता हूँ। हाल ही में, सरकार और इस सदन के ध्यान में जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब की समस्याएं रही हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं को अनदेखा कर दिया गया। किन्तु पूर्वोत्तर क्षेत्र की यह समस्या अब विस्फोटक हो गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारी सीमाओं पर गड़बड़ी हो रही है। जब तक केन्द्र और राज्य सरकार सुदृढ़ता से प्रतिकारक और उचित कदम नहीं उठाएंगी तब तक स्थिति के सरकार के नियन्त्रण से बाहर होने की आशंका है और इसके कई अवांछित परिणाम भी हो सकते हैं। महोदय, आपने मुझे माननीय मंत्री महोदय से केवल कुछ स्पष्टीकरण मांगने का सुझाव दिया है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से केवल कुछ स्पष्टीकरण ही मांगूंगा, मैं माननीय मंत्री महोदय की स्थिति समझता हूं। मैं जानता हूँ कि वे मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे क्योंकि नागा स्वतन्त्रता समस्या पिछले 44 वर्षों से चल रही है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल के दौरान भूमिगत नागाओं और भारत सरकार के बीच वार्ता के छः दौर हुए थे। पण्डित जवाहर नेहरू ने कुछ कार्यवाही की थी और इससे नागा लोगों को मदद मिली थी। किन्तु अभी भी समस्या ज्यों की त्यों है। इसलिए मेरे विचार में आप इस समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे, और आप मेरे सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे, और इसके लिए आप उत्तरदायी होंगे और ये समस्याएं जारी रहेंगी। कृपया यह ध्यान में रखें और स्पष्टीकरण दें।

महोदय, नागा विद्रोही समूहों में बड़े पैमाने पर भर्ती की जा रही है। भरती की जा रही है, विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगारों की भरती की जा रही है। उन्हें सरकारी संस्थाओं में नौकरी नहीं मिल रही है। और वहां पर कोई उद्योग भी नहीं हैं। इन भूमिगत समूहों में शामिल होने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं है। वे खाली बैठे हैं। वे निर्धन हैं। यदि आप भी वहां पर होते, तो आपको भी नागा भूमिगत लोगों के द्वारा भरती कर लिया जाता। यदि हम में से कोई भी वहां होता तो वह भी उनके द्वारा भरती कर लिया जाता।

मेरा दूसरा मुद्दा जिस पर मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं, यह है कि एन.एस.सी.एन., असम संयुक्त मुक्ति मोर्चा (उल्फा), पी.एल.ए. और अन्य विद्रोही संगठनों का 'खालिस्तान' और देश के अन्य आतंकवादी दलों के साथ सम्बन्ध है और उन्हें विदेशी सहायता भी मिल रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस तथ्य को जानती है ? यदि सरकार को इस की जानकारी है तो सरकार कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है ? आप हमारे प्रश्नों का उत्तर चाहे न दें किन्तु कृपया आप इन पर कार्यवाही जरूर करें। मेरा अगला मुद्दा है : अब तक कितने नागा विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया है और कितनों पर मुकदमा चलाया जा चुका है ? चूंकि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को लगभग पिछले 30 वर्षों से लागू है। एक अन्य मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह है :—पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषदों को क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों में बढ़ती निराशा को रोकने के लिए कितनी एकमुश्त आर्थिक सहायता दी गई है ? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में जो आदिवासी झगड़े हुए थे, उनमें अत्याधुनिक अस्त्रों के साथ नागा विद्रोही सम्मिलित थे ? क्या यह सत्य नहीं है कि जब इन झगड़ों में कई व्यक्ति घायल हुए थे और कईयों की मृत्यु हो गई थी तो नागालैण्ड के माननीय मंत्री राहत तथा सहायता के लिए अनेक राष्ट्रों से मदद मांगने गये थे ?

माननीय मंत्री से मैं दूसरा स्पष्टीकरण यह चाहता हूं—कई माननीय सदस्यगण यह बात पहले ही कह चुके हैं—कि एन.एस.सी.एन. के पैम्फलेट में इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 30

सितम्बर, 1990 तक प्रत्येक जीवित भारतीय नागरिक को नागालैंड छोड़ देना चाहिए अन्यथा उन्हें मार दिया जाएगा। मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के पेम्फलेट के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार तथा नागालैंड सरकार क्या कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि देश के उस भाग में रह रहे भारतीय नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा हेतु केन्द्र सरकार क्या कदम उठा रही है। यह बात हमें स्पष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए।

महोदय, अपने भाषण में आपने इस बात का भी जिक्र किया है कि नागा विद्रोहियों के विरुद्ध आप कड़े उपाय कर रहे हैं। सभा यह जानना चाहती है कि नागा विद्रोहियों के विरुद्ध किए जाने वाले वे कड़े उपाय क्या हैं।

महोदय, मैं आपसे दूसरा स्पष्टीकरण यह चाहता हूं कि क्या भारत सरकार को नागालैंड में सामान्य कानून और व्यवस्था की रिपोर्ट मिल गई है। यदि हां, तो सभा को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जाती है।

मेरा अन्तिम और अति महत्वपूर्ण प्रश्न—मैं आपसे एक सुस्पष्ट उत्तर चाहता हूं—यह है कि क्या भारत सरकार नागा विद्रोहियों के साथ कोई बातचीत शुरू कर रही है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ? यदि जवाब नकारात्मक है तो क्यों ?

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में कहा है कि 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों की हत्या की गई है, जिसमें चीफ इंजीनियर की हत्या की बात भी शामिल है और जहां तक माननीय सदस्यों की मूलभूत पूर्वांचल राज्यों के विकास और मुख्य धारा में लाने के संबंध में जो दृष्टि है, उसके लिये मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार उनकी भावना से अच्छी तरह से अवगत है। प्रधान मंत्री जी ने पहली बार अपना पद संभालने के बाद पहला जो सरकारी दौरा किया, वह गुवाहाटी में किया। जिस पर उन्होंने प्रदर्शन किया कि जो सात बहनों का यह राज्य है इसके विकास, सांस्कृतिक प्रभुता और यहां के लोगों के दिल-दिमाग में एक शंका बनी हुई है कि इनके साथ राजनीतिक मतभेद किया जाता रहा है। इनके दुख और दर्द को सही तरीके से नहीं देखा जाता रहा है। इसके प्रति लोगों के दिल और दिमाग में विश्वास पैदा करने की कोशिश की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने स्पेसिफिक हरेक मंत्रियों को यह आदेश दिया है कि इन सारे राज्यों का दौरा महीने में एक बार कोई न कोई मंत्रालय के लोगों को करना चाहिये। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे तत्कालीन सबसे बुजुर्ग नेता उप प्रधानमंत्री श्री देवीलाल जी ने उन सारे इलाकों के राज्यों का दौरा किया—मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल। जहां तक सरकार को डिस्टेबलाइज करने की बात है तो मैं यह फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि यह स्टेबलाइज नहीं है बल्कि जो विपक्ष की सरकार थी वह आज कांग्रेस के साथ मिल कर काम कर रही है। हमने वहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस हू एवर कम्स, हमने आने दिया। हमने उसके बीच में कोई रुकावट बनने का काम नहीं किया।

मैं यह उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि सिर्फ नागालैंड में वहां की सरकार बदली

है, जिसको कि आज कांग्रेस के साथ, विपक्ष के लोग मिल कर काम कर रहे हैं, इसको आप डिस्टेबलाइज कहियेगा।

[अनुवाद]

श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन : आप दल-बदल को प्रोत्साहन दे रहे हैं। एक ओर तो आप नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति की बात करते हैं, दूसरी ओर आप दल बदल द्वारा सरकारें गिरा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कान्त सहाय : दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि वहां तर विपक्ष और कांग्रेस के लोगों के द्वारा मिली-जुली सरकारें काम कर रही हैं वहां पर कोई अपोजीशन तो है ही नहीं है। सारे लोग वहां पर मिल कर काम चला रहे हैं। इसके लिये यह जो नागालैंड की सरकार है वह अपने आप में एक उदाहरण है। वहां पर, उस इलाके में हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। पिछले दिनों में वहा के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। उनको सिर्फ यूज किया गया है, उसका विकास नहीं किया गया है। उससे अलग हटकर हम चलना चाहते हैं और यह हम कर रहे हैं। यही नहीं दो साल से नार्थ-ईस्ट कौंसिल जो अपंग पड़ी हुई थी उसका पुनर्गठन किया गया है, उसकी मीटिंग की गई है। आगामी 25 तारीख को फिर इसकी मीटिंग है जिसमें वहां के राज्यों के मुख्य मंत्री होंगे और हमारे हरेक मंत्रालय से सम्बन्धित लोग होंगे जो वहां को लम्बित पड़ी समस्याओं के समाधान पर विचार करेंगे। इसकी पहली मीटिंग गुवाहाटी में हो चुकी है, शिलांग में भी हुई है। यही नहीं, केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों की एक समिति है जो वहां के आर्थिक इश्यू का समाधान करती है, उसकी भी मीटिंग होती है। मैं और आर्ज साहब दीमापुर से कोहिमा पैदल पानी, बाढ़ और भू-स्खलन के दौरान गये, उसको अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि वहां पर गतिविधियां बढ़ी हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, व्यवधानों से बचने के लिए कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिए और केवल सदस्यो द्वारा उठाए गए मुद्दों का ही जवाब दीजिए।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कांत सहाय : यही नहीं, वहां पर विकास की गति तेज हो इसके लिए पूर्वोत्तर राज्यों को दो सौ करोड़ रुपये का बजट राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने निर्धारित किया है। यह उस इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है, असम में उल्फा का सवाल है तो हमने वहां की सरकार के साथ सम्पर्क बनाया हुआ है, हम मानेटरिंग कर रहे हैं। नागालैंड में जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि वहां पर जो गैर-नागा लोग हैं उनको धमकियां मिल रही हैं, वहां के मुख्य मंत्री से हमारी वार्ता हुई है और उनसे कहा है कि जो आपको मदद चाहिए चाहे फोर्स की हो या अन्य साधन द्वारा हो, केन्द्र सरकार उपलब्ध कराने को तैयार है। लेकिन इन गतिविधियों को जल्दी से जल्दी रोका जाये। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। 25 तारीख को मीटिंग होगी हमारे गृह मंत्री सईद साहब आ रहे हैं वह इन सवालों पर विचार करेंगे।

जहां तक चकमा शरणार्थियों का सवाल है। ये लोग 1962 के बाद वहां अरुणाचल प्रदेश में बसाये गये थे और उनको हटाने की सरकार की कोई नीति नहीं है। यह सही भी नहीं होगा कि एक जगह से दूसरी जगह उनको बसाया जाये, इससे दूसरी जगह जो शरणार्थी बसाये गये हैं उन राज्यों में भी इसका असर होगा। जो आरोप लगाये गये हैं, मैं उनसे अलग हटकर कहना चाहता हूं कि उल्फा, एन.एस.सी.एन. और खालिस्तान फोर्स का आपस में कोई सामंजस्य है, इसकी सरकार के पास सूचना नहीं है। मणिपुर, असम, अरुणाचल और नागालैंड में जो इस प्रकार के संगठन हैं वे आपस में तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर हमारी नजर है। हमने यह भी कहा है कि बेरोजगारों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। उस इलाके की जितनी भी विकास से सम्बन्धित योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा आयेंगी उन पर प्राथमिकता के तहत विचार होगा और उनको जल्द कार्यरूप देने की हम कोशिश करेंगे।

जहां तक किलिंग्स बढ़ने का सवाल है, यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। हत्याओं की घटनायें हुई हैं। 1989 में 30 हुई हैं नागालैंड में, 1990 में आज तक 14 हुई है। अभी जो इस घटना के चलते टोखो में घटना हुई है, इसको जोड़ने से भले ही संख्या बढ़ सकती है लेकिन दूसरे राज्य मणिपुर में पिछले वर्ष 1989 में यह 28 हुई थी तो इस वर्ष 19 हुई हैं। वहां किलिंग्स गत वर्ष 21 हुई थीं जो अभी 7 हुई हैं। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश पिछले वर्ष दो और इस वर्ष एक हुई है। इसी तरह से नागालैंड मे एन.एस.सी. के जो लोग अरेस्ट किये गये हैं 1989 में 95 और अभी तीन महीनों में 24 किये गये हैं। मणिपुर में पिछली साल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इस बार अभी 5 गिरफ्तार किये गये हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक गिरफ्तार किया गया था और अब दो किये गये हैं। नागालैंड में एन.एस.सी. के लोगों में से 1989 में 48 ने सरेंडर किया गया था और अब तक 19 लोगों ने सरेंडर किया है। मणिपुर में न पिछले साल और न इस साल अभी तक किसी ने सरेंडर किया है। अरुणाचल प्रदेश में चार लोगों ने सरेंडर किया है। सन् 1989 में एनकाउंटर में कोई नागा विद्रोही नहीं मारा गया लेकिन सन् 19'0 में दो मारे गये हैं। यह आंकड़े नागालैंड के हैं। मणिपुर में पिछले साल कोई नही था, इस बार एक हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले साल चार थे, अभी कोई नहीं हुआ है। इस प्रकार ये संख्या इतनी नहीं बढ़ी लेकिन घटनाओं की संख्या बढ़ी हैं। घटना के बढ़ने से सबको चिन्ता है कि वहां पर गैर-नागा पदाधिकारियों पर ये सब किया जा रहा है और यह उल्फा ने काम किया है। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार पूरी तरह से इस सारी समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारों को मदद देगी। हमने अपील की है और आग्रह भी किया है कि राज्य सरकारों के जो अधिनियम, कानूनी ताकतें हैं, उनका पूरी तरह से उपयोग करें और इससे सख्ती से निपटें।

[अनुवाद]

श्री शिकिहो सेमा : विद्रोहियों के साथ बातचीत करने के बारे में क्या विचार है ?

[हिन्दी]

श्री सुबोध कांत सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार इस सदन की मर्यादा और इस देश के संविधान के तहत आगे बढ़कर आना चाहती है ताकि खुले दिमाग से बात करके उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए तत्पर किया जा सके और यही हमारी मंशा है। बस, इतना ही मुझे कहना है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन : मैं यह जानना चाहता हूं कि नागा विद्रोही क्यों......

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। यह ठीक नहीं है। मैं आपको बोलने के लिए पहले ही समय दे चुका हूं अपने विचार रखने का अवसर आपको दिया गया था। यह बातचीत लगातार जारी नहीं रह सकती क्योंकि इसके चलते अन्य कार्यवाही नहीं हो सकती।

प्रो. राम गणेश कापसे :

2.48 म. प.

कार्य मन्त्रणा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

प्रो. राम गणेश कापसे (ठाणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 21 अगस्त, 1990 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 21 अगस्त, 19-0 को सभा में प्रस्तुत किये गए कार्यमंत्रणा समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मद संख्या 11, नियम 377 के अधीन मामले श्री मनोरंजन भक्त।

2.49 म. प.

नियम ३७७ के अधीन मामले

(एक) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित बेस रिपेयरिंग आर्गनाइजेशन के कर्मचारियों की शिकायतों की जांच किए जाने की मांग

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : उपाध्यक्ष महोदय, अण्डमान

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया गया।

निकोबार द्वीप समूह में भारतीय जल सेना के अधीन 'बेस रिपेयरिंग आर्गेनाईजेशन (बी. आर. ओ) में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों को जल सेना अधिकारियों ने उनके श्रमिक संगठन अधिकारों से वंचित किया हुआ है। बार-बार इस मामले की ओर अधिकारियों का ध्यान दिलाया गया परन्तु कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकले। बी. आर. ओ. के असैनिक कर्मचारियों की शिकायतों की सुनवाई की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्रमिकों की आवाज उठाने वाले श्रमिकों के प्रमुख प्रतिनिधियों को शारीरिक रूप से तंग किया जाता है तथा यातनायें दी जाती हैं। मैं प्रधान मंत्री, जो कि रक्षा मंत्री भी हैं, का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि वह अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में इन कर्मचारियों के दुःखों को दूर करने तथा उन पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने हेतु तत्काल कार्यवाही करें।

(दो) मछुआरों को बाढ़ से बचाने के लिए केरल में कोडंगलूर के तटीय क्षेत्रों में दीवार का निर्माण किए जाने की मांग।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, कोडंगलूर केरल के तटीय क्षेत्र में आता है जहां कूलीमुट्टम, मथिलकम तथा पेरिंजनम क्षेत्रों में मछुआरों तथा उनके परिवार पूर्णतया काबिज हैं। इन मछुआरों तथा उनके परिवारों की दयनीय दशा मैंने स्वयं देखी है।

मानसून ऋतु में प्रतिवर्ष ये क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होते हैं। स्थानीय लोगों को अस्थाई राहत। बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु लगभग हर वर्ष व्यय किए जाने वाले 2 लाख रुपये का कोई लाभ नहीं होता क्योंकि अगली मानसून ऋतु में तटीय क्षेत्रों का नष्ट करने तथा इन मछुआरों को बर्बाद करने में उफनता समुद्र अपनी मनमानी करता है। इस पर प्रति वर्ष 2 लाख रुपए खर्च करना पैसे की बर्बादी है। यदि इस धनराशि का संग्रह कर लिया जाए तो इन तटीय क्षेत्रों में एक बड़ी दीवार बनाई जा सकती है।

चूंकि यह मामला केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है, मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि सार्वजनिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस तटीय क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर एक दीवार बनाने हेतु आवश्यक आदेश जारी करे।

(तीन) कचीगुडा और जयपुर के बीच छोटी लाइन पर चलने वाली मीनाक्षी एक्सप्रेस के लिए अमानवाड़ी हाल्ट (महाराष्ट्र) को बहाल किए जाने की मांग

श्री अनन्त राव देशमुख (वाशिम) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले के अमानवाडी और इसके पड़ौसवर्ती 35 गांवों संघ सरकार की अधिसूचना के अनुसार आदिवासी क्षेत्र हैं। दिनांक 30.4.1990 तक यह कचीगुडा से जयपुर के बीच छोटी लाईन पर चलने वाली "मीनाक्षी एक्सप्रेस" का हाल्ट था। इस नियमित हाल्ट को 1-5-1990 से अचानक समाप्त कर दिये जाने से आदिवासियों को, विशेषकर से इस क्षेत्र के छात्रों को, जिन्हें विद्यालयों और अन्य दैनिक कार्यों के लिए प्रत्येक दिन वाशिम आना-जाना पड़ता है, बहुत कठिनाई हो रही है। इस रेल के सिवाए परिवहन की कोई अन्य सुविधा नहीं है। इसके अतिरिक्त, इन आदिवासियों के लिए 55 किलोमीटर के घेरे में कोई शैक्षणिक सुविधा भी नहीं है। अन्य रेलश्रमिकों की असुविधाजनक समय तालिका होने के कारण "मीनाक्षी एक्सप्रेस" का हाल्ट आवश्यक हो जाता है। मैं सरकार

से अमनवाड़ी में जयपुर ऊबीगुडा छोटी लाईन पर मीनाक्षी एक्सप्रेस का हाल्ट पुनः बनाये जाने का अनुरोध करता हूं।

(चार) औरंगाबाद में खेल. प्रशिक्षण और संवर्धन केन्द्र को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

डा. वेंकटेश काबड़े (नान्देड़), : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1987 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने हेतु और प्रशिक्षकों की रुचि को बढ़ावा देने के लिए एक केन्द्र के रूप में औरंगाबाद का चयन किया था। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने भारत के पश्चिमी क्षेत्र से इस उद्देश्य के लिए 100 एकड़ भूमि दी है। वायु सेना के एक अवकाश प्राप्त अधिकारी को इस केन्द्र का निदेशक नियुक्त किया गया था। वे एक अच्छे खिलाड़ी हैं और रोम ओलम्पिक में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वे इस केन्द्र का विकास करना चाहते हैं। तथापि संघ सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध की गयी धनराशि अपर्याप्त है। पिछले 3½ वर्षों में सिर्फ चार-दिवारी का ही निर्माण हो पाया है। महाराष्ट्र सरकार ने 3½ वर्ष पूर्व 15 लाख रुपए का भुगतान किया था और 15 लाख रुपए की दूसरी किश्त अभी हाल ही में मिल पायी है। इस खेल केन्द्र के विकास के लिए 3½ करोड़ रुपए की आवश्यकता है। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के लिये औरंगाबाद एक केन्द्रीय स्थल है। औरंगाबाद का मौसम भी बहुत अच्छा है। उचित दर पर भोजन, फल, दूध आदि मिलते हैं। फुटबाल, वोलीबाल और जिमनास्टिक की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इस क्षेत्र के अनेक खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इसीलिए यह अनुरोध किया जाता है कि इस प्रस्तावित खेल केन्द्र में कक्षायें लेने के लिये और राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए वहां मैदान, हास्टल तथा अन्य सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराया जाए।

(पांच) सिंगरोली ललितपुर रेल लाइन का कार्य शीघ्र शुरू करने और दमोह में रेलवे उपरिपुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की मांग

श्री लोकेन्द्र सिंह (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में रेलवे का सम्बन्ध है, विगत 43 वर्षों में इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। इस 90,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कोई रेल लाईन नहीं है। सिंगरोली ललितपुर रेलवे लाइन के लिये 1989-90 में सर्वेक्षण किये जाने के आदेश दिए गए थे लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। इसी प्रकार, दमोह रेलवे उपरिपुल निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिसके लिए इस वर्ष के बजट में स्वीकृति दी गयी है।

इस क्षेत्र में प्रसिद्ध खजुराहो मन्दिर हैं, चूना पत्थर, बालुआ पत्थर और हीरे के पर्याप्त भंडार है। रेल लाईन नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में औद्योगिक और पर्यटन विकास में बाधा पहुंच रही है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि सिंगरौली-ललितपुर रेल लाईन के कार्य को प्राथमिकता दी जाए और दमोह रेलवे उपरिपुल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाए।

(छह) दक्षिण रेलवे के शोरानूर मंगलौर सेक्शन पर रेल और यात्री सुविधाओं का विकास किए जाने की मांग

श्री एम. रमण्णा राय (कासरगोड) : महोदय, दक्षिण रेलवे का शोरानूर मंगलौर सेक्शन

सबसे अधिक उपेक्षित है। यहां विकास कार्यों को शीघ्र ही शुरू किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि कासरगोड और कान्हनगाड रेल स्टेशनों में वर्तमान परिस्थिति में किसी भी प्रकार के विकास की कोई गुंजाइश नहीं है।

कन्नूर रेल स्टेशन से आगे के स्टेशनों पर सुविधाओं के अभाव में दक्षिण से आने वाली अनेक रेल गाड़ियां कोजिकोड और कन्नूर स्टेशनों पर ही समाप्त हो जाती हैं। इस कारण कासरगोड जिले के रोजाना यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कन्नूर से आगे के स्टेशनों में न्यूनतम सुविधायें नहीं हैं। एक लम्बे समय तक विकास कार्य के अभाव के कारण ऐसा हुआ है। इसलिए शोरानूर मंगलौर सैक्शन में विकास कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।

अभी चल रही रेल गाड़ियों में जो डिब्बे लगाये गए हैं वे भी बहुत पुराने हैं क्योंकि बरसात के मौसम में सभी ओर से पानी अन्दर आता है।

चूंकि यह क्षेत्र सैक्शन प्रस्तावित पश्चिम तटीय रेल परियोजना का एक मुख्य भाग होगा इसलिए मैं सरकार से जैसे कि पुलों को चौड़ा करने और रेल स्टेशनों में अतिरिक्त रेल लाईनें बिछाने आदि विकास कार्यों को शीघ्र शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

(सात) बिहार में बेतिया में 000 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की मांग

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा (बेतिया) : महोदय, मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान बिहार के पूर्वी और पश्चिम चम्पारण जिलों में बिजली की भारी कमी की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। बिजली की कमी के कारण उद्योगों को भारी नुकसान हो रहा है और ये उद्योग सुस्थापित नहीं हो पाया है। अतः इन जिलों में कोई औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है और इस कारण दिन प्रति दिन बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है इस बात को ध्यान में रख कर बिहार के पूर्वी और पश्चिम चम्पारण जिलों में औद्योगिक विकास के साथ-साथ लोगों की समृद्धि के लिए बिजली के इस संकट को दूर करने हेतु 1000 मेगावाट क्षमता वाले विद्युत संयंत्र को स्थापित करने की नितान्त आवश्यकता है।

(आठ) नवम्बर, 1984 के दंगों और आतंकवादियों के शिकार व्यक्तियों की विधवाओं को जीवन भर 1000 रुपए मासिक पेंशन दिए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, रूल 377 के तहत आनरेबल हाउस और सरकार के नोटिस में मैं लाना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी, मेरी दरख्वास्त पर, इस बात पर इत्तफाक कर चुके हैं कि नवम्बर, 1984 के जुल्मों की वजह से और टैररिस्टों के तशद्दुद की वजह से हो चुकी बेवाओं को जीवन भर एक हजार रुपया महीना इमदाद सरकार देगी, चाहे उनके बच्चे 18 साल से ऊपर हो जाएं, मुलाजिम हो जाएं या अपना कारोबार करते हों। प्रधान मंत्री जी पूरी तरह कन्विन्स हो चुके हैं कि बेवाओं को भी अपनी समाजी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, जैसे बेटी और ब्याहता बेटियों के तईं अपने फराइज और जिम्मेदारी पूरी करने, बीमारी

के इलाज और कई तरह की समाजी जिम्मेदारियों के लिए यह जरूरी है। आज के समाजी माहौल में बेवा की जिम्मेदारियां पूरी होना मुमकिन नहीं है। इसलिए यह बहुत जरूरी है।

प्राइम मिनिस्टर साहब के वादे के मुताबिक कोई आर्डर अभी तक जारी नहीं हुआ है। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि बेवाओं से हमदर्दी के इस वादे को बगैर किसी तखीरी के पूरा किया जाए।

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक-जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधायी कार्य-प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक पर चर्चा करेगी। माननीय मंत्री जी, क्या आप कोई वक्तव्य देना चाहते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : जी हां। उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि प्रसार भारती विधेयक पर विचार किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, गत वर्ष दिसम्बर में नई संसद के प्रथम सत्र में ही यह विधेयक पुनःस्थापित किया गया था। राष्ट्रीय मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र में हमने यह वचन दिया था कि राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का पहला कार्य इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम को सरकार के नियंत्रण से स्वतन्त्रता प्रदान करना और इस उद्देश्य के लिए एक स्वायत्तशासी निगम की स्थापना करना होगा।

3.00 म. प.

स्वायत्तता की मांग इसलिए उठी थी और बलवती हुई थी क्योंकि इस संचार माध्यम का व्यापक स्तर पर दुरुपयोग किया गया। (व्यवधान)

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापट्टनम) : हमने 'खुला संचार मंच' के लिए नहीं कहा। हमने संचार माध्यम का दुरुपयोग नहीं किया। (व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : : पूरा देश जानता है कि किस प्रकार एक परिवार विशेष के लिए और सत्ता दल के हितों के लिए संचार माध्यम का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया।

3.01 म. प.

डा. तम्बि दुरै पीठासीन हुए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : इसलिए, नई सरकार का पहला काम संचार माध्यम में लोगों का पुनः विश्वास बनाना है और इस दिशा में हमने कुछ कदम उठाए हैं। दिसम्बर में विधेयक प्रस्तुत किया

गया और उसके बाद एक देश व्यापी बहस रखी गई। विधेयक प्रस्तुत करते हुए भी मैंने कहा था कि विधेयक का प्रारूप या प्रस्तावित विधेयक अन्तिम नहीं है और चर्चा और संशोधन के लिए स्थान है। और वास्तव में, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मैंने एक देश व्यापी बहस का अध्ययन किया ? और यह कहते हुए मुझे खुशी है कि देश के सभी संगठनों ने इस विधेयक के प्रावधानों में असाधारण रुचि दिखाई और देश भर में इस पर चर्चाओं और गोष्ठियों का आयोजन किया गया। यहां तक कि सरकारी प्रचार माध्यम ने भी राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक केन्द्रों से प्रादेशिक भाषा में हिन्दी और अंग्रेजी में सामूहिक चर्चाओं का आयोजन किया। मैंने स्वयं देश के संगठनों के विभिन्न प्रतिनिधियों को हजारों पत्र भेजे। विश्वविद्यालयों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और प्रसारकों ने, लगभग प्रत्येक व्यक्ति ने, समाज के प्रत्येक वर्ग ने बहस में हिस्सा किया। विधेयक के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए हमें कई सुझाव मिले। उनको कम्प्यूटर में फीड किया गया और हमारे मंत्रालय में इन पर विचार हुआ जिसके आधार पर बजट सत्र में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया। वास्तव में, सरकार इस विधेयक को बजट सत्र में ही पारित करने के लिए उत्सुक थी और और हमने इसका प्रयास किया। किन्तु सदन में मुख्य विपक्षी दल सहित कई दल इस विधेयक पर और संशोधनों पर विचार करने के लिए कुछ और समय चाहते थे कि हम इस सत्र में विचार करें। तदनुसार, इस सदन में विधेयक दोबारा विचार के लिए लाया गया है ? पिछले सत्र और इस सत्र के अन्तराल में मैंने दोबारा प्रसारमाध्यम विशेषज्ञों से सदन की ओर से दलों के विभिन्न प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया। इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों और संशोधनों पर हमने पुनः चर्चा की। पिछले सत्र में, हमने दो या तीन संशोधन प्रस्तुत किए थे जिनकी विभिन्न क्षेत्रों से आलोचना की गई। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, विधेयक के अनुच्छेद 22 में, एक प्रावधान किया गया है कि देश की सुरक्षा और व्यवस्था के हित को देखते हुए सरकार के पास निगम का निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। हमने 22 (क) के रूप में एक संशोधन रखा कि निगम के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह सरकार को सूचना दे ताकि वह आगे संसद को उस विषय में जानकारी दे सके। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, निगम की स्वायत्तता का यह अर्थ नहीं है कि स्वायत्तता किसी के नियंत्रण से स्वतंत्र था। हम सिर्फ सरकार के नियन्त्रण से स्वतन्त्रता की परिकल्पना कर रहे हैं। विधेयक के प्रस्ताव के अनुसार, यह निगम पूर्णतः भारतीय संसद के नियंत्रण में रहेगा जो कि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। उसके लिए, निगम के विस्तृत उद्देश्यों और कार्यप्रणाली पर संसद में प्रश्न उठ सकते हैं। संसदीय समिति कुछ पहलुओं पर विचार कर सकता है, जो दैनिक कामकाज से संबंधित न हो और प्रसार भारती निगम द्वारा दी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट और प्रसारण परिषद जो इस निगम की निगरानी करेगी, की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवर्ष चर्चा की जाएगी। इन सब कार्यों के लिए संसद को कुछ सूचना चाहिए, जो सरकार द्वारा दी जाएगी, विशेषकर सूचना और मंत्रालय से जो इस कार्य के लिए मुख्य मंत्रालय होगा। इसके लिये हमने, निगम के लिये यह अनिवार्य कर दिया कि संसद को जो सूचना चाहिए, वह उसे दे; यह संशोधन 22 (क) के अन्तर्गत आता है। विधि विशेषज्ञों ने अनुभव किया कि जब खंड 22 और 22 (क) के अन्तर्गत आपने निगम के लिए निर्देशों—का पालन करना और सूचना प्रदान करना अनिवार्य बना दिया है, अगर निगम निर्देश पालन या सूचना देने से लगातार इंकार करे—जिसकी मैं तुरन्त कल्पना नहीं करता, परन्तु इसकी सम्भावना है—तो इस मामले में इससे निपटने के लिये भी एक खंड होना चाहिए। अतः, पिछले सत्र में संशोधन सुझाया गया था कि ऐसे मामलों में राष्ट्रपति शासी बोर्ड के फैसलों को बदल सकता है और निगम को नोटिस देने के पश्चात् स्पष्टीकरण मांग सकता है। इस विशिष्ट संशोधन की कुछ मीडिया विशेषज्ञ, बुद्धिजीवियों और राजनैतिक दलों ने भी आलोचना की। सभी संबंधित

लोगों से चर्चा करने के पश्चात्, सरकार ने इसमें सुधार करना आवश्यक समझा और हमने नया संशोधन प्रस्तुत किया, जिसके लिए सरकार की ओर से हमने नोटिस दिया। हमने सिर्फ यही व्यवस्था कीथी कि ऐसे मामलों का निगम द्वारा लगातार इंकार के मामले में—संसद के सामने लाया जायेगा और वह जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, करेगी। पिछले सत्र में, हमने 22 (ग) के रूप में एक और संशोधन प्रस्तुत किया, वह यह है कि धारा 352 के अन्तर्गत, राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो सिर्फ युद्ध के समय, संविधान में संशोधन करके घोषित की जा सकती है—सरकार को निगम का काम अपने नियन्त्रण में लेने का अधिकार होगा। इसको कुछ आलोचना भी हुई है। इन विशेषज्ञों और राजनैतिक दलों की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए हमने अब तक वह संशोधन नए संशोधनों की सूची से हटा दिया है।

पहले, हमने एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष रखने का विचार किया। किन्तु फिर, पुनर्विचार के बाद, हमने सोचा कि अंशकालिक अध्यक्ष इस कार्य के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। इसलिये, इस तरह का एक संशोधन भी हमने रखा।

पहले, विधेयक में एक प्रावधान था कि प्रसारण परिषद जो इस निगम पर निगरानी रखेगी, वह हर वर्ष एक रिपोर्ट भेजेगी और वह रिपोर्ट प्रसार भारती की मुख्य रिपोर्ट का हिस्सा होगी।

किन्तु एक सुझाव आया है, कि ऐसे मामले में, प्रसारण परिषद, प्रसार भारती की सहायक बन जायेगी जबकि इसका अपना अलग स्वतन्त्र अस्तित्व होना चाहिए। अतएव, यह सुझाव दिया गया है कि प्रसारण परिषद अलग से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी न कि प्रसार भारती रिपोर्ट एक भाग के रूप। अतएव, इस बात को भी एक संशोधन के रूप में लाया गया है। ये नए संशोधन हैं जिन्हें सरकार ने प्रस्तुत किया है।

जैसा मैंने पहले कहा था, इसी बीच हमने खबरों तथा सामयिक मामलों के सम्बन्ध में संचार माध्यम को कुछ कार्य संबंधी स्वतन्त्रता दी है। सामयिक मामले पहले सप्ताह में दो बार आते थे अब उनकी संख्या चार हो गई है। जिसमें दो हिन्दी में तथा दो अंग्रेजी में हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय केन्द्र भी क्षेत्रीय भाषाओं में भी सामयिक मामले प्रसारित कर रहे हैं।

हम निजी प्रोड्यूसरों को भी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर दे रहे हैं। मुझे मई तथा जून दो महीनों के आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं। दूरदर्शन से प्रसारित हुए 65 सामयिक मामलों के सम्बन्धित कार्यक्रमों में से 39 कार्यक्रम प्राइवेट प्रोड्यूसरों द्वारा प्रसारित किए गए थे। अतएव, हम प्राइवेट प्रोड्यूसरों को भी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर दे रहे हैं।

चर्चा के दौरान तथा जो सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं, उसमें एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि प्रसार भारती को वित्तीय स्वायत्तता भी दी जानी चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा इसे धनराशि दिये जाने से इसकी स्वायत्तता तथा, स्वतन्त्रता कम हो जायेगी। मैं इस मुद्दे पर आलोचकों को आश्वस्त कर सका क्योंकि सभी सदस्य जानते हैं यहां तक कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका, संघ लोक सेवा आयोग तथा नियंत्रक एवं महालेखाकार जैसे संवैधानिक निकायों को भी राज्य द्वारा निधियां

प्रदान की जाती है तथा उससे इन संगठनों तथा निकायों की स्वतन्त्रता पर प्रभाव नहीं पड़ता। अतः एव, इस बारे में सन्देह करने का कोई तर्क नहीं है राज्य प्रसार भारती को चाहा सहकर भी धन-राशि प्रदान करेंगे क्योंकि इससे निगम की स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता कम नहीं होगी और न ही अथवा सरकार इस निगम को किसी भी प्रकार से प्रभावित कर सकेगी।

शासक बोर्ड के चयन के सम्बन्ध में भी हमने इसमें एक विशेष प्रावधान किया है। सभी संवैधानिक निकायों, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया था ये राष्ट्रपति सरकार की सिफारिशों पर ही इन व्यक्तियों को नियुक्त करता है। वास्तव में, वे सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। परन्तु इस प्रसार भारती के मामले में हमने यह प्रावधान किया है कि प्रसार भारती के शासक बोर्ड के चेयर-मैन तथा सदस्यों का चुनाव एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जायेगा जिसके अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होंगे जो कि राज्य सभा के सभापति भी हैं। इस समिति में प्रेस परिषद के चेयरमैन तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित एक विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे। यह एक अत्यन्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति होगी। अन्यथा किसी अन्य मामले में, इस प्रकार की समिति शासक बोर्ड के चुनाव के लिये होती है। परन्तु बी. बी. सी. जिसका मैंने जून जुलाई में दौरा किया था तथा इस बारे में अध्ययन किया था. वहां पर भी शासक बोर्ड के सभी सदस्यों को सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। बी. बी. सी. के मामले में भी कोई ऐसी स्वतन्त्र चयन समिति नहीं है अतएव इस निगम की स्वतन्त्रता तथा वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिये हमने कुछ और कदम भी उठाये हैं।

हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि राज्य द्वारा केवल धनराशि देने से निगम की स्वायत्तता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि देश के प्रति राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन प्रदान करने की व्यवस्था करे तथा यदि राज्य निगम को वह धनराशि देता है जिसकी उसे जरूरत है तब यह निगम के प्रति पक्षपात नहीं माना जायेगा। अतएव, इस सम्बन्ध में भी कोई सन्देह नहीं रहना चाहिये।

विभिन्न दलों से कई अन्य सुझाव तथा संशोधन प्राप्त हुए हैं। हम उनसे परामर्श करेंगे। मैं उन संशोधनों के सम्बन्ध में चर्चा तथा अपने उत्तर के दौरान विचार व्यक्त करूंगा। माननीय सदस्यों द्वारा अपने विचार व्यक्त करने से पूर्व मैं उनका अधिक समय लेना नहीं चाहता।

मैंने विधेयक की एक व्यापक रूपरेखा तथा उसके सम्बन्ध में काफी कुछ बताया था। अब विधेयक चर्चा के लिये प्रस्तुत है। यहां पर प्राप्त सुझावों पर हम विचार करेंगे। उनमें से कुछ संशोधन विचार करने योग्य हैं। हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि कौन-कौन से संशोधन स्वीकार किये जा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को इसी वर्तमान सत्र में ही इस सभा द्वारा तथा दूसरी सभा द्वारा पारित किया जाये।

एक सुझाव दिया गया है कि इस विधेयक को चयन समिति के पास भेज दिया जाए। इस बारे में अनेक संशोधन प्राप्त हो चुके हैं। जैसा कि मैंने इससे पूर्व कहा था, कि पिछले सात-आठ महीनों से भी अधिक समय तक इस सम्बन्ध में देशव्यापी चर्चा हो चुकी है तथा समाज के लगभग प्रत्येक वर्ग ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैं नहीं समझता कि इस मामले में और अधिक चर्चा की आवश्यकता है। माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं। हम इस विधेयक पर दो तीन

दिन से चर्चा कर रहे हैं। सभा में किसी भी पक्ष की ओर से जो भी महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होगा, उस पर उचित ध्यान दिया जाएगा। अतएव, मैं सिफारिश करता हूँ कि इस विधेयक को इसी सत्र में पारित किया जाए। मेरा उन विपक्ष के सदस्यों से विशेष अनुरोध है, कि वे इस विधेयक का समर्थन करें जबकि उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि वे पुनः इस बारे में विचार कर रहे हैं जबकि अपने चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि वे इस विधेयक का समर्थन करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सभा से अनुरोध करूंगा कि यह इसी सत्र में इस विधेयक पर विचार करके इसे पारित करे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

"कि विधेयक को उस पर 12 नवम्बर, 1990 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाये।" (1)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि विधेयक को उस पर 9 नवम्बर, 1990 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाये।" (19)

[अनुवाद]

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 30 नवम्बर, 1990 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।" (114)

"कि भारतीय प्रसारण निगम की, जिसका नाम प्रसार भारती होगा, स्थापना का उपबन्ध करने, उसके गठन, कृत्य तथा शक्तियां परिनिश्चित करने और उसके सम्बद्ध या उनके आनुषंगिक नियमों का उपबन्ध करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, जिसमें 9 सदस्य हो, अर्थात्—

(1) श्री एच. के. एल. भगत

(2) श्रीमती एम. चन्द्रशेखर

(3) श्री जसवन्त सिंह

(4) श्री पुरुषोत्तम कौशिक

(5) प्रो. पी. जे. कुरियन

(6) श्री जनार्दन पुजारी

(7) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन

(8) श्री अमरराय प्रधान; और

(9) श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति

और उसे 30 नवम्बर, 1990 तक अपना प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।

(115)

श्री अनन्तराव देशमुख (वाशिम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को उस पर 26 नवम्बर, 1990 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाए।" (220)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मन्त्री ने विधेयक पेश करते समय हमारी पार्टी के नेता के प्रति कुछ अनुचित टिप्पणी करना उचित समझा। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है चूंकि हम इस अति महत्वपूर्ण विधेयक पर उच्च स्तर पर चर्चा करने और विधेयक की गहराई में जाने की बात दलगत भावना से ऊपर उठकर करने की सोच रहे थे। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते सभी का इस विधेयक से संबंध है। हम जानते कि हम आपस में आदान-प्रदान कर सकते हैं। पार्टी के स्तर पर हम बहुत अच्छे हैं। यदि आप बाधा डालते रहे तो हमें कठोर शब्दों का प्रयोग करना होगा और हम पूरी तरह चर्चा को अस्त-व्यस्त कर देंगे। इसलिए हम इस खेल को जानते हैं। इसलिए आप, कृपया बाधा न डालें······ (व्यवधान)···महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने सभी माननीय सहयोगियों से निवेदन करता हूं कि वे बाधा न डालें : महोदय, मेरा यह मत है कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते इस देश की जनता के प्रति हमारा एक कर्त्तव्य है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस देश की जनता तक पहुंचने के लिये कौन-सा संचार माध्यम उपलब्ध है? संसद, संसदीय कार्यवाहियां और आज सबसे महत्वपूर्ण है इलैक्ट्रोनिक संचार माध्यम। इस पर कृपया विचार करें। हमारा मुद्रण समाचार माध्यम पर कोई नियंत्रण नहीं है। मुद्रण समाचार माध्यम एक स्वतंत्र माध्यम के रूप में विकसित हुआ है और वे उन्हीं विचारों को व्यक्त करते हैं जो उनके विचार में सबसे अच्छा होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते यह हमारी जवाब देही है और इस विधेयक की धारा-12 में जनता के लिये दो बातों को विस्तार से बताया गया है, पहला केवल देश के अन्दर और विश्व की घटनाओं की जानकारी देना ही नहीं बल्कि उन्हें शिक्षित भी किया जाए।

एक माननीय सदस्य : और मनोरंजन करना भी।

श्री वसंत साठे : भारत की पूरी संस्कृति को "दृश्य श्रव्य संस्कृति" के रूप में जाना जाता है। पांच हजार वर्ष पहले या उससे भी अधिक हमारे बहुत से लोग अशिक्षित थे लेकिन उन्हें व्यापक तौर पर भविष्यदृष्टाओं, संतों और पंडितों के द्वारा दृश्य श्रव्य तरीके से शिक्षित किया गया है। इसने इसे संभव कर दिया है। देश में उत्तर-दक्षिण के किसी गांव में जाएं या किसी भी हिस्से में जाएं, उत्तर प्रदेश या राजस्थान में यदि किसी व्यक्ति को पढ़ना-लिखना नहीं आता लेकिन उसके सामने कोई समस्या रखें तो आप पाएंगे कि वह ग्रामीण व्यक्ति तुरन्त कुछ पंक्तियां तुलसी की 'रामायण' से या कबीर अथवा गुरुनानक की गुरुवाणी से उद्धृत कर देंगे और ज्ञान के वे अंश आपके सामने रखेंगे जो उन्हें विरासत में मिली है। यह दृश्य श्रव्य तरीके से ही संभव हुआ है।

आधुनिक युग में दूरदर्शन और रेडियो जैसे आपके पास शक्तिशाली संचार माध्यम उपलब्ध हैं। एक समय ऐसा आएगा जब हम डी. आर. एस., डाइरेक्ट रिसीविंग सेट की सहायता से जोकि एक छोटी सी तश्तरी के आकार का होगा हम सीधे संचार उपग्रह से संदेश प्राप्त करेंगे तथा दुनिया के किसी भी देश का टेलीविजन प्रसारण देख सकेंगे। इसका एन्टीना मात्र एक वर्ग फीट है। आप देखें क्या-क्या संभावनाएं हैं। यह मात्र एक हजार रुपये का है। इसके द्वारा जिसके पास भी यह

अथवा शहर में टेलीविजन सेट है वह बटन दबाते ही अमरीका और रूस या किसी भी देश के रेडियो प्रसारण या टेलीविजन प्रसारण को प्राप्त कर सकेगा। देखिये, अब क्या-क्या संभावनाएं पैदा हो रही हैं।

इन संभावनाओं के साथ, क्या हम जो जनता के प्रतिनिधि हैं जो कि संसाधनों और जनता के द्वारा दिये गये राजस्व पर नियंत्रण रखते हैं, क्या हमारी उनके प्रति कोई जवाब देही है अथवा नहीं ? यह पहला विचारणीय मुद्दा है। और यदि हम इस पर विचार करते हैं तो मेरा यह कहना है कि पहला यह कि जहां तक स्वायत्तता का प्रश्न है, स्पष्ट कर दूं कि इसके संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। मैंने देखा है और मैं उसे उद्धृत भी करूंगा। अभी, दूरदर्शन और रेडियो को स्वायत्तता देने में में कोई मतभेद नहीं है। हम सभी इस पर सहमत हैं। उनके चुनाव घोषणा पत्र में, राष्ट्रीय मोर्चा ने कहा है कि उनका पहला कार्य इलैक्ट्रोनिक संचार माध्यम को सरकार के शिकंजे से मुक्त कराना और उन्हें एक स्वायत्त निगम में परिवर्तित करना है। प्रत्येत शब्द पर ध्यान दें स्वायत निगम में परिवर्तित करना। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र कहा :

[हिन्दी]

संचार माध्यम 1989 के प्रसार भारती विधेयक को पुनर्जीवित किया जाएगा जिसके द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निगम बनाने की व्यवस्था की गई थी।

[अनुवाद]

अब मैं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को उद्धृत करता हूं :

"रेडियो और टेलीविजन का उद्देश्य इन करोड़ों गरीब जनता, जिन्हें पढ़ने लिखने का सामर्थ्य नहीं है, को उन घटनाओं से अवगत कराना है जिनका प्रभाव राष्ट्र और हमारी जनता के जीवन पर पड़ता है। इस हद तक ही इलेक्ट्रोनिक संचार माध्यम पर सरकार का नियंत्रण होगा। जो भी हो, कार्यकारी स्वायत्तता, उच्च श्रेणी की व्यावसायिकता और सूचना, समाचार और विचारों को अच्छा संयोजन, सुनिश्चित करने की दृष्टि से आकाशवाणी और दूरदर्शन को निगम में परिवर्तित किया जाएगा।"

अतः आप समान बातों को देखें। सभी कहते हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता दी जाएगी। इस पर कोई मतभेद नहीं है। अब कृपया आप उद्देश्यों और कारणों के कथन को देखें। (व्यवधान)

सभापति महोदय : जब दूसरे लोग बोलेंगे तो वे भी इसी बात को दोहरा सकते हैं। इसलिए माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे शांति बनाये रखें।

[हिन्दी]

श्री बसंत साठे : तू-तू, मैं-मैं बहुत हो सकती है। आप कह दीजिए कि हम नहीं बोलें, हम बैठ जायेंगे।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : कभी आप हमें छेड़ते हैं। तो हम आप को छेड़ते हैं।

श्री वसंत साठे : छेड़छाड़ चल सकती है, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन रनिंग कमेंटरी नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

हम पर भी लगातार टिप्पणियां की जाती थीं परन्तु इस प्रकार नहीं। लेकिन उन लोगों को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो संबंधित विषय के बारे में जानते ही नहीं हैं। 'स्वायत्ता' शब्द का क्या अर्थ है ? साधारण अंग्रेजी शब्दकोष में भी 'स्वायत्त' का अर्थ स्वायत्तशासी विशेषतः आंशिक स्वायत्तशासी सरकार की शक्ति अथवा अधिकार से है। यदि आप कहते हैं कि आप एक स्वतंत्र निकाय बनाना चाहते हैं तब तो यह एक अलग बात है। स्वतन्त्रता का तात्पर्य अधीनस्थ से नहीं बल्कि पूर्ण स्वायत्तशासी सरकार से है।

कृपया देखिए कि सरकार ने क्या करने का प्रयास किया है :

"आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्ता प्रदान करना सरकार की घोषित नीति है ·· ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण और सृजनात्मक ढंग से कार्य करें।"

आकाशवाणी और दूरदर्शन में 28,000 कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्होंने जीवनभर इस महत्वपूर्ण संचार माध्यम की सेवा की है। क्या इस समूचे विधेयक में एक भी ऐसा शब्द है जिसके द्वारा दूरदर्शन के महानिदेशक से लेकर नीचे के श्रेणी के कर्मचारियों को स्वायत्ता प्रदान की गयी हो तथा इन लोगों को प्राधिकार, सम्मान अथवा स्वायत्ता प्रदान करने वाला एक भी शब्द है ? ऐसा कुछ नहीं है। इसके विपरीत, आपने इन सब कर्मचारियों को एकाएक उन तथाकथित" विद्वानों के अधीन, जिन्हें नये निगम का संचालक बनाने का विचार किया गया है, अधीनस्थ कर्मचारियों के रूप में भेज दिया है। मैं यह नहीं समझ सकता कि आप स्वयं को धोखा क्यों देना चाहते हैं ? हम किसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं ? हम प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता की बात करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि प्रबन्ध में लोगों को अपनी राय व्यक्त करने के बराबर के अधिकार प्राप्त होने चाहिए। केवल तब ही सुधार हो पाएगा यह बात हम सभी मंचों पर कहते रहे हैं। शासक बोर्ड में आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन के महानिदेशक अथवा इसके किसी कर्मचारी के लिए, जिन्हें आप स्वायत्ता देना चाहते हैं, कोई जगह नहीं है। इस प्रकार, स्वायत्ता की अवधारणा का तात्पर्य यह है कि नये निकाय बनाने के लिए पहले से ही इसमें कार्यरत व्यक्तियों को और अधिक अधिकार देना है। जब हम देश के उन राज्यों की बात करते हैं जो केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के संदर्भ में स्वायत्तशासी शक्तियां तथा और अधिक शक्तियां चाहते हैं तो हम कहते हैं कि राज्यों को अधिक शक्तियां दीजिए; हम इसके पक्ष में हैं। परन्तु क्या यह स्वायत्तशासी शक्तियां एवं और शक्तियां तथा पर्याप्त स्वायत्ता में अन्तर नहीं है ? इस प्रकार स्वायत्तशासी अवधारणा के सम्बन्ध में आप जो कुछ कर रहे हैं वह शुरू से मिथ्या है और धोखाधड़ी है क्योंकि उद्देश्यों और कारणों के कथन के सबसे वाक्य में यह कहने के बाद कि आप दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्ता देना चाहते हैं आपने निम्नलिखित बात कही है—

"इस सन्दर्भ में ही एक स्वायत्त निगम की स्थापना करने का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है जिसे "प्रसार भारती" (भारतीय प्रसारण निगम) कहा जाएगा और उसे वे सभी

कृत्य सौंपे जाना प्रस्तावित हैं जिनका निर्वहन इस समय आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा किया जा रहा है।''

बस। इस प्रकार आज तक जो कार्य आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा किए जा रहे हैं उन कार्यों का और विद्यमान निकाय का इस नये निकाय में, जिसकी आप स्थापना करने जा रहे हैं, अन्तरण कर दिया जाएगा। (व्यवधान) आपका यही उद्देश्य है; यही मंशा है। इसलिए ईमानदारी से यही बात कहिए। यदि सरकार यह कहने का साहस करती कि वे एक ऐसे पूर्ण स्वतन्त्र निकाय की स्थापना करना चाहते हैं जो किसी भी तरह से संसद अथवा सरकार के प्रति जिम्मेदार न हों; पूरी तरह स्वतन्त्र हो। तो मैं इसकी प्रशंसा करता। मैं इस बात की प्रशंसा कर सकता था। आप ऐसा कहने का साहस कीजिए। मैं कह रहा हूं कि, उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वह इसे मानें। परन्तु वे ऐसा नहीं करते। आप सोचते है कि आप सफाई देने जा रहे हैं लेकिन जैसाकि मैंने पूरे विधेयक के स्वरूप मे दिखाया है कि आप न केवल भारत के लोगों को धोखा दे रहे हैं। बल्कि संसद को भी धोखा दे रहे हैं। महोदय, संसद को मालूम दिया गया है। माननीय मन्त्री, श्री पी. उपेन्द्र सोचते हैं कि सांसद इतने भोले भाले हैं और उनका कहना है कि वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रस्तुत की जायेगी जैसे कि देश में विभिन्न निगमों जैसे कोल इण्डिया, सेल और अन्य निगमों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। क्या इस पर यहां कभी चर्चा हुई है ·· (व्यवधान)

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नौर) : तिरुपति के लड्डु।

श्री वसंत साठे : जो उन्होंने विधेयक में किया है वह तिरुपति के लड्डु की तरह है। पहले उन्होंने कहा था, ''हम उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिये कहेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते, यदि वे ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं, तो हमारे पास अधिग्रहण की शक्ति होगी' हमने सोचा अगर संसद अपनी आवाज उठाती है और यह कहती है इसमें कुछ गलत बात है तो सरकार कार्यवाही कर सकती है। लेकिन देखिये,

[हिन्दी]

यह तो दुम दबाने वाली बात कर दी। जरा सा किसी ने चिल्ला दिया तो इन्होंने कह दिया कि नहीं साहब, अब हम यह नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

''अब हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे ? हमें स्पष्टीकरण दीजिए। अगर आप हमें स्पष्टीकरण नहीं देते तो हम]संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे'' संसद क्या करेगी ? यह संकल्प पारित करेगी। इसे लागू करने का प्रावधान कहां है (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) ; इसे शून्य काल में दीजिए (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : जी हां, आप ठीक कह रहे हैं। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी और हम सभी इस पर शून्य काल में चर्चा करेंगे और सारी बातें जीरो हो जायेगी।

इस विधेयक के बारे में सरकार की क्या मंशा है ? मैं स्वायत्तता के नाम पर धोखा देने की

धारणा का विरोध करता हूं। मुझे आपत्ति है कि स्वायत्तता के नाम पर, आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्य कर रहे लोगों को धोखा दिया है। आप उनका कोई सम्मान नहीं करते हैं। अगर आप इस विधेयक की धारा 11 को देखें जहां आपने इन सब का अन्तरण कर दिया है। वे उन तथाकथित ग्यारह लोगों की दया पर निर्भर होंगे। ये ग्यारह लोग कौन है (व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : आप क्या सुझाव देना चाहते हैं ?

श्री बसंत साठे : इसे मुझे स्वयं अपने तरीके से निपटाने दीजिए। मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है जितनी आपके पास है।

कृपया देखिये, विधेयक का स्वरूप कैसा है ? सर्वप्रथम हमें इसके स्वरूप को समझने दीजिए। मूलतः इसका स्वरूप ही सुनिश्चित करेगा कि आप किस प्रकार का संगठन बनाने जा रहे हैं। आप किन्हें इस विधेयक के माध्यम से स्थानान्तरित करने जा रहे हैं। कई वर्षों से लोगों के धन से बनी इस सम्पत्ति को इस विधेयक के माध्यम से एक बार में ही आप किसको हस्तांतरित करने जा रहे हैं यह कई सौ करोड़ रुपये की सम्पत्ति है न केवल बिल्डिंग और टावर्स बल्कि देश का पूरा नेटवर्क यदि आप हिसाब लगाये तो यदि ज्यादा नहीं तो कम से कम कई हजार करोड़ रुपये की है। विधेयक के अनुसार यह समस्त सम्पत्ति ग्यारह बुद्धिजीवियों के निकाय को तुरन्त हस्तांतरित कर दी जायेगी। वे कौन हैं ? प्रथम, उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष एक विख्यात व्यक्ति होगा। उनकी देख-रेख में यह निकाय काम करेगा शासक बोर्ड काम करेगा। अब उनकी शक्तियों को भी कम कर दिया गया है अध्यक्ष एक अंशकालिक अध्यक्ष होगा। कृपया धारा 4 को देखिये।—

"अध्यक्ष और अन्य शासक नामनिर्दिष्ट शासक को छोड़कर एक समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे···"

उन्होंने बताया है कि समिति क्या है—

उसका पैरा 3 यह कहता है :

"अध्यक्ष और अंशकालिक शासक सार्वजनिक जीवन में विख्यात व्यक्ति होंगे।"

यह श्रेष्ठता के बारे में है। इसमें आगे यह कहा गया है :

"कार्यपालक शासक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास प्रशासन, प्रबंध, प्रसारण, शिक्षा साहित्य, संस्कृति, कला, संगीत, नाट्यशास्त्र या पत्रकारिता जैसे विषयों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है; शासक (वित्त) ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास वित्तीय विषयों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है और शासक (कार्मिक) ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास कार्मिक प्रबंध और प्रशासन में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।"

और यह एक नया संशोधन है जिसका प्रस्ताव किया गया है :—

"कार्यपालक शासक निगम का मुख्य कार्यपालक होगा और अध्यक्ष के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए, शासक बोर्ड की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो वह उसे प्रत्यायोजित करे···"

"अध्यक्ष अंशकालिक शासक होगा और उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, छह वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।"

कार्यकारी शासक, शासक (वित्त) और शासक (कार्मिक) पूर्णकालिक गवर्नर होंगे और हरएक गवर्नर कार्यभार सम्भालने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की उम्र तक जो भी दोनों में से पहले हो, पदधारण करेंगे।

मैं जानना चाहूँगा कि वास्तव में इस पर किसका नियंत्रण होगा? मैंने पद की (प्राफिस) योग्यताओं को पढ़ लिया है। मैं आपके माध्यम से प्रत्येक माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या सार्वजनिक व्यक्ति चाहें वह कितने ही विद्वान क्यों न हों, क्या वह कार्यपालक संचालक की योग्यताओं को पूरा करते हैं। इस पद के लिए सेवानिवृत्त नौकरशाह ही सबसे योग्य व्यक्ति हो सकते हैं। पहला मानदण्ड प्रशासन है। फिर, हमारे नौकरशाहों ने कई बार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों का कार्यभार भी संभाला होता है। इस प्रकार उन्हें प्रबन्ध का भी अनुभव होता है। जब तक आप निजी क्षेत्र के कुछ प्रबंधकों को योग्य बता कर शामिल न करें, तो आप किसे मुख्य कार्यकारी संचालक बनायेंगे? वित्त के सम्बन्ध में ऐसे लोग हैं, जिन्हें श्रमिक प्रबन्धन का अनुभव है। अतः आप इस संस्था में संचार माध्यमों की जानकारी रखने वाले प्रसिद्ध विशेषज्ञों को शामिल करने की बजाए इन सम्पूर्ण संचार माध्यमों इलेक्ट्रानिक माध्यमों को प्रशासनिक और प्रबन्ध क्षेत्र के लोगों को सौंपने जा रहे हैं। आखिरकार जैसा कि इन्होंने कहा है, यदि संसद में इसकी आलोचना होती है तो संसद का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता क्योंकि उन्होंने कहा है कि "सरकार ही जानकारी मांगेगी। संसद के शून्य काल में ही इस सम्बन्ध में कोई बात उठाई जा सकेगी और तभी मंत्री वह जानकारी मांग सकेंगे। आप लोगों और संसद के साथ यह किस तरह का मजाक कर रहे हैं? इस देश के लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चाहे वह कोई भी हो और किसी भी दल से संबंधित हों उन का ऐसे महत्वपूर्ण संचार माध्यम पर कोई नियन्त्रण ही नहीं है जिसके साथ दिन प्रतिदिन उन्होंने जुड़े रहना है। निर्वाचन आयोग, लोक लेखा समिति, और यहां तक की उच्चतम न्यायालय जैसी संवैधानिक संस्थाओं का उदाहरण दिया गया है जिनके अपने वैधानिक कार्य हैं। उनका आम जनता तथा सांसदों के साथ प्रतिदिन वास्ता पड़ता है। लेकिन यह मामला एक संचार माध्यम का है। मैं शुरू से ही अपने मित्र श्री उपेन्द्र को चेतावनी देता रहा हूँ कि वह ऐसा कार्य करने को सोच रहे हैं जिसके द्वारा वह राष्ट्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार के कार्य का अधित्याग करने की सोच रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संचार माध्यम है जिसे आपको लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आपके द्वारा एक बार अपने उत्तरदायित्व को छोड़ने के पश्चात् यह कहना कि जानकारी मांगने और उनकी वार्षिक रिपोर्टों को प्रस्तुत कराकर उन्हें सभा पटल पर रखने तथा उन पर चर्चा करने के अलावा आपका इस संस्था से कोई संबंध नहीं होगा; इस तरह की बात कह कर आप इस समूचे राष्ट्र में एक गंभीर स्थिति पैदा कर देंगे। यदि आप इस महत्वपूर्ण संचार माध्यम को खो देंगे... (व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : अब असलियत जाहिर हो गई है।

श्री वसंत साठे : ऐसा कुछ नहीं है। महोदय, मैं यह कहता रहा हूँ कि हमें इस संचार माध्यम का उपयोग करना चाहिए और संचार माध्यम का उपयोग करना चाहते हैं, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्य कर रहे लोगों को और अधिक स्वायत्तता दीजिए। मैं अपने व्यक्तिगत

अनुभव के आधार पर यह जानता हूं कि यदि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लोगों को स्वतंत्रता दी जाये, अधिकार दिये जायें तो वह बेहतर कार्य कर सकते हैं··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या आपने ऐसे प्रयोग किये थे ?

श्री बसंत साठे : जी हां, मैं नहीं जानता कि श्री इन्द्र जीत जी का क्या अनुभव रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। 'एशियाड' के समय लोग सारे विश्व में गये और जापान, संयुक्त राज्य अमरीका, और अन्य देशों से कहा कि वह आकर हमारे एशियाड' का फिल्मांकन और प्रसारण करें··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री बसंत साठे : उस समय दूरदर्शन में हमारे पास एक भी ओ. बी. वैन नहीं थी। ऐसे प्रयोजन के लिए हमारे पास छोटे ई. एन. जी. कैमरे भी नहीं थे। इस संबंध मे मैंने इंजीनियरों, प्रसारण से संबंधित लोगों से चर्चा की और उन्होंने कहा कि यदि उन्हें अवसर दिया जाये तो वह यह कार्य कर सकते हैं। उनकी ओर से मैंने सरकार से कहा था कि वह हमारे लोगों पर विश्वास करे, वह यह कार्य कर देंगे और महोदय, आखिर में क्या हुआ ? केवल चार ओ. बी. वैन, बीस ई. एन. जी. कैमरे और जर्मनी एवम् अन्य स्थानों, जहां से कैमरे और ओ. बी. वैन प्राप्त की गई थीं वह लिया गया प्रशिक्षण, इन सब के साथ आपको मालूम होगा कि उन्होंने कितना प्रशंसनीय कार्य किया था। जो कवरेज की गई, उसे विश्व भर में सराहा गया था। आपको हमारे लोगों द्वारा किए गये अच्छे कार्य को करने के लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और उनका आभारी होना चाहिए। यही नहीं, टेली क्लब, जनवाणी जैसे कार्यक्रम, जिसमें मंत्री भाग लेते थे, वह सब हमारे लोगों की मदद से शुरू हुए थे और उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया था। यदि आप उनके कार्यकरण में सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें और अधिकार दीजिए। मैं उनसे, जो कर्मचारियों और मजदूरों को ज्यादा शक्तियां देने की बात करते हैं, निवेदन करूंगा कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता तथा और अधिक अधिकार दीजिए। वो बहुत अच्छा काम करेंगे। यह इतिहास बन जाएगा। आज, सूचना इत्यादि प्राप्त करने का अधिकार, सरकार के नाम पर सिर्फ मंत्रियों ने ही हथियाया हुआ है। (व्यवधान) महोदय, वह अब क्या कर रहे हैं। इसका नवीनतम स्पष्ट उदाहरण है 'खुला मंच' सूचना प्राप्त करने के नाम पर धक्कमपेलबाजी का यह नवीनतम उदाहरण है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं उन्हें अभी रोक नहीं सकता। जब आपको बोलने का अवसर मिले तब आप अपनी बात कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : महोदय, मंत्री जी यहां है जिन्होंने इसे 'खुला मंच' कहा है और हमने सोचा कि यह पहले के कार्यक्रमों से कुछ अच्छा ही होगा। अभी सिर्फ दो ही मंत्री कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे, तभी मन्त्री जी को यह स्वीकार करना पड़ा। पहले कार्यक्रम में एक अभिनेता को किसान बना कर लाया गया।

श्री पी. उपेन्द्र : वह सही नहीं था। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : हिन्दुस्तान टाइम्स के लोगों ने इसका खण्डन किया। उन्होंने हिन्दुस्तान टाइम्स पर आरोप लगाने का प्रयास किया पर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री पी. उपेन्द्र : वह एक किसान है और अभी भी किसान है। यह रिकार्ड में गया है। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : आप भी पहले किसान थे (व्यवधान)

श्री एम. जे. अकबर (किशनगंज) : महोदय, चार करोड़ किसानों में वे सिर्फ एक अंश-कालिक-अभिनेता-श्री राम सिंह-को ही ढूंढ पाए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री अकबर, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जब वे बोल रहे हों तो बाधा मत डालिए।

श्री एम. जे. अकबर : महोदय, पिछले सप्ताह उन्होंने बार बार सभा में गलत सूचना दी है। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : महोदय, सिर्फ यही नहीं। अगले मन्त्री, श्री जार्ज फर्नान्डीज दूसरे कार्यक्रम में आए थे। महोदय, मुझे आशा है कि पहले जब श्री दुआ का कार्यक्रम होता था तो प्रश्नों के बारे में पहले से कोई सूचना नहीं दी जाती थी। आप श्री दुआ से पूछ सकते हैं। किन्तु यहाँ मंत्री महोदय को पहले से ही प्रश्न दे दिए गए कि कौन क्या प्रश्न पूछेगा। (व्यवधान) प्रश्न ले लिए जाते हैं और मंत्री महोदय के पास पहुँचा दिए जाते हैं। (व्यवधान) अगर वह स्वीकृत हो जाते हैं तो कार्यक्रम के संचालनकर्ता प्रश्नों को स्वीकृत कर देते हैं मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि जब वे प्रश्न पूछे गए तो क्या मंत्री महोदय उत्तर देने को तैयार थे क्योंकि प्रश्न रेलवे से संबंधित थे—आंदोलन के कारण रेलें रोक दी गई और यह समस्या उत्पन्न हुई। इन्हीं मंत्री महोदय ने इस मामले को संभाला था। अतः ऐसा नहीं था कि एक असंगत प्रश्न पूछा गया है और मंत्री महोदय का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश पाल (मेरठ) : मैं पूछना चाहता हूं कि प्रसार भारती बिल पर बोल रहे हैं या प्रजेण्ट सिचुएशन पर बोल रहे हैं ?

श्री बसंत साठे : यह खुला मंच किसका है, दूरदर्शन का है न।

[अनुवाद]

अंत में। अगर अधिकार और स्वायत्तता इस रूप में दी जाती है कि जो लोग नियुक्त किए जाते हैं, वे राज्यपाल और मन्त्री महोदय द्वारा चलाई जा रही सरकार, अगर वे वास्तव में कल भी उसी हद पर रहते हैं, अगर आज 'खुला मंच' के साथ यह हो रहा है तो सिर्फ भगवान ही जानता

है कि ऐसे लोगों के पास शक्ति रही तो कल क्या होगा क्योंकि तब संसद की इच्छा मानी जाएगी। आज हम कुछ तो कह सकते हैं। कल मंत्री जी कहेंगे, यह एक स्वतंत्र निगम है, स्वायत्त निगम, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। अगर मैं नहीं जानता, मैं उनसे सूचना देने के लिए कहूंगा जिसे मैं वर्ष के अन्त में वार्षिक रिपोर्ट में संसद के सामने रखूंगा और आप इस पर चर्चा करेंगे। तब वे किस की बात कर रहे हैं ? इसलिए, महोदय, बोर्ड की इस तरह की प्रकृति का यह विचार ही स्वायत्तता के विचार से भिन्न है। (व्यवधान) मैं यही कह रहा हूं।

[हिन्दी]

अगर तुममें हिम्मत है तो आटोनामी दो, जितने मजदूरों पर बोलते हैं, मजदूरों को दो, पी ए. आई. आर. के कर्मचारियों को, 38 हजार लोगों को आटोनामी दो, और तुममें हिम्मत नहीं है तो चुप बैठो।

[अनुवाद]

महोदय, अगला प्रश्न दूसरे किस्म के बोर्ड के बारे में है—प्रसारण परिषद। (व्यवधान) यह भी ऐसे लोगों का एक निकाय है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इस 'ग्यारह' की संख्या को नहीं समझ पा रहा—शायद किसी ज्योतिषी ने कहा हो कि यह एक भाग्यशाली संख्या है। (व्यवधान) और ये बेचारे ग्यारह बुद्धिमान सदस्य उनका काम क्या है ? वे शिकायत सुनेंगे और उसके बाद, मैंने अभी ये भाग पढ़े हैं और मेरे मित्र मानेंगे कि यह सरासर धोखा है मेरा तात्पर्य यह है कि वे निगरानी के लिये। नियंत्रण के लिए एक प्रसारण परिषद बना रहे हैं। फिर लोगों से शिकायतें आती हैं, संसद सदस्य भी शिकायत कर सकते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र आदि में कुछ गलत काम किया जा रहा है। वे इन सब की शिकायतें सुनेंगे और अगर वे पाते हैं कि अन्य माननीय संसद सदस्य द्वारा की गई शिकायत उचित है तो, महोदय, वे क्या करेंगे ? इस विधेयक के खण्ड 14 में वे कहते हैं।

(1) "प्रसारण परिषद निम्नलिखित से परिवाद ग्रहण करेगी और उन पर विचार करेगी अर्थात् :—

(1) "कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो यह अभिकथित करता है कि कोई कार्यक्रम या प्रसारण या निगम का कार्यक्रम किन्हीं विनिर्दिष्ट मामलों में या साधारण तौर पर उन उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है जिनके लिए निगम स्थापित किया गया है।"

फिर, महोदय, क्या होता है ? उप-अनुच्छेद (4) में कहा गया है :

"अगर परिवाद पूर्णत: या भागत: न्यायोचित पाया जाता है तो प्रसारण परिषद कार्यपालक सदस्य को समुचित कार्रवाई करने के लिए सलाह देगी।"

ऐसा लगता है जैसे एक प्रमुख व्यक्ति की अध्यक्षता में प्रसारण परिषद कार्यपालक राज्यपाल को इस प्रकार सलाह देगी

[हिन्दी]

गवर्नर साहब को सलाह है, यह कम्पलेन्ट आई है, जरा देखिए।

[अनुवाद]

और सिर्फ यहीं नहीं। यह यहीं खत्म नहीं होता। इसमें कहा गया है।

"(5) यदि कार्यपालक शासक प्रसारण परिषद की सिफारिश स्वीकार करने में असमर्थ है, तो वह ऐसी सिफारिश को बोर्ड के समक्ष उस पर उसके विनिश्चय के लिए रखेगी।"

और फिर महोदय, उप-अनुच्छेद (6) में तो हद ही हो गई जिसमें कहा कहा गया है :

"यदि शासक बोर्ड भी प्रसारण परिषद की सिफारिश को स्वीकार करने में असमर्थ है, तो वह उसके लिए अपने कारण अभिलिखित करेगा और तदनुसार प्रसारण परिषद को सूचित करेगा।"

[हिन्दी]

यानी क्या मजाक है भई।

4.00 म. प.

[अनुवाद]

सूचना प्राप्त करने के इस चरन के बाद यह पाते हैं कि कुछ अन्याय किया गया है, तो कल्पना कीजिए कि यहाँ उपस्थित सभी संसद सदस्य, अगर वे शिकायत करते हैं या उनके निर्वाचन क्षेत्र से शिकायत आती है तो सिर्फ यही होगा कि प्रसारण परिषद से एक सिफारिश आएगी जिसके लिए हम कार्यपालक राज्यपाल को इतना कुछ देने जा रहे हैं। राज्यपाल एक लार्ड हैं और वे कहेंगे कि वह सिफारिश को नहीं मानते और इसे बोर्ड के सामने रखने के लिए कहेंगे। बोर्ड कहेगा कि वे इसे नहीं मानते और इस बारे में आपको सूचित करेंगे। फिर, वर्ष के अंत में, वह संसद के सामने रखा जाएगा ताकि आप भी असहाय होकर—क्योंकि इससे अधिक आप कुछ नहीं कर सकते—ज्यादा से ज्यादा इस आशय का एक प्रस्ताव पारित कर देंगे कि हम इन सभी चीजों से सहमत नहीं है। क्या यह एक तमाशा नहीं है ?

सभापति महोदय : आप और कितना समय चाहते हैं ?

श्री वसंत साठे : महोदय, कल मैं कुछ समय और चाहूंगा।

सभापति महोदय : कल आप अपना वक्तव्य जारी रखेंगे।

———

4.02 म. प.

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर अत्याचार

सभापति महोदय : अब, सदन में नियम 193, के अधीन 'देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर अत्याचार' विषय पर चर्चा होगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा चाहती हूं क्योंकि एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई है। लिफ्ट में भूतल पर मेरे सारे दस्तावेज फंसे हुए हैं।

सभापति महोदय : यह भी एक अत्याचार है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : खैर, मैं अब आरम्भ करूंगी और अपने दस्तावेज बाद में ले लूंगी।

मैं 'देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार' पर बड़े दुःख और शर्म के साथ प्रस्ताव पेश करती हूं। मैं सदन में सबसे अपील करती हूं कि वे इस पीड़ा में, बिना किसी दलगत भावना के, सच्चे दिल से मेरा साथ दें, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां समाज की अन्तरात्मा को जगाने के लिए समन्वित और सुदृढ़ प्रयत्नों की आवश्यकता है।

जाति गत और साम्प्रदायिक दंगों में सबसे अधिक प्रभावित महिलायें होती हैं। यहां भी, कई दिनों से ऐसा चल रहा है। मुझे उम्मीद है आपने स्वयं भी सुना है, सारे सदन ने सुना है और इस पीड़ा में भागीदार रहे हैं वे आर्थिक क्षेत्र में भी वंचित रहती हैं। आर्थिक क्षेत्र में अधिकतर महिलाओं को असमानता का सामना करना पड़ता है। उनमें से अधिकतर महिलाओं को सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत परिवारों में बहुत अधिक दबाया जाता है। देश के विभिन्न भागों में महिलाओं के सामूहिक बलात्कार, हिरासत में बलात्कार और व्यक्तिगत रूप से किए गए बलात्कार और छेड़खानी की चिंताजनक रूप से बढ़ रही है घटनाएं इस बात की द्योतक हैं। बढ़ती हुई दहेज हत्याओं में परिलक्षित उपभोक्तावाद की मूल्यविहीन संस्कृति से सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को होता है। परिवार में लड़की होने के कारण उनकी उपेक्षा की जाती है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। यदि उन्हें क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई अवसर आर्थिक गांव में या शहर में, कृषि मजदूर के रूप में या अन्य नौकरी में अगर उन्हें मिलता है, तो वहां भी उनके अधिकारियों द्वारा उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है। मैं यह नहीं कहती कि सभी अधिकारियों द्वारा ऐसा किया जाता है, किन्तु अधिकतर ऐसा होता है। अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों में, आर्थिक, सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वतन्त्रता के बाद कुछ विशेष वर्गों की महिलाओं द्वारा प्रगति किए जाने के बावजूद, अभी भी उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। बड़े दुख की बात है कि देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर अत्याचार खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं और उनमें निरंतर वृद्धि हो रही है। यही वह कठोर सत्य है जिसका हम उतनी ही सम्पूर्णता की भावना और निश्चय के साथ मुकाबला करना है। मेरे विचार में, यह इस सभा का कर्तव्य है कि वह इसके कारणों की जांच करे और उनका निदान करने का प्रयत्न करे।

मुझे व्यक्तिगत घटनाओं के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर सुबह जब आप अखबार के पन्ने पलटते हैं तो एक न एक अथवा उससे अधिक अत्याचारों के मामलों की रिपोर्ट होती है जो सारे देश के लिए लज्जा जनक है और अगर यह भी ध्यान में रखा जाए कि पूरे मामले की जानकारी रिपोर्ट में नहीं दी जाती है, तो उस पहलू की गम्भीरता के बारे में कल्पना की जा सकती है।

केवल याद कराने के लिए कुछ स्थानों के सभी के नाम नहीं—नाम याद करना पर्याप्त

होगा जहां हाल ही में सामूहिक बलात्कार, और अन्य प्रकार के अत्याचारों के रूप में अमानवीय अत्याचार किए गए हैं। वे स्थान हैं—त्रिपुरा का उजान मैदान, मध्य प्रदेश का भिण्ड, फतेहपुर और आगरा के समीप का एक स्थान जिसके बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारा पर चर्चा के दौरान काफी बहस हुई थी), उत्तर-प्रदेश का गजरोला, बिहार के परारिया-चोटिया और कश्मीर के कई स्थान। इनमें दिल्ली जो देश की राजधानी है, के भी कई असंख्य स्थान सम्मिलित है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि मेरे राज्य के बंटोला और विराति नामक स्थानों पर भी विभिन्न प्रकार के अत्याचार हुए हैं—जो बहुत सभ्य एवं सुसंस्कृत राज्य है—जिसका अपना गौरव है, मुझे उम्मीद है कि हम पुनः इस महत्व को स्थापित कर लेंगे, वहां पर कई प्रकार के निंदनीय अत्याचार हुए है।

अब, मैं चाहती हूं कि विशेष रूप से साठे जी इसे ध्यान से सुनें—मैं विद्वेष की भावना से ऐसा नही कह रही हूं। किन्तु यह कहते हुए बेहद दुःख और खेद है कि 16 "अगस्त के एक प्रश्न के जवाब के अनुसार, महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य में बलात्कार के सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं और एक महीने में 68 मामले का औसत के अनुसार 1990 के पांच महीनों में इस प्रकार के मामलों की संख्या 340 है। आंध्र प्रदेश में दो महीनों में यह संख्या 114 है तथा हर महीने 52 की औसत है। पश्चिम पूर्वी बंगाल मे हर महीने 36 की औसत के अनुसार दो महीनो मे यह संख्या 72 है।

श्रीमती जे. जमुना (राजामुन्द्री) : ये आंकड़े सही नहीं हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह जवाब केन्द्रीय सरकार द्वारा इस टिप्पण के साथ दिया गया है कि ये आंकड़ें राज्य सरकार ने दिए हैं।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आंकड़ों के बारे में उ. न. उपलब्ध नहीं है, यह बताया गया है।

कौन नहीं जानता कि यही वे राज्य हैं जो पिछले तीन वर्षों में सूची में सबसे ऊपर रहे हैं ?

इसलिए, 'उपलब्ध नहीं' कहने से ही पता चल जाता है कि इस बारे में स्थिति क्या है

यहां तक कि आंकड़े संकलित नहीं किए गए। अधिकारियों द्वारा महिलाओं पर हुए यौन सम्बन्धी अत्याचार के मामलों में सबसे अधिक दहलाने वाला मामला, जो पिछले दो दिनों में प्रेस में प्रकाशित हुआ था, वह था जिसमे एक बहुत बड़े रेल अधिकारी, स्थानीय अभिभावक द्वारा अपने सहयोगी और मित्र की लड़की के साथ बलात्कार किया गया। से इस प्रकार, ऐसे मामलों के बारे में व्याप्त स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

जैसा कि मैंने कहा, यह इस तरह की अकेली घटना नहीं है। नोकरियों में यौन सम्बन्धी दुर्व्यवहार की कई घटनाए होती रहती है। वास्तव में, मेरे पास उन लोगों की सूची नहीं है जो मेरे पास आकर मुझे इन मामलों के बारे में बताएं। इन्हें कुछ स्पष्ट कारणों से कारण छापा नहीं जाता। किन्तु, मेरा विश्वास करें यह काफी व्यापक है।

एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब देश के विभिन्न भागों में दहेज-हत्याओं संबंधी रिपोर्टें

न आई हों वहां भी. मुझे दुख है कि आज प्रश्न काल में यह जवाब दिया गया है इस दिशा में महाराष्ट्र सूची में सबसे ऊपर है। पिछले साल छः महीनों में दर्ज हुए 180 मामलों की तुलना में जनवरी से मई, 1990 तक 366 मामले दर्ज हुए हैं।

उत्तर प्रदेश में, पिछले वर्ष 605 मामले दर्ज किए गए हैं। किन्तु इस वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : यह बहुत अधिक है। पश्चिम बंगाल के बारे में क्या है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : इसका राजनीतिकरण मत करें। पश्चिम बंगाल के बारे में मैं स्वयं सभी आंकड़े उद्धृत कर रही हूं।

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापट्टनम) : आप आंकड़े देना पश्चिम बंगाल से शुरू क्यों नहीं करती ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्योंकि उत्तर आंध्र प्रदेश से आरम्भ होता है, और अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अक्षर 'ए' है, यह मेरी गलती नहीं है। आंध्र प्रदेश में पिछले छः महीनों में 191 मामले दर्ज किए गए हैं। इस वर्ष पिछले दो महीनों में इनकी संख्या 41 है, इसकी औसत 32 से 41 तक बढ़ गई है।

कर्नाटक में, दर्ज किए मामलों की संख्या कुछ अधिक है, यह संख्या छः महीनों में 86 है।

श्री संतोष मोहन देव : अब इस वर्णमाला के अनुसार पश्चिम बंगाल का नम्बर कब आएगा ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह भी 'डब्लू' से शुरू होता है क्योंकि सरकारी नाम बंगाल नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल है। मेरे साथी श्री सन्तोष मोहन देव पश्चिम बंगाल के आंकड़े सुनने के लिए बड़े उत्सुक हैं, एक महीने में 31½ के औसत से 1989 के छः महीनों में 189 मामले हुए हैं। प्रतिमाह 33 मामलों के औसत से इस वर्ष फरवरी तक इन मामलों की संख्या 66 है। लेकिन फिर भी मुझे इस बात से शर्म महसूस होती है कि मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में 33 मामले दर्ज हुए हैं। मैं जानती हूं कि अनेक अन्य भी ....

संयोगवश बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के, जहां ऐसे मामलों की संख्या हजारों में बताई जाती है, आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगी। सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों को अवसर मिलेगा। मेरे विचार से यदि हम चर्चा के स्तर को ऊंचा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यह विषय ऐसा है जिससे सभा का प्रत्येक व्यक्ति परेशान हो रहा है। इसलिए मेरे विचार से सभी सदस्यों को, चाहे वे कांग्रेस के हों अथवा अन्य किसी दल के प्रत्येक व्यक्ति की बात को, जो इसके बारे में विचार प्रस्तुत करेगा, धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने शुरूआत में ही यही अपील की थी। मुझे आशा है कि यही भावना कायम रहेगी। मैं पुनः अपनी बात शुरू करना चाहती हूं।

परिवारों में हुए अत्याचार भी सताम में हुए अत्याचार से कम नहीं होते हैं। राजस्थान में एक पिता ने अपनी चार तरुण पुत्रियों की हत्या के लिए एक तांत्रिक को भाड़े पर बुलाया था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। यह समाचार हृदय विदारक है। वह एक लड़की का सिर काटने और अन्य तीन को इतने गम्भीर रूप से घायल करने में सफल रहा कि वे जीवन भर मौत से लड़ती रहे।

21 वीं शदी में विगत वर्ष राजस्थान में दिवराला में रूप कुंवर द्वारा सती होने की घटना से भय और उत्तेजना के बावजूद प्रत्येक वर्ष सती मेला मनाया जा रहा है तथा इस तथ्य के बावजूद कि बहुत अधिक हल्ला के बाद सती मेला के महिलामण्डन पर रोक लगा दी गयी है, इस वर्ष झुनझुनु में शानदार ढंग से सती मेला आतोजित किया गया। बहुत बड़े परिवारों ने चंदा दिया है। मैं आपको यह तथ्य बताना चाहती हूँ।

प्रश्न यह है कि सूचीबद्ध मामले बहुत अधिक हो सकते हैं। इसलिये मैं केवल सूचीबद्ध मामलों का ही विस्तार से उल्लेख नहीं करना चाहती हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इसके मुख्य कारण क्या हैं और इस स्थिति से किस प्रकार निपटा जाए ? मैं इसके मुख्य कारण बताना चाहती हूं। मेर विचार से मुख्य कारण निम्नलिखित हैं (क) पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को समान दर्जा प्राप्त नहीं है, (ख) हमारे समाज के शोषणात्मक ढांचे में महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक और चिकित्सा संबंधी न्याय नहीं दिया गया है; (ग) नयी उपभोक्ता और अश्लील संस्कृति का प्रचलन और हमारे समाज पर तेजी से छा जाना, (घ) राजनैतिक और सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में बढ़ता हुआ अपराधीकरण (ङ) धार्मिक भावना के नाम पर नव कट्टर पंथियों द्वारा हमला जो सभी धर्मों की वास्तविक मानवीय धारणा से परे है (च) जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक मूल्यों का अत्यधिक ह्रास मेरे विचार से ये मुख्य कारण हैं। मेरे विचार से सभी गम्भीर विचारक इस विचार से सहमत होंगे। इसलिये महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए सभ्य लोगों को इन क्षेत्रों मे राजनैतिक क्षेत्र में अपने मतभेदों को नजरअन्दाज करते हुए एक जुट होकर कार्य करना चाहिए।

हमें क्या करना चाहिए ? जागरूक महिलाओं को अत्याचार को घटना का पता लगते ही पीड़ित महिलाओं को यथासम्भव न्याय दिलाने के लिये लोकतान्त्रिक विचार वाले लोगों के सहयोग से अपराधी को पकड़वाने के लिये तुरन्त कार्य करना चाहिए।

जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हमें विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को महिलाओं को न्याय दिलाने के लिये कानून और व्यवस्था तंत्र को कारगर बनाने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिये।

इसके अतिरिक्त जनता के प्रतिनिधियों के रूप में हमें, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक शैक्षणिक, संस्कृति और चिकित्सा के क्षेत्रों में महिलाओं को समान दर्जा दिलाने में यथासम्भव सहायता देनी चाहिये इसके लिए आयोजना तथा उसका कार्यान्वयन गम्भीरता से किया जाना चाहिए।

ये कुछ बातें हैं। जनता के प्रतिनिधियों, सभी राजनैतिक और सामाजिक ताकतों को यह

आचार संहिता बनाने के लिए सहमत होना चाहिए कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की घटनाओं का तुच्छ राजनैतिक लाभ के लिये प्रयोग नहीं किया जाएगा।

इससे पहले मैं कुछ पिछली बातें कहना चाहती हूं क्योंकि दो प्रकार के अत्याचार जो अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, इस सारी जानकारी में छूट गये हैं। पुलिस द्वारा, यहां तक कि पुलिस हिरासत में भी बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। 1983 के हमारे भरसक प्रयासों के जिनके बाव-जूद ऐसा हो रहा है। जिनके द्वारा हमें अपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रसंगिक धाराओं में परिवर्तन करने की सफलता मिली थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस हिरासत में बलात्कार करने वालों को दंड दिया जा सके। मुझे यह कहते हुये दुख है कि अभी जो स्थिति व्याप्त है उससे ये कानून भी निष्फल हो रहे हैं।

दूसरे प्रकार के जघन्य अत्याचार समाज विरोधी तत्वों द्वारा किये जाते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से यह बताना चाहती हूं कि उन्हें अक्सर राजनैतिकों द्वारा चाहे वे सरकार में हो अथवा सरकार से बाहर, संरक्षण प्रदान किया जाता है। हाल ही में कुमारी ममता बनर्जी के मामले की व्यापक रूप से चर्चा हुई है। हम सबने अर्थात मैंने मेरी बहनों और भाइयों ने इस मामले की निंदा की है। परन्तु मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि यह बात समाचार पत्रों में व्यापक रूप से छपी है और स्वभाविक रूप से यह निंदनीय भी है। परन्तु यह इस तरह की अकेली घटना नहीं है। हाल ही में जाती दंगों अथवा साम्प्रदायिक दंगों के दौरान समाज विरोधी तत्वों द्वारा अत्याचार किए गये हैं, ऐसे अनेक मामलों में उन्हें राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होता है।

इसलिए मैं पिछली बात पर पुनः आना चाहती हूं। हम जनता के प्रतिनिधियो तथा सभी स्वच्छ राजनैतिक और सामाजिक ताकतों को इस बात पर सहमत होना चाहिये कि विपक्ष तथा शक्तियां प्राप्त लोग महिलाओं पर अत्याचार करने वाले समाज विरोधी तत्वों को शरण नहीं देंगे।

संचार माध्यम तथा इलैक्ट्रोनिक संचार माध्यमों को अशिष्ट संस्कृति का, जिससे हिंसा और अश्लीलता के कार्यों को बढ़ावा मिलता है, प्रचार नहीं करना चाहिए।

अन्त में, परन्तु यह कम महत्वपूर्ण नहीं है, जनता के प्रतिनिधियों को तुच्छ राजनैतिक या अन्य बातों से ऊपर उठना चाहिए और सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिये महिलाओं और पुरुषों को एक जुट होकर कार्य करना चाहिए इससे महिलाओं को समान दर्जा और गौरव प्राप्त हो सकता है।

अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने आपसे पूछें। प्रत्येक पुरुष अथवा महिला को इन प्रश्नों का जवाब ढूंढना है। यदि जवाब सकारात्मक है तो हम महिलाओं के अत्याचारों को समाप्त कर सकते हैं और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इन्हें काफी हद तक कम कर सकते हैं। मुझे आशा है कि अन्तरात्मा से प्रस्तावित होने वाले जवाब सकारात्मक होंगे और इसे ही चर्चा का निष्कर्ष समझा जाए।

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापट्टनम) : सभापति महोदय, मेरा मन आज देश की उन बहनों के प्रति अत्यन्त दुःख तथा पश्चाताप से भरा हुआ है तथा अत्यन्त दुःखी हृदय से मैं उन बहिनों के लिये कुछ कहने के लिए खड़ी हुई हूं जो प्रतिदिन अत्याचारों का शिकार होती हैं। यहां

तक कि अभी मैं कह रही हूं, कई स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। जैसा कि श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा है, मैं नहीं समझती कि यह समय इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देने का है। परन्तु, भारत की सभी महिलाएं तथा यहां पर संसद में कुछ महिला प्रतिनिधि एक साथ आगे क्यों नहीं आती तथा इन अत्याचारों की निंदा क्यों नहीं करती ?

जो बहनें इस समय इस स्थिति में रह रही हैं, तो जहां एक ओर मेरे मन में उनके प्रति अत्यन्त पश्चाताप तथा दया की भावना है वहीं, दूसरी ओर मुझे उस सरकार के प्रति अत्यधिक रोष है, चाहे वह कोई भी सरकार हो, जो कि प्रत्येक बलात्कार, दहेज सती तथा बाल विवाह के मामले जो हमारे देश में किए जा रहे हैं, उन सबको एक मूक दर्शक के रूप में देख रही है . मैं यह कहना चाहती हूं कि आज सत्तापक्ष के लोगों की सामन्तवादी विचारधारा है। जबकि झुनझुनू में काफी गड़बड़ी व्याप्त थी, जब सती देवी की प्रशंसा की जा रही थी तथा जब सती देवी की अराधना की जा रही थी, उस समय राजस्थान सरकार इन सब दृश्यों को केवल एक मूक दर्शक की भांति क्यों देखती रहीं ? जब सती प्रकरण को काफी बढ़ा-चढ़ाकर उसकी प्रशंसा की जा रही थी, उस समय, इस देश के सभी रूढ़िवादी लोग क्यों मूक रहे थे ? मैं यही पूछना चाहूंगी। यह बात कहना कि सती होना एक अत्यधिक जघन्य तथा क्रूर अपराध है तथा जिसे आज धार्मिक मंजूरी दी गई है यह कहने में सभी महिलाएं मेरी सभी बहनें तथा इस सदन की प्रत्येक महिला सदस्य मेरा साथ क्यों नहीं देती ? किसने इसकी मंजूरी दी है ? उन लोगों ने जिन्होंने यह कानून बनाया है तथा जो भारत के ही हैं। मैं महिलाओं की ओर से आवाज उठाने वालों के रूप में नहीं बनना चाहती। मेरी मांग है कि पुरुष तथा महिला में समानता बरती जाये तथा आज की महिलाओं को समान अवसर दिये जाएं। आज महिला ऐसी स्थिति में क्यों है ? केवल इसीलिये क्योंकि वह आर्थिक रूप से राजनैतिक रूप से तथा सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। महिलाओं के साथ हमेशा से ही बलात्कार किया जाता रहा है चाहे वह गजरौला हो, जहां पर 'नन्स' के साथ बलात्कार किया गया, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, चाहे वह 24 परगना क्षेत्र हो जहां पर बलात्कार हुआ तथा जो हमारे देश की राज्य सरकारों में सर्वाधिक सभ्य-सुसंस्कृत राज्य सरकार मानी जाती है अथवा वह फतेहपुर हो जो हमारे अपने प्रधानमन्त्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। हर रोज समाचारपत्रों में इस सम्बन्ध में सुर्खियों में छपा हुआ होता है परन्तु सरकार कोई ध्यान नहीं देती तथा यहां तक कि सरकार हमारी बहनों के साथ बातचीत तक नहीं करती। रेल-गाड़ियों में बलात्कार किए जाते हैं। अभी हाल ही में, एक माननीय सदस्य हमें बता रहे थे कि दादर एक्सप्रेस में बलात्कार किया गया। रेलवे अधिकारीगण क्यों नहीं कहते कि ठीक है, एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए जहां पर इस प्रकार की शिकायतें दर्ज की जा सकें। क्या आप यह जानते हैं ? आप उच्चतम न्यायालय में, यह एक शर्मनाक बात है कि एक मामले में एक महिला जिसके साथ बलात्कार किया गया था, उसके बलात्कारी को केवल दस वर्ष का ही कारावास दिया गया था।

जब रक्षा पक्ष ने कहा कि यह महिला संदिग्ध चरित्र की थी, तब तुरन्त ही इस कारावास की अवधि को घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया। महोदय, इस बात का निर्णय कौन करता है कि महिला संदिग्ध चरित्र की है ? एक पुरुष के लिये यह कहना अत्यन्त सुविधाजनक तथा आसान है। जब कोई महिला अपने जीवन में प्रगति करती है तब उसने यह प्रगति अपनी योग्यता तथा अपनी कार्यक्षमता के बल पर हासिल नहीं की है बल्कि उसने यह प्रगति की है क्योंकि उसने 'किया' है।

आप सभी जानते है कि मैं किस बात का उल्लेख कर रही हूं। मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहती। परन्तु, जब कोई पुरुष प्रगति करता है तो इसका तात्पर्य है वह योग्य है, सक्षम है। ऐसी बात नहीं है।

आज, इस सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग लाया गया है। मैं चाहती हूं कि चर्चा के दौरान श्री उपेन्द्र यहां पर उपस्थित होते। राष्ट्रीय महिला आयोग पर चर्चा हुई थी। मैंने श्री श्रीमती प्रमिला दण्डवते तथा संभवतः श्रीमती जया चेतली के साथ उस चर्चा में भाग लिया था। उस चर्चा में मैंने कहा था कि उस आयोग में स्वतंत्र रूप से सोच विचार कर काम करने वाले व्यक्ति होने चाहिए, जो दलगत भावना से हटकर यह कह सकें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था कि "आपकी सरकार में ऐसे व्यक्ति क्यों हैं, जो सती का समर्थन करते हैं?" आपकी पार्टी में ऐसे व्यक्ति क्यों है जो इस बात का समर्थन करते हैं कि महिलाओं को उनके विवाह के पश्चात पैतृक सम्पत्ति नहीं दी जानी चाहिए? आपकी सरकार में ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो दूरदर्शन पर सती का समर्थन करना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? यह सब बातें जो उपेन्द्र द्वारा 'सेंसर' कर दी गई थी, उसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि भारत में महिलाओं की आवाज को छः सर्वदा दबाया गया है। उनकी आवाज नहीं सुनी जानी चाहिए। पुरुष जो भी निर्णय दे दे, उसे उसी को ही मानना है। इस मामले में हमारे माननीय मंत्री श्री उपेन्द्र जी ही थे, जिन्होंने इन सभी बातों का निर्णय किया।

इस समय, यदि मैं यह गणना करना शुरू कर दूं कि पिछले कुछ महीनों में कितने बलात्कार हुए हैं, तो सूची का कोई अन्त नहीं होगा तथा इसे सुनने में हां हमें काफी अधिक समय लग जाएगा। परन्तु, मैं यह कहना चाहूंगी कि अब यह सरकार साम्प्रदायिक आधार पर इस देश का विभाजन कर रही है। इस मामले में धर्म को लाने की क्या आवश्यकता है तथा यह कहने की भी कि सती होना एक महान कार्य है। उन दिनों राजा राममोहन राय ने कहा था कि सती एक अक्षम्य अपराध है। उन दिनों अंग्रेजों ने हमें मार्ग दिखाया था। उन्होंने कहा था कि सती एक अक्षम्य अपराध है। यह सरकार सती के खिलाफ खुलेआम क्यों नहीं कुछ कहती? ठाकुरों तथा क्षत्रियों का यह रिवाज है तथा उन्होंने निर्णय किया है कि सती एक गरिमामय विषय है। परन्तु यह एक गरिमामय विषय नहीं है। कांग्रेस ने सती का कभी समर्थन नहीं किया। मैं यही कहना चाहती हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शान्त रहिए।

(व्यवधान)

श्रीमती उमा गजपति राजू : महोदय, मैंने अपने वक्तव्य के आरम्भ में ही कहा था कि इस विषय पर हमें अपनी दलगत सीमाओं को पार करना है। क्यों? क्योंकि हमें पुरुषों के प्रभुता रखने वाले विचारों में परिवर्तन करना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्रीमती उमा गजपति राजू : यदि यहां संसद के जिम्मेवार माननीय सदस्य पुरुष की प्रभुता वाले विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तथा यदि वे नहीं चाहते कि इस देश की महिलाएं कुछ कहें, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि हमें न्याय कहां से मिलेगा। (व्यवधान)

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं केवल एक बात कहना चाहूंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग इस सरकार ने बनाया है। मैं इस सरकार को राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने के लिए बधाई देती हूं। परन्तु पूरे भारत को उससे काफी उम्मीदें हैं। उनका सोचना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग सभी बुराईयों के लिये रामबाण साबित होगा। यह अच्छा होगा यदि राष्ट्रीय आयोग के अन्तर्गत एक विशेष अदालत का गठन किया जाये जो सारा काम स्वयं देखे तथा यह भी ध्यान दे कि इस प्रकार के मामलों पर तुरन्त कार्रवाई की जाये। ऐसे कई मामले हैं। पुरुष नियोक्ताओं द्वारा पीड़ित मेरे निर्वाचन क्षेत्र की महिलाओं के बारे में मुझे हर रोज सैंकड़ो याचिकाएं मिलती हैं मैं यहां पर कोई एक मामला नहीं रखना चाहती लेकिन मैं समझती हूं कि यही समय है जब हम सबको राजनैतिक इच्छा और निश्चय के साथ यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। श्री राजीव गांधी ने कहा था कि भारत की महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। मैं चाहती हूं कि सरकार तो एक निरन्तर प्रक्रिया है अतः आज सत्तासीन सरकार श्री राजीव गांधी के इस वचन को पालन करे। यह एक पार्टी या अन्य पार्टी की प्रक्रिया नहीं है। यह तो जारी रहने वाली प्रक्रिया है और विगत सरकार द्वारा किए गए वादे इस सरकार को पूरे करने चाहिए। मैं इस सरकार से यही अपील करती हूं कि देश की महिलाओं के साथ न्याय किया जाए।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : सभापति महोदय, देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के संबंध में मेरे से पूर्ववक्ता ने और इस सदन की माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी ने जो कुछ कहा मैं उनमें जाना नहीं चाहता हूं। एक प्वाइंट कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

वर्तमान समय में देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण कमजोर राजनीति इच्छा शक्ति और महिलाओं की निरक्षरता। इन दो चीजों का योगदान इसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी कर रहा है। स्त्री दशा में सुधार करने के लिए कानून तो हमने बहुत से बना रखे हैं, अतः नये कानूनों को बनाने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत इस बात की है कि उन कानूनों को सख्ती के साथ लागू किया जाये महिलायें जन्म से लेकर पत्नी बनने तक कठिनाईयों का सामना करती रहती हैं। स्त्रियों की समानता का शोर मचाने वाले किसी भी राजनीतिक दल और स्वयं सेवी संस्था ने आज तक इस मुद्दे पर कोई बड़ा आन्दोलन चलाने का काम नहीं किया है। स्त्रियों को इस स्थिति में लाने के लिए समाज, पुलिस, न्याय व्यवस्था, महिला वर्ग और राजनीतिक सभी कहीं न कहीं जिम्मेवार हैं।

आज स्त्री एवं बाल कल्याण अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, दहेज उन्मूलन अधिनियम आदि बहुत से कानून बने हुए हैं। यदि इन अधिनियमों को मजबूती से लागू कर दिया जाये तो उन पर अत्याचार रुक सकते हैं। आज भी बहुत से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स और सरकारी महकमे हैं जहां वे महिलाओं को भर्ती नहीं करना चाहते हैं। इनको भर्ती न करने का कारण यह है कि उनको

बहुत सी सुविधायें देनी पड़ती हैं । इसकी वजह से आज वहां महिला कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है ।

मैं एक बार फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिये और कानून बनाने की जरूरत नहीं है । इसके बजाय मौजूदा कानूनों को ही ढंग से लागू करके और सामाजिक मानसिकता को बदल कर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सकता है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्रीमती विजया राजे सिंधिया (गुना) : सभापति महोदय, अभी-अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने आज जो स्त्रियों की, एक नारी की समाज में हालत है, उसके बारे में बड़े ही मार्मिक ढंग से सब बात पेश की है । मैं गीता जी से सहमत हूं कि आज हालात, वास्तव में दर्दनाक भयानक और असभ्य हैं। बर्बरतापूर्ण और घृणित तथा शर्मिन्दा करने वाले हैं, ऐसी घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं । उसके निराकरण के लिए हमें बहुत गम्भीरता से सोचना होगा ।

वैसे तो नारी के ऊपर अत्याचार पौराणिक काल की कथाओं में भी आते हैं । जैसे कि अभी-अभी महाभारत सीरियल चला था, आपको मालूम ही है कि किस प्रकार द्रोपदी, जो कि एक ऊंचे घराने की होते हुए, राजमहिषी होते हुए भी, किस प्रकार उनको भरी सभा में खींचकर लाया गया और नग्न करने का एक घृणित, शर्मनाक प्रयास किया गया और किनके सम्मुख, जिनको हम कहते हैं धर्म धुरन्धर महात्मा, धर्मात्मा, भीष्म पितामह जैसे व्यक्तित्व के सामने, धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर के सामने, धर्म के नाम पर इस प्रकार से नारी के ऊपर अत्याचार बराबर होते आ रहे हैं । परन्तु एक फर्क है कि उस वक्त एक नारी के ऊपर, द्रोपदी के ऊपर जो अत्याचार हुआ, उसका हल यह रहा कि अन्त में एक महायुद्ध होता है और उस महायुद्ध में, जितने भी अपराधी थे, उनका कुल सहित नाश हुआ और जो अपराधी नहीं भी थे, उनका भी कुल सहित पूरा सर्वनाश होता है और एक राज बदलता है तो यह उस वक्त के लिए बड़ा ही शुभ लक्षण था कि ऐसे लोगों के विरुद्ध उस वक्त पूरा राष्ट्र ही खड़ा हो गया, और उस लड़ाई में कई राजा लोग, कई सैनिक लोग हजारों लाखों की संख्या में मारे गये । आज हमें दुख इस बात का होता है कि आज यह घटनाएं चारों ओर आमतौर पर घटती जा रही हैं और हम अखबारों में पढ़ लेते हैं और उसको पास करके हम कूड़े करकट की बास्केट में फेंक देते हैं और बात वहीं खत्म हो जाती है । इसका क्या कारण है ? अभी गीता जी ने ठीक ही कहा कि हम इस पर विचार करना होगा कि इसका निराकरण क्या है, पहली बात तो कारण क्या है, इस पर सोचें ।

घटनाएं तो सभी स्टेट्स में हो रही हैं, किसी में कम, किसी में ज्यादा । गीता जी ने सब को एक-एक करके सामने रखा है । मैं इस बात को साफ कर देना चाहती हूं, क्योंकि, मुझे साम्प्रदायिक कहा जाता है, नारी के ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार हुए हैं, जो कि एक प्रथा नहीं थी, उसको भी प्रथा का नाम देकर, हमारे देश में इस का ट्रेडीशन कभी नहीं रहा, उसको एक प्रथा कहकर लोगों ने जब नारी के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया तो उसको सती प्रथा कहा गया, अभी कोशिश था, हमारे धार्मिक ग्रन्थों में शुरू से लेकर आज तक आप देखेंगे कि कहीं पर कोई सती प्रथा नहीं रही है और प्रथा उसको कहते हैं जो कि रोज आम तौर पर नारी को जबरदस्ती पति की चिता में

धकेल दिया जाए और उसको जबरदस्ती अग्नि के हवाले कर दिया जाए। ऐसी एट्रासिटीज को एक घृणित, शर्मनाक और दर्दनाक बात को प्रथा कहकर कह देना गलत है। मुझे स्मरण आता है, जिक हम लोगों ने पढ़े हैं कि यह प्रथा एक प्रकार से अपने स्वार्थ के कारण, कौम के अन्दर भारत की जातियों के अन्दर जब वे चाहते थे कि नारी को कोई अधिकार न मिले, विशेष करके जब अंग्रेजी शासन के दिनों में विधवा नारी को अपने पति की जो प्रापर्टी यानी सम्पत्ति के अन्दर भागीदार बनने का उन्होंने हक, अधिकार दिया तो उसके बाद भारत में काफी बड़ी तादाद मे जबरदस्ती नारी को, बेचारी अबला को, जो अपढ़ होती थी, अज्ञानी होती थी उन लोगों का पकड़ को पकड़-पकड़ कर उनके पति की चिता में जबरदस्ती धकेल देते और जहां कोई भस्म होने के भय से नारी जोर-जोर से चिल्ला कर रोती बाजा बजा-बजा कर, ताकि कोई उस चिल्लाहट को सुने नहीं, इस प्रकार से सती करा दी जाती। आप मुझे एक भी उदाहरण दीजिए, जहां पर इस प्रकार से कोई सती हुई हो और उनकी पूजा हुई हो और कहीं मंदिर बने हों—यह गलत बात है। आप शुरु से इतिहास उठाकर देख लीजिये, हिन्दू संस्कृति के अन्दर सती सावित्री और सीता, ये सब हमारी बड़ी-बड़ी सती हो गई हैं और उनको सती कहते हैं। सावित्री अपने पति की चिता में सती नहीं हुई थीं। सती भी जिनके नाम से यह शुरु हुआ है, हमारी माता सती, भगवान शंकर की पत्नी, वह भी अपने पति की चिता में सती नहीं हुई थीं। वह तो सर्वशक्तिमान प्रभु शंकर की पत्नी, उनकी चिता का तो सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन वे अपनी पति के प्रति निन्दा शब्दों, को अवश्य बर्दाश्त नहीं कर सकीं थी इसलिये वे आदेश में आकर अपने पिता के यहां जो यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ के कुंड में कूद कर उन्होने अपने प्राण त्याग दिए थे। वे पहली सती थी। लेकिन सती का अर्थ यह नहीं है कि अपने पति की चिता में जल कर ही महिला अपने को सती कहलाएगी। सती अनुसूईया और इसी प्रकार अनेक सती का हमारे धार्मिक ग्रन्थों में जिक्र आता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि भारत मे धर्म के नाम पर नारी को जबरदस्ती पति की चिता में धकेल कर कहना कि सती हो गई, यह सरासर गलत है और एक कुप्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन रायजी ने जो कि हमारे एक महान रिफार्मर हुए है, बड़े सक्षम ढंग से आन्दोलन शुरु किया। ब्रिटिश टाइम में ही वह कानून बना, जिस कानून के तहत जबरदस्ती सती बनाकर महिलाओं को अग्नि में ढकेलने की कुप्रथा बन्द हुई। कानून अभी भी मौजूद है। परन्तु सदियों में अगर एकाध ऐसे मामले हो जाते हैं, जहां हजारो लोगों के सामने एक नारी अपनी खुशी से और अपनी इच्छाशक्ति से अग्नि पैदा करती है और उसमें प्रवेश करती है, हजारों लोग और अधिकारियों के सामने अपने पति के सिर को गोद में लेकर बैठ जाती हैं, तो लोग उनको सती मानने लगते हैं। उनकी आस्था और उनकी इस प्रकार की श्रद्धा को कोई तोड़ नहीं सकता है, यही मैं आपसे कहना चाहती है।

उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात और यहां पर बताना चाहूंगी हमारे माननीय सदस्य मेजर जसवन्त सिंह जी, की गुरु सती माता अब तीन-चार वर्ष पूर्व जिनका देहावसान हो गया है वे जब 15-17 वर्ष की थी उनके पति का देहान्त होने पर तो उन्होने इच्छा जाहिर की कि वे अपने पति की चिता मे अग्नि प्रवेश करना चाहती हैं। उस वक्त उनके परिवार के लोगों ने समाज के लोगों ने और जनता ने उनको रोका। रोकने के कारण वे इतनी दुःखी हो गई तथा उन्होने कहा कि मैं आज के दिन से ही अन्न-जल हमेशा के लिए त्याग देती हूँ। वे शायद यह सोच रही होंगी कि अन्न-जल त्यागने के बाद तो स्वयं ही मर जाऊंगी। उन्होंने इस प्रकार अनशन शुरु किया, चालीस-पचास वर्ष बिना अन्न के, बिना जल के, वह महिला जिन्दा ही नहीं रहीं, बल्कि उनके इतने शिष्य हो गये और लोग आश्रम में उनके पास उनके चरणों में आकर के रहते थे। उनके

सान्निध्य में रह कर, उनके निकट रह कर, उन्होंने उनकी शक्ति को और ताकत को बढ़ाया। एक गांव की रस्टिक महिला, जो पढ़ी-लिखी नहीं थी, उनके अंदर यह शक्ति कहां से आई। यह भारत की नारी है, उनके अन्दर यह आन्तरिक शक्ति कहां से आ गई, इसको समझना मुश्किल है। हम और आप इस बात को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए हम इसको हरगिज क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि जसवन्त सिंह जी इस बात को कभी डिनाई नहीं करेंगे कि वो आज जो कुछ भी हैं माता सती की कृपा से ही है हमें गर्व है कि जसवन्त सिंह जी इस संसद के अन्दर एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं। हमें ठण्डे दिल से सोचना है और इस समस्या पर विचार करना है। हमें संवैधानिक तरीके से इजाजत है कि किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को, किसी भी तरीके से माने और पूजा करें, चाहे गाय की पूजा करें, चाहे मनुष्य की पूजा करें, इस चीज की हमें पूरी स्वतन्त्रता है। रविन्द्र नाथ ठाकुर जी ने ठीक कहा था—

[अनुवाद]

"मेरे ईश्वर मैं तुम्हें इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि तुमने मुझे तुम्हें नकारने की स्वतन्त्रता दी है।"

[हिन्दी]

यही हमारी भारतीय संस्कृति की पवित्र चीज है।

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसी संस्कृति के अन्दर यह शब्द कहे गये हैं "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता" यहां नारी की पूजा होती है। मां को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है यहां पर मां पिता, गुरु, परमात्मा सबसे ऊपर मानी जाती है। श्री आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा था और उन्होंने सन्यासियों को भी यह आदेश दिया था कि सन्यास लेने के बाद तुम्हारा रिश्ता सबसे छूट जाता है, सिवाय तुम्हारी जन्म देने वाली मां को छोड़ कर और जन्म देने वाली मां का अगर कोई अन्य कोई क्रिया करने वाला न हो तो सन्यासी को अपनी मां की अंत्येष्टि करने का अधिकार होगा, वह उसका क्रियाकर्म कर सकता है। शंकराचार्य महाराज जी भी खुद आये थे जब उनकी मां का देहान्त हुआ था और उन्होंने अपनी मां की अंत्येष्टि स्वयं की थी। ऐसी हमारी जो संस्कृति है. उस संस्कृति को हमने इतना विकृत कर दिया कि इस विकृति के कारण हम कुछ समझ नहीं और बुरा-भला कह कर लोगों को इस तरह से निन्दित करते हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि जब एम जी आर की मृत्यु हुई तो कई लोगों ने अग्निदाहन द्वारा से अपने आपको जला डाला था। क्या उन लोगों को किसी ने जानबूझ कर ऐसा करने के लिए कहा होगा? उनको कोई किसी ने जानबूझ कर ऐसा करने के लिए कहा होगा? उनको कोई किसी प्रकार का संबोधन या प्रोत्साहन दिया होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि छोटी-छोटी बातों पर जाने की बजाय हम उसकी जड़ तक जायें, उनकी बुनियाद तक जायें। मैं यह पूछना चाहता हूं कि नारी की अवहेलना क्यों हो रही है, नारी का इतना शोषण क्यों हो रहा है और नारी इतना नीचे क्या गिर गई है? हमारी संस्कृति के अन्दर नारी को इतना ऊंचा स्थान दिया जाता है, उसी यहां संस्कृति के अन्दर आज उस नारी को इस प्रकार पीटा जाता है। सताया जाता है दहेज के नाम पर हमारी बहुएं और बेटियों को जिन्दा जलाया जा रहा है। इस तरह से रोज उनको तड़पाया जा रहा है आज नारी का जीवन नरक के समान बन गया है और वह भी इस स्वतन्त्र भारत के अन्दर।

हमारी जो बहनें बोल चुकी हैं उनकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूं और मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें इसकी गहराई तक जाकर, इस पर सोचना है। यह केवल आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं हो रहा है बल्कि ये सचमुच राष्ट्र के चरित्र का हनन होने के कारण हमारे राष्ट्र का चरित्र ही गिर गया है कि हमारी जो परम्परा और उच्च आदर्श हैं, उनके मुताबिक हम अपनी ह्यूमन वेल्युज, मानव मूल्यों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि आज इस प्रकार के अत्याचार बढ़ते हो जा रहे हैं। मेरे पास इसके अनेक उदाहरण हैं लेकिन मैं समझती हूं कि इसको डिटेल में जाकर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इस बारे में हमारी बहुत सी बहनें बोल चुकी है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूँगी आप जानते ही होंगे कि यह ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवेलपमेंट की आफिशियल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 20 हजार एवरेज प्रति वर्ष बलात्कार की घटनायें आजकल हो रही है, यह रिपोर्ट छपी है। दूसरी बात यह भी बतायी गयी है कि 1976 में जहाँ पर रेप केसिस 3893 हुए थे और वहां 1988 में वह बढ़ कर 6888 हो गये हैं, यानी 12 साल में डबल हो गये थे, मैं यह पूछना चाहती हूं कि इतने सारे कानून वगैरह बनने के बावजूद भी क्या कारण है कि स्त्रियों के ऊपर इस तरह के अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी बहनों ने, गीता जी ने भी बताया कि पुलिस भी इन मामलों में इनवाल्व थी और कई जगह तो थाने में भी बलात्कार के केसिस हुए हैं और सामूहिक बलात्कार भी हुए हैं। इसी प्रकार अभी जो गीता जी ने मेनशन किया था कि बिराटी की घटना के बारे में वह तो मेरे ख्याल से शायद बंगलादेश से आई हुई रिफ्यूजीज थी, जिनके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। इस प्रकार के बहुत से केसिस है। अभी जनसत्ता अखबार की भी मेरे सामने रिपोर्ट है कि गरीब बस्तियों में छोटी छोटी बच्चियों नाबालिक बच्चियों के साथ किस प्रकार के अत्याचार हो रहे है।

सभापति महोदय, नाबालिग बच्चियों का विवाह आज भी होता है, 50 साल हो चुके शारदा एक्ट को बने हुए, कुछ समय बाद उस एक्ट को सेंटेनरी मनाने का समय भी आ जाएगा, लेकिन एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में आज भी बाल-विवाह हो रहे हैं। हर साल, सब जगह छोटी-छोटी बच्चियों को गोद में उठाकर कन्यादान किया जाता है, इसमें वे लोग अपने कर्तव्य पालन का बड़ा आनंद महसूस करते है। इस तरह से निर्दोष बच्चियों को निर्ममता का शिकार बनाया जाता है, उनके भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : विधवा-विवाह होना चाहिए, इस पर भी कुछ प्रकाश डाल दीजिए। यह एक सामाजिक कोढ़ है।

श्रीमती विजया राजे सिंधिया : जी हां, होना चाहिए, महिलाओं को इसका कानूनन अधिकार है। विधवा विवाह तो होना चाहिए, मैंने कब कहा कि यह नहीं होना चाहिए, यह तो आप बड़ी अजीब बात कह रहे हैं। छोटी-छोटी बच्चियों की शादी हो जाती है, जवानी में विधवा हो जाती हैं, जिंदगी भर उनको शोषण का शिकार होना पड़ता है, उनकी शादी अवश्य होनी चाहिए, उनके लिए अच्छा घर-बार ढूंढा जाना चाहिए। ((व्यवधान) नहीं, इसको कंपलसरी नहीं कर सकते, किसी की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, एक तरफ तो महिलाओं के बारे में कहा जाता है—"यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवता" और उसी नारी पर अत्याचार होते हैं, बलात्कार की घटनाएं होती हैं। यह सिर्फ हिन्दू धर्म में ही नहीं, सभी धर्मों की समस्या है। अभी आपने पढ़ा होगा कि नबरोला में नन्स पर बलात्कार हुआ, इस तरह की नीच घटना वहां पर हुई और शायद अभी तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है, किसी को सजा नहीं हुई है। (व्यवधान) इस तरह से ईसाई धर्मावलम्बी भी यह समस्या आई। इसी तरह से बंगाल में मुनकरा कानून को एक मुस्लिम महिला को, उस पर भी बलात्कार हुआ। संदोलिया स्टेशन पर एक बारात में महिला को गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार का शिकार होना पड़ा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि सभी बिरादरी को, सभी धर्म, सभी मजहबों को यह आम समस्या है, किसी एक धर्म या समाज हो को यह बात नहीं है। नारियों पर अत्याचार होते आए हैं और इनको देखते हुए मैं आपसे यही अर्ज करना चाहती हूं कि हमें सोचना चाहिए कि इन अत्याचारों पर कैसे रोक लगाई जाए। हमारे देश में जो चरित्र-हनन हो रहा है, राष्ट्रीय चरित्र में जो गिरावट आ रही है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। फिर वही धर्म और मजहब की बात मैं कहूंगी, किसी भी धर्म में यह बात नहीं है कि नारी पर इस तरह से बर्बरतापूर्ण और शर्मनाक अत्याचार हो सभी धर्म इसको कंडेम करते हैं निंदा करते हैं इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, फिर क्या कारण हैं कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसके लिए हम सब लोग मिलकर बैठें, इस पर विचार करें, कोई कान्फ्रेंस करें, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि कान्फ्रेंस हुए रेजोल्यूशन पास किया और घर जाकर सो गए, हमें उसे अमल में भी लाना चाहिए। जितने कानून बने हुए हैं, जिनका कोई प्रभाव नहीं है, शारदा एक्ट है या और भी कानून हैं, उन सब का प्रचार-प्रसार होना चाहिए। सिर्फ कानून में 16 से 18 या 18 से 21 वर्ष की आयु करने से कुछ नहीं होगा, उसको चाहे आप 21 और 25 वर्ष भी कर दीजिए, उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसका पूरी तरह से प्रचार होना चाहिए, सब लोगों के दिलो-दिमाग में इस बात को बिठाया जाना चाहिए जो घोर अत्याचार महिलाओं पर होते हैं, इसके प्रति लोगों को जागृत करना चाहिए। जब कोई महिला अपनी बेटी के बारे में कुछ सोचती है, लेकिन सास बनते ही वह बहू के प्रति दूसरी तरह का व्यवहार करने लगती है। इन चीजों के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए प्रचार किया जाना चाहिए। इस तरह की संकीर्णताओं को समाप्त करना चाहिए और इस काम को हम धर्म के सहारे ही ठीक कर पाएंगे। हमारे देश में और देश की जनता में धार्मिक भावनाएं बहुत गहरी जमी हुई हैं और धर्म में जो विकृतियां पैदा हुई हैं, उनको दूर करके लोगों को सही मार्ग दिखाना होगा। पुराने जमाने में क्या होता था कि केवल दो पक्ष होते थे, धर्म और अधर्म, उसमें किसी धर्म का नाम नहीं होता था, चाहे हिन्दू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, उनमें इस तरह का कोई डीमार्केशन, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं था। धर्म और अधर्म दो पक्ष होते थे। जो धर्म का विरोध करने लगे

5.00 म. प.

वे अधर्मी कहलाते थे। धर्म पक्ष के लोग अधर्मियों का नाश करना अपना कर्तव्य समझते थे। इस प्रकार अपने कर्तव्य को धर्म मानने वाले थे। मानवीय धर्म ही उस वक्त का धर्म था। मैं यही अर्ज करना चाहती हूं कि मानवीय धर्म किस में है? कहां है? सेक्यूलेरिज्म को कौन मानते हैं। इन सब बातों पर विचार करके अपने देश को, राष्ट्र को हम मजबूत बना सकते हैं। एकता के सूत्र में बंधे हुए आध्यात्मिक और चरित्र बनाने के जो मुख्य विषय हैं उन पर गहन रूप से विचार करके हम आगे बढ़ सकते हैं, देश और समाज को सुधार सकते हैं। हमें इन्हीं धर्म पर अवलम्बित कानून बनाने

होंगे, पालिसी बनानी होगी। इस तरह से नारी को इस मुसीबत से, जो आज नरक है, से उबारना है। यह काम मामूली काम नहीं है। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ कि इसको मुद्दे-नजर रख कर आज हम इस विषय पर वाद-विवाद करने के लिए, विचार-विमर्श करने के लिए खड़े हुए हैं। गीता जी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने नियम 193 के अन्तर्गत इस विषय को उठाया है। मैं कहूंगी कि इस विषय को गम्भीरता से लेकर, समय अलाट करके इस पर विचार करें। क्योंकि "जैसा राजा वैसी प्रजा" यह कहा जाता है। अगर देश का संचालन करने वाले लोग पक्षपाती हो जाते हैं, धर्म और मजहब को वोटों की दृष्टि से देख कर उसके तुष्टीकरण के लिए झुकने लगते हैं, तो यह सही नीति नहीं है। पक्षपाती नीति से हमें सफलता नहीं मिल सकती है। सभी धर्म, मजहब मिल कर सर्व धर्म के सम्मान की भावना से जागृत हो कर इस देश को मजबूत बना सकते हैं। यह मुझे विश्वास है। हालांकि मैं वृद्धावस्था में पहुँच चुकी हूँ, सारी जवानी मैंने इस देश में उत्पन्न गलत तरीकों के साथ लड़ने में समाप्त कर दी है। आज भी मैं सोचती हूं कि प्रभु अवश्य कृपा करेगा। दिन अच्छे आ रहे हैं। मेरे मरने से पहले एक दिन आएगा जब मैं भारत को सुखी, जागृत और उसका उत्थान देख सकूंगी। अगर नारी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक व्यवस्था के साथ-साथ राजनीतिक व्यवस्था में इस देश के अन्दर समान रूप से भाग लेने के योग्य बन जाती है तो अवश्य ही इस देश का उत्थान होगा, राष्ट्र का उत्थान होगा।

यही आशा और विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपने सभी पक्ष के साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बहुत धैर्य से सुना। मुझे आशा है, मेरे विषय में जो गलतफहमी आपके दिल में उठी होगी, आप उसे निकाल कर फेंक देंगे और हम आगे आ कर देश को बनाने में एक जुट हो जायेंगे।

5.04 म. प.

[उपसभाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्रीमती शीला कौल (रायबरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त को प्रधान मंत्री जी ने यह कहा कि देश की नस्लें महिलाओं की गोद में पलती हैं और बनती हैं। यह बहुत सही बात उन्होंने कही। लेकिन हमने यह देखा है कि यह समझते हुए भी औरतों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उनको कोई रोक नहीं रहा है। अभी मेरी बहन ने कहा कि इस वक्त औरतों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, वह 20 हजार तक पहुंच गए हैं। इसकी वजह क्या है ? इनके पास फिगर्स थे, मुझे उससे मालूम हो गया। लेकिन मुझे बेहद ताज्जुब हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। माना हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन औरतों पर अत्याचार इस तरीके से नहीं बढ़ने चाहिए जितने बढ़ गए हैं। हमने यह भी देखा कि जो अत्याचार हैं, वे दो तरीके के होते हैं। शहरों में होते हैं और देहातों में होते हैं। शहरों में रहने वाली महिलाओं पर मुसीबत आती है, जैसे बड़े-बड़े शहर हैं, बम्बई, मद्रास वगैरह-वगैरह, ये बड़े शहर हैं जहां महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। अत्याचार उन पर होते हैं जो औरतें, लड़कियां दफ्तरों में काम करने जाती हैं। अभी परसों ही कनिष्का होटल में एक एयर-होस्टेस ने सुसाइड किया। उसके बारे में जो जानकारी होगी वह सही होगी। यह बताया जाता है कि उसके साथी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। हमारे शहरों में और तरह के जुल्म होते हैं और देहात में और ढंग से होते हैं। हमारे लेडी हार्डिंग कालेज मे जहां एक औरत गई, वहां इ. सी. जी. देखने के बहाने उसका इस्तेमाल किया। मुझे समझ में नहीं

लगता कि हमारे समाज को क्या हो गया है । जो इस तरह से करते हैं, वे हमारे भाई हैं । कैसे उनका दिमाग खराब हो गया, यह समझ में नहीं आया । चाहे कितने ही कानून बनाएं और उनको ये न समझें तो कोई फायदा नहीं । मारेलिटी की ट्रेनिंग के बारे में जैसा कि राज जी ने बताया, वह बहुत जरूरी है । यह भी कहा गया है कि मर्द भी महिलाओं की गोद में पलते हैं और महिलाएं ही फायदे से उनका उपयोग करें । देहात में या सेमी-देहात में यह होता है कि एक परिवार में वहां का लड़का पांच-छह महीने के लिए फौज में गया हो या बाहर गया हो तो उसके जो परिवार वाले हैं या जो मर्द हैं वे बहू का इस्तेमाल करते हैं । यह बड़े शर्म की बात है । वह सोचती है कि पति के आने से क्या होगा, इसलिए वह आत्म-हत्या कर लेती है । यह भी औरतों के ऊपर अत्याचार है । वह महसूस करती है कि उसकी शादी पर जो मेरिटल बोन्ड थे, वह टूट रहे हैं । एक मर्द की वह शिकार बनती है । यह पता नहीं कि देहात या शहर इन जुल्मों और अत्याचार से खाली होंगे । हमारी जो हरिजन औरतें हैं और गांवों में रहती हैं, उनका बहुत ही बुरा हाल हो रहा है । हम कहेंगे कि एट्रोसिटीज आफ वूमेन और एट्रोसिटीज ओन डोमेस्टिक गर्ल्स को रोकना चाहिए । 13-14 साल की लड़की के ऊपर भी जुल्म ढाये जा रहे हैं । बहुत सारे केसेज हमारे पास आए हैं और गीता जी ने भी कहा कि कई किस्म-किस्म के जुल्म होते हैं और पुलिस भी जुल्म करती है । यह पता चला है कि कलकत्ता में एक महिला के ब्लाउज को पुलिस ने फाड़ा । बिमला डे नाम की महिला खड़ी थी । उसके माथे पर बंदूक तान दी गई । पता नहीं ये इन्सान हैं या हैवान । अब आप लोग मैम्बर पार्लियामेंट बन गए हैं तो इन चीजों को संभालिए । मैं यू.पी. के इटावा की बात बताती हूं । वहां 13 साल की छोटी सी राजेन्द्री नाम की लड़की थी । उसके साथ बलात्कार किया और छह-सात दिन तक उसको रखा । और जब सात दिन तक उस पर जुल्म ढाये तो वह मर गई, फिर उसकी लाश को उन लोगों ने फेंक दिया । जब वे लोग पकड़े गये तो हमारे यू.पी. के चीफ मिनिस्टर ने उसकी एवज में कुछ पैसा दिया । इस पर लड़की के बाप ने कहा कि मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरी लड़की चाहिए । आज इन्सान की कीमत पैसे से आंकी जाती है, धर्म और ईमान को लोगों ने पीछे छोड़ दिया है । इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि हमारी बहनों पर जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए । हम बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, लेकिन हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हमें उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए । फर्रुखाबाद में, गजरौला में, गाजियाबाद में, अलीगढ़ में महिलाओं, खासकर हरिजन महिलाओं पर काफी अत्याचार हुए हैं । मैं खास तौर पर गाजियाबाद का जिक्र करना चाहती हूं । वहां के भूतपूर्व सांसद बंसानी जी और उनके लड़कों के ऊपर बहुत जुल्म किये गये हैं । यह केस अखबारों में भी आया है कि कैसे वहां पर एक लड़की रक्षा बन्धन के दिन अपने भाई के लिए सामान लेने गयी और रास्ते में चार लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार किया । मुझे तो यह कहते हुए भी शर्म आती है कि इस उम्र में भी मुझे ऐसे शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं । बाद में उस लड़की को मार दिया । जब उनकी रिपोर्ट छापी गई तो उन्होंने हरिजनों का नाम ले लिया और ऊंची जाति वालों का नाम नहीं लिया । जो भूतपूर्व सांसद बंसानी जी हैं उनके दो लड़कों को पकड़ लिया और उनको जेल में डाल दिया और उन पर गोलियां चलाईं । ला एण्ड आर्डर बिल्कुल खराब हो चुका है । हमारा फेडरल ढांचा है, केन्द्र सरकार इतनी कमजोर है कि वह राज्य को सम्भाल नहीं रही । अगर यहां से आदेश जाये कि इन केसेज पर, जहां पर हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, तुरन्त ध्यान दिया जाये तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हरिजनों के लिए भी बहुत अच्छा होगा ।

अभी हमारे भाई ने कहा कि महिलाओं के लिए बहुत से कानून बन चुके हैं। लेकिन मैं समझती हूं कि जो कानून बने हैं उसके बारे में जानकारी हमारी बहनों को नहीं है और यह जरूरी हो जाता है हमारे लिये कि इस जानकारी को हम महिलाओं के बीच में अच्छी तरह से फैलायें। हमारे जो साथी हैं वे अपनी-अपनी जगहों पर जाकर बहनों को समझायें कि किस तरीके से कौन सा कानून लागू होगा अगर उन पर यह अत्याचार हो।

मैं बहुत आभारी हूं अपनी बहन की, कि उन्होंने इस प्रस्ताव को यहां पर रखा है। यह महिलाओं के लिए बहुत मुफीद होगा। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं समझती हूं कि हम बड़े दुखी मन से इस विषय पर बोल रहे हैं क्योंकि यह तथ्य कि महिलाओं पर अत्याचारों पर चर्चा संसद में हो रही है, साबित करता है कि यह मामला कितना चिन्ताजनक बन गया है।

यह सच है कि काफी लम्बे समय से ये अत्याचार होते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी होने लगे हैं। बल्कि सच तो यह है कि आज विशेष रूप से महिलाओं में लोकतांत्रिक आन्दोलन के विकसित होने से ये बातें सामने आ रही हैं। लेकिन सिर्फ ऐसी घटनाओं के घटने से ही हमें यह आभास नहीं मिल रहा है कि इन में वृद्धि हो रही है। वास्तव में सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बहुत तीव्र परिवर्तनों के कारण इन घटनाओं, महिलाओं के विरुद्ध कुछ विशेष प्रकार के अत्याचारों में वृद्धि हुई है। अब आप बलात्कार के मामलों को ही लीजिए। क्या बलात्कार पहले नहीं होते थे ? नहीं, महोदय, वे हमेशा से होते आए हैं। बलात्कार घर की चाहरदीवारी से, ग्राम-समुदायों में होते रहे हैं, परन्तु उनकी खबर हमें कभी नहीं मिलती थी। अब हम देख रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में महिलायें काम करने के लिए बाहर जाती हैं, अथवा उन्हें काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, परन्तु महिलाओं के प्रति मूल दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं आया है, और इसीलिए बलात्कार के मामलों में वृद्धि हो रही है।

महोदय, हम देखते हैं कि सदियों से खेतिहर मजदूर, गरीब किसान जैसे कुछ वर्गों के लोग जिनमें अधिकतर लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के होते हैं, सिर झुकाकर उत्पीड़न झेलते रहे हैं। अब वे हर जगह ऊपर उठ रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, और इसीलिए उनके विरुद्ध उत्पीड़न भी बढ़ रहा है। किसी विशेष वर्ग अथवा समुदाय के लोगों को उत्पीड़ित करने तथा उनमें विरोध की कमर तोड़ने का एक रास्ता यह भी है कि उस वर्ग अथवा समुदाय की महिलाओं को दुख पहुँचाया जाये तथा उनके साथ बलात्कार किया जाये।

फिर महोदय, दहेज सम्बन्धी मौतें भी होती हैं। दहेज की प्रथा बेशक अभी भी विद्यमान है। यह प्रथा बहुत पहले से हमारे देश में चली आ रही है। जब से महिलाओं का पराश्रित माना जा रहा है तथा उनके प्रति 'न स्त्री स्वतंत्र्यमर्हति' का दृष्टिकोण प्रचलित हुआ है, तभी से दहेज प्रथा चली आ रही है। हम देख रहे हैं कि दहेज रूपी दानव एक नए रूप में सिर उठा रहा है क्योंकि समाज में 'काले धन' का अपार भण्डार है। दहेज लेने और देने की प्रक्रिया के पीछे काले धन की भूमिका का विश्लेषण करना होगा।

इसका दूसरा कारण उपभोग की वस्तुओं के प्रति बढ़ती हुई लालसा है। दहेज लेने तथा देने और दहेज संबंधी मौतों की बढ़ती हुई संख्या का एक यह भी कारण है। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगी। माननीय सदस्या, श्रीमती गीता मुखर्जी ने हमें आंकड़े दिए हैं। हमें उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं। परन्तु हम देखते हैं कि ऐसे अपराधों की संख्या कुछ राज्यों में अधिक है और कुछ राज्यों में कम है। दो या तीन राज्य ऐसे हैं जहां पर ऐसे अपराधों की दर बहुत ही कम है। परन्तु इसके बावजूद हमें लापरवाही का दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए ऐसे राज्यों में भी जहां पर कि ऐसे अपराधों की दर बहुत कम है, वहां पर भी हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए क्योंकि देश के प्रत्येक राज्य में ऐसे अपराधों की संख्या बढ़ रही है। महोदय, पश्चिम बंगाल में भी अगर हम अत्याचार की घटनाओं का विश्लेषण करें उदाहरणार्थ दहेज संबंधी मौतों को ही लीजिए—तो हमें पता चलेगा कि ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। कुछ ऐसे मामले भी हैं, जिन्हें बहुत अधिक प्रचार मिला है। महिलाओं पर हमले, अभद्र व्यवहार तथा बलात्कार जैसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में भी होती हैं। ऐसा क्यों है? क्या पश्चिम बंगाल के लोग महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं अथवा पश्चिम बंगाल के लोग कहते हैं कि हम सोचते हैं कि वहां पर महिलाएं सुरक्षित हैं। नहीं ऐसा नहीं है वास्तविक कारण यह है कि वहां पर लोकतांत्रिक आन्दोलन की परम्परा रही है, और वामपंथी मोर्चा सरकार उसका प्रतीक है। इसी कारण जहां कहीं भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, वहां पर इनके विरुद्ध प्रदर्शन किए गए तथा आवाज उठाई गई। ऐसी घटनाओं की आलोचना की गई और बहुत सी ऐसी सम्भावित घटनाएं ऐसी सुदृढ़ लोकतांत्रिक आन्दोलन के कारण टल गई। हम यह भी देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते, परन्तु इसका क्या यह तात्पर्य है कि वहां पर साम्प्रदायिकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका कारण भी यही है क्योंकि एक तरफ तो वे ताकतें हैं वहां पर सक्रिय हैं जो हर राज्य में सक्रिय हैं और दूसरी ओर वहां पर वामपंथी नेतृत्व में संगठित प्रदर्शन की एक सुदृढ़ परम्परा रही है। मैं उन घटनाओं की निन्दा करना चाहूंगी जो कि पश्चिम बंगाल में हुई हैं। मैं विभिन्न दलों के राजनैतिक नेताओं तथा महिला राजनैतिक नेताओं पर हमले की घटनाओं की भी आलोचना करना चाहूंगी। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में इन आक्रमणकारियों को गिरफ्तार किया गया है उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं तथा ऐसे मामलों के विरुद्ध प्रदर्शन किए गए हैं। ऐसे मामलों के विरुद्ध बड़े-बड़े प्रदर्शन किए गए हैं और हम देख रहे हैं कि आमतौर पर वहां ऐसा वातावरण व्याप्त है जिसमें लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। क्या हम दूसरे राज्यों के संबंध में भी ऐसा कह सकते हैं? ऐसा ही मैं दूसरे राज्यों के सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगी। त्रिपुरा राज्य के बारे में भी मैं ऐसे ही विचार व्यक्त करना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल में एक ऐसी महिला पर आक्रमण का मामला सामने आया है जो कि काफी प्रसिद्ध हैं, एक भूतपूर्व संसद सदस्य तथा राजनैतिक नेता हैं। परन्तु इस महिला के प्रसिद्ध होने के कारण केवल इसी महिला के मामले को प्रचार नहीं मिलना चाहिए बल्कि त्रिपुरा राज्य में महिलाओं के साथ बलात्कार के 132 मामलों का भी उतना ही अधिमान दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती उमा गजपति राजू : जिस दल से उनका सम्बन्ध है, उसको छोड़कर आप महिलाओं पर सामान्य चर्चा कर सकती हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आइए, श्री पुजारी का व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न सुनते हैं।

श्री जर्नादन पुजारी : लगभग एक घण्टा और 25 मिन्ट से मैं यह चर्चा सुना रहा हूं और कुछ क्षण पहले तक यह निर्विघ्न रूप से चल रही थी। चर्चा का स्तर भी काफी अच्छा था। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी, यह बताइए कि आप किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मबकासर श्री सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उससे बातें करके आप अपने ही सदस्य के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। कृपया शान्त रहिए और उसे सदन को नियन्त्रित करने दीजिए।

हां तो श्री पुजारी। आपको याद होगा कि आपको यह बताना होगा कि कौन से नियम, संविधान के अधिनियम अथवा परम्परा का उल्लंघन किया गया है।

(व्यवधान)

श्री जर्नादन पुजारी : माननीय श्रीमती गीता मुखर्जी ने कुछ आंकड़े दिए हैं। किसी ने भी उन पर आपत्ति नहीं की और दूसरे सदस्यों ने भी उन आंकड़ों को उद्धत किया और वे आंकड़े सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। अब महोदय, यहां एक सदस्य हैं जो कि उच्चतम संख्या में बोल रहे हैं। वह कोई आंकड़े नहीं दे रहे हैं परन्तु जो उन्होंने कहा हैं। उसका खण्डन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यह कह कर किया जा चुका है कि एक भी बलात्कार वहां पर नहीं हुआ है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी को आपत्ति नहीं करनी चाहिए······

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी आप मेरी बात सुनिए। अगर आपकी रुचि भाषण देने में है······

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी, अगर आप भाषण देना चाहते हैं······

श्री जर्नादन पुजारी : मैं अपने व्यवस्था के प्रश्न की भूमिका बना रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप उस पर एक तरह चिल्ला नहीं सकते। अगर आप भाषण देना चाहते हैं तो मैं आपको समय दूंगा और आप 10 या 15 मिन्ट के लिए बोल सकते है। मैं आपको आधा घण्टा भी दे सकता हूं. परन्तु अगर आप व्यवस्था का

प्रश्न उठाना चाहते हैं तो आपको मुझे वह नियम, उपनियम अथवा परम्परा बतानी होगी जिसका उल्लंघन किया गया है। अन्यथा, आपके जैसा वरिष्ठ सदस्य केवल व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए ही व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकता। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप मुझे नियम बताइए मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार कर लूंगा।

श्री जर्नादन पुजारी : आपने नियम बनाये हैं। मैं आपको भी उद्धृत करूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपका व्यवस्था का प्रश्न है तो मैं उसको अनुमति दे सकती हूं। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न के ऊपर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकतीं। मालिनी जी, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री जर्नादन पुजारी : पहले मेरी बात सुनिए। फिर मैं आपको उद्धृत करूंगा। मैं श्री शिव राज पाटिल को उद्धृत करने जा रहा हूं। कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए। (व्यवधान)

आप नियमों को भी जानते हैं और आप सदस्यों को सुनते भी हैं कि जब एक माननीय सदस्य बोल रहा हो तो उसे बोलते समय दूसरे सदस्यों की भावनाओं को भड़काना नहीं चाहिए और वह बिना किसी प्रमाण के यह आरोप लगा रही है कि कुछ महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। वह ऐसा आरोप लगा रही हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पढ़ने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जर्नादन पुजारी : श्री रामधन के मामले में, जब वह विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया गया था और जब प्रो. मधु दण्डवते बोल रहे थे, तो आपने कहा था ·।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे वह नियम बतायें जिसका उल्लंघन किया गया है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं केवल उसी के बारे में बोल रहा हूं। आपने सदस्यों द्वारा डाली जाने वाली बाधाओं के बारे में कहा था। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है? मैं आपको इसकी अनुमति दे दूंगा।

श्री पी. एम. सईद (लक्षद्वीप) : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, आप इस सभा में एक वरिष्ठ सदस्य है और जहां तक मेरी जानकारी है, मैं आपसे कनिष्ठ हूँ। यहां इस सभा में व्यवस्था

के प्रश्न के बहाने से काफी निवेदन किये जाते हैं। मुझे यह बात कहते हुए दुख होता है कि आप केवल पक्ष से ही नियमों और परम्पराओं का उल्लेख करने के बारे में कहे जा रहे हैं। आपकी ओर से यह एक अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे ऐसी बातें कहते हुए अत्यधिक दुख है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सईद, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और मैं आपकी भावुकताओं को चोट पहुँचाना नहीं चाहता। परन्तु ऐसा करते हुए आपने अध्यक्षपीठ पर आक्षेप लगाये हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मालिनी जी, मैं एक बात के लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा। यह वाद-विवाद अत्यधिक उच्च स्तर पर हो रहा था। यदि इसमें दलगत भावनाओं को शामिल कर दिया जाता है, तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं होंगी और आप अपनी बात कहने से वंचित हो जायेंगी।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, वे एक मुद्दे पर तो ठीक हैं। त्रिपुरा का हवाला दिये जाने तक तो वाद-विवाद का स्तर काफी ऊंचा था। भारत के किसी भी भाग में यह सबसे निम्न स्तर है। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, उन्हें कलकत्ता के बारे में भी उल्लेख करना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, जब मैं बोली थी तो मैंने विभिन्न राज्यों का हवाला दिया था और वहीं मैंने त्रिपुरा में उज्जनमैदान के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के बिराठी का उल्लेख किया था। उस समय वहां कोई गडबड नहीं थी। अब, बात यह है कि क्या हम महिलाओं के साथ बलात्कार की ऐसी घटनाएं होने देने के पक्ष में है या विरोध मे हैं ? हम इस प्रकार की स्थिति क्यों उत्पन्न होने दें ? (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, उन्होंने अत्यधिक निष्पक्ष रूप से ममता बनर्जी पर हुए हमले की निन्दा की थी। इस बात पर विचार किये बिना कि ऐसी घटनाएं कहां हो रही हैं, हम महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की निन्दा करते हैं। कुमारी ममता बनर्जी पर हुए हमले बन्दुला की घटना और ऐसी जो कुछ भी घटनाएं हैं, हम उनकी निन्दा करते हैं। परन्तु महोदय, उससे हम त्रिपुरा की उन घटनाओं को नहीं भुला सकते जहां आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार किये गये थे। हम उन्हें किस प्रकार भुला सकते हैं ? मैं वहां गया था और इन घटनाओं की शिकार आदिवासी महिलाओं से मिला था। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : मुझे केवल एक निवेदन करना है। इस सदन की परम्परा के अनुसार, अध्यक्ष महोदय की पूर्व अनुमति के बिना किसी सदस्य अथवा दल पर आक्षेप नहीं लगाये जा सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्होंने किसी दल के नाम का उल्लेख नहीं किया था। वे अध्यक्ष पीठ के सलाहकार नहीं हैं। (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : दूसरे, जब माननीय सदस्या कोई आंकड़े बता रही हैं, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने इन्हें कहां से प्राप्त किया है। (व्यवधान) उन्हें बहस का स्तर ऊंचा करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको हमें शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। हम आपका स्तर जानते हैं। (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : आप पूरी तरह असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप हमें बहस के स्तर की शिक्षा दे रहे हैं। हमें इसे आपसे सीखना है। हम आपका स्तर जानते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : पहले यह बतायें कि आपने पिछले 40 सालों में क्या किया है ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, कृपया बैठ जाइये। श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइये।

यदि आप आपस में बातचीत करते हैं, तो आप अपने सदस्य को ही बाधा पहुंचा रहे हैं। आप कृपया इस बात का ध्यान रखें। यदि आप सदन में मौजूद किसी दूसरे सदस्य से बातचीत करते हैं, तो आप अशान्ति को बुलावा दे रहे हैं। यदि आपको कुछ कहना है, तो कृपया इसे अध्यक्ष पीठ के माध्यम से कहिए ताकि हम बहस को शान्तिपूर्ण तरीके से जारी रख सकें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने सदस्य की सहायता नहीं कर रहे हैं। मैं इस सदन में यह बात बता देना चाहता हूं कि यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है और यदि कोई सदस्य अपनी बात कहना चाहता है, तो उसे इसके लिए अवसर दिया जायेगा। कृपया चिन्ता न करें। आप समय के लिए कहिए और समय दिया जायेगा। यदि जरूरी होगा, तो हम इस चर्चा के लिए निर्धारित समयावधि को आगे बढ़ा देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस को समझें कि यदि आप वास्तव में अपने साथियों की मदद करना चाहते हैं, तो कृपा करके आप सदस्यों से सीधे बातचीत न करें, अपितु अध्यक्षपीठ के माध्यम से ही बात करें ताकि इसमें थोड़ा संशोधन किया जा सके और इसे कम किया जा सके जिससे कि इसका प्रभाव कम पड़े। यदि आप अपने सदस्य को बोलने नहीं देना चाहते, तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप व्यवधान क्यों डालते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की गरिमा, मर्यादा और शान्ति बनाये रखने के लिए मैं सदन के सभी वरिष्ठ सदस्यों सहित सभी से निवेदन करता हूं। श्री संतोष मोहन देव, आपको कुछ भी नहीं कहना है। मैं आपको बाद में समय दूंगा। श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य, आपने सुन लिया है कि आपके ऐसा बोलने पर क्या होता है। अब मर्जी आपकी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने दो बार यह बात कही है कि दूसरों को उत्तेजित करने के लिए उन्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहियें। उन्होंने दूसरों को उत्तेजित करने के लिए क्या कहा है ? उन्होंने केवल त्रिपुरा की घटनाओं का ही उल्लेख किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कुछ भी कहने की आजादी है। मैं आपके कुछ भी कहने की आजादी को कम नहीं करूंगा। आपको उन सभी बातों को कहने का अधिकार है जो आप कहना चाहते हैं और इसके साथ ही साथ मैं दूसरे सदस्यों से निवेदन करता हूं कि जब वे बोलना आरम्भ करें, तो उन्हें बीच में व्यवधान न करें। यदि आपको उसके प्रत्युत्तर में कुछ कहना है, तो वे समय मांग सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम धन (लालगंज) : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है। उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के एक बहुत ही सीनियर मैम्बर श्री पी. एम. सईद ने चेयर पर एसपरशन कास्ट किया। मेरा आपसे यह निवेदन है कि या तो वह इसे वापस ले लें या वह कार्यवाही से निकाल दिया जाय। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : अपोजीशन पार्टी है और अपोजीशन पार्टी जनरली (व्यवधान) पार्टी रहती है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप हमारे ज्यादा पाइण्ट आर्डर्स को डिसएलाऊ कर रहे हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप मामले को उलझा रहे हैं। श्री हरीश रावत, आप इसमें सहायता नहीं कर रहे हैं। श्री हरीश रावत, कृपया आप बैठ जाइये। अध्यक्ष पीठ इतनी अधिक संवेदनशील नहीं है और मैं नहीं समझता कि श्री सईद ने अध्यक्षपीठ के खिलाफ कुछ कहा है। ज्यादा गर्मागर्मी में उस समय कुछ शब्द उनके मुख से निकल गये थे। मैं समझता हूं कि वे ऐसा नहीं कह रहे हैं। श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य बोलें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें :

[हिन्दी]

मैं आपको भाषण करने के लिए टाइम दूंगा। पाइण्ट आफ आर्डर पर भाषण नहीं करें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर मैं काफी समय से आवाज उठाती रही हूं। लेकिन जैसे ही मैं त्रिपुरा के विषय में बोलने लगी तो अचानक प्रतिक्रिया हुई। मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब उन्होंने पश्चिम बंगाल के विषय में विचार व्यक्त किए तो किसी ने आपत्ति नहीं उठाई ।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मेरे पास सारे दस्तावेज हैं । मैं अध्यक्षपीठ के समक्ष ये आरोप व्यक्त कर सकती हूं । मैं केवल यह कहना चाहूंगी कि सभी राज्य सरकारों, चाहे वह किसी भी दल से संबंधित हों, का इस दिशा में शीघ्रता से कदम उठाने चाहिए । जैसे ही पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हुए सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की । त्रिपुरा म भी इसी तरह की कार्यवाही होनी चाहिए । जब एक महिला पर अत्याचार होता है तो उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए और फिर एक और आदिवासी गरीब महिला, जिसकी आवाज सामान्यतः सुनी नहीं जाती है, जब उस पर अत्याचार होता है तो उस घटना की भी समान शब्दों में भर्त्सना होनी चाहिए । इस दिशा में कदम उठाये जाने चाहिए ।

अब मैं अपनी अन्तिम बात पर आती हूं । हम क्या कर सकते हैं ? कार्यवाही के लिए कुछ सुझाव दिये गये हैं । हम शीघ्र ही राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना करने जा रहे हैं और हम यह आशा करते हैं कि इसे प्रभावी बनाने के लिए समुचित अधिकार, समुचित संख्या में कार्मिक प्रदान किए जाएंगे और यह आयोग निचले स्तर तक सबसे स्थापित करेगा । फिर भी मैं समझती हूं कि कुछ बातों पर हमें चुस्त रहना पड़ेगा जैसे कानून के मामले । उदाहरण के तौर पर, कानून के मामले में मैंने पहले भी एक अवसर पर सती प्रथा निवारण अधिनियम के विषय में अपने विचार व्यक्त किए थे । इसकी पहली ही धारा में यह उपबन्ध किया गया था कि इस दुखद प्रथा की शिकार महिला को ही जेल में डाल दिया जाए । इस अधिनियम को बदलना होगा । हमें मुस्लिम महिला अधिनियम पर भी विचार करना होगा जो महिलाओं के लिए अहितकर है । हमें विभिन्न पर्सनल लॉ पर विचार करना होगा जिनमें महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया है । मैं तो यह भी कहूंगी कि वास्तव में जिसे हम महिलाओं पर अत्याचार कहते हैं वह एक रोग के लक्षण हैं जो हमारे समाज में भीतर तक फैला हुआ है । वह रोग है महिलाओं के साथ हर क्षेत्र में राज्य के क्षेत्र में, परिवार में, शिक्षा के क्षेत्र में या साक्षरता के क्षेत्र में भेदभाव का अतः यह मात्र कानून की खामियां दूर करने या शीघ्र न्याय देने का ही प्रश्न नहीं है, जहां न्याय देने में देरी होती है । हमें समस्या की जड़ तक जाना पड़ेगा । इसके लिए न केवल महिलाओं अपितु सभी लोगों, जो प्रमुख और नारी की समानता में विश्वास रखते हैं, द्वारा एक जन आंदोलन किये जाने की आवश्यकता है । जनता में इस तरह की जागरूकता पैदा करने इन सब बातों के विरुद्ध आंदोलन की भावना पैदा हो सकती है ।

मैं केवल यह कहना चाहूंगी कि हम वामपंथी लम्बे समय से इन अत्याचारों को रोकने का प्रयास करते रहे हैं । लेकिन अब हम यह देखते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है । हमें अधिक सतर्क रहना होगा । हमें समस्याओं की जड़ तक पहुंच कर उनका समाधान करना होगा । यह एक ऐसा कार्य है जिसका दायित्व केवल वामपंथियों पर ही नहीं है अपितु राष्ट्र के सभी सही दिशा में सोचने वाले प्रगतिशील लोगों पर भी है ।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं नियम—193 के

सेडोज एट्रोसिटीज पर कुछ बोलूं, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करती हूं कि आपने अभी जो मुझे अंग्रेजी में नहीं, क्योंकि उस दिन हमारे पी. उपेन्द्र जी ने अपनी गलती को टालने के लिए अंग्रेजों का सहारा लिया, तो उपाध्यक्ष महोदय आपको सारी कहना होगा। मैं एक अन—मैरिड लड़की हूं··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, मुझे अफसोस है। मैं आपसे माफी मांगता हूं।

[हिन्दी]

हमारे यहां महाराष्ट्र में श्रीमती दोनों को ही कहते हैं।

(व्यवधान)

कुमारी मायावती : मैं अब देश के कोने-कोने में हो रही घटनायें, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं। मैं वर्तमान के बारे में जानकारी देने से पहले पूरे सदन का ध्यान पास्ट की ओर ले जाना चाहती हूं। मुझसे पूर्व हमारी सीनियर सांसद सदस्या ने बहुत कुछ हिन्दू धर्म के मुताबिक नारी की सराहना की है, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हिन्दू धर्म के मुताबिक धार्मिक भावनाओं में बह कर इस देश के अन्दर पूरी सम्पूर्ण नारी का अपमान किया गया है। चाहे वे किसी भी जाति की हो आपके वेद और शास्त्रों में लिखा है। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष जी, तुलसी दास जी ने लिखा है :

"ढोल गवार शुद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी।" (व्यवधान)

श्री लरंग साय (सरगुजा) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है, उपाध्यक्ष जी मायावती जी ने आपको बार-बार उपसभापति जी कहा है। यह ठीक नहीं है, उनको आप को उपाध्यक्ष जी कहना चाहिए और वह अपनी इस गलती को स्वीकार भी नहीं कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं है, यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

कुमारी मायावती : इस देश की किसी भी जाति की नारी हो, हर जगह नारी का अपमान किया गया, हर क्षेत्र में नारी को आगे बढ़ने से रोका गया। लेकिन भारत की नारी को पुरुषों के बराबर का अधिकार, इस देश के अन्दर यदि किसी ने दिया है तो वह महात्मा ज्योति राव फूले और उसके बाद बाबा साहेब डा. अम्बेडकर जी ने दिया है।

आप भारतीय संविधान को उठाकर देखें कि बाबासाहेब डा. अम्बेडकर जी ने किस तरह से नारी के लिए काम किया, आप लोग उनके कार्य का अध्ययन करके देखें तो आपको मालूम हो जायेगा कि इस देश के अन्दर हिन्दू धर्म के मुताबिक नारी का किस प्रकार से अपमान किया गया।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : यह क्या हो रहा है ? आप इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने भाषण में इसकी आलोचना कर सकती हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि नारी की जो टोटल पापुलेशन है उसके मुताबिक यदि देखा जाये तो नारी की आबादी कुल आबादी में से 50 परसेंट के करीब है। लेकिन 50 परसेंट में से 35 परसेंट के करीब दलित और शोषित समाज की तादाद आ जाती है, तो मैं उन 15 परसेंट नारी सवर्ण समाज के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूं क्योंकि उसके ऊपर सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। दहेज बारे में और सती के बारे में भी इस सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। इसलिए इस देश के अन्दर ऐसे दलित और शोषित समाज की नारी, जिसकी टोटल 50 परसेंट आबादी में से 35 परसेंट आबादी है। ऐसे दलित और शोषित समाज की नारी पर जो अत्याचार किये जा रहे हैं, उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इस देश के अन्दर जो दलित और शोषित समाज की नारी है, उनकी अपनी जमीन का खेती नहीं है वह दूसरे के खेत में काम करने के लिए जाती है। दूसरे के खेत में दलित और शोषित समाज की नारी का जो शोषण होता है, वह इस प्रकार से होता है कि उनसे हर तरीके से ज्यादा काम लिया जाता है। मजदूरी कम दी जाती है और भी दूसरे तरीके से शोषण होता है, शायद सदन मेरी इस बात को जरूर समझ गया होगा।

इतना ही नहीं दूसरे के घरों में दलित और शोषित समाज की नारी जब काम करने के लिए जाती है तो काम के साथ-साथ उसका दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझती हूं कि यह बड़े दुख की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि जिन दलित शोषित लोगों के पास अपनी खेती नहीं है, ऐसे समाज की नारियों पर रोक लगाई जाए कि वे दूसरों के खेतों में काम करने के लिए न जाएं। या तो उनको जमीन दी जाए, जमीन नहीं दी जाती तो दूसरों के खेतों में काम करने के लिए जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए दूसरे के घर में दलित-शोषित समाज की नारी नौकर के रूप में, सफाई के रूप में इस्तेमाल की जाती है, इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जब सदन में बलात्कार का मामला आया है तो मैं बताना चाहती हूं कि 90 परसेंट बलात्कार दलित-शोषित समाज की महिलाओं पर होते हैं। आगरा के अंदर जो पनवारी कांड हुआ, एस सी एस टी की पार्लियामेंट्री कमेटी गई थी। उन्होंने तो नहीं तो जाटव समाज के लोगों ने अपनी मां बहनों के बारे में मुद्दे उठाए थे। इतना ही नहीं अभी हाल ही में 6 अगस्त को अलीगढ़ के पास सिकंदराराऊ में 11 साल की बालिका जो कि जाटव समाज की थी, उस पर 4 ऊंची जाति के लोगों ने बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। जाटव समाज के लोगों ने अलीगढ़ सिकंदराराऊ में प्रदर्शन किया, लेकिन वहां के प्रशासन ने दोषियों को पकड़ने के

बजाए प्रदर्शनकारियों को पकड़ कर अंदर कर दिया, उनके खिलाफ एक्शन लिया और अभी तक निर्दोष लोग जेल में पड़े हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मध्य प्रदेश में शिवपुरी का मामला है, जहां पर दलित-शोषित समाज की महिलाओं को नंगा नाचने के लिए मजबूर किया गया। और भी ऐसे मामले हैं, उनकी तरफ ज्यादा मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि यदि ये बलात्कार के मामले नहीं रुके, इसके लिए सख्त कानून नहीं बनाए गए, एक्शन नहीं लिया गया तो इस देश की दलित-शोषित समाज की महिलाएं बाबा साहेब डा अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने आपको तैयार कर रही हैं और भविष्य में तैयार करेंगी, यदि आप लोगों ने बलात्कार और अन्याय अत्याचारों पर जो कि दलित-शोषित समाज की महिलाओं पर होते हैं, रोक नहीं लगाई तो भविष्य में वे स्वयं इसका मुकाबला करने के लिए अपने आपको तैयार करेंगी। मैं बताना चाहती हूं कि इस देश में फूलन देवी जैसी महिलाएं भी हैं। फूलन देवी भी दलित-शोषित समाज की महिला थी, उसके साथ सामंतवादियों के ठाकुरों ने रैप किया, सरकार ने दोषियों को सजा नहीं दी तो उसने ठाकुरों का डट कर मुकाबला किया, उनको कत्ल किया। इसके बाद फूलनदेवी को जेल में डाल दिया गया। इस तरह से अन्याय, अत्याचार हमारे समाज की, पिछड़े समाज की महिलाओं पर हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को यह बताना चाहती हूं कि बलात्कार के मामले में आपको बहुत सख्त कानून बनाना होगा जो लोग इस मामले में दोषी पाए जाएं, उनको मौत की सजा सुनाई जाए। एक दो लोगों को जब फांसी दे दी जाएगी तो मैं दावे के साथ सदन को बताना चाहती हूं कि बलात्कार के मामले बिल्कुल बंद हो जाएंगे। लेकिन आज कानून-व्यवस्था ढीली बनी हुई है, जिसकी वजह से दलित-शोषित समाज की महिलाओं पर अन्याय और अत्याचार होता है, इन सब बातों को बढ़ावा मिल रहा है और इस देश का कानून चुप है। इस मामले में मंत्री जी को जरूर सोचना होगा। आज खासतौर से अट्रासिटाज का सवाल 193 के तहत सदन में उठाया गया, श्रीमती गीता मुखर्जी ने इस मामले को सदन में उठाया। आपने पूरे देश की महिलाओं के ऊपर जो चर्चा का सवाल रखा है। मैं बहन गीता मुखर्जी से कहना चाहती हूं कि नियम 193 के अन्तर्गत, दलित और शोषित महिलाओं पर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, के विषय पर चर्चा रखतीं तो मैं समझती हूं कि बहन गीता मुखर्जी का पूरे देश का दलित और शोषित समाज की महिलाएं शुक्रिया अदा करतीं। लेकिन इन्होंने इस मामले को रखा और नियम 193 के अन्तर्गत सम्पूर्ण महिलाओं का मामला रखा। लेकिन अभी जो सदन के अन्दर चर्चा (व्यवधान)

मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि मुझसे पूर्व सदन के अन्दर जो चर्चा हुई है, उसमें ऐसी महिलाओं पर ऐसे अत्याचार का जिक्र हुआ है जो मनुवादी व्यवस्था के आधार पर काफी विकसित हो चुकी है। इस देश के अन्दर दलित और शोषित समाज की महिलाओं पर अन्याय और अत्याचार करने वाले वे लोग हैं, जो मनुवादी व्यवस्था से संबंधित हैं, हिन्दू धर्म का झूठा ढिंढोरा पीटने वाले लोग हैं, जिन्होंने देश की महिलाओं पर इस किस्म के अत्याचार, अन्याय किए हैं। मैं आपके माफत पूरे सदन को बताना चाहती हूं कि आज सदन के अन्दर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से दलित समाज की लड़की, अनुसूचित जाति की लड़की मम्बर आफ पार्लियामेंट बन कर आयी है, जो उनकी बातों को पार्लियामेंट के अन्दर रख रही है। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि गरीब और मूक लूम का मामला, महिलाओं का मामला है यदि इस मामले को सदन में दबाने की कोशिश की गई तो मैं पूरे

सदन को चैलेंज के साथ कहती हूं कि मायावती में वह ताकत है कि आप मेरी आवाज को नहीं दबा सकते है। बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले ई. वी. रामास्वामी नाइक, साहूजी महाराज आदि जैसे इस देश के महापुरुषों ने दबे-कुचले पिछड़े वर्ग माइनोरिटी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। उनके जीवन से हमने प्रेरणा ली है। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि दलित पीड़ित शोषित समाज का चाहे पुरुष है या महिला है यह समाज उठकर खड़ा हो रहा है। इस बढ़ते हुए समाज को न सदन रोक सकता है, न सदन के बाहर मुट्ठी पर ब्राह्मण वादी लोग, जिनकी आबादी बहुत कम है, रोक सकते हैं। इसीलिए मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि दलित, शोषित समाज के मामले में हमें ढीला नहीं रहना चाहिए। कानून को सख्त करने की आवश्यकता है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी है ताकि इस देश के मूल निवासी जिनकी आबादी सौ में से पिच्चासी है, ऐसे लोग जिन्दगी मान और सम्मान की बसर कर सकें और इस देश को अपना देश कह सकें।

इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं और उम्मीद करती हूं कि मंत्री जी मेरी बातों पर अवश्य ध्यान देंगे।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अधिसूचना

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : महोदय, श्री अनिल शास्त्री की ओर मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 136/90-के.उ.शु. जो 22 अगस्त 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ के उपशीर्ष सं. 8703.00 के अन्तर्गत आने वाली मोटर कार तथा अन्य मोटर वाहन की उत्पाद-शुल्क की टैरिफ दर को मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एल. टी. 1251/90]

6.04 म. प.

तत्पश्चात लोकसभा गुरुवार, 23 अगस्त 1990/1 भाद्र, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिये स्थगित हुई।

———

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली-6